खण्ड-127, अंक-1
सोमवार, 23 अग्रहायण, शक संवत् 1875
(14 दिसम्बर, 1953 ई0)

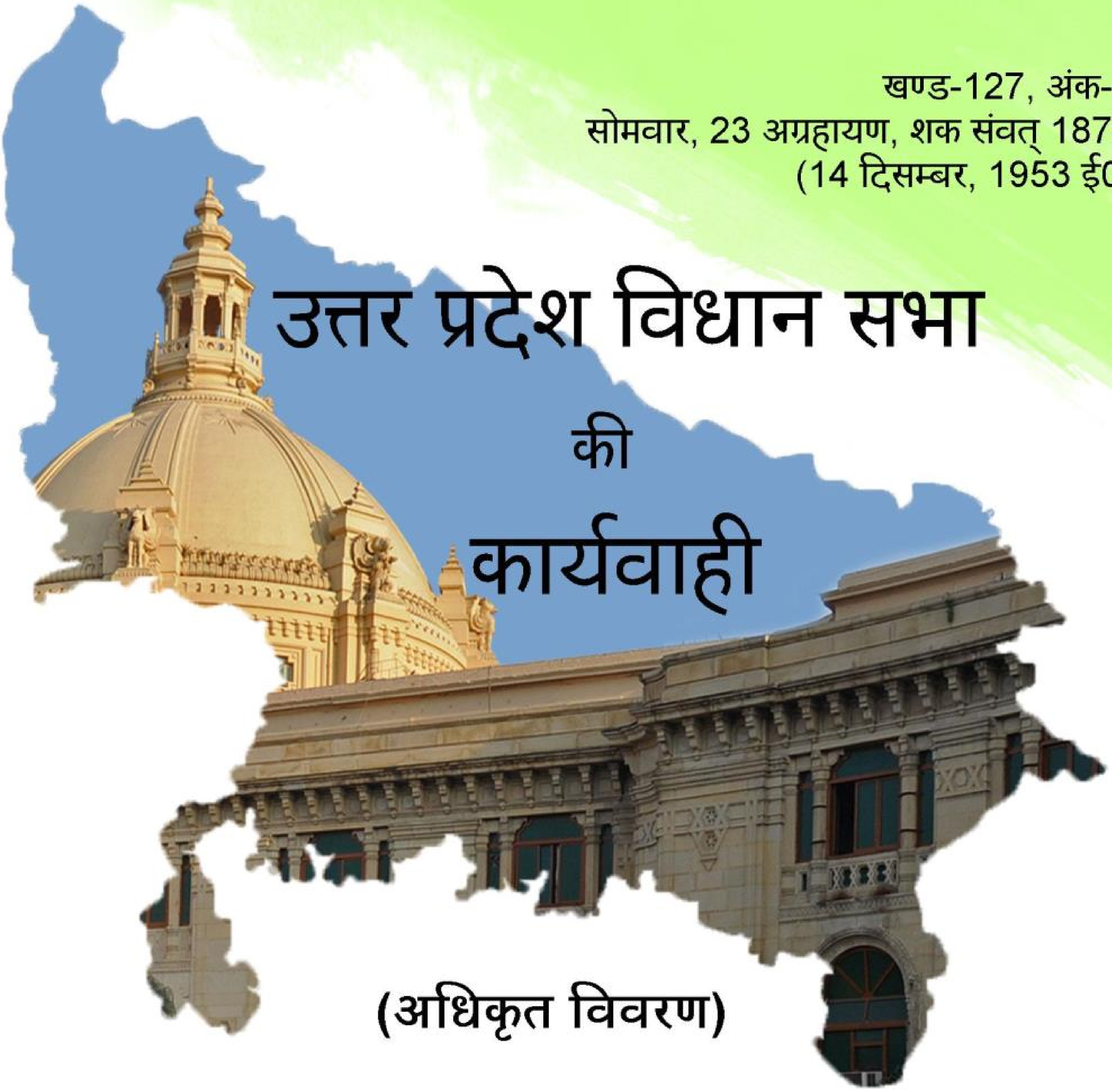

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 127 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाइज़ (टेम्पोरेरी पावर्स) विधेयक, १९५३ (राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा) ३२
उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधन) विधेयक, १९५३ (राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा) .. . ३२
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) विधेयक, १९५३ (राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा) ३३
उत्तर प्रदेश ओपियम स्मोकिंग (संशोधन) विधेयक, १९५३ (राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा) ३३
उत्तर प्रदेश शुद्ध खाद्य (संशोधन) विधेयक, १९५३ (राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा) ३३
उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि (अनुपूरक) विधेयक, १९५३ (राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा) ३३
मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५३ (राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा) ३३
उत्तर प्रदेश सरकारी भूमि (बेदखली और लगान की वसूली) विधेयक, १९५३ (राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा) .. ३३
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली में किये गये संशोधनों से सम्बद्ध माल (अ) विभाग की कतिपय विज्ञप्तियां (प्रतिलिपियां मेज पर रखी गयीं) ३४
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स १९४० में किये गये संशोधनों की विज्ञप्तियां (प्रतिलिपियां मेज पर रखी गयीं) .. ३४
यू० पी० ऐग्रिकल्चरल इन्कम टैक्स रूल्स, १९४९ में किये गये संशोधनों की विज्ञप्ति (प्रतिलिपि मेज पर रखी गयी) .. ३४
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत नियमों पर विचारार्थ समय निश्चत करने की मांग .. ३४—३६
उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कण्टिन्युएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५३ (पुरःस्थापित किया गया) ३६
रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश विधेयक, १९५३ (पुरःस्थापित किया गया) ३६
उत्तर प्रदेश खादी बिक्री विधेयक, १९५३ (पुरःस्थापित किया गया) .. ३६
उत्तर प्रदेश इन्कम्बर्ड इस्टेट्स (संशोधन) विधेयक, १९५३ (पुरःस्थापित किया गया) ३६
उत्तर प्रदेश सिविल लाज़ (सुधार तथा संशोधन) विधेयक, १९५३ (पुरःस्थापित किया गया) ३६
उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण विधेयक, १९५३ (पुरःस्थापित किया गया) .. ३६
आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३ (संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया) ३७
उत्तर प्रदेश पुनः संघटित संग्रहालय परामर्श दात्री समिति के लिये दो सदस्यों के तथा राज्य स्वास्थ्य बोर्ड में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये एक सदस्य के निर्वाचन का कार्यक्रम ३
उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कण्टीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५३ (प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाय, उपस्थित किया गया—विवाद स्थगित) ३८
आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३ (प्रस्ताव पर कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक पर विचार किया जाय—विवाद जारी) ३८—७३
नत्थियां .. .. .. ७४—१४८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १४ दिसम्बर, १९५३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६२)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करणसिंह यादव, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किल्हरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदारनाथ, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराय, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जादव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजाशरण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्द्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीननारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवराम, श्री
देवेंद्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारिकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदास, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फजलुल हक़, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री

अध्यक्ष प्रदेश सभा

बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ़्फ़र हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फ़ारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविदासी, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणराव कहम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास बनवार, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वली नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुबिलश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेंद्रपति यादव, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा,
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार पांडेय, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिवबक्शसिंह राठौर, श्री
शिवबचनराव, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामकिशोर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महतोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सिंगारलाल गंगवार, श्री
सिंगारसिंह चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सूरजूराम, श्री

अमर विधान सभा

सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमानप्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

नव निर्वाचित सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

निम्नलिखित नव निर्वाचित सदस्यों ने शपथ ग्रहण की—

१—श्री उदय भान सिंह
२—श्री महावीर सिंह
३—श्री विश्राम राय

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज व गोली चलाना

* १—श्री भाराय प्रसाद तिवारी (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि ३१ अक्तूबर, व १ तथा २ नवम्बर, १९५३ को पुलिस ने लखनऊ के विभिन्न स्थानों पर विद्यार्थियों के जलूस पर गोली चलाई, अथवा लाठी चार्ज किया और आंसू गैस का प्रयोग भी किया? अगर हां, तो क्यों?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—३१ अक्तूबर को विद्यार्थियों के एक उत्तेजित तथा अवैध जलूस को, जिसने कि पुलिस दल द्वारा रोके जाने पर ईंट मारना आरम्भ किया, तितर-बितर करने के लिये पुलिस ने लाठी चार्ज व आंसू गैस का प्रयोग किया। ३१ अक्तूबर व नवम्बर १ को पुलिस को चार अवसरों पर गोली चलानी पड़ी और इन दोनों दिनों तथा नवम्बर २ को उपद्रवी मजमों पर कहीं-कहीं पर लाठी चार्ज भी करना पड़ा। ३१ अक्तूबर को टेलीफोन एक्सचेंज व नजीराबाद के पास जिन मजमों पर गोली चली उनमें विद्यार्थी शामिल थे। अन्य अवसरों के बारे में यह ठीक से नहीं कहा जा सकता कि उन मजमों में विद्यार्थी शामिल थे या नहीं। मजमों ने धारा १४४ के प्रतिबन्धों को तोड़ा, पुलिस के आदमियों तथा मैजिस्ट्रेटों को जो ड्यूटी पर थे ईंट, पत्थर से मारा, पोस्ट आफिसों और सरकारी मोटरों को जलाया तथा टेलीफोन और टेलीग्राफ के तार काटे। ऐसी परिस्थिति में मजबूर होकर सार्वजनिक काम की चीजों की रक्षा तथा शांति व सुरक्षा बनाये रखने के लिये पुलिस को उपर्युक्त कार्यवाही करनी पड़ी।

नोट—अल्प सूचित तारांकित प्रश्न १—श्री राम नारायण त्रिपाठी ने पूछा।

विधान सभा

*२—श्री नारायणदत्त तिवारी (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त कार्यवाहियों के फलस्वरूप कितने व्यक्ति हताहत हुए ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उपर्युक्त कार्यवाही के फलस्वरूप तीन व्यक्ति मरे। कुछ व्यक्तियों को चोटें भी आई परन्तु उनकी संख्या ठीक प्रकार बताना सम्भव नहीं है, क्योंकि न तो किसी ने अपनी चोटों की थाने में रिपोर्ट लिखाई। अस्पताल में भी जिन व्यक्तियों का मुआइना हुआ उनके रिकार्ड से यह नहीं पता चलता कि उनको चोटें उपर्युक्त घटनाओं के संबंध में आई या किसी अन्य कारणों से।

*३—श्री नारायणदत्त तिवारी (अनुपस्थित)—क्या सरकार का उपर्युक्त गोलीकांड के औचित्य अथवा अनौचित्य के संबंध में कोई जुडिशियल इन्क्वायरी कराने का विचार है ? अगर नहीं तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैनुअल आफ गवर्नमेंट आर्डर के पैरा ८४७ के अनुसार जिलाधीश ने उन चारों घटनाओं की जिनमें गोली चलाई गई थी, एक अतिरिक्त जिलाधीश द्वारा जांच करा ली है। जांच आफिसर के अनुसार उन चारों अवसरों पर पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना अनिवार्य तथा आवश्यक था।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, प्रश्न ४ भी इसी संबंध में है वह भी इन्हीं प्रश्नों के साथ ले लिया जाय तो ठीक होगा।

श्री अध्यक्ष—वह तो दूसरा है उसका माननीय अन्न मंत्री जवाब देंगे।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—क्या ३१ अक्तूबर व ३० अक्तूबर को पुलिस द्वारा छात्रों के साथ की गई पाशविकता, अमानुषिकता, जोर जुल्म के फलस्वरूप नहीं थी....

श्री अध्यक्ष—प्रश्नों में आप साधारण भाषा का ही प्रयोग करें तो अच्छा है।

श्री राजनारायण—३१ अक्टूबर को छात्रों का जो शांतिमय जुलूस निकला, क्या वह ३० अक्टूबर की रात में पुलिस द्वारा बरती गई जोर जुल्म की कार्यवाहियों के फलस्वरूप नहीं था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में कई विशेषणों का प्रयोग किया गया है। उनको मैं स्वीकार नहीं कर सकता। पहले तो जोर जुल्म को मैं स्वीकार नहीं करता और दूसरे शांतिमय विशेषण जो प्रयोग किया गया उसको मैं स्वीकार नहीं करता। लेकिन हां, यह हो सकता है कि ३१ अक्टूबर को जो जुलूस निकला उसका संबंध उस कार्यवाही से रहा हो जो कि ३० अक्तूबर को हो गई थी।

श्री राजनारायण—क्या गृह मंत्री जी बतायेंगे कि ३० अक्टूबर की रात में पुलिस युनियन बिल्डिंग पर किसके हुक्म से गयी थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के।

श्री राजनारायण—क्या युनिवर्सिटी यूनियन की बिल्डिंग में जहां पर कि छात्र अनशन कर रहे थे वहां डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पुलिस भेजने के लिये किसी ने कहा था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, युनिवर्सिटी अधिकारियों ने कहा था कि ऐसी एसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है इसमें जो उचित कार्यवाही हो वह की जाय।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या गृहमंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इस उपद्रव से कितने रुपये का नुकसान हुआ ?

नोट—अल्प सूचित तारांकित प्रश्न २–३ श्री राम नारायण त्रिपाठी ने पूछे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, बिल्कुल ठीक तो नहीं बता सकता, लेकिन कुछ तो बतला सकता हूं। अभी तक जो अन्दाज लग सका है उसमें फतेहपुर और रायबरेली इन दो जगहों की पूरी-पूरी सूचना नहीं आ सकी है। बाकी रेलवे प्रापर्टी में १,८०० रुपये का नुकसान हुआ है। पोस्ट ऐंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट की ४१,२०० रुपये की प्रापर्टी का नुकसान हुआ है। रोडवेज का कम से कम ५७,७०० रुपये का नुकसान हुआ है। इसके अलावा पुलिस आउटपोस्ट वगैरह का अन्दाज अभी नहीं लग सका है। सरकारी और दूसरी प्रापर्टी जो नुकसान हुई है वह १६,००,२०० रुपये की है। प्राइवेट प्रापर्टी की २२,६५६ रुपये की नुकसान हुई है। इस वक्त तो अन्दाज इतने ही का है। बाकी का कहना इस समय मुश्किल है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--क्या गृह मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि इन दिनों के बीच में ३१ अक्तूबर और १ और २ नवम्बर के बीच में सीनियर सुपरिंटेंडेंट पुलिस पर हमला किया गया था और उनको सख्त चोट लगी थी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां। उनको चोट लगी थी।

श्री रामकुमार शास्त्री--क्या सीनियर सुपरिंटेंडेंट पुलिस को अस्पताल में दाखिल किया गया था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं, उनके जिम्मे इतना काम था कि बावजूद इतनी चोट के बराबर वह अपनी ड्यूटी करते रहे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या ३० अक्तूबर की रात को पुलिस भेजने के लिये जिला मैजिस्ट्रेट ने गृह मंत्री से इजाजत मांगी थी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--गृह मंत्री से इजाजत लेने की कोई जरूरत डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को नहीं।

श्री राजनारायण--क्या गृह मंत्री जी को मालूम है कि युनिवर्सिटी अधिकारियों ने स्पष्ट तरीके पर यह कहा है कि पुलिस यूनियन बिल्डिंग पर आये और कब्जा करे, ऐसी मांग युनिवर्सिटी अधिकारियों ने नहीं की थी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं नहीं जानता कि युनिवर्सिटी अधिकारियों के किस बयान की तरफ यह इशारा है। लेकिन युनिवर्सिटी अधिकारियों ने यह सूचना दी कि उनकी मर्जी के खिलाफ ताले तोड़ करके युनिवर्सिटी यूनियन बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया गया है और उन्होंने यह कहा कि जो मुनासिब कार्यवाही हो वह की जाय। बाकी युनिवर्सिटी अधिकारियों का यह काम भी नहीं है कि वह डिक्टेट करें कि क्या-क्या कार्यवाही की जाय।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--क्या माननीय गृह मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि ३१ अक्तूबर और पहली और दूसरी नवम्बर की घटनाओं में देश के पंचमांगियों का भी हाथ था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--पंचमांगी किन को कहते हैं यह तो मैं नहीं कह सकता, उनकी कोई खास परिभाषा नहीं है, लेकिन यह सही है कि कुछ राजनैतिक दलों का उन चीजों से काफी सम्बन्ध था।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या माननीय गृह मंत्री जी को मालूम है कि टेलीफोन एक्सचेंज, नजीराबाद के पास जिन सज्जन ने गोली चलाई उन्होंने एक फायर मस्जिद की तरफ किया, दूसरा टेलीग्राफ आफिस की तरफ किया और तीसरा हाई कोर्ट कम्पाउंड की तरफ किया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां तक मुझ को इत्तिला है उन्होंने दो तरफ गोली चलाई और मैं पूरा ब्योरा भी बतला सकता हूं अगर श्रीमन् कहें...

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इसके लिये कोई आगे समय हो सकता है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या यह बात सही है कि पुलिस वाले एक ट्रक में बहुत से ईंटे और पत्थर लड़कों को मारने के लिये ले गये थे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह बात बिलकुल गलत है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या यह बात सही है कि पुलिस वालों ने हमारी युनिवर्सिटी की लड़कियों के ऊपर भी हमला किया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं जानना चाहूंगा कि माननीय सदस्य का किस युनिवर्सिटी से मतलब है?

श्री मदन मोहन उपाध्याय—मेरा मतलब है कि लखनऊ युनिवर्सिटी की लड़कियों के ऊपर भी पुलिस वालों ने लाठियों या पत्थरों से हमला किया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां तक लाठी चार्ज का सवाल है वह मैं पहले ही प्रश्न के उत्तर में कह चुका हूं कि कहां-कहां पुलिस वालों ने लाठी चार्ज किया। जहां तक पत्थर चलाने का सवाल है, ऐसा कहा जाता है कि कहीं-कहीं पर पुलिस वालों ने कंकड़ चलाये। मैं एक बात और बता दूं। "लड़कियों" शब्द का प्रयोग किया गया, लड़कियों के सम्बन्ध में मेरे पास कोई सबूत नहीं है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या यह बात सही है कि युनिवर्सिटी की एक लड़की को पुलिस वालों ने धक्का देकर गोमती में गिरा दिया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह बात बिल्कुल सोलह आने गलत है?

श्री रामकुमार शास्त्री—क्या गृह मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि लखनऊ की वह कौन सी सरकारी इमारतें हैं और कितनी हैं जो तोड़ी-फोड़ी गयीं और कितनी बसें जलायी गयीं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अमीनाबाद सब पोस्ट आफिस, अमीनाबाद का दूसरा सब-पोस्ट आफिस, बरलिंगटन होटल का डाकखाना, उसके अलावा सुन्दरबाग, गुरुद्वारा रोड, न्यू गणेशगंज, दुगावां इन सब जगहों के सब पोस्ट आफिसेज, सरफराज सब पोस्ट आफिस, हेवट रोड सब पोस्ट आफिस।

यू० पी० हैंडीकाफ्ट्स, उसके अलावा गवर्नमेंट रोडवेज की तीन बसें जलायी गयीं, एक को नुकसान पहुंचाया गया, बस रोल्टर दो जला दिये गये, एक को नुकसान पहुंचाया गया। म्युनिसिपल बोर्ड के वाटर वर्क्स की इमारत को नुकसान पहुंचाया गया, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट की इमारत को नुकसान पहुंचाया गया और काफी सामान है उसमें जिसको नुकसान पहुंचाया गया। लालबाग कालिज पर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को नुकसान पहुंचाया गया, लाइटिंग डिपार्टमेन्ट को नुकसान पहुंचाया गया, १२ टेलीफोन बेकार कर दिये गये, ७७ डिस्ट्रिब्यूटर्स टेलीफोन के बेकार किये गये और एक ट्रंक लाइन को जला दिया गया और एक को नुकसान पहुंचाया गया, जेल डिपो को काफी नुकसान पहुंचाया गया।

श्री रामकुमार शास्त्री—मैं केवल लखनऊ के लिये पूछ रहा हूं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसके बताने में कुछ थोड़ा सा टाइम लगेगा।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय गृह मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि लखनऊ शहर के अलावा और शहरों में कितना नुकसान हुआ है और कितने रुपयों का?

श्री रामनारायण त्रिपाठी---यह इनके [illegible] नहीं है इस-लिये इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष---यह बात लाजमीन मंत्री जी जवाब में कह देंगे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जिलों की बातों में हैं। लखनऊ, प्रयागराज, फतेहपुर, बहराइच, आगरा, फ़ैजाबाद, कानपुर, हरदोई, खीरी, सीतापुर, रायबरेली, [illegible], जौनपुर, झांसी, इलाहाबाद, मेरठ तथा पीलीभीत आदि जिलों में कुछ-कुछ गड़बड़ हुआ है। मैंने जो अभी टोटल बताया था उसमें से इन सब जिलों के लिये जोड़ना पड़ेगा।

श्रीमती लक्ष्मी देवी (जिला हरदोई)---क्या सरकार को मालूम है कि राष्ट्रीय झंडे भी जलाये गये और मंत्री प्रतिमायें भी लड़कों ने जलाईं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां?

श्री राजनारायण---क्या माननीय गृह मंत्री जी यह बतायेंगे कि ३० जनवरी की रात में करीब एक हजार पुलिस का यूनियन बिल्डिंग का घेराव करने के लिये [illegible] आवश्यकता डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को मालूम हुई?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---एक हजार पुलिस तो वहां थी भी नहीं लेकिन यह सही है कि जब पुलिस वहां पहुंची तो लड़के जरूर एक हजार से ज्यादा [illegible] थे।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को यह मालूम है कि जब करीब एक हजार पुलिस का दल वहां पर चारों तरफ से घेर चुका था और करीब दो घंटे तक विद्यार्थियों को परेशान कर चुका था तब यूनिवर्सिटी के होस्टेल से निकल कर लड़के आये?

श्री अध्यक्ष---यह तो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, प्रश्न पूछिये।

श्री राज नारायण---क्या सरकार को यह मालूम है कि पुलिस के घेरा डालने के समय के करीब डेढ़ दो घंटे बाद होस्टल के कमरों से निकल कर लड़के वहां आये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यूनियन बिल्डिंग कमरे से बन्द कर दी गयी थी और पुलिस के सीनियर सुपरिंटेंडेन्ट ने दो घंटे तक समझाने की कोशिश की कि हम इतना ही चाहते हैं कि यूनियन का दरवाजा खोल दिया जाय और हम उसके अन्दर जा सकें। दो घंटे समझाने के बाद भी जब नहीं माने तो पुलिस को यूनियन बिल्डिंग में बाकी कोर्स एक्टर करना पड़ा। इधर इसी बीच में लड़के जमा कर लिये गये।

श्री राजनारायण---डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा जो कार्य किये गये हैं, क्या उसकी जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर मानती है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह तो राय का सवाल है। आप खुद इसे जान सकते हैं।

श्री राजनारायण---डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कमिश्नर के मातहत हुआ बड़ा काण्ड अपने प्रान्त की राजधानी में हो, क्या उसके लिये सरकार अपनी भी कोई जिम्मेदारी महसूस करती है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जब तक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इस गवर्नमेंट के मातहत हैं तब तक जितनी जिम्मेदारी कानून के मातहत है, उतनी है।

लखनऊ गोलीकांड में आहत छात्र के आपरेशन में विलम्ब

*४---**श्री नारायणदत्त तिवारी** (कमुनसिंघाट)---क्या यह सही है कि लखनऊ में १ नवम्बर के गोलीकाण्ड में घायल एक मेडिकल कालेज के विद्यार्थी की खोपड़ी के अन्दर धंसी हुई गोली को निकालने के लिये आपरेशन ५ दिन बाद हुआ? अगर हुआ तो यह देरी क्यों हुई?

नोट---अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ४ श्री नारायणदत्त तिवारी ने पूछा।

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—पहली नवम्बर को कोई मेडिकल कालेज का विद्यार्थी गोली से घायल नहीं हुआ। प्रश्नकर्ता का तात्पर्य शायद उस घटना से है जिसमें मेडिकल कालेज के विद्यार्थी श्री जगदीश लाल गयन्दर को गोली लगी। यह घटना ३१ अक्तूबर की है। उक्त तिथि को लगभग ६ बजे शाम को यह अलरसबुर अस्पताल में लाये गये। इनके मस्तिष्क में गोली लगी थी। इसकी जांच की गयी और उनको मेडिकल कालेज भेज दिया गया। पहली नवम्बर को प्रातः इनका आपरेशन करने की राय हुई। तत्पश्चात् सीनियर डाक्टरों की राय से और श्री गयन्दर की माता के इच्छानुसार उनके भाई श्री नन्द किशोर के बम्बई से आने तक के लिये आपरेशन स्थगित किया गया। श्री नन्दकिशोर २ नवम्बर को दोपहर को आये। उसी समय यह निश्चय हुआ कि जेनोर से न्यूरो सर्जन को भी यदि इनको दिखलाया जावे तो उचित होगा। श्री गयन्दर को उक्त सर्जन को दिखाने के लिये सरकार ने अनुमति दी और उसके लिये आवश्यक प्रबन्ध करा दिया। तीसरी नवम्बर को प्रातः यह ज्ञात हुआ कि वेलोर के सर्जन विदेश गये हुए हैं। उस समय मेडिकल कालेज के डाक्टरों द्वारा ही आपरेशन करने के लिये श्री नन्द किशोर से अनुमति मांगी गयी। उन्होंने तीसरी नवम्बर की रात में सर्जन माथुर को दिखलाने की इच्छा प्रकट की। सर्जन माथुर ने ४ नवम्बर को प्रातः श्री गयन्दर को देखा और ५ नवम्बर को प्रातः आपरेशन करने का निश्चय किया। इस प्रकार ५ नवम्बर को ११ बजे उनका आपरेशन किया गया।

तारांकित प्रश्न

जोतों की चकबन्दी के संबंध में सरकारी योजना

*१—**श्री रामनारायण त्रिपाठी**—क्या माल मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि देश के कौन-कौन से जिलों में जोतों की चकबन्दी सबसे पहले शुरू होगी?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—जोतों की चकबन्दी प्रारम्भ में केवल मुजफ्फरनगर व सुल्तानपुर जिले की एक-एक तहसील में करने का इरादा है।

*२—**श्री रामनारायण त्रिपाठी**—इन जिलों में चकबन्दी शुरू हो जाने के बाद सारे प्रदेश में जोतों की चकबन्दी कराने के बारे में प्रादेशिक सरकार की क्या योजना है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—चकबन्दी आरम्भ हो जाने पर कर्मचारियों को इस कार्य में आवश्यक शिक्षा दी जायगी और उसके पश्चात् चकबन्दी यथासम्भव राज्य के दूसरे जिलों में शुरू की जायगी। आशा है कि दो तीन साल के अन्दर पहाड़ी व एक दो अन्य जिलों को छोड़कर प्रदेश के बाक़ी कुल जिलों में काम शुरू हो जायेगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय राजस्व मंत्री जी बतलायेंगे कि सुल्तानपुर के अलावा फ़ैजाबाद का जिला भी विचाराधीन है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—इस साल तो नहीं, अगले साल जैसा कहा गया है देखा जायगा।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या माननीय राजस्व मंत्री यह बतला सकते हैं कि चकबन्दी का काम सूबे भर में कितने दिनों में पूरा हो जायगा?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—६, ७ वर्ष के अन्दर।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि क्या चकबन्दी के विधेयक में कोई तरमीम की जा रही है?

श्री चरण सिंह—आवश्यक होता है तो हर विधेयक और अधिनियम में तब्दीली की जाती है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या यह सत्य है कि चकबन्दी विधेयक को प्रेसीडेंट द्वारा स्वीकृति नहीं मिली है ?

श्री चरण सिंह—अभी नहीं मिली है, लेकिन बहुत जल्द मिल जाने की आशा है।

श्री राम चन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर और सुलतानपुर के जिले में किन-किन तहसीलों में पहले चकबन्दी आरम्भ की जा रही है ?

श्री चरण सिंह—बुलन्दशहर की कांदला तहसील में। लेकिन सुल्तानपुर की कोन सी तहसील में चकबन्दी काम शुरू होगा यह अभी तय नहीं हुआ है।

श्री श्रीचन्द (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी के डिवीजनों में ट्रेनिंग कब और कहां-कहां आरम्भ की जायगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—बुलन्दशहर और सुलतानपुर में जहां पहले काम शुरू होगा वहीं पर दे दी जायगी।

तहसील सोरांव, जिला इलाहाबाद में कोर्ट आफ वार्ड्स के अन्तर्गत भूमि का नीलाम

*३—राजा भीखेन्द्र साहू (जिला जालौन) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील सोरांव जिला इलाहाबाद में कोर्ट आफ वार्ड्स की कितनी भूमि थी ?

श्री चरण सिंह—तहसील सोरांव जिला इलाहाबाद में कोर्ट आफ वार्ड्स की ९ गांवों में कुल [illegible] १/२६ एकड़ भूमि थी।

*४—राजा भीखेन्द्र साहू (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि उस भूमि का नीलाम कब किस तरह और भूमि किस व्यक्ति द्वारा खरीदी गई ?

श्री चरण सिंह—उस भूमि का कोर्ट आफ वार्ड्स द्वारा न तो कभी नीलाम किया गया और न यह किसी व्यक्ति को बेची गयी।

जमींदारों को अन्तर्कालीन प्रतिकर का वितरण

*५—राजा भीखेन्द्र साहू (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि अब तक (यानी ३१ जुलाई, १९५३) कितना अन्तर्कालीन प्रतिकर (Interim Compensation) जमींदारों को बांटा जा चुका है और कितना बांटा जाना चाहिये था ? यदि इसमें कमी हुई तो क्यों ?

श्री चरण सिंह—३१ जुलाई सन् १९५३ तक अन्तर्कालीन प्रतिकर के लिये ४२,६३० दरख्वास्तें पड़ी थीं। इनमें से १६,१६० दरख्वास्तें फैसल हो गईं और १६,१६,३१४ रुपया बांटा गया। यह बात ध्यान रखना कि ४२,६३० दरख्वास्तें देने वालों का अन्तरिम प्रतिकर कुल कितना होगा बहुत मुश्किल है। जब तक कि कुल दरख्वास्तों का कुछ फैसला न हो जाय। बाकी दरख्वास्तों के फैसले न होने का मुख्य कारण यह है कि अधिकांश लोगों ने खरीफ तथा रबी दोनों किस्तों के लिये इकट्ठा दरख्वास्त जुलाई के आखिर में ही दी। १५ जुलाई, १९५३ तक कुल दरख्वास्तें १५,[illegible] पैदा हुई थीं और बहुत से लोग जिन्होंने अप्रैल या मई में दरख्वास्तें दी थीं, उन्होंने खरीफ का फैसला न लेकर १ जुलाई के बाद रबी तथा खरीफ का इकट्ठा रुपया लेना तय किया।

पट्टी पूर्वी आगर व [illegible], जिला बैरीशाल में चसमोड़ा घास को नष्ट करने के प्रयत्न

*६—श्री नारायणदत्त तिवारी (अनुपस्थित)—क्या सरकार को मालूम है कि पट्टी पूर्वी आगर व [illegible], जिला बैरीशाल में चसमोड़ा घास की भयंकर वृद्धि के कारण आलू की फसल को भयंकर नुकसान हो रहा है? इस घास को समूल नष्ट करने के हेतु जनता को रासायनिक विधियों [illegible] को उपलब्ध कराने के हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री चरण सिंह—जी हां। इस घास की वृद्धि रोकने के लिये चौबटिया के सरकारी फल अनुसंधान केन्द्र (Government Fruit Research Station) में कई वर्षों से प्रयोगात्मक काम किये जा रहे हैं और इस सम्बन्ध में अनेक रसायनों का प्रयोग किया गया है, किन्तु अब तक किसी ऐसे रसायन का पता नहीं चल सका जिसका व्यापक रूप से प्रयोग करने के लिये सिफारिश की जा सके, क्योंकि इन रसायनों के प्रयोग से बहुत अधिक लागत बैठती है, जो आर्थिक दृष्टि से अलाभकर है। अब तक घास नष्ट करने वाले जो रसायन [illegible] है वह फर्नीविजोन है और इसके प्रयोग से बाग की पूरी रोकथाम में प्रति वर्ष [illegible] रुपये प्रति एकड़ से अधिक लागत बैठेगी और तब भी इस घास को नष्ट नहीं किया जा सकता है। प्रयोगात्मक कार्य अभी चल रहा है और अन्य केन्द्रों से जिन रसायनों की जानकारी हुई [illegible] का उपयोग किया जा रहा है।

आगरा जिले में लैंड युटिलाइजेशन ऐक्ट के अन्तर्गत भूमि का वितरण

*७—श्री [illegible] चतुर्वेदी (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा [illegible] (Land Utilization Act) के अन्तर्गत पिछले तीन सालों में कितनी भूमि किन व्यक्तियों को दी गयी?

श्री चरण सिंह—[illegible] १९५०, १९५१ व १९५२ में कुल १८५ व्यक्तियों को [illegible] १९ बिस्वा भूमि दी गयी।

८—श्री [illegible] चतुर्वेदी (अनुपस्थित)—क्या सरकार जून सन् १९५२ में दी गयी भूमि की तारीखवार व नामवार तालिका मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री चरण सिंह—तालिका यह है—

नाम	तारीख
१—श्री [illegible]	१० जून सन् १९५२
२—,, [illegible]	१० जून सन् १९५२
३—,, [illegible]	२५ जून सन् १९५२
४—,, [illegible]	२५ जून सन् १९५२
५—,, [illegible]	२५ जून सन् १९५२
६—,, [illegible]	२९ जून सन् १९५२
७—,, [illegible]	३० जून सन् १९५२
८—,, [illegible]	३० जून सन् १९५२
९—,, [illegible] व [illegible]	
,, [illegible]	३० जून सन् १९५२
१०—,, [illegible]	३० जून सन् १९५२
११—,, [illegible]	३० जून सन् १९५२
१२—,, [illegible]	२९ जून सन् १९५२
१३—,, [illegible]	३० जून सन् १९५२

ग्राम सभाओं द्वारा किसानों के पेड़ों का नीलाम

*९—श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि गांव सभाओं को किसानों के निजी पेड़ नीलाम करने के लिए कोई आदेश दिया गया है ? यदि नहीं, तब अमेठी तहसील (जिला सुल्तानपुर) में क्यों कर किसानों के निजी पेड़ नीलाम किये जा रहे हैं ?

श्री चरण सिंह—गांव सभाओं को किसानों के निजी पेड़ नीलाम करने के लिए कोई आदेश नहीं दिया गया ।

इस सम्बन्ध में सरकार या जिलाधीश के पास अमेठी तहसील के किसी भी किसान की ओर से कोई शिकायत नहीं आई है ।

विधायक निवास में दूध का वितरण

*१०—श्री श्रीचन्द—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विधायक निवास में दूध का वितरण महकमा डेयरी के बजाय सहकारी समिति को दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरण सिंह—जी हां । १ जुलाई, १९५३ से इस डेयरी का दूध सब ग्राहकों को सम्बन्ध सहकारी समिति द्वारा वितरण किया जाता है । सरकार ने यह निश्चय किया है कि जहां तक सम्भव हो पशु-पालन विभाग जानवरों की उन्नति तथा दूध की उपज का काम देखे और दूध का वितरण इत्यादि कार्य सहकारी विभाग द्वारा किया जाय ।

*११—श्री श्रीचन्द—क्या यह सही है कि दूध के दाम बढ़ा दिये गये हैं ? यदि हां तो क्यों ?

श्री चरण सिंह—पहले दूध १० आने सेर (२ पौण्ड) के हिसाब से बेचा जाता था, इसके अतिरिक्त साढ़े तीन रुपया महीना हर ग्राहक से सकान पर दूध पहुंचाने का लिया जाता था । १ जुलाई, १९५३ से दूध ११ आने फी सेर (दो पौण्ड) के हिसाब से ग्राहकों के घर पर पहुंचा कर दिया जाता है ।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि १० आने से ११ आने भाव करने से कितनी वार्षिक आय का अनुमान है ?

श्री चरण सिंह—इसमें सब्सिडी को कोई मुनाफा नहीं होगा । पहले जो किराया था वह इस १ आने फी सेर में कवर होगा । कितने पैसे आयेंगे, १ आने फी सेर के हिसाब से, यह कहना मुश्किल है ।

रीजनल ट्रांसपोर्ट आफसर आगरा द्वारा दिये गये टेम्पोरेरी मोटरों के परमिट

*१२—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रीजनल ट्रांसपोर्ट अफसर, आगरा, रीजन आगरा ने १९५२ में तथा १९५३ में अब तक कितने टेम्पोरेरी परमिट मोटरों को दिये ?

परिवहन मंत्री श्री (विचित्र नारायण शर्मा)—१९५२ में १,६०० और १९५३ में १,२३५ स्पेशल परमिट दिये गये जिनकी अवधि एक हफ्ते की थी । अस्थायी परमिट एक माह से चार माह की अवधि के १९५२ में ३३३ और १९५३ में २१२ दिये गये ।

*१३—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़-अमृतसर रोड पर गाड़ी नं० U. P. B. 1236 को भी टेम्पोरेरी परमिट दिया गया था ? यदि हां, तो क्यों और कितने बार इसकी मियाद बढ़ाई गयी ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जी हां, इस गाड़ी को प्रथमबार ६-१२-५२ से ५-३-५३ के लिए अस्थायी परमिट दिया गया जिसकी अवधि निम्नांकित तारीखों पर बढ़ाई गयी :—

६ मार्च, ५३ से ५ मई, १९५३
६ मई, ५३ से ५ जुलाई, १९५३
१५ जुलाई, ५३ से १४ अक्तूबर, १९५३

श्री भार्गव को अलीगढ़, बुलन्दशहर रूट पर एक अस्थायी परमिट प्राप्त था जिसकी अवधि ३१—१२—५१ को समाप्त हुयी । इस रूट पर रोडवेज की गाड़ियां चलने के कारण उनकी गाड़ी को बुलन्दशहर से हटाकर अलीगढ़-चन्दौसी मार्ग पर अस्थायी परमिट दिया गया जिसकी अवधि २०-२-५२ से १९-५-५२ तक की थी । इसे फिर २-६-५२ से १-९-५२ तक तथा ४-९-५२ से ३-१२-५२ तक के लिए उसी मार्ग पर अस्थायी परमिट दिया गया । अलीगढ़-चंदौसी रूट भी कुछ हिस्सों तक नोटीफाइड है । अतएव आर० टी० ए० ने किसी आपरेटर को इस रूट पर चलाने की जरूरत नहीं समझी और श्री भार्गव को अलीगढ़—अनूपशहर मार्ग पर तीन महीने की अवधि का ६-१२-५२ से ५-३-५३ तक का अस्थायी परमिट दिया ।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि अलीगढ़ और अनूपशहर रूट के लिए और भी डिस्प्लेस्ड आपरेटर्स के प्रार्थनापत्र आये थे ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—इसकी सूचना मेरे पास नहीं है, लेकिन अवश्य आये होंगे क्योंकि एक रूट खाली होने से बहुत से प्रार्थनापत्र आ जाते हैं ।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि हाई कोर्ट की रूलिंग के विरुद्ध भी आर० टी० ओ० ने तीन बार एक्सटेंशन दिया ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—कोई आर० टी० ओ० ऐसा नहीं कर सकता है कि हाई-कोर्ट की रूलिंग के विरुद्ध कुछ करे क्योंकि यह कंटेम्ट आफ कोर्ट की सजा में आ जायगा ।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री इसकी जांच करायेंगे कि इस केस में ऐसा ही किया गया है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—मुझे निश्चय है कि ऐसा नहीं हुआ है । फिर भी यदि आप कहेंगे तो मैं जरूर करवा लूंगा ।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने लोगों ने एप्लीकेशन्स दी थीं जिनमें इनको को परमिट्स दिये गये हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—इस विषय में सूचना नहीं है, लेकिन मैं बतला सकता हूं, क्योंकि एक-एक रूट के लिए बहुत सी एप्लीकेशन्स दी जाती हैं । इसलिए इसमें भी बहुत सी दरख्वास्तें आई होंगी ।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़-अनूपशहर रोड यूनियन के कर्मचारियों और बीडर सालिकान की ओर से कोई डेपूटेशन या कुछ शिकायत उनके पास भेजी गयी थी ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—इसका मुझे स्मरण नहीं है ।

आगरा नगर में बस-सर्विस

*१४—श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनका आगरा नगर में बस सर्विस कब से चलाने का विचार है और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्य हो चुका है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट ऐक्ट के अन्तर्गत बरेली सिटी रूट प्रकाशित की जा चुकी है और बस सर्विस जल्दी ही चल जायगी ।

बरेली रोडवेज वर्कशाप में चोरी

*१५---**श्री नारायणदत्त तिवारी** (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बरेली रोडवेज वर्कशाप से सितम्बर, १९५२ में जो चोरी हो गयी थी उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---२, सितम्बर, १९५२ को बरेली रोडवेज के रीजनल वर्कशाप से एक स्पेयर व्हील चोरी होने का पता लगा । पुलिस द्वारा इस मामले की जांच कराई गयी लेकिन न तो माल ही मिला और न अपराधी ही पकड़ा गया ।

नैशनलाइज्ड ट्रान्सपोर्ट पर कमेटी की रिपोर्ट

*१६---**श्री नारायणदत्त तिवारी** (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नेशनलाइज्ड ट्रांसपोर्ट के बारे में सन् १९४९ में नियुक्त एड-हाक कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने के बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---एड-हाक कमेटी की रिपोर्ट की जिन सिफारिशों से सरकार सहमत थी उस पर उचित कार्यवाही की जा चुकी है ।

सुल्तानपुर जिले में लेखपालों की नियुक्ति व बरखास्तगी

*१७---**श्री रणंजय सिंह** (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि सुल्तानपुर जिला की किस तहसील में कितने पटवारी अलग हुए और कितने नये नियुक्त किये गये ?

श्री चरण सिंह---जिला सुल्तानपुर में तहसील क्रमानुसार जितने पटवारी अलग किये गये तथा नये (लेखपाल) नियुक्त किये गये उनका विवरण निम्नलिखित है :---

तहसील	अलग किये गये पटवारियों की संख्या	नियुक्त किये गये नये लेखपालों की संख्या
सुल्तानपुर	१८७	९१
कादीपुर	१६१	१०५
मुसाफिरखाना	१२७	६७
अमेठी	११७	७९

*१८---**श्री रणंजय सिंह** (अनुपस्थित)---क्या सरकार नये नियुक्त होने वाले लेखपालों के लिए निर्धारित योग्यता, वेतन तथा अवधि सूचित करने की कृपा करेगी ?

श्री चरण सिंह---योग्यता कम से कम हिन्दोस्तानी मिडिल अथवा जूनियर हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण । शारीरिक बल संबन्धी परीक्षा भी पास करनी पड़ती है ।

वेतन---रु० ३५---१---५५ है और जिनमें से १५ प्रतिशत को रु० ५५---२---६५ के सेलेक्शन ग्रेड में रखा जायगा । इसके अलावा रु० १२ मासिक मंहगाई भत्ता (Dearness Allowance), रु० ४ मासिक यात्रिक भत्ता (Fixed T. A.), जो अपनी तहसील से ५ मील की दूरी पर रहते हों, इसके अतिरिक्त २ रोज से ज्यादा ठहरने पर १२ आना दैनिक भत्ता (Daily allowance) तथा ८ आना मासिक लेखन-सामग्री भत्ता (Stationery allowance) । नये लेखपालों की भर्ती के लिए कम से कम १८ वर्ष की आयु निर्धारित की गयी थी, और Emergency recruitment के बाद अधिक से अधिक २५ वर्ष की आयु निर्धारित की गयी है । आजकल अधिक से अधिक नियुक्त के लिए ५५ वर्ष तथा पुरानों के लिए ६० वर्ष है ।

*१९—श्री रामनारायण त्रिपाठी—[४ जनवरी, १९५४ के लिये स्थगित किया गया]

ठाकुरपुर, जिला रायबरेली में पासियों को दी गयी भूमि

*२०—श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)—क्या सरकार को मालूम है कि डिप्टी कमिश्नर रायबरेली द्वारा सन् ५० में [illegible] बहादुरगंज, थाना ठाकुरपुर के ८० पासियों के परिवारों का आराम बनाने का [illegible] जमीन भूमि, जो कि परती पड़ी हुयी थी काश्त करने हेतु दी गयी थी, जिन पर वे [illegible] कर रहे हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जहां तक सरकार के पास सूचना है, ऐसा मालूम होता है कि सन् १९५० ई० में उस समय के डिप्टी कमिश्नर ने [illegible] में कुछ पासी परिवारों को जमींदारी की परती भूमि पर बसाने का प्रबन्ध किया था। परन्तु इन परिवारों के कब्जे के सम्बन्ध में कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हुई और बाद में इन पासी परिवारों और जमींदारों के सम्बन्ध में दफा १०७ का मुकदमा शुरू हो गया जिसमें आखिर में समझौता हो गया।

*२१—श्री रामेश्वर प्रसाद—क्या सरकार बतायेगी कि उपर्युक्त ८० बीघा भूमि का इन्दराज इन ८० परिवारों के नाम हो गया ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—अब इस समझौते के आधार पर मुकदमे की कार्यवाही न्यायालय में चल रही है।

श्री रामेश्वर प्रसाद—क्या यह सही है कि सन् १९५० ई० में विशिष्ट तौर से ८० बीघे जमीन खेती करने के लिए उनको दी गयी थी, जिसकी सूचना प्रकाशित [illegible] में और जिले के स्तर पर भी कर दी गयी है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—सन् १९५० ई० में डिप्टी कमिश्नर कैप्टिन भगवान सिंह गांव में गये थे और उस समय कुछ जमीन पासियों को दिलाई गयी थी, लेकिन कोई लिखित कार्यवाही नहीं हुई थी।

श्री रामेश्वर प्रसाद—क्या सरकार यह जानना चाहेगी कि डिप्टी कमिश्नर महोदय ने कोई कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की ? कानूनी कार्यवाही नहीं की इसीलिए वह जमीन पासियों से छीनी जा रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—उस समय डिप्टी कमिश्नर साहब ने ठाकुरों से कह कर जमीन दिलवा दी थी और उन्हें पासी किसान का दर्जा कानूनी कार्यवाही नहीं की। इस लिए ऐसा नहीं होता कि वह उस पर काबिज थे। इसीलिए उन ठाकुरों से झगड़ा पैदा हुआ, तो उसमें समझौता हुआ और जैसी हदबन्दी जैसा कि जमीन में [illegible] है, [illegible] के जरिये से हो रही है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १०७ का कार्यवाही किन कारणों से चली ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—१०७ तो [illegible] फिसाद पर चलती है, इसी कारण से चली होगी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि जिस जमीन का जिक्र किया गया है, वह उस परिवार को कभी नहीं दी गयी थी, बल्कि उन्होंने स्वयं उस पर कब्जा कर लिया था ?

श्री चरण सिंह---गवर्नमेंट को ऐसा मालूम नहीं है ।

श्री रामेश्वर प्रसाद---क्या सरकार को यह मालूम है कि उस १०७ के मुकदमे में केवल १०७ का समझौता हुआ है, जमीन के बारे में कोई समझौता नहीं हुआ और यदि हुआ है, तो क्या सरकार उसको सब सदस्यों के सामने बताने की कृपा करेगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---यह तो जवाब से स्पष्ट है कि हदबन्दी की कार्यवाही हो रही है । समझौता हो गया, इससे पता चलता है कि जमीन के बारे में भी कोई समझौता जरूर हो गया ।

रायबरेली जिले में अयोग्य लेखपालों की नियुक्ति

*२२---**श्री रामेश्वर प्रसाद**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली जिले में नये नियुक्त किये गये लेखपालों की शिक्षा सम्बन्धी योग्यता कम से कम क्या रक्खी गयी है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---सभी जिलों में लेखपालों की शिक्षा सम्बन्धी योग्यता कम से कम मिडिल पास रक्खी गयी है और रायबरेली जिले के लिए भी यही है ।

श्री रामेश्वर प्रसाद---क्या यह सही है कि रायबरेली जिले में सरकार के ऐसे आदेश होते हुए भी बहुत से अनक्वालिफाइड कैन्डीडेट्स रखे गये थे और विधान सभा में यह प्रश्न उत्पन्न होने के बाद वे निकाले गये हैं ? यदि हां, तो कितने निकाले गये हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जी हां, शिक्षा की योग्यता न होने के कारण २८, उम्र अधिक या कम होने के कारण १४ और अन्य कारणों से २ निकाले गये हैं ।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)---क्या माननीय मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ऐसे आदमी जिनमें शिक्षा की योग्यता नहीं थी या उम्र ज्यादा थी वे पहले ही क्यों रखे गये थे ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जब इस बात का पता चला तो वे निकाले गये ।

श्री रामेश्वर प्रसाद---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किस अधिकारी ने इन लोगों को रखा था और यदि उसने ऐसा किया तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---इसकी डिप्टी कमिश्नर महोदय तहकीकात कर रहे हैं और उन अधिकारियों से भी जवाब तलब किया गया है । जो जिम्मेदार पाये जायेंगे उनके खिलाफ मुनासिब कार्यवाही की जायगी ।

जिला रायबरेली में गांव-सभाओं को भूमि

*२३---**श्री दल बहादुर सिंह** (जिला राय बरेली) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बतायगी कि तहसील सलोन, जिला राय बरेली के अन्तर्गत कन्दरावां गेगौली, शहजादपुर ग्रामों में कितने एकड़ भूमि १ जुलाई, सन् १९५२ ई० को उक्त गांव-सभाओं को मिली ?

श्री चरण सिंह—१ जुलाई, १९५२ को कोई भी भूमि गांव-सभाओं में निहित नहीं हुई, बल्कि १ नवम्बर, १९५२ को हुई।

जो भूमि इन गांव-सभाओं में निहित हुई, उसका रकबा निम्न-प्रकार है :

				एकड़
कन्दरावां	..	..	..	८८५
शहजादपुर	..	..	..	४१६
गेगौली	..	..	..	३०२

*२४—श्री दल बहादुर सिंह (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि उक्त गांवों के भूत-पूर्व जमींदारों ने उक्त गांव की पड़ती, ऊसर, बंजर, जंगल, पेड़ों और आबादी आदि पर अब तक कब्जा नहीं छोड़ा ?

श्री चरण सिंह—जी नहीं।

धान को कीड़ों से बचाने का प्रयत्न

*२५—श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह (जिला बलिया)—क्या सरकार को मालूम है कि पिछले खरीफ की फसल में धानों में एक कीड़ा लग गया था, जिस से पूर्वी जिलों की धान की खेती को बहुत नुकसान हुआ ?

श्री चरण सिंह—जी हां।

*२६—श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह—क्या इन कीड़ों से बचने के लिए इस वर्ष कोई प्रबन्ध किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसका विवरण पेश करने की कृपा करेगी ?

श्री चरण सिंह—जी हां। ये प्रबन्ध अधिकतर पारसाल प्रदेश की कृषि रक्षा-सेवा द्वारा हुए थे और लगभग ३,००० एकड़ धान की फसलों पर कई पूर्वी जिलों में दवाइयां छिड़की गयीं, वैसे तो दवाई छिड़कने के लिए सरकार ने ३) रु० फी एकड़ के हिसाब से फीस निर्धारित की है, परन्तु पिछले वर्ष, कुछ जिलों में इस कार्य को मुफ्त करने का भी हुक्म दिया गया था। इस साल भी किसानों के सुभीते के लिए अभी हाल ही में एक हुक्म जारी किया गया है, जिससे कि जौनपुर जिले के किसानों को गंधी कीड़े के नष्ट करने के लिए दवाइयों के छिड़काव के हेतु फीस बजाय तुरन्त पेशगी लेने के क्वार तक देने का मौका होगा।

जहां इस कीड़े के आक्रमण की सूचना मिलेगी, वहां फौरन कार्य किया जायेगा।

श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में दवाइयां मौजूद हैं ?

श्री चरण सिंह—अब तक मेरे पास इस किस्म की कोई शिकायत नहीं आयी कि दवाइयों के अपर्याप्त होने के कारण जरूरी सहायता न पहुंच सकी हो। अगर माननीय सदस्य के नोटिस में ऐसी कोई बात है, तो मैं उसे अवश्य जानना चाहूंगा।

श्री बृजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार को यह मालूम है कि आजमगढ़ और बलिया में लाखों मन खांड की फसल नष्ट हो गयी है ?

श्री चरण सिंह—वहां पर कितनी फसल नष्ट हुई, इसकी सूचना मुझे नहीं है।

गन्ने की पैदावार में कमी तथा अवपनीय किस्में

*२७—श्री गेंदा सिंह—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि प्रादेशिक ईख विकास विभाग द्वारा ईख उत्पादकों को कौन-कौन से गन्ना बोने की सलाह पिछले वर्ष दी गयी थी और इस वर्ष उसमें क्या परिवर्तन हुआ है ?

श्री चरण सिंह--गत वर्ष ईख विकास विभाग ने गन्ना अनुसन्धान संचालक की राय के अनुसार गन्ने की निम्नलिखित किस्मों को प्रदेश के विभिन्न भागों में बोने की सलाह दी थी--

क्षेत्र	जल्दी पकने वाली	मध्य काल में पकने वाली	मध्य-विलम्बित काल में पकने वाली
पूर्वी क्षेत्र	सी० ओ० ३९५	सी० ओ० एस० १०९	सी० ओ० ४५३
	,, ,, ५१३		
मध्य-पूर्वी क्षेत्र	,, ,, ३१३	,, ,, एस० १०९	,, ,, ४५३
	,, ,, ३९५		
मध्य क्षेत्र	,, ,, ३१३	,, ,, ४२१	,, ,, ४५३
	,, ,, ५२७	,, ,, क० ३०	
रुहेलखण्ड क्षेत्र	,, ,, ३१३	,, ,, एस० २४५	,, ,, ४५३
	,, ,, ५२७	,, ,, ४२१	
पश्चिमी क्षेत्र	,, ,, एस० ३२१	,, ,, एस० २४५	,, ,, ४५३
		,, ,, ४२१	

मध्यकाल में पकने वाली सी० ओ० ३५६ गोरखपुर की माट मिट्टी में तथा खादर व तराई भागों में बोने के लिए उपयुक्त बताया गया था। इस वर्ष उपरोक्त सूची में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है।

*२८--**श्री गेंदा सिंह**--जिस प्रकार का गन्ना बोने की सलाह ईख उत्पादकों को दी गई थी। उसका परीक्षण हुआ था या नहीं? यदि हुआ था तो कहां-कहां और किस समय तथा उसके क्या परिणाम थे?

श्री चरण सिंह--जी हां। प्रश्न संख्या २७ में दी गई किस्मों में से सी० ओ० के० ३०, सी० ओ० एस० २४५, तथा सी० ओ० एस० ३२१ के अतिरिक्त सभी किस्में पहले ही से गन्ना उत्पादकों के यहां होती चली आ रही हैं। और उनका निष्पादन भी संतोषजनक रहा है। उपरोक्त तीन नवीन किस्में सन् १९५१-५२ में क्रमशः मध्यक्षेत्र, रुहेलखंड क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र में सर्वसाधारण के उत्पादन हेतु दी गई थीं। इनके परीक्षण का विवरण इस प्रकार है--

परीक्षा समय	परीक्षा स्थान	परिणाम
सी० ओ० के० ३०		
१९४२-४३ से १०४९-५० तक	शाहजहांपुर, हरगांव गोला गोकरन नाथ, हरदोई, महोली, बाराबंकी	मध्यकाल में पकने वाली किस्म सी० ओ० ४२१ से गन्ने तथा चीनी के उत्पादन में प्रायः प्रत्येक स्थान में उत्तम पाई गई। गोला गोरकरन नाथ चीनी मिल की परीक्षा में भी इसका स्थान सी० ओ० ४२१ से अच्छा रहा है।

विधान सभा

परीक्षा	परीक्षा स्थान	परिणाम
सी० ओ० यस० २४५		
१९४२–४३ से १९५०–५१ तक	मुजफ्फरनगर, डोईवाला, ज्वालापुर, सहारनपुर, रोहानाकलां, शामली खतौली, दौराला, सिंभोली, मेरठ, राया, मोदीनगर, किच्छा, निपोली, शिवहारा, नवाबगंज, नगीना, रामपुर, बिलारी, बरेली तथी पीलीभीत।	प्रायः सभी स्थानों में निष्पादन संतोषजनक रहा। मध्यकाल में पकने वाली किस्मों सी० ओ० ३१२ और सी० ओ० ४२१ में भी यह उत्तम सिद्ध हुई है। रोहानाकलां, दौराला, सिंभोली, देवबन्द, मोदीनगर, मवाना तथा मन्सूरपुर की चीनी मिलों में भी सी० ओ० ३१२, ३१३, ४२१ तथा ४५३ से उत्तम पाई गई है।
सी० ओ० एस० ३२१		
१९४६–४७ से १९५०–५१ तक	मुजफ्फरनगर, सिंभोली, शामली, डोईवाला, रोहानाकलां, देवबन्द, मेरठ, दौराला, खतौली, मोदीनगर ज्वालापुर, लक्सर, सहारनपुर, मंसूरपुर, राया, मैनपुरी।	गन्ने तथा चीनी की उपज में सी० ओ० ३१२ तथा ३१३ से अधिक अच्छी रही। जोनल सेन्टर्स पर भी इसकी उपज संतोषजनक है। चीनी के पर्तें में यह सर्वोत्तम है। मन्सूरपुर तथा शामली चीनी मिलों की परीक्षा में इसका प्रथम स्थान है।

*२९—श्री गेंदा सिंह—पिछले वर्षों में प्रदेश में गन्ना प्रतियोगिता में किनको पुरस्कार दिये गये और उन पुरस्कारों के क्या आधार थे? पुरस्कार विजेताओं ने किस प्रकार का गन्ना बोया था?

श्री चरण सिंह—पिछले वर्षों में प्रदेश की गन्ना प्रतियोगिता में निम्नलिखित गन्ना उत्पादकों को अधिकतम गन्ना उत्पादन के आधार पर पुरस्कार दिये गये थे—

वर्ष	पुरस्कार की की श्रेणी	नाम प्रतियोगी	उपज प्रति एकड़	किस्म गन्ना
१९४८–४९	प्रथम	श्री लखपति सिंह, दौराला जोन, मेरठ	१८०७ मन	को० ४२१
	द्वितीय	श्री शाकिर हुसेन, काठ जोन, मुरादाबाद	१७२० ,,	,, ४५३
	तृतीय	श्री खलील खां, सहारनपुर जोन, सहारनपुर	१५५३ ,,	,, ४५३
१९४९–५०	प्रथम	श्री प्रह्लाद सिंह, दौराला जोन मेरठ	१९४० ,,	,, ४५३
	द्वितीय	श्री साहब, बलरामपुर जोन गोंडा	१७८१ ,,	,, ४५३
	तृतीय	श्री खमानी सिंह, शिवहारा जोन, बिजनौर	१७१४ ,,	,, ४२१

वर्ष	पुरस्कार की की श्रेणी	नाम प्रतियोगी	उपज प्रति एकड़	किस्म गन्ना
१९५०–५१	प्रथम	श्री बलदेव, सिंह, मनकापुर जोन, गोंडा	२१३१ मन	को० ४५३
	द्वितीय	माडल फार्म, बलरामपुर, गोंडा	२०९१ ,,	,, ४५३
	तृतीय	श्री नारायण सिंह, मलियाना जोन, मेरठ	१८४२ ,,	,, ४५३
*१९५१–५२	प्रथम	श्री प्रह्लाद सिंह, दौराला जोन, मेरठ	२०४८ ,,	,, ४५३
	द्वितीय	श्री ब्रह्मस्वरूप साती, बिजनौर जोन, बिजनौर	१८९३ ,,	,, ४५३
	तृतीय	श्री हरिवंश सिंह, बेगमाबाद जोन, मेरठ	१८९० ,,	,, ४५३

*नोट—१९५१–५२ में प्रदेशीय गन्ना प्रतियोगिता उत्सव नहीं मनाया जा सका था। इसलिये इस संबंध में पुरस्कार वितरित नहीं हुये थे।

श्री अध्यक्ष—मैं आपको यह सुझाव दूंगा कि अगर आपके उत्तर में इस प्रकार की कोई सूची हो तो उसको मतदों के तौर पर दिया करें तथा वितरण में उसे न रखें। इस प्रकार से पढ़ने में जो समय लगता है वह बच सकता है।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५१ ई० के जारी गन्ने की नीचे वाली किस्मों में परिवर्तन क्यों नहीं किया गया?

श्री चरण सिंह—सवाल नहीं समझा गया।

श्री गेंदा सिंह—क्या यह सही है कि ४५३ नम्बर का गन्ना, जितने परीक्षण हुये हैं उनमें सबसे अच्छा उतरा है, लेकिन उसको डिस्करेज करने के लिये मिल वाले कोशिश कर रहे हैं?

श्री चरण सिंह—मैं इसकी बाबत नोटिस चाहता हूं।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ४५३ नम्बर का गन्ना सूबे में कितने एकड़ में बोया गया?

श्री चरण सिंह—वैसे तो मैं काफी याद रखने की कोशिश करता हूं, लेकिन इसकी बाबत एकदम पूरी संख्या नहीं बतला सकता हूं।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार के पुरस्कार के वितरण करने के बाद भी गत वर्ष से इस साल गन्ने की पैदावार में कमी हुई है?

श्री चरण सिंह---पैदावार कम होने के बहुत से कारण हो सकते हैं और प्रतियोगिता का असर जरूर पैदावार पर पड़ता है परन्तु विरोध में काम करने वाली कितनी ही चीजें और हो जायं तो प्रतियोगिता अकेली क्या करेगी ?

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गन्ने की जिन किस्मों का जिकर किया गया है उनमें से कोई किस्म पहाड़ पर भी पैदा हो सकती है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हमारे प्रदेश में पैदा होने वाली औसत रिकवरी शुगर कंटेन्ट्स पर ईख विकास विभाग के तरक्की के कामों से कोई तरक्की हुई है या नहीं ?

श्री चरण सिंह---गन्ने की पैदावार में केन डेवलपमेंट कौंसिल कायम होने के बाद अच्छी उन्नति हुई है ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना---श्रीमन्, मैंने माननीय मंत्री जी से शुगर कंटेन्ट्स के बारे में पूछा था उसका उत्तर नहीं मिला ।

श्री चरण सिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ईख विकास-विभाग के इस प्रकार के गन्ने के बारे में सुझाव देने के कारण ही शुगर-रिकवरी बढ़ी है ?

श्री चरण सिंह---जी हां, गन्ना विकास विभाग का यह मुख्य उद्देश्य है कि रिकवरी बढ़े ।

श्री गेंदा सिंह---क्या सरकार को मालूम है कि इन बातों को ध्यान में रखकर ही पिछले वर्ष विकास विभाग के परीक्षण हुए हैं ?

श्री चरण सिंह---परीक्षण हुये हैं, लेकिन शुगर रिकवरी में कितनी पैदावार बढ़ी, यह मैं नहीं बतला सकता । इतना मुझे मालूम है कि गन्ने की पैदावार फी एकड़ डेवलेपमेंट जोन्स में काफी बढ़ी है ।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कुछ गन्ने की किस्मों में शुक्रोज का परसेंटेज कम होने के कारण संचालक ने उनको न बोने की राय दी है और वह कौन सी किस्में हैं ?

श्री चरण सिंह---७ फरवरी सन् १९५३ को गन्ना विभाग की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी हुई थी जिसमें कुछ किस्म गन्ने की इस तरह की हैं जिसको किसानों को नहीं बोना चाहिये, ऐसा कहा गया है । वे किस्में निम्न हैं :

२०५, ई० के० ३८, सी० ओ० ३३१, सी० ओ० ३७३, अगली फसल की, मंचुआं सी० ओ०, २९०, सी० ओ०, २४४ और कन्हाइया ।

ये वेराइटीज हैं जो ७ फरवरी सन् १९५३ की विज्ञप्ति के मुताबिक बतलाई गई हैं कि उनका बोना ठीक नहीं है ।

सिसवां, जिला देवरिया में कृषि योग्य भूमि तथा उसका वितरण

*३०---**श्री रामसुभग वर्मा** (जिला देवरिया)---क्या सरकार को ज्ञात है कि सिसवां ग्राम सभा, तहसील पड़रौना, जिला देवरिया में खेती योग्य परती जमीन पिछले साल कितनी थी और अब कितनी है । उसमें से कितनी जमीन किसको दी गई है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--१३५९ फसली में सिसवां ग्राम सभा में खेती योग्य परती जमीन २०६ एकड़ थी। अक्तूबर, १९५२ में कुशी नगर के भिक्षुक संघ को उसमें से ४० एकड़ जमीन का पट्टा दे दिया गया। अतः इस समय खेती योग्य परती जमीन केवल १६६ एकड़ है।

*३१--श्री रामसुभग वर्मा--क्या राजस्व मंत्री ने अपनी देवरिया यात्रा के समय उस ग्राम सभा को आश्वासन दिया था कि उक्त जमीन ग्राम सभा को दी जायेगी? यदि हां, तो क्या यह आदेश कार्यान्वित हुआ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--यह ठीक है कि अगस्त सन् १९५२ में राजस्व मंत्री से कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि सिसवा गांव सभा की सारी परती भूमि भिक्षुक संघ को दी जा रही है। जिस पर मंत्री महोदय ने जिलाधीश से कहा था कि उनकी सम्मति में सारी भूमि संघ को दे देना उचित नहीं होगा। परन्तु बाद में जब उनको यह मालूम हुआ कि सिसवां गांव की कुल परती भूमि का रकबा २०६ एकड़ है तो कुशीनगर के धार्मिक व अन्तर्राष्ट्रीय महत्व तथा भिक्षुक संघ की आवश्यकताओं को देखते हुये उक्त रकबे में से ४० एकड़ भूमि सरकार की ओर से संघ को पट्टे पर दे दी गई।

श्री रामसुभग वर्मा--क्या इसकी जानकारी सरकार को है कि इस गांव में भूमिहीन लोग कितने हैं और क्या उन्हें जमीन देने की कोई व्यवस्था की जा रही है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--भूमिहीन लोगों को भूमि देने की व्यवस्था तो भूमि-प्रबन्धक समिति द्वारा होगी।

श्री रामसुभग वर्मा--क्या इसकी जानकारी मंत्री महोदय को है कि जिन भिक्षुक महोदय को यह जमीन मिली है उनका घर यहीं पर है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--सरकार को तो इसकी कोई सूचना नहीं है। वैसे व्यक्तिगत तौर पर मुझे कुछ लोगों ने बतलाया है कि उनका घर उस जमीन से कुछ थोड़ी ही दूर पर है।

श्री गेंदा सिंह--क्या माननीय राजस्व मंत्री के सामने यह प्रश्न विचाराधीन है कि इस बीच के समय में कोई दूसरी जमीन भिक्षुक को दे दी जाय और गांव का झगड़ा खत्म करा दिया जाय?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--सरकार को यह मालूम हुआ है कि अंधिया, डुमरी, और बेलवा पलकधारी गांवों के गांव वाले शायद इस भूमि के बदले कुछ भूमि देना चाहते हैं। अगर यह बदलाव हो जाय तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

आग से पीड़ित लोगों की सहायता

*३२--श्री रामसुभग वर्मा--क्या सरकार द्वारा ऐसे पीड़ित लोगों को कोई सहायता देने का प्रबन्ध है जिनकी सम्पत्ति घर में आग लग जाने से बरबाद हो गई? यदि हां, तो पिछले वर्ष देवरिया जिले में ऐसी सहायता कितनी दी गई?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--घर में आग लग जाने से क्षति उठाने वाले लोगों की परिस्थिति के अनुसार सरकारी सहायता देने का प्रबन्ध है। ऐसे लोगों को तकावी तथा मुफ्त सहायता मिल सकती है। मुफ्त सहायता केवल उसी दशा में दी जाती है जब कि पीड़ित व्यक्ति की समस्त सम्पत्ति नष्ट हो गई हो और तत्काल सहायता न पहुंचने पर भुखमरी की संभावना हो।

देवरिया जिले में पिछले वर्ष (१९५२ ई०) में अग्नि कांड के कारण ४२२ रुपये की मुफ्त सहायता तथा १७,११८ रुपये की तकावी वितरित की गई।

श्री रामसुभग वर्मा--क्या इसकी फेहरिस्त सरकार के पास है कि सन् १९५२ ई० में कितने घरों में आग लगी और उससे कितनी क्षति हुई ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--सतबलिया में १३ घरों में आग लगी और ८,४६२ रुपये की क्षति हुई, भेड़ी में एक घर में आग लगी और १२ हजार रुपये की क्षति हुई, बरियारपुर में १० घरों में आग लगी और ३,२३६ रुपये की क्षति हुई। भरौली बाजार में १ घर में आग लगी और ६,१२५ रुपये की क्षति हुई, नारायणपुर में ७ घरों में आग लगी और १,६५० रुपये की क्षति हुई।

श्री गेंदा सिंह--क्या माननीय राजस्व मंत्री जी इसकी व्यवस्था करने की कृपा करेंगे कि आग लगने के बाद सरकार को ठीक-ठीक और जल्दी सूचना मिल सके ?

श्री चरण सिंह--ऐसी व्यवस्था पहले से मौजूद है।

जोतों की चकबन्दी का आरम्भ

*३३--श्री रामनरेश शुक्ल--क्या माल मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि वह प्रदेश में जोतों की चकबन्दी का कार्य आरम्भ करने जा रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जी हां।

*३४--श्री रामनरेश शुक्ल--क्या माल मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि वह प्रतापगढ़ जिले में जोतों की चकबन्दी का कार्य कब से आरम्भ कर रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--यह कहना अभी संभव नहीं है।

श्री रामनरेश शुक्ल--क्या सरकार के पास कोई विस्तृत योजना है कि किन-किन जिलों में किस वक्त यह योजना आरम्भ की जायगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--ऐसे तो अन्दाजा यह लिया जाता है कि सन् ५४-५५ में करीब २२, २४ जिलों में और सन् ५५-५६ में प्रांत के सभी जिलों में यह योजना शुरू हो जायगी, पहाड़ी जिलों को छोड़ कर जैसा कि पहले जवाब दिया गया है।

आजमगढ़ जिले के जूट विकास केन्द्र

*३५--श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले के किन-किन स्थानों पर जूट विकास केन्द्र स्थापित किये गये हैं और उनमें कितने कर्मचारी हैं तथा उनका वार्षिक व्यय क्या है ?

श्री चरण सिंह--इस संबंध में माननीय सदस्य महोदय की जानकारी के लिये एक विवरण-पत्र प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७४ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय कृषि मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन जूट विकास केन्द्रों से वार्षिक कितनी आय होती है ?

श्री चरण सिंह--इन विकास क्षेत्रों से गवर्नमेंट को आमदनी होने का सवाल नहीं उठता है। यह तो किसानों की आय उससे बढ़ी है। यह मैं नहीं बतला सकता कि किसानों की आय कितनी बढ़ी है। इस इलाके में कितना पटसन या जूट बोया गया है, इसके आंकड़े गवर्नमेंट के पास मौजूद हैं।

जौनपुर रोडवेज स्टेशन के कर्मचारियों द्वारा कार्य-स्थगन

*३६—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यातायात मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर रोडवेज स्टेशन पर २ जून, सन् १९५३ को हड़ताल हुई थी ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जी नहीं। अलबत्ता कुछ देर कुछ कर्मचारियों ने उत्तेजनावश काम नहीं किया था।

*३७—श्री रामसुन्दर पांडेय—यदि हां, तो हड़ताल करने का क्या कारण था ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—मड़ियाहू स्टेशन पर रोडवेज और तहसील के कर्मचारियों से कुछ वादविवाद और मारपीट हो गई ऐसा बताया जाता है जिसके फलस्वरूप कर्मचारियों ने कुछ ने कुछ देर तक काम नहीं किया। लेकिन सही स्थिति मालूम हो जाने पर वह लोग अपना काम करने लगे।

*३८—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि २ जून, सन् ५३ की हड़ताल की जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गयी है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय परिवहन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज कर्मचारियों और तहसील के कर्मचारियों में से इस मारपीट में कौन-कौन शामिल थे ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जहां तक जिलाधीश की सूचना है उस में एक कंडक्टर और एक दो चपरासी शामिल थे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय परिवहन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस घटना की जांच जिलाधीश जौनपुर के द्वारा की गई थी।

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जिलाधीश ने स्वयं इस की जांच की थी।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कर्मचारी लोग हड़ताल करने पर क्यों मजबूर हुये और उसके क्या मनोभाव थे ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मारपीट करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कौन सी कार्यवाही हुई ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—उनसे लोगों को समझा दिया गया।

श्री हरिहरनाथ शास्त्री के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा इस सदन के सदस्यों ने पिछले २-३ दिनों के अखबारों में देखा होगा, हमारे एक महान् और देश के अग्रणीय सेवक श्री हरिहरनाथ शास्त्री का हाल ही में देहावसान हो गया है। हरिहरनाथ से हम लोगों का इतना घनिष्ठ संबंध था कि उनके बारे में जबकि ऐसी हृदय विदारक अवस्था में उनका इस तरह पर निधन हुआ हो हमारे लिये अपने भावों को प्रकट करना भी कठिन हो जाता है। वह अभी नवयुवक ही थे। केवल कार्यक्षमता में ही नहीं, काम करने की उनकी शक्ति अथक थी। वह सदैव नयी बातों को सुनते समझते और संसार की अन्तर्राष्ट्रीय बातों में भी ध्यान रखते हुये काम करते रहते थे। उनका सारा जीवन एक त्याग का जीवन रहा। वह जिस समय पढ़

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

रहे थे तभी गांधी जी के सिद्धांतों का आविर्भाव हुआ और उन्होंने अपनी पढाई छोड़कर स्वतंत्रता की लड़ाई में योग दिया। तब से बराबर वह इस देश सेवा के काम को करते रहे। लगभग ७ मर्तबा तो वह जेल ही गये और अभी उनकी अवस्था ५० वर्ष की भी नहीं हुई थी। उन्होंने आरम्भ से ही निरन्तर राष्ट्रीय कार्य में अपना सारा ही समय दिया और सदैव निःस्वार्थ भाव से इस कार्य को करते रहे। वह इस तरह पर देश सेवक होते हुये बड़े विचार से, सदाचार से सौम्य मूर्ति की तरह अपना काम करते रहे। वह अग्रगामी कहे जा सकते हैं, परन्तु उनमें हर मसले के ऊपर विचार करने की तथा निर्लोभ और निष्पक्ष भावना से उस पर निर्णय करने की और फिर उस निर्णय पर अमल करने की योग्यता थी। नौजवान होते हुये हिम्मत ऐसी थी कि जिसका कोई मुकाबला न कर सके और लगन ऐसी थी जिसको मुश्किल से कोई और दिखा सके। उनमें विचारशीलता ऐसी थी कि जो बहुधा देखने में नहीं आती। उन्होंने कांग्रेस के सभी सिद्धांतों में कार्य किया परन्तु उनका विशेष क्षेत्र मजदूरों और श्रमजीवियों की सेवा का रहा। वह आई० एन० टी० यू० सी० के स्थापकों में से थे। उन्होंने उसकी बुनियाद डाली और वह कभी उसके अध्यक्ष और कभी मंत्री रहे। कभी एक पद पर और कभी दूसरे पद पर अन्तर्राष्ट्रीय कान्फ्रेंसेज में, लेबर की जो बड़ी-बड़ी इन्टरनेशनल कांफ्रेंसेज होती थीं उनमें वह बराबर प्रतिनिधि के तौर पर विदेशों में भी जाते थे और जो काम वह करते थे उसकी विदेशों में भी काफी कद्र की जाती थी। वह इस असेम्बली के और इससे पहले जो हमारी कौंसिल थी उसके भी मेम्बर रहे और करीब दस साल तक वह हमारी इस व्यवस्थापिका सभा के मेम्बर की हैसियत से काम करने में उसके एक माननीय सदस्य रहे और जो कुछ वह यहां कहते थे उसको सभी लोग बड़े ध्यान से सुनते थे और उनकी राय की काफी वक़अत थी। हमारे ऐसे साथी हमें छोड़ कर चले गये, इसी की बड़ी वेदना होती है परन्तु यकायक गये इससे धक्का और भी ज्यादा हो जाता है। उन्हें कोई रोग नहीं था। कोई इस तरह की आशंका या अंदेशा नहीं था और वह हवाई जहाज में दिल्ली से कोचीन जा रहे थे। रास्ते में जहाज की किसी खराबी के कारण उनका और उनके साथियों का जो उस जहाज में थे सभी का अन्त हो गया।

उनमें हमारे देश के एक प्रमुख कार्यकर्ता श्री रघुनन्दन शरण भी थे जिन्होंने देश के राष्ट्रीय कार्यों में काफी हिस्सा लिया और जो अब भी हमारी आर्थिक दशा के निर्माण में एक प्रमुख भाग ले रहे थे। उनके जाने से भी देश को बड़ी क्षति पहुंची है।

हरिहरनाथ जी के बारे में सारे देश में शोक छाया हुआ है और समाचार पत्र पढने वालों को मालूम ही होगा कि सभी वर्गों, सभी विचारों और सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपना शोक प्रकट किया है और हरिहरनाथ जी का हमारे देश से, खासकर कानपुर के श्रमजीवियों से, बड़ा घना ताल्लुक था और हमारे प्रदेश के श्रमजीवियों के वह नेता थे उनके परामर्श से ही यहां बड़े-बड़े मसले हल होते थे। वह बहुत पढ़े-लिखे और विद्वान भी थे और इस तरह से वह देश के सेवक थे और जो गरीब होता था, जहां भी अन्याय होता था, वहां उनकी सहानुभूति रहती थी।

इसके बारे में जो हानि हमारी हुई है, उसका अन्दाजा लगाना मुझे असम्भव लगता है और मुझे यह मानना पड़ता है कि उनका स्थान जो रिक्त हुआ है उसे भरना कठिन है और दूसरा उनकी जगह लेने वाला मुश्किल से कहीं नजर आ सकेगा। ऐसी अवस्था में उनका चला जाना हम सबके लिये दुखद है। सार्वजनिक कार्यकर्ता होने के अतिरिक्त वह एक बड़े अच्छे मित्र थे। उनका चरित्र, उनका सदाचार बड़े ऊंचे दरजे का था और उन पर भरोसा हो सकता था। उनका व्यवहार भी बड़ा अच्छा और सौम्य सौहार्दता का और शराफत का हमेशा रहता था

ऐसे मित्र का चला जाना हम लोगों के लिये व्यक्तिगत रूप से भी एक बड़े दर्द की बात है और उनकी स्त्री जो कि ऐसी अवस्था में यकायक विधवा हो गई उनके लिये जो दिल में संताप होता है और जो भावनायें होती हैं उनको प्रकट करना कठिन है। भगवान उनको इतनी

शक्ति दे कि वह इस बड़े दुःख को सहन कर सकें। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस सदन की ओर से उनके कुटुम्बियों को और जो आई० एन० टी० यू० सी० के पदाधिकारी हों, उनको समवेदना भेजने की कृपा करें ?

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्री हरिहर नाथ जी शास्त्री की असामयिक मृत्यु पर हम सभी शोकसंतप्त हैं। जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री ने कहा, श्री हरिहर नाथ के निधन से आज हमारे देश को बड़ी भारी क्षति पहुंची है। सारे देश को तो क्षति पहुंची ही मगर जब हम श्रमिक वर्ग को देखते हैं तो उनका एक सच्चा नेता जो अपने विचार के अनुसार श्रमिक वर्ग का कल्याण करने के लिये निरंतर सचेत था वह आज उनके बीच से उठ गया है। इसमें कोई शक नहीं कि श्री हरिहरनाथ शास्त्री परस्पर विचारों की विषमता रखते हुये भी एक दूसरे विभिन्न राजनीतिक दलों के साथियों के साथ प्रेम और मोहब्बत से मिलते थे। इसकी सभी को सराहना करनी चाहिये। मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि हमारे देश में अगर श्री हरिहरनाथ शास्त्री सरीखे अधिक लोग राजनीति में हों तो अच्छा ही होगा। वे राजनीतिक विरोध रखते हुये भी उसके सामंजस्य के लिये काफी दूर बढ़ते थे। श्री हरिहरनाथ जी एक दूसरी राजनीतिक पार्टी (कांग्रेस पार्टी) के सदस्य बाद में हुये और श्रीमती शकुन्तला श्रीवास्तव एक दूसरी राजनीतिक पार्टी (पी० एस० पी०) की सदस्या थीं ? कट्टरपंथी राजनीतिज्ञों के लिये यह अनुकरणीय है। हम तो आज श्रीमती शकुन्तला श्रीवास्तव की ओर ख्याल करते हैं तो बड़े शोक सागर में डूब जाते हैं। उनके ऊपर इस असामयिक मृत्यु से कितनी गहरी चोट पड़ी है उसको वे कैसे बरदाश्त कर पायेंगी ? हम अपनी इस समवेदना और सहानुभूति को माननीय मुख्य मंत्री के उद्गारों के साथ मिलाते हुये यह जरूर निवेदन करेंगे कि इस सदन की ओर से श्रीमती शकुन्तला श्रीवास्तव के पास हमारे ये उद्गार भेजे जायं। और श्रीमती शकुन्तला श्रीवास्तव को इस अवसर पर हम आश्वासन ही क्या दे सकते हैं ? मगर हम अपनी इस कामना को जरूर व्यक्त करना चाहते हैं कि अपने ऊपर जो यह मुसीबत आयी है उसको पार पाने के लिये वह एक साहसिक कदम उठायें और जिस विचारधारा को रखते हुये वह समाज के कल्याण की ओर अग्रसर हो रही थीं उधर अग्रसर होती जायं।

महाराजकुमार बालेंदुशाह (जिला टेहरी गढ़वाल)—माननीय अध्यक्ष महोदय जो विचार माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय राज नारायण जी ने इस शोचनीय विषय पर प्रकट किये हैं उनका संयुक्त दल की ओर से समर्थन करते हुये मैं भी अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूं। यह मेरा दुर्भाग्य था कि मुझे श्री शास्त्री जी से कभी मिलने का अवसर नहीं मिला किन्तु जो कुछ मैं उनके संबंध में यहां और सूचना पत्रों में पढ़ पाया उससे यह अवश्य प्रतीत होता है कि उनके देहान्त से देश को एक बहुत बड़ी हानि हुई है। निसंदेह शास्त्री जी का सब से प्रथम गुण यही था कि वे सदैव "अन्डर डाग" के लिये लड़ना अपना कर्त्तव्य समझते थे और उस रूलर और रूल्ड की लड़ाई में उन्होंने हमेशा अपना कर्तव्य रूल्ड की सहायता करना समझा। अतः इस अवसर पर मैं और अधिक न कह कर केवल यही कहना चाहता हूं, हमें वह पुराना सिद्धांत ही याद आता है "मैन प्रपोजेज गाड डिस्पोजेज"। और इसी विचार को ध्यान में रख कर हम कौंसोलेशन लेते हैं चाहे वह कितना ही पुअर कौंसोलेशन क्यों न हो ? इस प्रकार के शोकोद्गार प्रकट करते हुये मैं उस हानि को जो हमें हुई है, समझ सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—आज श्री हरिहरनाथ शास्त्री की असामयिक मृत्यु पर सदन के सभी सदस्य और सभी विचार धाराओं के सदस्य शोकमग्न हैं, मैं किन शब्दों में अपने शोक को प्रकट करूं। सदन की जो भावना है मैं उसके साथ हूं तथा श्री हरिहरनाथ जी के परिवार के साथ मैं भी अपनी समवेदना प्रकट करना चाहता हूं।

उनका मेरा परिचय पहले पहल १९२९ में हुआ था जब कि जी० आई० पी० रेलवे में बड़ा भारी स्ट्राइक चल रहा था जब कि मैं भी एक श्रमिक कार्यकर्त्ता की हैसियत से काम कर रहा

[श्री अध्यक्ष]

था। वह एक बड़े संकट का समय था। वे मुझसे करीब १० वर्ष उम्र भी छोटे थे लेकिन श्रमिकों के नेता होने के कारण उनको कानपुर से झांसी बुलाया था। उन्होंने जो सलाह उस समय दी थी वह आज तक हमें याद है। इतने नवयुवक होने पर भी उस वक्त भी उनमें बड़ी गंभीरता थी। मैं समझता था कि उस वक्त वे कोई गरम स्पीच देंगे लेकिन उस छोटी अवस्था में भी मैंने जो गांभीर्य उनमें देखा, उससे मैं चकित हो गया। तब से आज तक मैं देखता रहा हूं कि जितनी नम्रता, मिलनसारी, विचार गांभीर्य, सब विचारों में समन्वय करने की खूबी उनमें थी वह श्रमिक कार्यकर्त्ताओं में बहुत कम पायी जाती है और इसी लिये मैं कहता हूं कि उनके जाने से जो देश में कमी हुई है उसकी पूर्ति अनेक वर्षों तक न होगी। जब कानपुर के पिछले १०० वर्षों के इतिहास को मैं याद करता हूं तो कानपुर का यह बड़ा दुर्भाग्य समझता हूं कि उसने एक से एक तेजस्वी और होनहार नेता तो उत्पन्न किये लेकिन वे हमें अल्पकाल में ही छोड़ कर चले गये। सन् ५७ की याद आती है, श्री गणेश शंकर विद्यार्थी की याद आती है और आज उस होनहार व्यक्ति की याद आ रही है, जो हमें कवल दो ही दिन पहले छोड़कर चले गये। वे एक ऐसे कार्यक्षेत्र में कार्य करते थे कि जिसकी समस्यायें बड़ी जटिल हैं, जिनको सुलझाने में देश के बड़े बड़े मस्तिष्क भी घुटने टेक देते हैं, वे उन समस्याओं को सुलझाने में सहायता देते थे। यही कारण है कि वे न केवल आई० एन० टी० यू० सी० के ही प्रधान रहे या मंत्री रहे बल्कि रेलवेमेंस फेडरेशन, जिसमें कई दल हैं, उसके भी वे सभापति रहे। यही कारण है कि हमारे विरोधी दल के नेता ने भी उनकी सराहना की कि वे सभी दलों के साथ मिल कर जिस तरह से खूबी से कार्य करते थे यह उनमें एक शक्तिशाली गुण था। उनके इस गुण को याद करते हुये हम यह कह सकते हैं कि भगवान ऐसी हम लोगों को भी शक्ति दे कि उनका अनुकरण करके हमारे कार्यकर्त्ता जनता के कार्य को करने में समर्थ हों। मैं अधिक नहीं कह सकता क्योंकि मेरा गला भरा हुआ है। उनका उनके साथ हर कार्य में कई दफा दिन रात सम्पर्क रहता था। मुझे मालूम यह नहीं मालूम हुआ कि इतना महान् नेता अन्तर्राष्ट्रीय जगत में इतना विख्यात होते हुये भी इतना नम्र हो सकता है। यहां की संस्कृति के अनुसार जो उनसे मिलते थे, वे जनता की दृष्टि से मिलते भी थोड़े हों, या कोई लड़कर भी हो लेकिन वे उस समय उसका उचित प्रकार ख्याल रखते थे और हर एक के साथ सभावरे या बातचीत करते थे। अपने मातहत लोगों के साथ भी वे मजाक और हंसी के ही बातचीत करते थे। वे बड़े मोटे तौर पर उनसे बातचीत भी करते थे और उनको समझा देते थे। बड़ों के साथ उनका व्यवहार बड़ा ही नम्रतापूर्ण था और उनको आदर देते हुये विशेष बात उनकी खूबी थी। अपना विशेष वे ऐसी नम्रतापूर्वक पेश करते थे कि बड़े-बड़े भी कई दफा उनके सामने झुक जाते थे और उनकी बात मान लेते थे। ऐसे अद्वितीय पुरुष की मृत्यु पर किसे शोक नहीं होगा? इस सदन के सभी लोगों ने उनके प्रति अपने-अपने विचार प्रकट किये हैं। मैं इस सदन की तरफ से उनके परिवार के पास सम्वेदना भेज दूंगा। और जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया, आई० एन० टी० यू० सी० या जिस संस्था के साथ भी उनका आजन्म सम्पर्क था उनके अधिकारियों के पास भी इस सदन की तरफ से सम्वेदना भेज दूंगा। अब मैं समझता हूं कि यह उचित होगा कि हम लोग दो मिनट के लिये खड़े होकर उनकी आत्मा की शान्ति के लिये भगवान से प्रार्थना करें।

(सब सदस्य दो मिनट के लिये अपने अपने-स्थान पर खड़े हो गये।)

लखनऊ यूनिवर्सिटी छात्र आन्दोलन के संबंध में दो कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास दो काम रोको प्रस्ताव आये हैं। एक श्री राज नारायण जी का है और दूसरा श्री झारखंडे राय का है। विषय एक ही है यद्यपि श्री झारखंडे राय जी के प्रस्ताव का सम्बन्ध लखनऊ को छोड़ कर और भी जगहों से है, लेकिन वह उतना स्पष्ट नहीं है, इसलिये मैं उसको तो लेता नहीं। वह डेफिनिट नहीं है। दूसरा प्रस्ताव श्री राज नारायण जी

का है कि "लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र यूनियन के संगठन से सम्बन्धित मांगों की पूर्ति के लिये शान्तिपूर्ण छात्र आन्दोलन के साथ स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने जिस बर्बरता तथा पाशविकता के साथ लाठी चार्ज, अश्रुगैस, गोली वर्षा तथा ईंट-पत्थर का प्रयोग कर निरपराध व्यक्तियों की नृशंस हत्या की तथा प्रान्त के शान्तिमय वातावरण को अशान्ति में बदल दिया है उस पर वाद विवाद करने के लिये विधान सभा अपना कार्य स्थगित करती है।" इसके सम्बन्ध में अगर गृह मंत्री जी सरकार की तरफ से कुछ अपने विचार रखना चाहते हों तो वह रख लें।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, जहां तक कि काम रोको प्रस्ताव की बात है उसके सम्बन्ध में तो मेरा निश्चित मत है कि यह प्रस्ताव नहीं लिया जा सकता इसलिये कि वह इनडेफिनिट है, किसी स्पेसिफिक बात का जिक्र भी नहीं करता। परन्तु अभी इस मौक़े पर इसके सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन नहीं करूंगा। यदि यह प्रस्ताव प्रेस किया गया तो फिर मैं कुछ कहूंगा। परन्तु मुझको ऐसा बतलाया गया है कि सदन के कुछ मित्रों की ऐसी इच्छा है कि इधर लखनऊ में और आस-पास जो घटनायें हुई हैं जिलों में, उनके सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को कुछ अधिक जानकारी प्राप्त हो जाय तो अच्छा है और गवर्नमेंट भी यह उचित समझती है कि जो कुछ हुआ है उसके सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को पूरी जानकारी हो जाय ताकि अखबारों में उन्होंने जो कुछ पढ़ा है या लोगों के बयानों में जो कुछ पढ़ा है उनके बारे में उनको मालूम हो जाय कि किस तरह से एक घटना दूसरी घटना के साथ बैठती है। इसलिये यदि आप उचित समझें तो कोई समय उसके लिये दे दिया जाय, हम इसके लिये तैयार हैं। हम यह समझते हैं कि इसके बाद अब इस काम रोको प्रस्ताव की जरूरत नहीं पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष---क्या गवर्नमेंट के स्टेटमेन्ट के बाद और लोग भी अपनी राय दे सकते हैं ताकि गवर्नमेंट भी उनकी राय जान ले?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, मैं तो समझता हूं कि यह स्वाभाविक होगा कि लोग हमारी बात पर कुछ कहना चाहेंगे।

श्री अध्यक्ष---क्या माननीय राज नारायण जी इस पर कुछ कहना चाहेंगे?

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---श्रीमन्, जहां तक कार्यस्थगन प्रस्ताव के संबंध में कहा गया है कि वह इनडेफिनिट है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। इसके सम्बन्ध में तो केवल आप को ही अधिकार है और आप ही उसके बारे में निर्णय दे सकते हैं। परन्तु माननीय गृह मंत्री जी ने कुछ उस पर अपना विचार प्रकट कर ही दिया। मैं इस समय केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि अपने प्रान्त की राजधानी में इतनी अहम घटनायें हुई हैं जिनके लिये मैं चाहता हूं कि उन पर इस सदन में अवश्य विचार होना चाहिये और उसके लिये समय भी काफी होना चाहिये ताकि हर व्यक्ति जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है उसको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का पूर्ण मौका मिले। मैं चाहता हूं कि शान्तिमय वातावरण में उस पर विचार हो ताकि इस किस्म की घटनायें भविष्य में न घटें क्योंकि यह हमारे लिये भी, सरकार के लिये भी और सारे प्रान्त तथा देश के लिये भी अशोभनीय है। इसलिये मैं आप के द्वारा निवेदन करूंगा क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी भी यहां हैं और तमाम कैबिनेट के और सम्मानित मित्र यहां विद्यमान हैं, इसके लिये कोई समय निश्चित कर दिया जाय, एक पूरे दिन का समय ऐसा निश्चित कर दिया जाय जिसमें माननीय मुख्य मंत्री जी भी उपस्थित रहें। क्योंकि अगर वे उपस्थित नहीं रहेंगे तो इस पर जो तमाम बातें होंगी उनका उचित और सदुपयोग, उचित फल जो होना चाहिये वह पूरा नहीं हो पायेगा इसलिये मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि वह दिन जल्द से जल्द हो, पूरा समय हो और कोई ऐसी जल्दी इसमें न की जाय कि एक घंटा, दो घंटा या तीन घंटा में ही खत्म हो जाय।

श्री अध्यक्ष---मैं इसके निश्चित होने के सम्बन्ध में राय नहीं चाहता था। मैं तो यही चाहता था कि उसके महत्व को देखते हुये सरकार क्या कार्यवाही करना उचित समझती

[श्री अध्यक्ष]

हैं और विरोधी दल के नेता भी इसके सम्बन्ध में क्या विचार रखते हैं। तो स्पष्ट हो गया कि सरकार अपना एक वक्तव्य देना चाहती है और उसके ऊपर यहां के, सदन के, सदस्यों की राय जानना चाहती है कि उनके ऊपर वक्तव्य से क्या रिएक्शन हुआ। तो इसके लिये उचित होगा कि इस काम रोको प्रस्ताव पर विचार न करके सरकार के वक्तव्य को सुनें। तो मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वे यह बतावें कि वे किस रोज वह वक्तव्य देना पसन्द करेंगे और उस पर चर्चा होगी तो उस पर कितना समय देना चाहेंगे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बिल्कुल ठीक समझता हूं जैसा कि विरोधी दल के माननीय नेता ने कहा है कि जो हमारा समय है उसका पूरा सदुपयोग हो। इस बात का ध्यान रखते हुये और इस बात का भी ध्यान रखते हुये कि सब लोग चाहते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी यहां रहें तो मेरी राय तो यही है कि इसके लिए १८ तारीख निश्चित कर दें और वह लंच के बाद। मैं समझता हूं कि इतना समय काफी होगा, इतने समय में जितनी भी आवश्यक बातें हैं वह सभी कही जा सकती हैं। यहां तो हर दल के बहुत से लोग हैं और यदि सभी लोग अपनी भावना यानी सैंटीमेंट प्रकट करें तो कुछ न कुछ कहा ही जा सकता है। लेकिन जो विचारणीय बातें हैं वह तो हर दल की तरफ से आसानी से इतने समय में कही जा सकती हैं। इस कारण मेरी यह राय है कि १८ तारीख लंच के बाद उसके लिये समय रख दिया जाय।

महाराजकुमार बालेंदुशाह (जिला टेहरी गढ़वाल)--मैं नम्रतापूर्वक सरकार से यह सिफारिश करूंगा कि इस विषय के लिये यदि हो सके तो पूरा दिन रख दिया जाय। इस विषय पर सभी लोग चाहे वह इस तरफ के हों या उस तरफ के, सभी बोलना चाहेंगे। यदि जरूरी हो तो हम शनिवार के दिन भी बैठने के लिये तैयार हो सकते हैं लेकिन मैं यह उचित समझता हूं कि इसके लिये पूरा दिन दिया जाय।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं यह निवेदन करूंगा कि केवल एक घंटे का फर्क आता है पहला घंटा तो प्रश्नों के लिये ही निकल जाता है। अगर उस दिन लंच के बाद ५ बजे तक पूरा न हो तो उसको १ घंटा और बढ़ाया जा सकता है।

श्री राजनारायण--मैं तो यह निवेदन करूंगा, और गृह मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा, कि लंच के बाद जो समय चले उसको ५ बजे के बाद बढ़ा लेने का प्रश्न आप के ऊपर छोड़ दिया जाय। जब आप देखेंगे कि पूरा नहीं हो रहा है तो जितना भी समय आप उचित समझें बढ़ा लेवें।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द बल्लभ पन्त)--राजनारायण जी जो कहते हैं उसको मैं हमेशा मंजूर करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--तो अब यह निश्चित रहा कि १८ तारीख को लंच के बाद यह वक्तव्य होगा और जो लोग इसके ऊपर अपनी राय देना चाहें दे सकते हैं। यदि ५ बजे विवाद खत्म नहीं हुआ तो अधिक समय देने न देने का निर्णय मेरे ऊपर छोड़ दिया गया। अब इतना तो निश्चित ही है कि ६ बजे तक वह चलेगा। लेकिन उसके बाद भी अगर आवश्यक हुआ तो थोड़ा बहुत समय बढ़ाया जा सकता है। इसमें इस सदन को आपत्ति नहीं होगी। जो प्रश्न यहां पर हुये और उन पर जो पूरक प्रश्न हुये उससे मैं यह समझता हूं कि बहुत से लोगों को दिलचस्पी है और इस पर बहुत से लोग अपना विचार प्रकट करना चाहते हैं तो यह सदन अधिक से अधिक समय तक बैठने की कोशिश करेगा।

श्री राजनारायण--मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि क्या बजाय १८ तारीख के १७ तारीख भी हो सकती है? क्योंकि १९, २० तारीख को गन्ने के उत्पादकों

का सम्मेलन है। यदि यहां पर १८ तारीख को उस पर विवाद हुआ तो श्री गेंदा सिंह और श्री जगन्नाथ मल्ल उसमें उपस्थित नहीं रह सकेंगे। वह देवरिया रामकोला, जहां सम्मेलन हो रहा है, चले जायेंगे। इस कारण मेरी दरख्वास्त है कि यदि सरकार के लिये विशेष मजबूरी न हो तो यह प्रस्ताव १७ तारीख के लिये रख दिया जाय नहीं तो कुछ लोगों की राय से वह वंचित रह जायेगी।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--रामकोला तो १८ तारीख को यहां से चलकर १९ तारीख को पहुंच सकते हैं। गेंदा सिंह जी तो अपना जरूरी इन्तजाम कर सकते हैं मगर राजनारायण जी को कठिनाई हो सकती है। सम्पूर्णानन्द जी ने इस बात को इसलिये कहा कि १६, १७ तारीख को मुरादाबाद में पुलिस का कुछ फंक्शन है। इसलिये हमारी मजबूरी है। हम तो चाहते थे कि इसको तुरन्त ही करें क्योंकि ऐसे मामलों में देर करना कोई फायदेमन्द नहीं होता। मगर मजबूरी की वजह से १८ तारीख की बात सम्पूर्णानन्द जी ने कही।

श्री अध्यक्ष--मैं तो इतना कर सकता हूं कि गेंदा सिंह जी पहले बोल लें और फिर वह जा सकते हैं।

विभिन्न स्थायी समितियों के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष--स्टैंडिंग कमेटीज के सम्बन्ध में मुझे बताना है कि कुछ माननीय सदस्यों का स्वर्गवास हो जाने एवं कुछ अन्य सदस्यों के निर्वाचन अवैध घोषित कर दिये जाने के कारण मंत्रियों को परामर्श देने वाली स्थायी समितियों में निम्नलिखित स्थान रिक्त हो गये हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग में २ रिक्त स्थान हैं और वह सर्वश्री वशिष्ठ नारायण शर्मा एवं राजदेव उपाध्याय के निर्वाचन अवैध हो जाने के कारण से हुये हैं श्री सत्या नन्द का स्वर्गवास हो जाने के कारण शिक्षा विभाग में भी एक स्थान रिक्त हो गया है। सर्वश्री चन्द्रपाल वाजपेयी एवं फतेह सिंह का स्वर्गवास हो जाने के कारण कृषि तथा पशुपालन विभाग में २ स्थान रिक्त हो गये हैं और श्री बैजूराम का निर्वाचन अवैध घोषित हो जाने के कारण से आबकारी विभाग में भी १ स्थान रिक्त हो गया है।

इन रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये मैंने यह निर्वाचन कार्यक्रम निश्चित किया है कि नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तथा समय १८ दिसम्बर, १९५३ को १ बजे मध्याह्न तक। नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय १८ दिसम्बर, १९५३ को ३ बजे अपराह्न तक और निर्वाचन का स्थान, समय तथा तिथि यदि आवश्यक हुआ तो बाद में सूचित किया जायगा।

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासकों की नियुक्ति) विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासकों की नियुक्ति) विधेयक, १९५३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ४ अगस्त, १९५३ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २७ अगस्त, १९५३ की बैठक में पारित किया था, श्री राज्यपाल की अनुमति ८ सितम्बर, १९५३ को प्राप्त हो गई और वह १९५३ का उत्तर प्रदेश का १७वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २७ अगस्त, १९५३ की बैठक में तथा

[श्री अध्यक्ष]

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २ सितम्बर, १९५३ की बैठक में पारित किया था, श्री राज्यपाल की अनुमति १४ सितम्बर, १९५३ को प्राप्त हो गई और वह १९५३ का उत्तर प्रदेश का १८वां अधिनियम बन गया।

प्राविडेंट फंड (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि प्राविडेंट फंड (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ११ अगस्त, १९५३ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २९ अगस्त, १९५३ की बैठक में पारित किया था, श्री राज्यपाल की अनुमति १६ सितम्बर, १९५३ को प्राप्त हो गई और १९५३ का उत्तर प्रदेश का १९वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य अनर्हता निवारण (अनुपूरक) विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य अनर्हता निवारण (अनुपूरक) विधेयक, १९५३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १० अगस्त, १९५३ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २९ अगस्त, १९५३ की बैठक में पारित किया था, श्री राजपाल की अनुमति १७ सितम्बर, १९५३ को प्राप्त हो गई और वह १९५३ का उत्तर प्रदेश का २०वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश अनुशासनीय कार्यवाही (साक्षियों को बुलाने तथा लेख्यों को प्रस्तुत करने का) विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश अनुशासनीय कार्यवाही (साक्षियों को बुलाने तथा लेख्यों को प्रस्तुत करने का) विधेयक, १९५३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २७ अगस्त, १९५३ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ७ सितम्बर, १९५३ की बैठक में पारित किया था, श्री राज्यपाल की अनुमति २५ सितम्बर, १९-५३ को प्राप्त हो गयी और वह १९५३ का उत्तर प्रदेश का २१वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ स्सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) विधेयक, १९५३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ७ अगस्त, १९५३ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २९ अगस्त, १९५३ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति २९ सितम्बर, १९५३ को प्राप्त हो गई और वह १९५३ का उत्तर प्रदेश का २२वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधन) विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ों का (संशोधन) विधेयक, १९५३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ४ अगस्त, १९५३ की बठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २८ अगस्त, १९५३ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति ५ अक्तूबर, १९५३ को प्राप्त हो गई और वह १९५३ का उत्तर प्रदेश का २३वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) विधेयक, १९५३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १३ अगस्त, १९५३की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ५ सितम्बर, १९५३ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति ५ अक्तूबर, १९५३ को प्राप्त हो गई और वह १९५३ का उत्तर प्रदेश का २४वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश ओपियम स्मोकिंग (संशोधन) विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश ओपियम स्मोकिंग (संशोधन) विधेयक, १९५३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ७ अगस्त, १९५३ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २९ अगस्त, १९५३ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति ६ अक्तूबर, १९५३ को प्राप्त हो गई और वह १९५३ का उत्तर प्रदेश का २५वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश शुद्ध खाद्य (संशोधन) विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश शुद्ध खाद्य (संशोधन) विधेयक, १९५३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ४ अगस्त, १९५३ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २८ अगस्त, १९५३ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति ९ अक्तूबर, १९५३ को प्राप्त हो गई और वह १९५३ का उत्तर प्रदेश का २६वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि (अनुपूरक) विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश शक्कर और चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि (अनुपूरक) विधेयक, १९५३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १० अगस्त, १९५३ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २९ अगस्त, १९५३ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति १६ अक्तूबर, १९५३ को प्राप्त हो गई और वह १९५३ का उत्तर प्रदेश का २७वां अधिनियम बन गया।

मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २५ अगस्त, १९५३ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ७ सितम्बर, १९५३ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति १९ अक्तूबर, १९५३ को प्राप्त हो गई और वह १९५३ का उत्तर प्रदेश का २८वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश सरकारी भूमि (बेदखली और लगान की वसूली) विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकारी भूमि (बेदखली और लगान की वसूली) विधेयक, १९५३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २८ अगस्त, १९५३ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ८ सितम्बर, १९५३ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति १९ अक्तूबर, १९५३ को प्राप्त हो गई और वह १९५३ का उत्तर प्रदेश का २९वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली में किये गये संशोधनों से सम्बद्ध माल (अ) विभाग की कतिपय विज्ञप्तियां *

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—मैं उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा ३४४ की उपधारा (४) के अनुसार, उक्त अधिनियम के अधीन बनाई गई १९५१ ई० की उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली में किये गये संशोधनों से सम्बद्ध माल (अ) विभाग की विज्ञप्तियों सं० ५६४७/१ (अ)—१०७३/१९५३, दिनांक २५ अगस्त, १९५३ ई०, सं० ५४६८-१ (अ)-१५४४/१९५३, दिनांक ४ सितम्बर, १९५३ ई० तथा सं० ५९३९-१-१ (अ)—१०७३-१९५३, दिनांक ११ सितम्बर, १९५३ ई० की प्रतिलिपियां * मेज पर रखता हूं।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में किये गये संशोधनों की विज्ञप्तियां *

परिवहन मन्त्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)—मैं मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार परिवहन विभाग की विज्ञप्तियों सं० ३०८२ टी० पी०/३०—१४२ (५) टी०-५१, दिनांक ३० जुलाई, १९५३, सं० ३२८६ टी०/३०—१४२-टी०-३४-५२, दिनांक ३० जुलाई, १९५३, सं० २१३७ टी० पी० ३०—१४२-टी०-१६-५१, दिनांक १ जून, १९५३, सं० ३४०० टी० पी० ३०—१४२ टी०-३२-५२, दिनांक १ सितम्बर, १९५३ तथा सं० ४४४० टी० पी० ३०—१४२ ३४ टी० ५२, दिनांक ४ सितम्बर १९५३, जिसमें यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में संशोधन किये गये हैं, की प्रतिलिपियां मेज पर रखता हूं।

यू० पी० ऐग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स रूल्स, १९४९ में किये गये संशोधनों की विज्ञप्ति *

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—मैं यूनाइटेड प्राविंसेज एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स, १९४८ की धारा ४४ की उपधारा (३) के अनुसार माल (अ) विभाग की विज्ञप्ति सं० ५५६०/१ (अ)—२८९ (अ)—१९५३, दिनांक २९ अगस्त, १९५३, जिसमें यू० पी० एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स रूल्स, १९४९ में संशोधन किये गये हैं, की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत नियमों पर विचारार्थ समय निश्चित करने की मांग

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, यह जो बहुत सी नियमावलियां मेज पर रखी जा रही हैं इस संबंध में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कुछ समय ऐसा निश्चित होना चाहिये कि इन नियमावलियों में क्या त्रुटियां रह गयी हैं उन पर भी हम अपनी राय जाहिर कर सकें। इस समय इतनी नियमावलियां एकाएक मेज पर रख दी गयी हैं। इस सम्बन्ध में यदि आप समय देंगे तो हम बतायेंगे कि इन नियमावलियों में बहुत सी गड़बड़ी पैदा हो गयी हैं। जो नियमावली माननीय द्वारका प्रसाद जी ने अभी मेज पर रखी है....

* छापी नहीं गयीं।

श्री अध्यक्ष--मैं आपकी बात तो समझ गया। मैं आप से यह पूछना चाहता हूं कि किसी अधिनियम में अगर कोई ऐसी बात हो कि सदन की राय लेना आवश्यक है तो मैं इस बात की इजाजत दे सकता हूं, नहीं तो आपको सरकार से पहले से तय कर लेना चाहिये; इसी विषय के ऊपर अगर कोई सरकारी प्रोग्राम आ जायगा तो मैं उसकी इजाजत दे दूंगा। लेकिन अगर अधिनियम में ऐसी धारा मौजूद नहीं होगी कि सदन की राय लेनी पड़ेगी तो मैं उसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, जहां तक जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा ३४४ की उपधारा (४) का सम्बन्ध है, यदि उसे देखा जाय तो जहां तक मुझे स्मरण है, मैं ऐसा समझता हूं कि उसके मुताबिक सदन की राय लेना आवश्यक है। और श्रीमन्! मैं आपके द्वारा आगे भी जा कर निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वहां न भी लिखा गया तो भी आप को यह अधिकार सन्निहित है और समय और विषय की आवश्यकता को महसूस करते हुये मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप उस पर जरूर राय लें। यह तमाम सूबे के किसानों से सम्बन्धित है और आज इस नियमावली के अन्तर्गत तमाम सूबे के किसानों का गला काटा जा रहा है।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)--अध्यक्ष महोदय, जहां तक जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत नियम हैं उनके सम्बन्ध में तो अवश्य भवन को विचार करने का अधिकार है। लेकिन एमीलियोरेटिव इन्कमटैक्स में, जहां तक मुझे मालूम है, कोई ऐसी धारा नहीं है।

श्री अध्यक्ष--तो उसके लिये आप समझते हैं कि उसमें सदन को विचार करने के लिये अधिकार है। यदि है तो आप समय नियत करते हैं।?

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)--मैं समझता हूं कि उसमें कोई इस बात की जरूरत नहीं है कि सदन के लिये कोई समय निश्चित किया जाय। वैसे सदन के सदस्यों को अधिकार है कि हर सार्वजनिक विषय को जिसे वे चाहें यहां ला सकते हैं। माल आफिसर डेश भी होते हैं। इस बारे में किसी को कुछ कहना हो तो वह प्रस्ताव दे सकता है। हम तीस लाइनी भेजना चाहें तो ऐसे भी भेज सकते हैं?

श्री अध्यक्ष--मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अधिनियम में यह है कि यह मसला तब तक मंजूर नहीं समझे जायेंगे जब तक कि सदन अपनी राय न दे?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--अगर ऐसा होगा तो जरूर रखेंगे।

श्री राज नारायण--तो उसके लिये दिन देना चाहिये।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--उसके लिये दिन देंगे।

श्री अध्यक्ष--माननीय माल मंत्री कह रहे हैं कि ऐसा है।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--वे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन राजनारायण जी कह रहे हैं कि ऐसा है।

श्री राजनारायण--उन्होंने माना है।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--अगर ऐसा होगा तो जरूर समय दिया जायगा लेकिन वह कागज देखने की बात है।

श्री अध्यक्ष--माननीय मुख्य मंत्री जी देख लें। अगर उसमें ऐसा होगा तो कोई समय निश्चित होना चाहिये ।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--अवश्य।

उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कंटिन्यूएंस आफ़ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५३

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)--अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कन्टीन्युएन्स आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५३, पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ... ७५...पर)

रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश विधेयक, १९५३

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)--मैं रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश विधेयक, १९५३, पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ... ७६--८४ ...पर)

उत्तर प्रदेश खादी बिक्री विधेयक, १९५३

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--मैं उत्तर प्रदेश खादी बिक्री विधेयक, १९५३, पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ... ८५--८६ ...पर)

उत्तर प्रदेश इन्कमबर्ड इस्टेट्स (संशोधन) विधेयक, १९५३

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)--मैं उत्तर प्रदेश इन्कम्बर्ड इस्टेट्स (संशोधन) विधेयक, १९५३, पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ... ८७--९३ ...पर)

उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) विधेयक, १९५३

न्याय मन्त्री (श्री सैयद अली जहीर)--मैं उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) विधेयक, १९५३, पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ... ९४--१०२ ...पर)

उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण विधेयक, १९५३

माल मन्त्री के सभासचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)--मैं उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण विधेयक, १९५३, पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ... १०३--११३ ...पर)

आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—श्रीमन्-संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट भवन के सामने प्रस्तुत करते समय कोई लम्बे भाषण की आवश्यकता नहीं होती है...

श्री अध्यक्ष—आपको कहना कुछ नहीं है तो केवल आप २४ नम्बर का विषय प्रस्तुत कर दीजिये।

श्री हरगोविन्द सिंह—मैं आगरा यूनीवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३, पर संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

(देखिये नत्थी "ज" आगे पृष्ठ.. ११४—१४८..पर)

उत्तर प्रदेश पुनः संघटित संग्रहालय परामर्शदात्री समिति के लिये दो सदस्यों के तथा राज्य स्वास्थ्य बोर्ड में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये एक सदस्य के निर्वाचन का कार्यक्रम

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को श्री अध्यक्ष निश्चित करें पुनः संगठित उत्तर प्रदेश संग्रहालय परामर्शदात्री समिति के लिये दो सदस्य निर्वाचित करे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को श्री अध्यक्ष निश्चित करें पुनः संगठित उत्तर प्रदेश संग्रहालय परामर्शदात्री समिति के लिये दो सदस्य निर्वाचित करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को श्री अध्यक्ष निश्चित करें, श्री भगवानदीन मिश्र के विधान सभा की सदस्यता से हट जाने के कारण राज्य स्वास्थ्य बोर्ड में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये एक सदस्य निर्वाचित करे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को श्री अध्यक्ष निश्चित करें, श्री भगवानदीन मिश्र का विधान सभा की सदस्यता से हट जाने के कारण राज्य स्वास्थ्य बोर्ड में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये एक सदस्य निर्वाचित करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—इस बात के जो अभी प्रस्ताव स्वीकृत हुये हैं उनके अनुसार कार्यक्रम के लिये मैं समय निर्धारित करता हूं।

नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तथा समय १८ दिसम्बर, १९५३ को १ बजे मध्याह्न तक।

नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय १८ दिसम्बर, १९५३ को ३ बजे अपराह्न।

नाम वापस लेने की अन्तिम तिथि तथा समय २२ दिसम्बर, १९५३ को ३ बजे अपराह्न।

निर्वाचन का स्थान, समय तथा तिथि यदि आवश्यक हुआ तो बाद में सूचित किया जायगा।

उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कन्टीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५३

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीशन (कंटीन्यूएन्स आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५३ पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मुझे केवल इतना निवेदन करना है कि इस विधेयक की अवधि ३१ दिसम्बर को खत्म होने जा रही है और अभी तक प्रान्त में खाद्यान्न को जमा करने के लिये और उनको रखने के लिये इस बात की आवश्यकता है कि सरकार को इस बात का अधिकार हो कि वह स्टोर्स को ले सके।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---यह विधेयक जो प्रस्तुत किया गया है, नियम ९५ (ग) के अनुसार जब तक कि ३ दिन पहले सदस्यों के सामने उपस्थित न हो, उस पर विचार नहीं किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---(माननीय अन्न मंत्री से) क्या आपको इस सम्बन्ध में कुछ कहना है?

श्री बनारसी दास---जहां तक मालूम है सबकी कापियां पहले ही से भेज दी गई हैं।

श्री अध्यक्ष---कल शाम को आया और कल रात करीब ९ बजे तक वितरित हुआ।

श्री बनारसी दास---अध्यक्ष महोदय, यदि यह आपत्ति है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह विधेयक ऐसा है कि इसमें किसी वादविवाद की गुंजाइश नहीं है। इसलिये मुझे विश्वास है कि यह इस समय विचार करने की बात को स्वीकार कर लेंगे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, मेरी मुश्किल है कि बिना देखे ही कैसे हमसे कहा जा रहा है कि.....

श्री अध्यक्ष---आपने इसे देखा नहीं है?

श्री रामनारायण त्रिपाठी---जी नहीं, देखा नहीं है।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि कल इस पर विचार हो जाय।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)---नहीं, तीन दिन बाद हो जाय।

श्री अध्यक्ष---अच्छा, तो ३ दिन बाद हो जाय।

आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आगरा यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक, १९५३, पर जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय। इसकी कापीज ३ रोज पहले भेज दी गई थीं, ७ दिसम्बर को मैं समझता हूं कि सब सदस्यों को भेज दी गई थीं। इसलिये इस पर विचार आरम्भ कर दिया जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)-- अध्यक्ष महोदय, नियमावली की धारा १०५ के मुताबिक इसकी प्रतियां सदस्यों के सामने ३ दिन तक नहीं रहीं। इस बिल के सम्बन्ध में मुझे एक विशेष बात यह कहनी है कि जो प्रतियां हमारे पास गई उन पर "कानफ़ीडेंशल" लिखा हुआ था और जब विधान सभा के सामने कोई चीज उपस्थित होती है तो वह प्रेस और पब्लिक के लिये पब्लिक प्रापर्टी हो जाती है। तो कानफ़ीडेंशल पेपर्स पर हम ऐक्शन नहीं ले सकते। नियमावली में कहीं भी इस बात का प्रावीजन नहीं है कि कानफ़ीडेंशल मार्क करके जो चीज भेज दी जाय तो उस पर ३ दिन के नोटिस की बात लागू न हो। इसलिये १०५ नियम के...

श्री अध्यक्ष--आपका एतराज वास्तविकता के ऊपर आधारित नहीं है। वास्तविकता यह है कि आप सूचना पा चुके हैं लेकिन टेक्निकलिटी यह है कि कानफ़ीडेंशल होने से आप उसे सूचना नहीं समझते। गुप्त सूचना होने से आपका उस सम्बन्ध में ज्ञान भी लुप्त हो गया है। ऐसा तो नहीं हो सकता। आपका कहना टेक्निकली सही हो सकता है कि उसको इगनोर कर दें। लेकिन चूंकि यह इस सदन के विशेषाधिकार से सम्बन्ध रखता है कि सेलेक्ट कमेटी के जितने प्रतिवेदन हों वे पहले सदन में आ जाने चाहियें तब प्रकाशित हों, इसलिये शब्द कानफ़ीडेंशल इस पर डाल दिया गया है सदस्यों के पास सूचना भेजते समय। मेरे सामने यह गुत्थी रही है और इस कारण यह 'कानफ़ीडेंशल' शब्द इसमें डाल दिया गया है। लेकिन उसमें और प्रतिवेदन में कोई फर्क नहीं हुआ है तो वह गुप्त सूचना नहीं मानी जायगी। गुत्थी को सुलझाने का मैंने यों प्रयत्न किया कि पहले से उस पर कानफ़ीडेंशल शब्द डाल दें ताकि कोई सदस्य उसे बाहर प्रकाशित न करे, लेकिन सदस्यों का तो अधिकार है कि वे चाहे चार रोज पहिले प्राप्त हो वह उनको अधिकार जानने का होता है। इसलिये उनके ऊपर विश्वास रख कर वह उपस्थित किया गया है। इसलिये वास्तव में यह नहीं कहा जा सकता कि सदस्यों को इसकी सूचना नहीं है। फिर भी यह टेक्निकल अब्जेक्शन रह जाता है जो ३ दिन का प्रश्न उठाया जाय। वह वास्तविकता के ऊपर आधारित नहीं है। इस लिये मैं समझता हूं कि जब आपको ज्ञान हो ही चुका है तो उसके ऊपर आक्षेप नहीं होना चाहिये। वरना तो सारा काम सभी इस तरह से बेकार हो जायगा। इसलिये मैं इजाजत दिये देता हूं कि वह अपना भाषण, इस पर विचार जारी रखने के लिये, जारी रखें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--मैं आपका ध्यान भारतीय संविधान की धारा ३४८ की उपधारा (२) की तरफ दिलाता हूं जिसके मुताबिक इस प्रदेश की विधान सभा ने अपनी भाषा हिन्दी मानी है और आगरा यूनीवर्सिटी बिल का इंट्रोडयशन कलाज तो अवश्य हिन्दी में है लेकिन आगे के संशोधन जो सरकार की ओर से उपस्थित हो रहे हैं वे सब अंग्रेजी में हैं। और क्योंकि हमारी भाषा हिन्दी है इसलिये इस बिल पर तब तक विचार नहीं हो सकता है जब तक कि हिन्दी में संशोधन उपस्थित न हों। इसी संविधान की धारा में यह कहा गया है...

श्री अध्यक्ष--कौन सी धारा?

श्री रामनारायण त्रिपाठी--संविधान की धारा ३४८ की उपधारा (२)। जो राष्ट्रभाषा मानी जाय उसी में असेम्बली की सारी कार्यवाही होनी चाहिये। हां, कोर्ट के लिये अगर अंग्रेजी ट्रांसलेशन को अपराइज्ड वर्जन कहा जा सकता है। मैं इसको इसलिये भी आवश्यक समझता हूं कि हमारी सरकार इसकी हमेशा उपेक्षा करती रही है। ऐसी सूरत में हमें आशा है और आपका हिन्दी के प्रति विशेष प्रेम

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

है, आप हमारे अधिकारों की रक्षा करेंगे और सरकार को मनमानी, नहीं करने देंगे जब तक हिन्दी भाषा में संशोधन उपस्थित न हों जायं तब तक इसकी आज्ञा न दी जाय।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त) ––इस विधेयक पर पहले जिस रोज बहस हुई थी अगर आपत्ति होती तो उस समय होती। इसके बाद यह सिलेक्ट कमेटी में गया और सभी पार्टी के जितने भी लोग वहां थे उन सब ने इस पर विचार किया था। अब जब कि सब की रिपोर्ट आ गई है तो कोई ऐसा कानून नहीं है कि इस पर कुछ आपत्ति हो। अगर इसमें कोई कमी होती तो आज से पहले कभी का आटोमेटिकली यह लैप्स हो जाता और इस पर विचार नहीं होता। आपने जो इस समय आपत्ति की है, मैं समझता हूं कि वह निराधार है। इसके पहले जो बिल है वह अंग्रेजी में ही पेश हुआ है। तो आज उसका संशोधन हिन्दी में हो तो जो बिल अंग्रेजी में है उसका अमेंडमेंट हिन्दी में हो यह असम्भव है। जो बिल यहां पेश होते हैं वह सब हिन्दी में पेश होते हैं। जो अंग्रेजी में बिल है उसके अमेंडमेंट अंग्रेजी में ही होते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय राम नारायण जी इसको मंजूर करेंगे कि जो हुआ है, वह ठीक हुआ है और इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी––माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रमुख मंत्री का . . . .

श्री अध्यक्ष––आपने सिर्फ हवाला भर दे दिया है लेकिन आपने यह पढ़कर नहीं देखा कि कौन सी चीज लागू होती है। मैं समझता हूं कि इस पर पहले निर्णय हो चुका है कि जो अधिनियम अंग्रेजी में बन चुके हैं उनके जब संशोधन होंगे तो संशोधनों की भाषा के संबंध में जो धारा का सुधार होने वाला है वह सब उसी भाषा में होंगे जिसमें कि अधिनियम है। लेकिन ऐसा करना चाहिये, वैसा करना चाहिये, जो खंड में दिया है कि फलां शब्द निकाल दिया जाय इत्यादि सब हिन्दी में होगा, इसमें भी यह चीज मौजूद है। जब किसी धारा का सुधार होने वाला है तो वह हिन्दी में कैसे होगा जब कि मूल अधिनियम अंग्रेजी में मौजूद है। अभी हिन्दी में मूल अधिनियम का अनुवाद नहीं हुआ है। जब अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद हो जायगा और सदन उसको पास कर लेगा तब यह आपका कहना उचित होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि आपका एतराज निराधार है।

श्री हरगोविन्द सिंह––श्रीमान जी जो प्रवर समिति इस भवन और विधान परिषद् द्वारा बनी थी उसमें प्रायः सभी ऐसे सदस्य थे जिनका शिक्षा से संबंध था और मूल विधेयक उनके सामने था। संशोधन इसमें इतने कम थे और उनका महत्व भी इतना कम था कि कमेटी ने यह निर्णय किया था कि इस विधेयक को फिर से प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है जो थोड़े से परिवर्तन हुये हैं वह केवल यह हुये कि सीनेट में जितने मेम्बर्स हैं उनका प्रतिनिधित्व किस प्रकार से रहे, इसमें कुछ रद्दोबदल हुई। इसके अलावा इसमें छोटी-मोटी रद्दोबदल हुई जिससे मूल विधेयक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ऐसी दशा में मैं समझता हूं कि चूंकि यह भवन उस विधेयक पर पहले ही विचार कर चुका था जब यह प्रवर समिति को गया तो उसमें अधिक समय भी न लगना चाहिये और इस समय इस बात की अनुमति दे कि इस पर विचार आरम्भ किया जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी––अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मेरा यह प्रस्ताव है कि यह विधेयक फिर से सेलेक्ट कमेटी के सिपुर्द कर दिया जाय। हालांकि ज्वाइंट कमेटी ने कुछ सुधार ऐसे किये हैं जोकि सुन्दर हैं, लेकिन इस विधेयक में बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न ज्यों के त्यों छोड़ दिये गये हैं इसलिये आवश्यक है कि इसको फिर से सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय ताकि वहां पर इन तमाम बातों पर विचार हो सके। यूनिवर्सिटी की आटोनामी के बारे में हमारी सरकार यदा कदा घोषणा करती रहती है और सभी मानते हैं कि उनको आटोनामी

मिलनी चाहिये। इस विधेयक के संबंध में मुझे यह कहना है कि इसमें ऐसी धाराओं का भी संशोधन हुआ जिसमें चान्सलर की नियुक्ति का भी सवाल उठाया जा सकता है। अभी आल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में जब कि पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने खुद अपने विचार प्रकट किये हैं कि उस सूबे का गवर्नर ही वहां की यूनिवर्सिटी का चांसलर हो यह हटा देना चाहिये। तो ऐसी हालत में यह जरूरी हो जाता है कि इस प्रथा को बदला जाय। और इस विधेयक की धारा ८ में संशोधन किया भी गया है जो चांसलर से संबंध रखती है। तो जरूरत यह है कि फिर से इस विषय को लिया जाय और इस पर विचार करके यूनिवर्सिटीज के चांसलर की नियुक्ति के बारे में भी एक ऐसी व्यवस्था की जाय कि आटोमेटिकली जो सूबे के गवर्नर हों वह चांसलर न हो जायं बल्कि चांसलर ऐसे हों जो एमिनेंट एजुकेशनिस्ट हों और जो कम से कम राजनीतिक पार्टियों के झगड़े में न पड़ कर के यूनिवर्सिटी के संगठन में, ऐडमिनिस्ट्रेशन में असर न डाला करें।

अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में स्वराज्य होने के बाद गवर्नर्स की नियुक्ति के संबंध में जो यूनिवर्सिटीज के चांसलर्स होते हैं, आम तौर पर यही व्यवस्था रखी गयी है कि प्रेसीडेंट महोदय की तरफ से सिर्फ पुराने कांग्रेसमैन ही सूबों के गवर्नर रखे गये हैं। इसके लिये कोई एजुकेशनिस्ट होना या और कोई योग्यता रखना कोई कैद नहीं है, कोई भी हो सकता है। उस संबंध में कोई भी सुधार नहीं किया गया है बल्कि कांग्रेसमैन को कहीं न कहीं पर जगह देनी है इसलिये एक रूल सा बन गया है कि कांग्रेसमैन ही सूबों के गवर्नर होंगे। राजा सर महाराज सिंह का एक केस जरूर अलग था लेकिन वह शायद हटाये इसीलिये गये कि वह पूरे कांग्रेसमैन नहीं थे। तो इस सूरत में इस बात की संभावना है कि जब गवर्नर ही किसी सूबे का चांसलर हो तो वह उस पार्टी की राजनीति में हिस्सा ले सकता है। अध्यक्ष महोदय, काफी टीका टिप्पणी हमारे वर्तमान चांसलर महोदय जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के हैं की अभी हाल ही में हुई और हमारा यह पूरा विश्वास है कि अगर आज चांसलर कांग्रेसमैन न होते तो इस तरह से जो पुलिस को धांधली करने का अधिकार दिया गया वह न दिया जाता। तो ऐसी सूरत में अध्यक्ष महोदय, एक पासिंग रिफरेंस दे देना मैंने जरूरी समझा।

वाइस चांसलर की नियुक्ति का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। दिल्ली की यूनिवर्सिटी में उसकी नियुक्ति चांसलर नहीं करते हैं बल्कि एक कमेटी है जो नियुक्ति करती है। मुझे आशा थी कि माननीय मुख्य मंत्री हमारे प्रदेश के जो इस ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी के चेयरमैन थे वह कम से कम कुछ सुधार तो अवश्य ही उसमें करेंगे लेकिन वह ज्यों का त्यों रख दिया गया है कि चांसलर ही वाइसचांसलर की नियुक्ति करेगा। दूसरी बात जो देहली के पैटर्न पर हो सकती थी कि एक कमेटी बना दी जाय जिसमें एक चांसलर के प्रतिनिधि हों और एक यू० पी० पी० एस० सी० के प्रतिनिधि हों और एक दूसरी यूनिवर्सिटी के चांसलर हों, इन तीन आदमियों की एक कमेटी बना कर उनसे वाइस चांसलर की नियुक्ति के बारे में . . .

श्री हरगोविन्द सिंह---अध्यक्ष महोदय, मुझे एक वैधानिक आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष---कहिये।

श्री हरगोविन्द सिंह--मुझे एक वैधानिक आपत्ति करना है। मैं आपको असेम्बली रूल्स के नियम १०६ की याद दिलाता हूं जिसमें लिखा है--

106. There shall be no debate on any motion or amendment at this stage except that the member making the motion or moving the amendment and the member opposing may be allowed to make brief statements and then the question or questions as the case may be, shall be put.

[श्री हरगोविन्द सिंह]

(इस प्रकार पर किसी भी प्रस्ताव या संशोधन पर विवाद न होगा अतिरिक्त इसके कि प्रस्तावक या संशोधन प्रस्तुत करने वाले और उसका विरोध करने वाले सदस्य को संक्षिप्त वक्तव्य देने की अनुज्ञा दी जा सकेगी और तदनन्तर प्रश्न यथास्थिति उपस्थित किया जायेगा या किये जायेंगे।)

उसके अनुसार उनको अपने अमेंडमेंट के साथ एक ब्रीफ स्टेटमेंट ही प्रस्तुत करना चाहिये लेकिन माननीय सदस्य व्याख्यान दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--यह आपत्ति ठीक है। मैं समझता हूं आप केवल यह कहें कि आप इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में क्यों भेजना चाहते हैं। वह भी आप मुख्तसिर में कहें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--मैं यह समझता था कि पुनर्निर्दिष्ट करने के लिये काफी कारण बताने की आवश्यकता होगी, लेकिन आपकी रूलिंग होने के बाद...

श्री अध्यक्ष--मैंने कहा है कि आप मुख्तसिर में कारण बता सकते हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--इस बिल में होस्टल्स, ऐफिलीऐटेड कालेजेज आदि के बारे में अधिकार दिये गये हैं और वे भी ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार में रखे गये हैं। सत्ता विकेन्द्रीयकरण और यूनिवर्सिटीज की स्वाधीनता के ख्याल से जितने भी ऐफिलीऐटेड कालेजेज हैं.....।

श्री अध्यक्ष--आप सजेशन्स न दें। आप यह कह सकते हैं कि पुनर्विचार होना चाहिये।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--इसके बारे में भी सरकार ने जो सुझाव रखा है वह ठीक नहीं है। अच्छा तो यह होता कि यूनिवर्सिटीज को अपने करने का मौका दिया जाता। इसके अतिरिक्त, कार्य समिति का जो निर्माण हुआ है.....

श्री हरगोविन्द सिंह--स्पीकर महोदय, माननीय सदस्य इस बात पर बहस नहीं कर सकते कि क्या-क्या संशोधन इसमें किये जायं या किये गये हैं। वे केवल इसी बात पर कह सकते हैं कि यह बिल ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी को क्यों भेजा जाय। क्या चीजें विचार करने से रह गयी हैं। इस पर वे कह सकते हैं लेकिन जो धारायें इस बिल में हैं उनके ऊपर ठीका टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि ठीका टिप्पणी का समय जब बिल धारावाही बनेगा, उस समय उनको मिलेगा।

श्री अध्यक्ष--आपने यह संशोधन पेश किया है कि इस बिल को फिर से ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी को निर्दिष्ट किया जाय। वह क्यों किया जाय, आप इसके लिये कारण बता सकते हैं, आप उन कारणों को पेश नहीं कर सकते हैं कि इन इन बिन्दुओं के ऊपर विवाद है, इसलिये मैं यह आवश्यक समझता हूं कि इस पर इन सब्जेक्ट्स विचार न किया जाय और इसको फिर ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाय। लेकिन आप इसके औचित्य और अनौचित्य के ऊपर कि यह धारा सेलेक्ट कमेटी में क्यों मंजूर की गयी, उसका विरोध प्रदर्शित नहीं कर सकते। उसके बारे में आप कोई सुझाव नहीं दे सकते। उसका समय यह होगा जब कि हर एक धारा पर विचार होगा। अतः इसको वापिस क्यों किया जाय इस विषय में केवल आप अपने विचार प्रकट करें।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संशोधन पर कि यह विधेयक फिर से ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी को सुपुर्द किया जाय बोल रहा था। उस समय मैंने यह बतलाया था कि इसमें यूनिवर्सिटीज के मामलों में ऐसे अधिकार स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अधिकार में ले लिये हैं जिनका लेना आवश्यक नहीं था। यूनिवर्सिटी अधिनियम के साथ यह जरूरी था कि अगर कोई गड़बड़ी होने की जानकारी हो तो उस समय यूनिवर्सिटी अथारिटीज को इस बात के लिये मौका दिया जाय कि वह अपने यहां के जितने ऐफीलियेटेड कालेजेज हैं उनकी इन्क्वायरी करके गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट भेजें, लेकिन उसमें संशोधन नहीं किया गया। यह भी विषय यों ही अछूता रह गया।

दूसरी बात जो एक्जीक्यूटिव कौंसिल है उसके कंस्ट्रक्शन से संबंध रखती है। पहले एक्जीक्यूटिव कौंसिल १९ आदमियों की थी लेकिन अब ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी ने इसकी संख्या २१ कर दी है, लेकिन मुझे यह देखकर ताज्जुब हुआ कि जब एक चांसलर के मातहत ४ आदमी हैं और वाइस चांसलर को लेकर पांच आदमी हैं तो हजारों अध्यापक जो हैं उनका एक भी नुमाइन्दा उस एक्जीक्यूटिव कौंसिल में नहीं है। यह ऐसी भारी कमी है जिस पर मुझे ताज्जुब है कि सेलेक्ट कमेटी की नजर क्यों नहीं पड़ी और यह ऐसा आवश्यक विषय है जिसको फिर से कंसीडर करना चाहिये। इसके अलावा फाइनेंस कमेटी के ५ मेम्बर होंगे। उसमें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ३ मेम्बर होंगे। तीन मेम्बर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हों यह नामुनासिब बात है। इस प्रकार से गैरजरूरी इन्टरफियरेंस नहीं होना चाहिये। इस प्रकार से उसका संगठन करना त्रुटिपूर्ण है इस कारण इसको दूर करने की आवश्यकता है।

तीसरी बात जो इसमें रखी गयी है वह यह है कि आगरा यूनिवर्सिटी में आगे ऐसे कालेजेज एक सिंगल नहीं हो सकेंगे जो इन्टरमीडियेट एजूकेशन के लिये विद्यार्थी तैयार करते हों। इसके अलावा सब से बड़ी बात जो उसमें की जा रही है वह यह है कि जितने इन्टरमीडियेट कालेजेज थे और ऐसे कालेजेज हैं जिनमें इन्टरमीडियेट के विद्यार्थियों की पढ़ाई होती है उनको एक साल के लिये मौका दिया गया है। वह पढ़ने वाले लड़के ५५ में ग्रेजुएशन में और ५६-५७ में उनका इक्जामिनेशन हो तो वह साल भर तक ही वहां पर रह सकेंगे। लेकिन श्रीमन् आगरा यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके हमारे यहां के बहुत से कालेजेज जो हमारे प्रांत के कोनेकोने में फैले हुये हैं उन पर भी इसका असर पड़ेगा। एक तरफ सरकार यह कहती है कि फाइनेंस की कमी है और यूनिवर्सिटीज में फाइनेंस नहीं कर सकते। जब कभी यूनिवर्सिटी सांट को मांग पाती है तो बहाना करके टाल दिया जाता है, लेकिन इन्टरमीडियेट कालेजेज की जो इन्कम होती है उसकी पूर्ति के लिये इस विधेयक में कोई उपाय नहीं किया जा रहा है, बल्कि उनके ऊपर आक्रमण किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर सेंट जोंस कालेज या जसवन्त राजपूत कालेज का आगरा यूनिवर्सिटी पर असर यह विधेयक पास किया जाता है तो एक साल के बाद हजारों विद्यार्थी बेकार हो जायेंगे। उन कालेजेज में हजारों रुपया खर्च करके यह सामान बनाया है। इन में उनका हजारों रुपये का नुकसान हो जायगा। टीचरों पर भी इसका असर पड़ेगा और बहुत से आदमी प्रभावित कर दिये जायेंगे। ऐसे टीचरों को अलग कर दिया जायगा जो इन्टरमीडियेट क्लासेज को पढ़ाते थे और जिनका ग्रेड १५० से २५० होता है। जो किसी एग्रीमेंट से नियुक्त किये गये हैं और ८-१० साल और काम कर सकते थे, उनके एग्रीमेंट को फिर से रिवाइज करके रिग्रेड करना और उनकी सलाहियत कम कर देना नामुनासिब है। यह जबरदस्त त्रुटि रह गयी है और इस पर फिर दोबारा सेलेक्ट कमेटी में विचार किया जा सकता है।

इसी प्रकार से सेलक्शन कमेटी का इख्तियार है। जो भी नियुक्ति होगी उस पर सेलेक्शन कमेटी विचार करेगी और उसके मुताबिक ही नियुक्तियां होंगी उनको रिव्यू करेगी। इस तरह से इसमें खतरा है और इसमें बहुत से आदमियों की हत्या होगी। कितने ही आदमियों को

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

निकाला जायगा और यह काम उसूलों की बुनियाद पर मुनासिब नहीं है कि अब एक मर्तबा वह रखे जा चुके तो कम से कम ६-७ साल तक का प्राविजन आज है, तो ६ साल तक तो वह रहेंगे। तो अब उनके अप्वाइन्टमेंट पर फिर से विचार किया जाय और उनको निकाल दिया जाय या फिर से अप्वान्ट किया जाय इससे एक बड़ा भारी असंतोष होगा और इससे टीचर्स में एक बड़ी निराशा फैली हुई है। मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी इस बात को कैसे नजरअन्दाज कर गई।

इसके अलावा जो ३६ धारा इस बिल की है कि एक साल के अन्दर जितने भी सुधार, परिवर्तन और संवर्द्धन आदि स्टेट गवर्नमेंट अपनी इच्छानुसार करना चाहती है वह करे, यह अध्यक्ष महोदय, ऐसी धारा नहीं होनी चाहिये। एक तो एक साल का टर्म जो है वही नामुनासिब है। इसके अलावा ऐसे अधिकार एक साल तक शिक्षा मंत्री जी या स्टेट गवर्नमेंट को देना नामुनासिब है। एक साल में कई मर्तबा विधान सभा की बैठक भी होगी, जो चीजें वह एडाप्टेशन वगैरह के तौर पर लाना चाहते हैं उनकी स्वीकृति लेजिस्लेचर से ली जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक और भी डेफिश्येंसी जो इस बिल में रह गई है वह यह है कि आर्डिनेंसेज, रेगुलेशंस और स्टेट्यूट्स बनेंगे। अभी-अभी जिक्र आया था जमींदारी उन्मूलन कानून के संबंध में वहां यह व्यवस्था की गई है कि जितने भी रूल्स वगैरा बनेंगे, वह लेजिस्लेचर को दिखला दिये जायेंगे और उसके बाद उसमें सुधार किया जा सकता है। इसमें इतने जबरदस्त अधिकार जैसे सिनेट कांस्ट्रक्शन का, एक्जीक्यूटिव कौंसिल के कांस्ट्रक्शन वगैरह का, उसमें कितने रिप्रिजेंटेटिव वगैरह हों इन सबके संबंध में अगर इसकी व्यवस्था हो जाय कि वह लागू तो हो जायं, लेकिन ज्योंही विधान सभा की बैठक हो उसके सामने पेश करके उनकी स्वीकृति ले ली जाय, तो एक उसूली बात हो जायगी। ये चन्द ऐसी बातें हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इसमें अगर यह सुधार हो जायगा तो यह बिल सही मानों में एक सुधारात्मक बिल हो जायगा जैसी कि शिक्षा मंत्री जी और सरकार की मंशा है। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि यह फिर से ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी ने जो संशोधन रखा है उसका विरोध करता हूं। हमारे सामने इस वक्त ज्वाइन्ट सलक्ट कमेटी की रिपोर्ट है और इस सदन के नियम के मुताबिक इस बिल के ऊपर सामान्य रूप से बहस नहीं की जा सकती। जो संशोधन यहां रखा गया है उसमें यह कोशिश की गई है कि फिर सामान्य रूप से इस विधयक के संबंध में कहा जाय। मेरा निवेदन है कि यह उचित नहीं है। जितनी बातें माननीय रामनारायण जी ने कहीं हैं वह करीब-करीब जो डिसेंटिंग नोट है उसमें आ गई हैं और वह विषय ऐसे हैं, जो इस बिल से संबंध रखते हैं और अब जब यह बिल इस सदन के सामने एक-एक खंड के रूप में आयेगा तो इन सभी बातों पर उस समय अच्छी तरह से विचार होगा। यह कहना कि जो कुछ कहा गया है वह कोई नयी समस्या है, यह गलत है। यह अवश्य है कि कुछ लोगों की राय में, जो विधेयक के अन्दर कहा गया है वह ठीक नहीं है। बहुमत तो विधेयक के अन्दर आ गया। अल्पमत वालों ने अपना डिसेंटिंग नोट रखा है अब फिर सिर्फ उन्हीं बातों को दुहराया गया है और अब फिर यह चेष्टा करना कि यह विधेयक फिर ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी को चला जाय कोई अर्थ नहीं रखता। मैं निवेदन करूंगा कि इस संशोधन से कोई लाभ नहीं बल्कि इससे सदन का समय ही नष्ट किया जा रहा है। मैं फिर रामनारायण जी से निवेदन करूंगा कि वह अपने संशोधन को वापस ले लें क्योंकि उन्होंने जितनी बातें एक-एक करके दुहरायी हैं वह सभी डिसेंटिंग नोट के रूप में आ गई हैं और उन सब बातों पर यह सदन अच्छी तरह से विचार करेगा।

श्री हरगोविन्द सिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक वैधानिक आपत्ति है जिसे मैं सुबह से दो बार उपस्थित कर चुका हूं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—मंत्री जी वैधानिक आपत्ति न कहकर पहले ही खड़े हो गये इसलिये मैं भी खड़ा हूं। आप कहें उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं बैठ जाऊं, लेकिन उनके खड़े होने से मैं नहीं बैठूंगा।

श्री हरगोविन्द सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक वैधानिक आपत्ति है और उसे मैं सुबह से दो बार भवन के सामने प्रस्तुत कर चुका हूं और चेयर से भी मूवर महाशय से कहा गया कि वह इस प्रकार की बहस इस अवसर पर नहीं कर सकते। इस पर प्रवर समिति की रिपोर्ट आ चुकी है और अब फिर इस प्रकार का संशोधन आया है कि वह फिर से प्रवर समिति में जाय। इसके बारे में दफा १०६ में स्पष्ट है कि इस अवसर पर कोई डिबेट नहीं होगा। उस में है कि—

"There shall be no debate on any motion or amendment at this stage except the member making the motion or moving the amendment and the member opposing may be allowed to make brief statements and then the question or questions, as the case may be, shall be put."

(इस प्रकार पर किसी भी प्रस्ताव या संशोधन पर वादविवाद न होगा, अतिरिक्त इसके कि प्रस्तावक या संशोधन प्रस्तुत करने वाले और उसका विरोध करने वाले सदस्य को संक्षिप्त वक्तव्य देने की अनुज्ञा दी जा सकेगी और तदनन्तर प्रश्न यथास्थिति उपस्थित किया जायगा, या किये जायेंगे,

तो इस प्रकार कोई लम्बा वादविवाद यहां नहीं हो सकता।

श्री राजनारायण—जो वैधानिक आपत्ति माननीय मंत्री जी ने उठाई उसका स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं। दफा १०५ की जो लाइंस हैं उन को मंत्री जी यदि पढ़ें तो नियम के अन्दर मंत्री जी यह नहीं कह सकते कि केवल एक ही सदस्य आपत्ति कर सकता है, कोई भी मेम्बर कह सकता है कि वह सेलेक्ट कमेटी में जाना चाहिये, वह राजनारायण, श्री रामनारायण त्रिपाठी, श्री मदन मोहन उपाध्याय कोई भी कह सकता है, श्री शिवनाथ काटजू साहब भी कह सकते हैं। इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बेकार में इस तरह की टेक्निकेलिटी, नाइसिटी (कानूनी बारीकी) में न जायं। इस गम्भीर प्रश्न को फिर से मैं मंत्री जी के सामने प्रस्तुत करता हूं कि वह इसे वहां जाने से न रोकें क्योंकि शिक्षा के गिरे हुये स्तर को और अनुशासन की कमी को सामने रख कर ही यह बिल लाया गया है और अब इस समय इसमें किसी तरह की कमियां और खामियां न रहनी चाहिये। हर समय अल्पमत और बहुमत को ही दृष्टिकोण में न रखकर जो जस्ट (उचित) चीज हो उसे भी देखना चाहिये। अल्पमत में तो हम हमेशा से ही हैं। अगर यही समझ लें तो हमें कुछ कहना ही न चाहिये, यह मैं काटजू साहब से कह रहा हूं। जो सदस्य यहां कांग्रेस पार्टी के टिकट पर आये हैं वह आज की बदली हुई परिस्थिति पर विचार करें। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो हाल का रिजोल्यूशन है और स्वयं पंडित जवाहर लाल नेहरू ने जो प्रस्ताव का मसविदा पेश किया था उसमें उन्होंने भी इस बात की ओर संकेत किया है कि शिक्षा संस्थाओं में सरकारी हस्तक्षेप न रहना चाहिये और उसमें यह भी इशारा है कि वहां के पदाधिकारी सरकारी लोग न हों। ऐसी बदली हुई परिस्थिति में मैं चाहता हूं कि आप इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में ले जायें और मुझे विश्वास है कि वहां इस पर गौर होगा और हमें भी अपनी बातें रखने का मौका रहेगा। शिक्षा के विशेषज्ञ जो हैं वह भी चाहते हैं कि इसमें कुछ और तरक्की की जाय इसलिये मैं पुनः निवेदन करूंगा और इस बात का समर्थन करूंगा कि फिर इसे सेलेक्ट कमेटी में विचार के लिये भेजा जाय और एक दिन बैठ करके सिलेक्ट कमेटी के अन्दर इस पर फिर विचार कर लिया जाय। आप श्रीमन् इस बात को हमसे ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं कि जिसको हम यहां मनवाना चाहते हैं उस बात को मानने में माननीय मंत्री जी को बहुत कुछ दिक्कत होती है। खास कर आज की परिस्थिति में तो प्रेस्टिज (प्रतिष्ठा) का सवाल उठ जाया करता है। मगर सिलेक्ट कमेटी में हमारा विश्वास है कि जब हम बौद्धिक दृष्टिकोण से, तार्किक दृष्टिकोण से, अपनी बातों को रखेंगे तो उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी को और दूसरे लोगों को, माननीय सम्पूर्णानन्द जी को, माननीय परिपूर्णानन्द जी को भी जिनको मैं चाहता हूं कि इस कमेटी

[श्री राजनारायण]

में रहें, अच्छी तरह से विचार करने का अवसर मिलेगा। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री जी की सद्बुद्धि को अपील करूंगा और आज की व्यापक परिस्थिति की ओर से इशारा करूंगा, और इशारा करते हुये उनसे यह निवेदन करूंगा कि यह प्रश्न केवल सरकार का या अपोजीशन का नहीं है। यह प्रश्न सारे राष्ट्र के जीवन से सम्बन्धित है। राष्ट्र का जीवन बदलेगा, बनेगा या बिगड़ेगा, इन तमाम से इस विधेयक का सम्बन्ध है। अगर यही विधेयक मौजूं माना गया, ठीक माना गया, जो आज परिस्थितियां छात्रों और छात्रों के अधिकारियों में पैदा हो गयी हैं उनका सामना करने के लिये यदि यही विधेयक है, तब दूसरी बात है, हम भी इसके सामने नत मस्तक होंगे। लेकिन जैसा कि काटजू साहब और दूसरे कहा करते हैं कि उनका बहुमत है और विरोधी दल वाले अल्पमत में हैं, केवल दस बीस आदमी हैं वे क्या कर सकते हैं, यह बात उनके लिये शोभनीय है। उनको इसका घमंड करना चाहिये। मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी अल्पमत और बहुमत को यहां पर ध्यान में न रखें और टेक्निकैलिटीज में न जायें। जो बातें हमारी ओर से प्रस्तुत की जा रही हैं उन्हीं बातों की ओर क्या कांग्रेस हाई कमांड ने इशारा नहीं किया है? मैं समझता हूं कि किया है और किया है लखनऊ यूनिवर्सिटी के कांड को ले करके। यह इतना बड़ा कांड हुआ है कि आज विद्युत जगत में सब लोग अपना-अपना दृष्टिकोण एडजस्ट (ठीक) करना चाहते हैं।

जब हम सिलेक्ट कमेटी में इस विधेयक को पुनः ले जाने की बात करते हैं तो हमारे लिये लाजिमी होता है कि हम आपका ध्यान उन त्रुटियों की ओर आकर्षित करें जो इस विधेयक में रह गयी हैं। मैं विवाद के लिये कुछ नहीं कहना चाहता। फिर भी यदि मैं आपका ध्यान उन त्रुटियों की ओर आकर्षित नहीं करूंगा तो प्रवर समिति में इस विधेयक को पुनः भेजने की हमारी मांग कैसे उचित सिद्ध होगी?

श्री उपाध्यक्ष---यह नियम १०६ बिल्कुल साफ है। बहस के लिये मौका नहीं है।

श्री राजनारायण---मैंने खुद निवेदन किया कि मैं बहस करना नहीं चाहता, त्रुटियों की ओर इशारा करना चाहता हूं कि क्यों यह विधेयक प्रवर समिति में ले जाया जाय। मेरे दृष्टिकोण में आज जिस रूप में यह विधेयक है, उसमें सरकारी हस्तक्षेप बढ़ेगा। आप नोट कर लें कि मेरे दृष्टिकोण से सरकारी हस्तक्षेप से विद्यार्थियों में असंतोष बढ़ेगा। मेरे दृष्टिकोण में जिस रूप में इसमें वाइस चांसलर की नियुक्ति है, जिस रूप में सिनेट का फार्मेशन (गठन) है, जिस रूप में एक्जीक्यूटिव कौंसिल का फार्मेशन है, जिस रूप में फाइनेंस कमेटी का फार्मेशन है, जिस रूप में एकेडेमिक का स्वरूप निर्धारित किया गया है, जिस रूप में सलेक्शन कमेटी का स्वरूप निर्धारित किया गया है, यदि कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति देखेगा तो वह यही पायेगा कि सरकारी हस्तक्षेप बहुत ही मामूली से हो रहा है। सरकारी हस्तक्षेप जहां भी शिक्षा संस्थायों में होगा वहां जनतांत्रिक प्रणाली खतरे में पड़ेगी, जनतांत्रिक व्यवस्था नहीं बन पायेगी, यह मेरा विश्वास है। इसलिये इन तमाम बातों को सामने रखते हुये मैं आपके द्वारा जितने माननीय सदस्य यहां हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे हमारे जज्बे से अपना जज्बा मिलायें और यह न सोचें कि विरोधी पार्टी की तरफ से एक बात आयी है, इसलिये इसको छोड़ दें। यह सवाल आज का नहीं है, कल का नहीं है, परसों का नहीं है, इस विधान सभा में बहुमत का भी प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न सारे देश और प्रान्त का है। इसलिये इसको प्रवर समिति में ले जाना आवश्यक है। यदि प्रवर समिति में हम इसे ले जायेंगे तो मेरा विश्वास है कि

जितनी बातें और समस्याएं हम यहां पर उठा रहे हैं उन पर माननीय मंत्री जी जितना विचार वहां कर पायेंगे उतना यहां नहीं हो सकता, उतना यहां कर पायेंगे इसमें उनको खुद शक है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि आगरा यूनीवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३ पुनः ज्वाइण्ट सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३ पर जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जावे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

२--आगरा यूनीवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ (जिसे यहां पर आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ में--

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा २ का संशोधन।

(१) खंड (*a*) के बाद निम्नलिखित खंड (*aa*) के रूप में जोड़ दिया जाय--

"(*aa*) 'Autonomous College' means an affiliated college declared as such by the University in accordance with the provisions of sub-section (1) of Section 24-A;"

(२) खंड (*b*) के बाद निम्नलिखित खंड (*bb*) के रूप में जोड़ दिया जाय--

"(*bb*) 'Ordinances' means Ordinances of the University made under this Act and for the time being in force";

(३) खंड (*d*) के बाद निम्नलिखित खंड (*dd*) के रूप में जोड़ दिया जाय:--

"(*dd*) 'State Government' means the Government of Uttar Pradesh";

(४) खंड (*f*) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(*f*) 'Teacher' means a teacher of the University or a teacher of an affiliated college, and includes a Principal;"

(५) खंड (*f*) के बाद निम्नलिखित नये खंड (*ff*) और (*fff*) के रूप में रख दिये जायं--

"(*ff*) 'teachers of affiliated colleges' means persons employed in affiliated colleges for giving instruction for University degrees;

(*fff*) 'teachers of the University' means persons employed by the University for giving instruction or conducting research;"

(६) खंड (*h*) के बाद निम्नलिखित नया खंड (*i*) के रूप में रख दिया जाय--

"(*i*) 'Working Men's College' means an affiliated College recognised by the University in accordance with sub-section (2) of Section 24-A;

श्री हनुमान प्रसाद मिश्र (जिला सीतापुर)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस आगरा यूनीवर्सिटी (संशोधन) विधेयक में यह संशोधन पेश करने जा रहा हूं कि खंड २ के उपखंड (४) द्वारा प्रस्तावित नये खंड (f) की दूसरी पंक्ति में शब्द 'affiliated' के बाद शब्द 'Autonomous and working men' जोड़ दिये जायें।

मैं इस सम्बन्ध में आपके द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो इस विधेयक का मंशा है वह इन शब्दों के बढ़ा देने से बदलता नहीं और मैं उम्मीद करूंगा कि यह संशोधन शिक्षा मंत्री जी मानने की कृपा करेंगे।

श्री हर गोविन्द सिंह--इस संशोधन की कोई आवश्यकता इस कारण नहीं मालूम होती कि यदि माननीय सदस्य अफीलियेटेड कालेज और आटोनामस कालेज की डेफनीशन पढ़ें तो उससे स्पष्ट है कि वह अफीलियेटेड हो ही गया। इस वजह से इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उनका जो मतलब इस संशोधन के लाने से है वह बिधेयक में प्रस्तुत है ही।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (४) द्वारा प्रस्तावित नये खंड (f) की दूसरी पंक्ति में शब्द 'affiliated' के बाद शब्द 'Autonomous and working men' जोड़ दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा ४ का संशोधन।

३--मूल अधिनियम की धारा ४ में--

(१) उपधारा (२) के स्थान पर निम्नांकित रखा जाय--

"(2) to confer degrees and other academic distinctions on persons who—

(a) have pursued an approved course of study in an affiliated college, or in more than one affiliated colleges situate in the same town, in accordance with an arrangement arrived at among them and sanctioned by the Vice-Chancellor, or

(b) are teachers in educational institutions under conditions laid down in the Statutes and Ordinances, or

(c) are inspecting officers in the Department of Education of the Government of any part "A", "B" or "C" State, and fulfil the conditions laid down in the Statutes and Ordinances, or

(cc) being graduates, have served as whole-time librarians for a period of not less than three years in the University, or an affiliated college and fulfil such other conditions as may be laid down in the statutes, or

(*d*) have carried on (independent) research under conditions laid down in the Statutes and Ordinances, or

(*e*) are women who have carried on study privately under conditions laid down in the Statutes,

and have passed the examinations of the University under conditions laid down in the Statutes, Ordinances and Reguations.

Explanation.—The degrees conferred under clause (*a*) and those conferred under clauses (*d*) to (*e*) shall respectively be termed and be also stated in the relative diplomas as "internal' and 'external'.

(२) उपधारा (४) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय —

"(4) to institute certificates of proficiency, to make provision for instruction for and to grant such certificates, under conditions laid down in the Ordinances;"

(३) उपधारा (५) में शब्द "and Regulations" निकाल दिये जायं,

(४) उपधारा (५) के प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द 'Lucknow' के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :

"or in the area that may, after the coming into force of the Agra University (Amendment) Act, 1953, be included within the limits of a University established by law, except with the consent of the University concerned."

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से खंड ३ में यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि—

"मूल अधिनियम की धारा ४ में नई प्रस्तावित उपधारा (२) के खंड (*b*) तथा (*c*) को निकाल दिया जाय।"

श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, इस समय हमारे प्रदेश में यह दशा है कि जहां तक हो सके ग़रीब जनता को सुविधा दी जाय परन्तु मैं यह देखता हूं कि इस विधेयक में अध्यापकों तथा निरीक्षकों को आज्ञा दी गई है कि वे प्राइवेट परीक्षा दे सकें और साथ ही साथ पुस्तकाध्यक्षों को भी यह आज्ञा दी गई है। जितने अध्यापक इस समय किसी भी संस्था में होंगे वे इस ओर ध्यान नहीं देते कि हमारा वास्तविक कर्तव्य क्या है। वे अपनी परीक्षा के लिये ही किसी संस्था में जाते हैं और अपने वास्तविक कर्तव्य की अवहेलना करते हैं। मैं प्रायः देखता हूं कि हाई स्कूल करने के पश्चात् स्कूलों में लोग जाकर प्राइवेट परीक्षायें उत्तीर्ण करते हैं। ये सुविधा दूसरे प्रकार से कुछ प्रतिबन्धों के साथ दी जाय तो अच्छा हो। इसलिये इस संशोधन से मैं चाहता हूं कि अध्यापक और निरीक्षक अपने कर्तव्य की अवहेलना न करें।

श्री हरगोविन्द सिंह—क्या संशोधन चाहते हैं, इसकी कापीज़ तो हमें नहीं मिलीं।

श्री श्रीचन्द—मेरा संशोधन है कि उपखंड (*d*) और (*e*) इससे निकाल दिय जावें।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्रीचन्द जी के संशोधन का विरोध करता हूं। यह संशोधन बिल्कुल ठीक नहीं है। यह सुविधा समाज की दीनावस्था को देखकर रखी गयी है। यदि कोई परिश्रम करके एम० ए० का इम्तहान पास कर लेता है तो कौन पाप या ब्लैकमार्केटिंग करता है? मैं पूछना चाहता हूं। यह तो उसकी एबीलिटी और योग्यता की बात है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां वे (e) को निकालना चाहते हैं....

श्री श्रीचन्द—वैधानिक आपत्ति है मुझे और वह यह कि मेरे संशोधन से (e) का कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री शिवनारायण—(e) ही सही। वह भी इसमें आ जाता है। लेकिन वीमैन भी तो टीचर्स हैं। टीचर जो पढ़ा रहा है वह परीक्षा पास करके कोई गलत काम नहीं कर रहा है। गरीबी की वजह से होना तो यह चाहिये था कि इस देश में इनफैंट क्लास से यूनिवर्सिटी तक निःशुल्क शिक्षा हो और ऐसा संशोधन होता तो हम मान लेते। आपने उसको पेश नहीं किया कि गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे। मैं श्रीचन्द जी से यह कहना चाहता हूं कि आपका यह संशोधन बिल्कुल अमान्य है और समाज का ध्यान रखते हुये और आने वाली संतान के हित की बात सोचिये।

"शिक्षक हौं सगरे जग को तिय, ताको कहा तू देत है शिक्षा।"

यह सुदामा ने कहा था। आप इस चीज को इग्नोर न करें। भारत की नींव और उसकी ईंट उनके कंधे पर मौजूद है जो हमारे देश का निर्माण करेंगे और सुन्दर डिसीप्लिन कायम करेंगे। इसलिये उनके ऊपर नजर डालें। मैं उनसे कहूंगा कि वह अपना संशोधन वापिस ले लें।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस पर यह अर्ज करना है कि श्री शिवनारायण जी की बात को सुनने के बावजूद भी यह संशोधन पास किया जाय। मैं यह नहीं कहता कि आपने जिस दृष्टिकोण को सामने रखा वह ठीक नहीं है। वह ठीक है, उसमें भी दम है किन्तु मैं अर्ज करता हूं कि जब कोई कानून बनाया जाता है तो उससे किसी न किसी का और कुछ न कुछ नुकसान होता ही है मसलन ३०२ कत्ल की धारा है उससे सबको फायदा होता है, कत्ल रुकते हैं और डकैतियां कम होती हैं, लेकिन कातिल को तो नुकसान होता ही है तात्पर्य कि कोई भी विधान जब बनेगा तो किसी न किसी को तो नुकसान होगा ही। इसलिये जब कोई कानून बनाया जाता है तो देखा यह जाता है कि इससे ज्यादा आदमियों को फायदा होगा या ज्यादा आदमियों को नुकसान होगा। अगर ज्यादा आदमियों को फायदा होता है तो वह कानून बनाया जाता है।

मेरे दोस्त की जो धारणा है कि इससे लोगों का उत्थान रुकता है तो ठीक है, बात यह है कि हम टीचर्स के उत्थान को देखें या अनेक बच्चों के उत्थान को। हम कुछ आदमियों के फायदे को देखें या लाखों बच्चों के फायदे को?

हुजूरवाला, मैं अर्ज करता हूं कि आजकल टीचर्स अपना सारा समय परीक्षा देने के लिये अपने पढ़ने में अथवा ट्यूशन वगैरा करने में लगाते हैं और वह स्कूल में तो महज तफरीह करने के लिये आते हैं। मैंने कई पाठशालाओं का मुआयना किया है। हर जगह मैंने मास्टर साहब से पूछा कि कापी में कहां गलती है आपके दस्तखत इस पर मौजूद हैं किन्तु आपने गलती क्यों नहीं काटी। मास्टर साहब ध्यानपूर्वक देख गये लेकिन उनकी समझ में गलती नहीं आई जब मैंने उनको बतलाया तो कहने लगे कि गलती रह गई। इसी तरह से मेरे चुनाव क्षेत्र में एक साहब एम० ए० पास करके मेरे पास

आये और उन्होंने कहा कि पंडित जी मेरी सिफारिश कर दीजिये जिससे मुझे भी पढ़ाने का काम कहीं मिल जाय। मैंने एम० ए० पास किया है। मैंने कहा कि मैं किसी की सिफारिश तो नहीं करता हूं, लेकिन आशीर्वाद देता हूं किन्तु योग्य व्यक्तियों को कभी-कभी उससे भी फायदा हो जाता है। कृपया आप अपनी बात मुझे लिखकर दे दीजिये। उन्होंने अंग्रेजी में लिखकर मुझे कागज दिया। मैंने कहा कि आप अंग्रेजी में क्यों लिखते हैं। मैं तो हिन्दी जानता हूं। इस पर वह लगे अंग्रेजी में ही एक्सप्लेन करने। मैंने कहा कि क्या आप अंग्रेजी के लोभ में हिन्दी नहीं पढ़े? इस पर उन्होंने हिन्दी में अपनी बात १५ लाइनों में लिख कर मुझे दी जिसे मैंने पढ़ा। आप सच मानिये कि उसमें उन्होंने ९ गल्तियां कीं। मैंने कहा कि बतलाइये आपको कौन सी जगह दी जाय जब आपकी यह हालत है? मेरी राय मानिये तो बच्चों को एक साल पढ़ाना बन्द कर दीजिये और जो तेज मास्टर हैं वह कमजोर मास्टरों को पढ़ायें। आजकल के अधिकतर मास्टर खत भी नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि उनकी तबियत तो ट्यूशन्स या अपने पढ़ने में लगी रहती है। मैं उच्चाभिलाषा का विरोधी नहीं हूं किन्तु अपना ही काम करता हुआ व्यक्ति अपना उत्थान कर सकता है। बिना दर्जा पास किये भी केवल योग्यता पैदा करके एक साधारण नागरिक कल बड़े से बड़ा ओहदा हासिल कर सकता है। लेकिन यह धोखेधड़ी वाली बात ठीक नहीं है। इम्तहान देने के बाद नम्बर बढ़वाने के लिये कोशिश की जाती है क्योंकि यह तो मालूम ही हो जाता है कि पर्चे कहां गये हैं। लोग यह नहीं देखते कि बिना योग्यता के दर्जा पास करने का नतीजा क्या होगा। इसलिये यदि आप चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो तो आपको यह सब रोकना पड़ेगा। अपने ही काम को करते हुये आदमी ऊंची से ऊंची तरक्की कर सकता है। इसलिये अदब के साथ मेरी गुजारिश है कि पढ़ना मना कर दीजिये। वे बच्चों को पढ़ायें, पढ़ाने में अगर अच्छे होंगे, उन्हें कोई रोकता नहीं है स्टडी करने को लेकिन पढ़ाने के लिये ही पढ़ें तब तरक्की हो सकती है। लिहाजा अदब के साथ मैं अपने शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस पर गम्भीरता के साथ विचार करें। रोक दीजिये पढ़ना लड़कों का। जो लड़के फ़र्स्ट, सेकेंड आयें उन्हीं को आगे पढ़ने दीजिये तब तो आपको फ़ायदा होगा, वरना हुजूरवाला, यूनिवर्सिटी से जो लड़के पास करके निकलते हैं, माफ कीजियेगा, वे बुरा से बुरा काम कर सकते हैं। मगर हाथ से काम नहीं कर सकते। वे क्लर्की चाहते हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि अगर अपने बच्चों को पढ़ाना है तो मेहरबानी करके टीचर्स को दूसरा काम न करने दिया जाय।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े ध्यान से माननीय शुक्ला जी का भाषण सुना और माननीय शिवनारायण जी का भी सुना। अभी माननीय शुक्ला जी ने जो कुछ कहा उससे हम इस नतीजे पर पहुंचे कि उन्होंने बिल को शायद पढ़ा नहीं है। कुछ टीचर्स की उन्होंने बात की, कुछ इम्तहानों की की, लेकिन इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि जो इंसपेक्टिंग स्टाफ के बारे में नीचे लिखा हुआ है (e) में। मुझे आज बड़ा दुख है कि मुझे माननीय शिवनारायण जी का इस मामले में साथ देना पड़ गया है कि जो संशोधन हमारे माननीय श्रीचन्द जी ने पेश किया है उसका मैं विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। वैसे तो उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय शिवनारायण जी तो टीचर हैं ही, वह तो इस बात की कोशिश करेंगे ही कि टीचर्स को प्राइवेट इम्तहान देने का मौका मिलना चाहिये और स्टूडेंट भी हैं और बदकिस्मती से इस साल फेल भी हो गये हैं, लेकिन हम लोग तो यह चाहते थे और सेलेक्ट कमेटी में हम लोगों ने इस बात पर जोर भी दिया कि हम सिर्फ टीचर्स को ही नहीं बल्कि अगर और लोगों को भी शरीक कर सकें जिन्हें पढ़ने का शौक हो तो वे भी इम्तहान देना चाहें तो उन्हें मौक़ा मिलना चाहिये। आज मुझे बड़ा दुःख हुआ इसको सुनकर कि टीचर्स इंसपेक्टिंग स्टाफ और लायब्रेरियन को जो प्राइवेट

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

इम्तहान देने का मौका मिलना चाहिये उसका विरोध हो रहा है। लेकिन उस विरोध का कारण क्या है यह अच्छी तरह से हम न समझ सके। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन हमारे माननीय श्रीचन्द जी ने पेश किया है उसका मैं विरोध करता हूं और माननीय शिवनारायण जी ने जो बातें कही हैं उनका समर्थन करता हूं।

श्री केशभानराय (जिला गोरखपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। शिक्षक वर्ग के बारे में जो यह बात कही गई कि अगर उनको परीक्षा देने का अवसर प्रदान किया जाता है तो पढ़ाई में बाधा पहुंचती है, यह बात बिल्कुल गलत है। हमें यह याद रखना चाहिये कि यदि हम आगे पढ़ते हैं तो उससे हम अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं और अपने ज्ञान की वृद्धि के साथ हम शिक्षक होने की अपनी योग्यता में वृद्धि करते हैं। यह नहीं हो सकता है कि हम उससे अपने शिष्य वर्ग का अहित करें। यह अवश्य है कि यदि रात में हम अपनी परीक्षा की तैयारी में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तो हो सकता है कि बहुत कठिन मेहनत के कारण हम अपने क्लास में जाकर उतनी रीति पूर्वक पढ़ाई न कर सकें। ऐसा भी सोचा जा सकता है और सही भी है किन्तु यह कहना कि इससे जो हानि होती है वह परीक्षा देने वाले लाभ से अधिक है, गलत है। थोड़ी सी इस माने में थकावट आ जाती है कि रात को वह पढ़ता है लेकिन इसके साथ ही साथ उसकी योग्यता अच्छी होती जाती है और अनायास ही वह क्लास में जाकर पढ़ा सकता है। फिर यदि उसमें योग्यता नहीं है तो क्लास में अधिक थकावट आयेगी, लेकिन अगर वह परीक्षा द्वारा अपनी योग्यता को बढ़ा लेता तो उसको थकावट कम आयेगी। जब कोई परीक्षा में बैठता है तो हो सकता है एक दो वर्ष तक पढ़ाई में शिथिलता आ जाय लेकिन अंततोगत्वा शिक्षक अपनी पूरी वृत्तिकाल में जो लाभ विद्यार्थी को पहुंचा सकता है वह बहुत ज्यादा है और उसके सामने जो हानि होती है वह नगण्य है।

यह चीज तो अन्य पेशे वालों के बारे में कही जा सकती है और उसमें तत्व भी हो सकता है। कोई क्लर्क है अगर वह रात दिन पढ़ता है तो दिन में वह इतना सोचने विचारने का काम नहीं कर सकता लेकिन शिक्षक के लिये पढ़ाना और परीक्षा देना दोनों एक दूसरे को सहायता पहुंचाने वाले काम हैं। दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे को बल पहुंचाते हैं। ऐसी स्थिति में संशोधन पेश करने वाले महोदय से मैं प्रार्थना करूंगा कि वे अपना संशोधन वापस ले लें।

श्री गेंदा सिंह (जिला बेतिया)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय श्री श्रीचन्द जी से दरख्वास्त करूंगा कि वे इस संशोधन को वापस ले लें। मैं ऐसा समझता हूं कि आज भी हमारे मुल्क में ऐसे बहुत से लोग हैं, जो स्वतंत्र पेशा करते हुए अपने पढ़ने लिखने का काम जारी रखते हैं और उपयुक्त अवसर पर परीक्षा देकर डिग्री हासिल करते हैं। डिग्री हासिल करने की इच्छा हमारे देश में ज्यादातर लोगों को है क्योंकि खासकर नौकरी के मामले में डिग्री हासिल किये बगैर काम ही नहीं चलता। जो लोग पढ़ाई का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं वे काम करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रख सकें ऐसी सुविधा उन लोगों को दी जानी अत्यन्त आवश्यक है। चाहे वह शिक्षक हो या क्लर्क हो सबको यह सुविधा दी जानी चाहिये। जहां तक शिक्षक का सम्बन्ध है वह तो अपनी योग्यता का इम्तहान भी ले सकता है और इस प्रकार से योग्यता बढ़ा कर अधिक योग्य साबित हो सकता है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह संशोधन या तो भ्रमवश लाया गया है क्योंकि मैं माननीय श्रीचन्द जी से यह उम्मीद करता हूं कि वे हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि ऐसे

लोगों को सुविधा मिल सके जो लोग धन के अभाव में किसी चीज की प्राप्ति करने में अपने को असमर्थ पाते हैं और मैं तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्रीचन्द जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे जैसे लोगों के लिये तो उन्होंने रास्ता ही बन्द कर दिया है। अपने लिये भी बन्द कर दिया है और हमारे जैसे लोगों के लिये भी रास्ता बन्द कर दिया है। अगर हमारे मन में कभी आ जाय और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी इस बात को आवश्यकता समझें कि हम लोगों को भी कहीं जाकर डिग्री हासिल करनी चाहिये तो हमारे लिये फिर कहीं स्थान ही नहीं रहेगा। जहां जाकर हम डिग्री हासिल कर सकें। हालांकि मैंने अब इरादा छोड़ दिया है क्योंकि यहीं माननीय शिक्षा मंत्री जी या और कोई माननीय मंत्री जी मुझे कभी-कभी कोई डिग्री दे दिया करते हैं। जिससे मैं आभूषित हुआ करता हूं और उसी से मैं सब्र कर लेता हूं। लेकिन जो यूनिवर्सिटी की डिग्री को इच्छा रखते हैं, मैं माननीय श्रीचन्द जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के लिये रास्ता खुला रहना चाहिये। कुछ सीमित क्षेत्र के लोगों के लिये ही यह रोक लगायी गयी है। जो संशोधन है उसे मुझे अच्छी तरह से देखने का मौका नहीं मिला है, लेकिन जहां तक मैंने सुना है उससे मालूम होता है कि इसके अन्दर बहुत थोड़े से लोग आते हैं और वे बहुत ही हार्मलेस लोग हैं जिनको रोका जाता है। अगर कुछ ऐसे लोग होते जिनको रोकने से हमें भी आनन्द आता तो आप रोक देते लेकिन जहां बहुत हार्मलेस किस्म के लोगों को रोक कर आप उससे कोई लाभ नहीं उठाते हैं वहां एक रास्ता बन्द कर आप उनकी गरीबी को बढ़ाते हैं।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—वे हार्मलेस लोग कौन हैं?

श्री बैजनाथसिंह—जिनका जिक्र इस बिल के अन्दर है। हार्मलेस लोगों की फेहरिस्त के बारे में तो हम लोग अकेले में बात कर ही लिया करते हैं, लेकिन अगर श्री रामनरेश जी चाहेंगे तो हार्मलेस लोगों की फेहरिस्त मैं यहां भी दे दूंगा। तो इतनी बातें कहने के बाद मैं समझता हूं कि शायद श्री श्रीचन्द जी इस बात पर राजी हो जायेंगे कि वे अपने इस संशोधन को वापस ले लें।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि शायद यह संशोधन कुछ भ्रम के आधार पर इस भवन में पेश कर दिया गया है। खंड ३ का यदि अध्ययन किया जाय तो उसमें सिर्फ इतना ही है—

to confer degrees and other academic distinctions on persons who—

"(*b*) are teachers in educational institutions under conditions laid down in the statutes and ordinances, or"

मैं यह समझता हूं कि माननीय श्रीचन्द जी ने जो दलीलें दीं उससे मैं तो यह नहीं समझता कि उनको कोई आपत्ति इस बात से हो सकती है कि अध्यापकों को डिग्री न दी जाय। उनको आपत्ति हो सकती है उन कंडीशंस के ऊपर जो स्टेटयूट्स ऐंड आर्डिनेंसेज के अन्दर लेड डाउन की गयी हैं। वे कंडीशंस हमारे सामने नहीं हैं। उन्होंने यह बात कही कि आमतौर से जो अध्यापक इम्तिहान देते हैं उनके अध्यापन कार्य में कुछ शिथिलता आ जाती है। यह असम्भव बात है और अगर ऐसी बात है तो यह बात अवश्य है कि वह अध्यापक अपने कर्तव्य से थोड़ा सा हट जाता है और प्रबन्धक कमेटियों को इसे रोकना चाहिये, लेकिन जो अध्यापक ऐसे हैं जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी अपना अध्ययन करना चाहते हैं और कर सकते हैं और उनमें क्षमता है और समय है तो उनको उससे वंचित क्यों किया जाय?

[श्री नवलकिशोर]

इसी तरीके से माननीय शुक्ल जी ने बहुत सी बातें कहीं लेकिन उन्हें भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि अध्यापकों को डिग्री मिले। उन्होंने तो आजकल का जो स्टैंडर्ड आफ एजुकेशन है उसी को आपके सामने रखा और यह काफी हद तक ठीक है। इस सिलसिले में मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से एक बात अवश्य कहूंगा जिसका सम्बन्ध टीचरों से है। असल में होता यह है कि आमतौर से लोग अपने आपको मसनूई तौर से किसी स्कूल में टीचर्स में अपना नाम रखवा देते हैं ताकि वह परीक्षा में बैठ सकें। तो मैं आपके द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान इस ओर अवश्य आकर्षित करूंगा कि स्टेट्यूट्स ऐन्ड आर्डिनेंसेज की जो कंडीशन्स ले डाउन की जायं उनमें इसका अवश्य ध्यान रक्खा जाय, तो जो मौजूदा ऐक्ट है उसमें शायद ऐसा कुछ प्रोविजन है कि जो अध्यापक ९ महीने से किसी स्कूल में कार्य कर रहा हो वही इम्तहान दे सकता है। मैं यह चाहता हूं कि उसकी अवधि बढ़ा दी जाय ताकि जो बोगस किस्म के लोग मसनूई तौर पर टीचर बन कर उससे फायदा उठाते हैं वे उससे फायदा न उठा सकें और इस विशेष सुविधा का मिस्यूज न हो सके और जहां तक अध्यापकों के कार्य का सम्बन्ध है उनका तो कर्तव्य ही निरन्तर अध्ययन करना है और अपनी योग्यता को बढ़ाना है। अतः उनको यह सुविधा अवश्य रहनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं श्रीचन्द जी से यह अनुरोध करूंगा कि वे अपने इस संशोधन को वापस ले लें।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)---श्रीमन्, मेरा सहारनपुर और गढ़वाल के दो तीन स्कूलों से प्रबन्ध सम्बन्धी वास्ता पड़ता है। मेरा पिछले दो तीन सालों का अनुभव यह है कि यदि प्रबन्ध और प्रिंसिपल महोदय ठीक रहें तो अध्यापकों को परीक्षा की सुविधा अवश्य मिलनी चाहिये। पिछले साल में मेरे दोनों स्कूलों में यानी ज्वालापुर हाई स्कूल में भी और आर्य हाई स्कूल मायापुर में मैंने परीक्षा देने की सुविधा अध्यापकों को दी। मैं अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि यह सुविधा अध्यापकों को अवश्य मिलनी चाहिये और खासकर उस हालत में जब कि वह ५० रुपये पर नियुक्त होता है और उसके पास पढ़ने के लिये पैसा नहीं होता। परीक्षा की फीस मुश्किल से दे पाता है उसको इसलिये परीक्षा से रोक लिया जाना कि उसके पास पैसा नहीं है उचित नहीं प्रतीत होता। उनको उन्नति-पथ पर अग्रसर होने देने के लिये यही सबसे सरल तरीका है और इसलिये इस पर कोई पाबन्दी नहीं होनी चाहिये।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्यों के अच्छे विचारों, सुन्दर सुझावों को जो कि इस अमेंडमेंट के मुताल्लिक प्रस्तुत किये गये सुना। मैं माननीय सदस्यों पर यह इम्प्रेस करना चाहता हूं कि यह हमें अवश्य देख लेना चाहिये कि यह अमेंडमेंट स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिकों को प्रगति के पथ पर ले जा रहा है या नहीं। अगर कोई अमेंडमेंट स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिकों को जो अधिकार गारन्टीड् अन्डर दि कांस्टीट्यूशन हैं उनके ऊपर दखल-अन्दाजी करता है उसको नहीं मानना चाहिये। इस दृष्टिकोण से हमें इसको भी देखना है। जो भी स्वतंत्र राष्ट्र का नागरिक है उसको पूरा अधिकार अपना और अपने राष्ट्र के उत्थान करने का है और कोई ऐसा विचार या कानून अगर इस पर प्रतिबन्ध लगाता है तो वह विचार और वह कानून भी प्रगतिशील नहीं कहलाया जाना चाहिये। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं। कोई भी विचारशील व्यक्ति हो जो कि निष्पक्ष भाव और इन्साफ का दृष्टिकोण रखता हो वह यही कहेगा कि इस प्रकार के अमेंडमेंट को इस सदन में कोई स्थान नहीं दिया जाना चाहिये। जहां तक कि स्टैंडर्ड की बात है मैं समझता हूं कि गलत तरीके से वह बात कही गई है और शिक्षा व्यवस्था को कंडेम किया गया है। मैं समझता हूं कि यह तो यूनिवर्सिटी का काम है वहां की अथारिटीज का काम है कि वह अपने स्टैंडर्ड को ऊंचा रखें और

कोई भी व्यक्ति जो उस टैंडर्ड को नहीं ला सकता उसमें वह नहीं आ सकता। लेकिन जहां तक अध्यापकों का सम्बन्ध है वह लोग गरीब क्लास के लोग हैं। वह लोग किसी तरह से पढ़ लिखकर गवर्नमेंट सर्विस या एक्जीक्यूटिव पोस्ट्स में या दूसरे इम्तहानों में बैठकर नौकरी पा लेते हैं और जिनको कहीं नहीं मिलती वे कहीं शिक्षा विभाग में चाहे वह सरकारी हो चाहे गैर सरकारी और चाहे प्राइवेट मैनेज्ड स्कूल्स हों उनमें वह अपना दाखिला चाहते हैं। आप चाहते हैं उनके उस दरवाजे को भी बन्द कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि यह तो बिल्कुल गलत तरीका है। इसलिये मैं समझता हूं कि पूर्वी जिलों की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए, राज्य के भविष्य को देखते हुये अगर इस वक्त स्टैंडर्ड लो है तो वह जस्टीफाइड है। इसके लिये मैं सम्पूर्णानन्द जी को बधाई देता हूं। एक वही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने यू० पी० के अन्दर शिक्षा का प्रचार करने के लिये एजुकेशन के स्टैंडर्ड को लो किया है। श्री आशुतोष मुकर्जी को सब जानते हैं उन्होंने कलकत्ता युनिवर्सिटी में एजुकेशन के स्टैंडर्ड को लो किया था। उसका कारण है और वह यह है कि गरीब लोगों को हम उसी स्तर पर लाना चाहते हैं जिस पर कि आज पैसे वाले लोग हैं। राज्य का उत्थान तभी हो सकता है जब सब बराबरी के साथ शिक्षा के उत्थान में लगें। ऊंचे स्टैंडर्ड को वही लोग पसन्द कर सकते हैं जिनके पास पैसा है और जो बहुत ज्यादा खर्च कर सकते हैं और जो बहुत ऊंचे तबके के लोग हैं यूनिवर्सिटी या कालेज में वही दाखला लेते थे, जो धन खर्च कर सकते थे। इसलिये मैं यह समझता हूं कि शिक्षा को पापुलर करने के लिये, राष्ट्र के विकास के लिये और शिक्षा को आम जनता तक पहुंचाने के लिये उस स्तर को लो करना है। तभी हम शिक्षा को ऊंचे उठा सकते हैं। शिक्षा के गुण, दोष पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये और यह उचित भी नहीं है। इसलिये मैं निहायत अदब के साथ अर्ज करूंगा कि जिन साहब ने इस अमेंडमेंट को यहां पर उपस्थित किया है वह इसको वापस ले लें क्योंकि इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाना हमारे राष्ट्र के लिये गलत होगा। अगर इस प्रकार की बात एन्लाइटेन्ड लोगों के सामने आती है तो यह हमारे सदन के लिये एक अपमान की बात होगी।

श्री रामनरेश शुक्ल-- श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो श्री श्रीचन्द जी के संशोधन को पूंजीवादी विचारों का प्रतिनिधि समझता हूं क्योंकि जिस समाज के अन्दर डिग्रियों को पाने के लिये यह प्रतिबन्ध लगे और केवल पैसे वाले लोगों को ही यह साधन मिलता है मैं समझता हूं कि वह समाज रहने के काबिल नहीं है और आज का जो समाज हम देख रहे हैं और आज जो खराबी हमारी शिक्षा संस्थाओं की है उसका केवल कारण यही है कि रुपये वालों के लिये ही साधन है। थोड़ी सी रोशनी यह थी कि शिक्षा संस्था कायम करके कोई भी गरीब आदमी का लड़का आगे जा सकता है तो उसको बन्द करने के लिये यह संशोधन यहां पर पेश किया गया है। तो ऐसे भयंकर बिल्कुल खतरनाक संशोधन का जिस प्रकार से विरोध हो रहा है वह इस भवन के लिये उचित ही था और उसकी ऐसी ही सेवा होना चाहिये थी।

जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है जैसा कि दीनदयालु जी ने कहा मेरा भी सम्बन्ध दर्जनों शिक्षा संस्थाओं से है। मैं किसी अपने स्वार्थ वश यह नहीं कह रहा हूं कि वहां पर शिक्षा स्टैंडर्ड को है परन्तु मैं यह देखता हूं कि वहां पर स्टैंडर्ड घटा नहीं है। वहां पर शिक्षक भी पढ़ने में लगे हुये हैं लेकिन किसी प्रकार कोई असर नहीं पड़ा। मैं रावत जी से और श्रीचन्द जी से सहमत नहीं हूं कि स्टैंडर्ड को लो कर दिया जाय।

श्री रामनरेश शुक्ल

मुझे यह मालूम भी नहीं है कि कहीं डा० सम्पूर्णानन्द ने स्टैंडर्ड को लो किया है। मैं तो उपाध्यक्ष महोदय, यह समझता हूं कि अगर प्रतिबन्ध लगाना है तो इस प्रकार की सारी प्रणालियों पर प्रतिबन्ध लगाना है कि थर्ड क्लास के लड़के आगे नहीं जा सकते, चाहे वह अध्यापक के लड़के हों, कलेक्टर के लड़के हों या पूंजीपतियों के लड़के हों। यह तो विचार की बात है जो इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं रखती। इससे सम्बन्धित तो केवल यह बात है कि अध्यापकों के लिये यह प्रतिबन्ध रखा जाय या नहीं। जिस प्रकार से लोगों ने और मैंने इसका विरोध किया उसको देखते हुए मुझे आशा है कि माननीय श्रीचन्द जी अपने संशोधन को वापस कर लेंगे।

श्री श्रीचन्द—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहीं सुना कि मैं जनता का हितकारी नहीं हूं बल्कि पूंजीपति हूं। मुझे अफसोस और दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मैं गरीब किसानों और मजदूरों का पूरा साथी हूं और यदि आप आगे देखें तो मेरा एक संशोधन है उससे साफ हो जायगा और हमारे मित्रों को मालूम हो जायगा कि मैं गरीब किसानों और मजदूरों के हित के लिये ही यह कह रहा हूं। इस विवेचक में से मेरे संशोधन के अनुसार (B) और (C) निकाल दिये जायंगे तो इससे हित ही होगा कोई अहित की बात नहीं है। मैं फिर आपके सामने दोहराता हूं कि मैं भी एक पक्का किसान हूं और किसी से पीछे रहने वाला नहीं हूं। मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि किसी पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य बन कर ही काम सम्पन्न हो जाय बल्कि मैं तो किसान मजदूरों का हित चाह कर चलने वाला हूं और अगर मेरा अगला संशोधन मान लिया जाय तो शंका दूर हो सकती है। मैंने पहले भी कहा था कि यदि गरीबों का हित करना है और पूर्णतयः अध्यापकों को शिक्षा में लगाना है तो उन्हें प्राइवेट परीक्षा देने का अवसर न देना चाहिये। आप भी अध्यापक चाहे रहे हों मैं भी अध्यापक पद पर रहा हूं और स्कूलों तथा कालेजों का मैनेजर और सहायक हूं और जब भी मैं अपनी कांस्टीटुएन्सी में जाता हूं तो वहां हर एक स्कूल में जाकर लड़कों को देखता और समझता हूं और प्रायः देखता हूं कि अध्यापक अपनी पुस्तकें कक्षा में पढ़ा करते हैं यह कोई हित की बात नहीं है बल्कि इससे शिक्षा का सत्यानाश होता है। मैं नहीं चाहता कि हम शर्मा शर्मी या मिनिस्टर साहबान को खुश करने के लिये यहां दूसरी बात कह दें। जब तक हम यहां सच्ची बात न रखेंगे तब तक देश का और शिक्षा का उद्धार नहीं हो सकता, आज यहां चाहे अध्यापकों की या निरीक्षकों की बात हो, परन्तु हर समय हमें यही बात यहां रखना है। यदि वह कक्षाओं में बैठकर बी० ए०, एम० ए० की तैयारी करेंगे तो किस तरह से वह बच्चों को पढ़ा सकेंगे? मैं फिर कहता हूं कि वे स्कूल के समय में अपनी पुस्तकें पढ़ते हैं तो इस प्रकार से किस तरह से मजदूरों किसानों का हित हो सकता है? मैं नहीं चाहता कि इस प्रकार से उनका अहित हो। मुझको तो यह बात स्वप्न में भी नहीं आ सकती। मैं चाहता हूं कि हमारे गरीब किसान और मजदूरों के बच्चे योग्य बनें और जो पूंजीपति हैं, धनवान हैं उनके बच्चों से आगे बढ़ें और प्रतियोगिता में वह मुकाबिला करके आयें। आप मानेंगे कि सब जनता देहात में कहती है कि फलां मिनिस्टर या फलां मेम्बर है या सेलेक्शन बोर्ड का मेम्बर है। भाई, वह तो अपने बच्चों को रखेगा, अपने ही बच्चों को नौकरी देगा। मैं कहता हूं कि यह चीज गलत है। जब कि हमारे बच्चे पढ़े नहीं हैं, और पढ़ेंगे नहीं बल्कि उनको पढ़ाने वाले कोई नहीं हैं, कोई उनका ध्यान नहीं रखता है, देखता भालता नहीं है तो फिर कोई वजह नहीं है कि हमारे बच्चे कम्पीटीशन में आकर ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच जायं। तो उसको चाहे मानें या न मानें, यहां तो कुछ देखा देखी बात चल रही है, मैं इसको

पसन्द नहीं करता। वास्तविक बात तो यह है कि यह संशोधन मानने योग्य है और इसको सदन को मानना चाहिए। मैं श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सभी सज्जनों से प्रार्थना करता हूं कि यदि आप गम्भीरता से इस पर विचार करें तो यह मानने के योग्य है। जो हित इसके अन्दर गरीबों का है, गरीबों के बच्चों का है, किसान और किसानों के बच्चों का है वह छिपा नहीं है। मेरे मित्रों ने यह कहा कि वह प्राइवेट स्टडी करते हैं और पढ़ाने के समय में दुर्भाग्य नहीं होता, आपने यह भी कहा कि रात को वह पढ़ते हैं और दिन में उनको स्कूल या कालेज में जाने का मौका मिलता है, मैं स्वयं देख चुका हूं, मैं भी एक विद्यार्थी रह चुका हूं, मेरे पास कितने जो [illegible] थे, जो पाठ उनको अगले दिन पढ़ाना होता था और वह दूसरे दिन पाठ पूरे तरीके से हमको पढ़ाते थे। मैंने शायद एल० ए० एम० ए० और एल० एल० बी० की [illegible] है कि उनका कोचिंग (ट्यूशन) गलत है। वह पढ़ाना नहीं जानते। वह [illegible] में गलत स्पीचिंग (हिज्जे) लिखते हैं क्योंकि वह स्टडी करके नहीं आते, इसलिए कि उनको पढ़ने का समय नहीं मिलता, वह [illegible] में लगे रहते हैं। यह बात कही जाती है कि एक छोटी बनाम को पढ़ाने के लिये ज्यादा [illegible] की आवश्यकता नहीं। यदि आप एक योग्य टीचर, अध्यापक देखना चाहते हैं तो स्कूलों में चाहे किसी [illegible] का कोई अध्यापक क्यों न हो, जब आप पूरे तरीके से [illegible] आये दर्जे में नहीं पढ़ा सकता। नये-नये अंग्रेजी के शब्द [illegible] से [illegible], [illegible] की रेफरेंस इधर-उधर सन्दर्भ रखना है, [illegible] पूरे तरीके से [illegible] को न पढ़ाया जाय लाभ नहीं, यही नहीं, [illegible] जब तक पूरे संदर्भ के साथ न समझाया जाय [illegible] कि [illegible] जब तक मैं उसे पढ़ाना नहीं समझता।

साधारण सिद्धान्त का जो विषय [illegible] है यदि इस तरह से पढ़ाया जाय तो मैं समझता हूं कि [illegible] और [illegible] के पश्चात् ही हमारे देश में [illegible] या सुधरे हुए दिखाई दें। यदि इस प्रकार से [illegible] में कोई लाभ नहीं होने वाला है और [illegible] उन्नति नहीं करेंगे। मेरे भाइयों से यह बात कही कि [illegible] में भेज दिया जाय। बहुत सी बातें [illegible] गहराई तक पहुंचा [illegible] और [illegible] को फांट-छांट से [illegible] क्योंकि [illegible] उन्नति करना चाहते हैं [illegible]। [illegible] में [illegible] वास्तविक बातें नहीं हैं [illegible] इसलिये शब्दों के [illegible] की आवश्यकता है। वास्तविक बातों को [illegible] के रद्दी की टोकरी में फेंक दीजिए। मैं यही समझता कि इस प्रकार [illegible] सुधार होगा। मुझे तो आश्चर्य होता है कि [illegible] बनाते रहते हैं। [illegible] ऐसे हैं जो हमारी राह में [illegible] एक तरफ कर दें और [illegible] जनता के लाभ की चीजें हों। [illegible] सदस्य यहां पर हैं और माननीय मंत्रीगण हैं [illegible] विचारों पर नहीं चलना है बल्कि पहले हमको तो जनता के विचारों पर चलना है। अब तक एवं यह सोचते रहेंगे कि हम अपने विचारों के अनुसार [illegible] तब तक हम कदापि सफल नहीं हो सकते और न जनता का हित हो सकता है। इस से [illegible] हमें जनता के विचारों को देखना है कि जनता किधर जा रही है। जनता के विचारों के अनुसार हमें अपने

[श्री श्रीचन्द]

विचार बनाने हैं। अब मैं इस पर अधिक न कह कर समाप्त करता हूं और मैं अपने मंत्री महोदय से आपके द्वारा अनुरोध करता हूं कि यदि इस समय इस संशोधन को नहीं माना जाता है तो फिर कोई अवसर संशोधन करने का न आये तो अच्छा हो जिससे जो बातें मैंने बतायीं वे की जा सकें और गरीब किसान-मजदूरों का हित, वह संशोधन द्वारा कर सकें।

श्री [illegible] : श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं छोटे से संशोधन पर जो वाद-विवाद हुआ उसमें मैं देखता हूं कि यदि माननीय सदस्यों ने इस बिल का अध्ययन किया होता तो शायद बहुत सी बातें जो इस समय कही गयीं उनकी आवश्यकता न होती। इसमें किसी ने तो यह कहा कि यह पूंजीवाद है, किसी ने कहा कि समाजवाद है। चूंकि इस बिल के बनाने में मेरा हाथ है, मैं आपसे स्पष्ट एक बात कहना चाहता हूं कि उस समय न मेरे सामने पूंजीवाद का और न समाजवाद था। एक सज्जन ने हमारे पूर्व अधिकारी की तारीफ करते हुए यह कहा कि उन्होंने यू० पी० में पढ़ाई का स्टैंडर्ड बड़ा तो कर दिया [illegible] उन्होंने बनाया है। वे समझ नहीं सकता कि कहां तक यह सही है। अगर पढ़ाई का स्टैंडर्ड किसी भी कारण से ले लो किया जाता है, तो [illegible] कि उससे [illegible] को किसी भाग में लाभ होने वाला नहीं है, चाहे [illegible] हो, चाहे वह [illegible] हो। जब आप यह चाहते हैं कि आपके विश्वविद्यालयों से जो [illegible] निकलेंगे, वे [illegible] बनें, आपके बालकों की शिक्षा उनके हाथ में हो, वे आपके [illegible] और नौकरियों में लग करके काम करें, तो यही आवश्यक है कि आप उनकी [illegible] का [illegible] रखें कि वे अच्छी तरह से उस कार्य को [illegible] करें। [illegible] जो कार्य करना चाहिये, उस कार्य को [illegible] है, जो [illegible] हो कार्य नहीं है, यह तो राष्ट्र का कार्य है [illegible] राष्ट्र का [illegible] हो सकता है। तो इस छोटे से संशोधन में [illegible] आपको निश्चय [illegible] है कि यह कोई चीज नहीं थी। इसमें [illegible] कि [illegible] निर [illegible] है, उसको रोकने का भरसक [illegible] चाहिये। लेकिन यह कह देना कि इस संशोधन [illegible] हो जायगा, यह युक्ति मेरी समझ में नहीं [illegible] मुझे कोई दिक्कत नहीं थी।

एक तो [illegible] कि [illegible] से ही आगरा विश्वविद्यालय [illegible] कि जो [illegible] हों, जो शिक्षा से सम्बन्धित हों [illegible] शिक्षा से हों उनको इस बात की सुविधा होनी चाहिये कि वे [illegible] डिग्रियां प्राप्त कर सकते हों। उन्हीं [illegible] है। [illegible] हो, जिनका कि पाठशालाओं से सम्बन्ध है, जो [illegible] हों, उन्हीं को [illegible] की जा रही है। एक तो यह [illegible] था। [illegible] जहां इस समय सारे देश में शिक्षा की [illegible] है [illegible] प्रयत्न करना चाहता है, वहां इस [illegible] नहीं होगा। लेकिन इसमें भी कोई संदेह नहीं कि मैं स्वयं अपने [illegible] यह सोचता हूं कि एक विद्यार्थी जो कालेज में शिक्षा पा करके डिग्री प्राप्त करता है, वह [illegible] में [illegible] है और कि प्राइवेटली बैठता है। इसीलिये इस बिल में इस बात का [illegible] कि डिग्रियां दो प्रकार की होंगी। एक एक्सटर्नल डिग्री होगी और एक इंटरनल डिग्री होगी। इंटरनल उन लोगों को मिलेगी जो कि [illegible] विद्यार्थी [illegible] प्राप्त करते हैं और उनके अतिरिक्त जो दूसरे होंगे उनको एक्सटर्नल डिग्री मिलेगी।

तो अब आप जहां भी किसी व्यक्ति को नियुक्त करना चाहते हों वहां पर आप के ऊपर यह है कि आप एक्सटर्नल डिग्री वाले को लें या इन्टर्नल डिग्री वाले को लें। अगर एक्सटर्नल डिग्री वाला यह समझता जायगा कि वह न्यूनतम योग्यता है, उसका स्तर बहुत ऊंचा नहीं है तो आप उसको नहीं लेंगे। लेकिन यह गुंजाइश भी अगर सब इकाई का मान ली है यह एकाएक बन्द कर दी जाय, यह ठीक नहीं समझता मैं इसी कारण से मैं इस संशोधन के विरुद्ध हूं। जिस प्रकार से नियम में परिवर्तन किया गया है वह ठीक मालूम नहीं होना चाहिये। इसलिये मैं श्री श्रीचन्द जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपने इस संशोधन को वापस ले लें।

श्री श्रीचन्द—मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(उपरोक्त संशोधन वापस लिया गया।)

श्री श्रीचन्द—श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खण्ड ३ के उपखण्ड (ए) में से "are women who" निकाल दिया जाय।

श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, यदि यह शब्द इसमें से निकाल दिये जायें तो यह शेष रह जाता है :

"To confer degrees and other academic distinctions on persons who:

(e) have carried on study *privately* under conditions laid down in the statutes."

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि एक किसान की लड़की है जो गुरुकुल की डोकरी ढो रहा हो, यदि वह कुछ पढ़ा हो और उसे डिग्री देना चाहते हों तो उसको भी कोई अधिकार हो कि वह भी अधिकार उसको इस परीक्षा में बैठ सके। यदि यह रिआयत किन्हीं अगर को दी जाय तो दूसरे जो वहां पर निवास करते हैं, उन्हें भी दी जाय, जिनको कोई अध्यापक या वहां रखता है। मेरा तात्पर्य यह है कि हरेक को यह सुविधा होनी चाहिये कि वह अपनी ऊंची पढ़ाई कर सके।

श्री ब्रजबिहारी मिश्र (जिला अयोध्या)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्रीचन्द जी के इस संशोधन का समर्थन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। श्री रामनरेश जी ने अभी उनके पहले संशोधन का विरोध यह कह कर किया था कि यह पूंजीवादी सा है जिससे उसका मतलब यह था कि यह अध्यापकों को उनके अधिकारों से वंचित करता था। लेकिन यह संशोधन तो बहुत ही निर्दोष है और ज्यादा उदारतापूर्ण है। मैं समझता हूं कि चाहे कोई किसी भी वर्ग का हो किसान हो या मजदूर हो, उसे इस बात का अवसर देना चाहिये कि वह परीक्षा पास करके अपनी योग्यता बढ़ा सके।

अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि एक्सटर्नल और इन्टर्नल दो किस्म की डिग्रियां होंगी। तो हम सर्विस में उनको रख सकते हैं जो इंटर्नल डिग्रीवाले हों। परन्तु यदि कोई व्यक्ति किसी वर्ग विशेष का हो और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिये विद्याध्ययन करना चाहता हो तो उसे अवसर होना चाहिये। उसकी डिग्री एक्सटर्नल होगी। वह परीक्षा में बैठ कर परिश्रम कर के पास करेगा। मैं इस संशोधन में अधिक समय नहीं लेना चाहता और इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री नौरंगी लाल (जिला बरेली)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं। उसका कारण यह है कि पहले जो संशोधन पेश किया था श्रीचन्द्र जी ने, उसमें तो उनका दृष्टिकोण बहुत ही सीमित था और उससे और इस संशोधन से कोई मेल नहीं है। वह दूसरे श्रीचन्द जी थे और इस संशोधन में दूसरे हैं। उस वक्त हम उनकी सहायता नहीं कर सके लेकिन इस संशोधन के बारे में मैं भी सोच रहा था और

[श्री नौरंगी लाल]

दूसरे बहुत से मित्र यह कहते रहे हैं कि इस [illegible] को पास हो जाना चाहिये। इसका मूल कारण तो यह है कि यह [illegible] है इस वजह से कि किसी डेमोक्रेटिक स्टेट के लिये यह [illegible] है कि उसमें [illegible] हो चाहे कोई किसी वर्ग का क्यों न हो। वह डेमोक्रेसी [illegible] से [illegible] है और हमें [illegible] है कि हम अपने मुल्क के लिये एक [illegible] डेमोक्रेसी बनाना चाहते हैं, एक [illegible] अपने देश के लिये बनाना चाहते हैं [illegible] ताकि [illegible] हो सके इन डिफिकल्टीज को [illegible] इन डिस्क्वालिफिकेशन्स को [illegible] जिनसे हम अपने देश के लिये, अपने प्रान्त के लिये एक डेमोक्रेटिक [illegible] बना सकें।

इसलिये सबसे पहली बात तो यह है कि [illegible] हम इसको अपने [illegible] के लिये नहीं [illegible] हैं [illegible] हमारा सबसे पहला फर्ज [illegible] हमारे [illegible] हैं [illegible] कर रहे हैं। एक [illegible] ने इस [illegible] में [illegible] यह है कि हमारा देश [illegible] है और हमारे इस देश में [illegible] हासिल करने के लिये [illegible] है [illegible] कि [illegible] हमारे [illegible] कास्टली है और हर [illegible] बड़ी आसानी से यूनिवर्सिटी में [illegible] है और [illegible] बी० ए०, एम० ए० तथा डाक्टरेट [illegible] हैं। [illegible] को साथ कहना पड़ता है कि हमारे [illegible] लड़के [illegible] के लिये [illegible] नहीं है, वह चाहे [illegible] यूनिवर्सिटी [illegible] हासिल नहीं कर सकते हैं। [illegible] अच्छे [illegible] अच्छे और [illegible] जिनके पास धन नहीं है लेकिन [illegible] यदि उनको अवसर मिले तो वह [illegible] के विरुद्ध जाता है और [illegible] है। [illegible] वह असमानता [illegible] की सरकार से [illegible] समर्थन करना चाहिये। [illegible] समर्थन करता हूँ।

[illegible]

"Temples of learning should not be closed for those who are worshipers and devotees."

कहा जाता है कि [illegible] के [illegible] हैं [illegible] के लिये बन्द नहीं होने चाहिये जो कि उसके पुजारी हैं। [illegible] के लिये [illegible] करने के लिये कहते हैं और [illegible] के दरवाजे को जो सब से कम [illegible] हैं। हमें कोई [illegible] नहीं है। हर एक को [illegible] हासिल कर सकें।

इसलिये [illegible] माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि [illegible] इसके [illegible] लेने में [illegible] कोई हर्ज भी नहीं है। [illegible] दो हिस्सों में [illegible] दें। एक तो इंटर्नल और दूसरा एक्सटर्नल। इन्टर्नल में [illegible] हासिल करें और एक्सटर्नल में बाहर रह कर [illegible] हमारे गरीब लड़के और टीचर्स वगैरा आ जाते हैं। [illegible] कि [illegible] उनको ही मिलेंगी जो इन्टर्नल रह कर डिग्री हासिल करेंगे इससे [illegible] को कोई नुकसान नहीं होगा और गरीब पब्लिक का फायदा होगा। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि इस संशोधन को मंजूर कर लिया जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, श्री श्रीचन्द जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूँ। मैंने अभी एक संशोधन खण्ड (३) में नम्बर २ पर दिया था कि यूनिवर्स के कहने पर सुविधा दे दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय यह बात खटकने की चीज है। हमारे साथियों ने ऐसी बातें कहीं। इस विधेयक में 'वर्किंग मेन्स कालेज' का जिक्र किया गया है।

विधेयक के खण्ड २० के अनुसार तथा प्रस्तावित सेक्शन २४ (२) इस प्रकार है—

"The University may under conditions prescribed by the Statutes, recognise an affiliated college, as a "Working men's College," for the purpose of providing courses for degrees to persons, ...who may be unable to enrol as whole-time students by reason of being engaged full time in business, trade or industry, or employed in other forms of service. The course for such students shall extend over a period which shall not be less than one and a half times the prescribed duration thereof. Such courses shall be organized separately."

उपाध्यक्ष महोदय, सरसरी तौर से इस सेक्शन की इस इबारत की आड़ ली जा सकती है कि ऐसा नहीं है, हमने सिर्फ (a) में नहीं (d) में ही लोगों को सुविधा नहीं दी है कि वे ग्रेजुएट एक्ट पर डिग्री हासिल कर सकें बल्कि सभी लोगों को दी है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय पहले "full time" शब्द इस विधेयक में नहीं थे, अब रख दिये गये हैं कि जो फुल टाइम लगे हों उन्हीं को यह सुविधा दी जायगी। मैं समझता हूँ कि पहले जो विधेयक उपस्थित हुआ था उसमें दूसरी जगहों से कमिटि कुछ पीछे चली गयी है और काफ़ी रेस्ट्रिक्शन पैदा कर दिया है। मैं इसी आड़ में माननीय श्रीचन्द जी के संशोधन का विरोध नहीं किया जा सकता। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो ठीक है कि औरतें पिछड़े वर्ग की कही जा सकती हैं, उनको सुविधा देनी चाहिये, लेकिन कोई वजह नहीं है कि ऐसे लोग जो पढ़ने की योग्यता रखते हैं और इम्तहान पास करके उनको इस बात का मौक़ा न दिया जाय। ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि माननीय शिक्षा मंत्री जी इस उचित संशोधन को अवश्य स्वीकार कर लेंगे।

महाराजकुमार [illegible] (जिला देहरादून-गढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्रीचन्द जी का जो संशोधन इस सदन के सामने रखा गया अभी तक हर एक सदस्य ने उसका समर्थन किया किन्तु मैं [illegible] में समर्थन कर सकूँ। यह विषय प्रवर समिति के समने भी काफ़ी देर तक रहा और काफ़ी वाद प्रतिवाद के बाद जो बिल इस सम्मान्य सदन के सामने है उसमें यह लिखा गया था। श्रीचन्द जी के संशोधन का तात्पर्य यह होगा कि जो इस सम्बन्ध में स्त्रियों के लिये सुविधा दी गयी है वह सुविधा मर्द के लिये दी जाय। इसके समर्थन में एक सदस्य ने यह कहा कि स्त्रियों की अभी माननीय रामनारायण जी ने भी समर्थन किया कि हालांकि यह कहा जाता है कि स्त्रियाँ कुछ हद तक पिछड़ी हुई हैं फिर भी इक्वालिटी के सिद्धान्त के अनुसार किसी प्रकार से किसी को प्रिफरेंशल पोजीशन में रखना उचित नहीं। इस सिलसिले में हमारे विधान का भी जिक्र किया गया और यह बताया गया कि विधान की धाराओं के अनुसार भी यह एक गलत बात है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं देख पाया हूँ सभी शब्दों में एजुकेशन की कमी नहीं है। हर एक व्यक्ति ने माननीय श्रीचन्द जी के संशोधन का समर्थन करते हुए यह कहा कि यदि इसका संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो शिक्षा के लिये बहुत लाभ होगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि यहां शिक्षा के महत्व की पूरे रूप में जांच नहीं की जा रही है जैसा कि इस धारा से स्पष्ट है "To confer degrees and other academic distinctions on persons" इत्यादि, इत्यादि आजकल डिग्री प्राप्त करना ही कोई एजूकेशन का सबूत नहीं है। यदि कोई व्यक्ति डिग्री या

[महाराजकुमार बालेश्वर सिंह

डिस्टिंगशन प्राप्त कर लेता है तो आर्थिक दुनिया में यह कहा जाता है कि वह एजूकेटेड पुरुष है किन्तु इसका मतलब यह नहीं हुआ कि जिस व्यक्ति के पास डिग्री या डिस्टिंगशन नहीं है वह अनएजूकेटेड नहीं है। यह कहना कि एजूकेशन को इससे नुकसान पहुंचेगा, या एजूकेशन का द्वार दूसरों के लिये बन्द किया जा रहा है, यह गलत होगा। एजूकेशन के एक भाग का ही जिक्र इस सदन में किया गया केवल जिन इंस्टीट्यूशन्स में शिक्षा दी जाती है उनमें जो डिसिप्लिन सिखाया जाता है उसका कोई जिक्र नहीं किया गया। यह मैं काफी हद तक मानने को तैयार हूं कि देश की आर्थिक दशा ऐसी है कि लोगों के पास पढ़ने के लिये पैसा नहीं है और दिन प्रति दिन किन्हीं कारणों से शिक्षा सम्बन्धी खर्च बढ़ता ही जा रहा है ऐसी सूरत में यह अवश्य मानना पड़ता है कि बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो योग्य होते हैं लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के कारण वे पढ़ नहीं सकते किन्तु इस सम्बन्ध में हमको बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है। ऐजूकेशनल डिग्रीज प्राप्त करने की दौड़ आज कल के जमाने में यह कोई गारन्टी नहीं कि उसको सफल जीवन ही जायगा। यह कम्पेटीशन की जो हाहाकार मची हुई है डिग्री प्राप्त करने के बाद उसमें कोई सुधार नहीं आयगा। जो विधेयक हमारे सामने है वह ऐजूकेशन में एक्वैलिटी विधेयक है, न कि डिग्री बांटने का विधेयक है। इसमें जहां जहां अन्दर सम्मिलित न होते हुए भी बहुत से ऐक्सेप्शन्स किये गये हैं, जैसा कि स्त्रियों के बारे में रखा गया है। इसके बारे में यह कहा जाता कि इक्वेलिटी को तोड़ा गया है, मेरी समझ में वह गलत है।

(इस समय 6 बजे की घण्टी पुनः टंकारोल हुए।)

अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि प्रमोशनल आरक्षण का जिक्र किया। यह मानता हूं कि आज कल की शिक्षा मंहगी है और शिक्षा को सरल बनाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि यह शिक्षा जिसको कि मैं पूर्ण सन्तोष प्राप्त करता हूं या यह कि उसको उचित और लाभदायक शिक्षा मिले। देश की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या शिक्षा की आवश्यकता है, यह विषय इस समय सदन के सामने विचाराधीन नहीं है, लेकिन इसमें मैं जरूर कहूंगा कि केवल डिग्री प्राप्त कर लेना ही शिक्षा के अच्छे और पूरे होने का प्रमाण नहीं है।

श्री हरगोविन्द सिंह—श्रीमन्, इस संशोधन के विषय में जो कहा गया, मुझे दुख है कि मैं उससे पूर्णतया असहमत हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—अभी आप बैठ जायं, आपका कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—श्रीमन्, मेरा प्वायंट आफ आर्डर ही है।

श्री अध्यक्ष—लेकिन आपने पहले कहा नहीं इसलिये आप बैठ जायं।

श्री हरगोविन्द सिंह—आखिर इस संशोधन का उद्देश्य क्या है। यदि इस संशोधन का उद्देश्य केवल यहां तक सीमित है.....

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्वायंट आफ आर्डर है। वह यह कि माननीय शिक्षा मंत्री जी से पहले बहुत से मेम्बर खड़े हुए जो पहले नहीं बोले थे। तो उनको बोलने का मौका न दे कर माननीय शिक्षा मंत्री जी को बोलने का परमिशन दिया गया जिसे मैं ठीक नहीं समझता हूं।

श्री अध्यक्ष—माननीय शिक्षा मंत्री जी इस संशोधन के ऊपर पहले नहीं बोले हैं। वे पहली दफा इस संशोधन पर बोल रहे हैं। आखिर में फिर बोल सकते हैं।

श्री हरगोविन्द सिंह—तो मैं कह रहा था कि आखिर हमारा उद्देश्य इस संशोधन को लाने से क्या है। संशोधन का यदि यह उद्देश्य हो कि कुछ लोगों को शिक्षित बनावें तब तो इस संशोधन से इस आशय की पूर्ति नहीं होती। आज हिन्दुस्तान में आगरा यूनिवर्सिटी जैसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो केवल परीक्षा लेकर डिग्री देती हो। आज जो प्रवाह शिक्षा का चल रहा है उसमें तो यह सभी को मान्य है कि विश्वविद्यालय ऐसे होने चाहियें जहां कि शिक्षा दी जाती हो और वहां प्राइवेट लोगों को परीक्षा में बैठ कर डिग्री प्राप्त करने की सुविधा न दी जाय। तो हिन्दुस्तान में केवल यही एक ऐसा विश्व विद्यालय है और राधाकृष्ण कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि यह एक अजीब चीज है और अब समय के अनुसार ऐसा न होना चाहिये कि केवल परीक्षा लेने वाला भी कोई विश्वविद्यालय बने। तो इस दृष्टि से देखने पर ही मैं भी यह समझता हूं कि किसी विशेष पर माननीय सदस्य आवें कि प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिये कोई सुविधा न होनी चाहिये।

जहां तक शिक्षा का संबंध है इससे कौन इन्कार कर सकता है कि विश्वविद्यालय में एक वातावरण होता है और उस वातावरण से प्रत्येक विद्यार्थी प्रभावित होता है? अलावा इसके आजकल जो परीक्षा पास करते हैं उनका रहन सहन और व्यवहार भी उच्च स्तर का होता है। जहां तक इसका सम्बन्ध है कि लोगों को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा होनी चाहिये, इसीलिये तो इस बिल में इस बात का प्रयत्न किया गया कि कालेज कालेज बनाये जायं जहां जाकर लोग काम कर सकते हैं। जिनके पास समय है और जो विश्वविद्यालयों में नहीं जा सकते हैं वह ऐसे कालेजेज में जा कर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो जहां तक प्राइवेट विद्यार्थियों का सम्बन्ध है डिग्री प्राप्त करने की कोई शिक्षा नहीं है। यह कहना कि हम शिक्षा मन्दिरों को रोक रहे हैं या किसी के खिलाफ दरवाजा बन्द कर रहे हैं जिसमें वे न आवें तो ऐसी बात तो नहीं है। पहले भी आगरा यूनिवर्सिटी में ऐसी सुविधा कभी नहीं थी कि प्राइवेट लोग बैठ सकें। और जब शिक्षा का प्रवाह यह चल रहा है कि ऐसे ही विश्वविद्यालयों का संगठन हो जहां शिक्षा दी जाती हो और जिनमें विद्यार्थी रह कर उसमें, अपने प्रोफेसरों से, टीचरों से, अध्यापकों से सीधा सम्पर्क स्थापित हो और वह उनसे कुछ सीख सकें। तो ऐसी अवस्था में मेरी समझ में यह ठीक नहीं होगा कि यदि आप चाहते हैं कि हरएक आदमी विश्वविद्यालय में न जाय और परीक्षा केवल दे करके एक डिग्री प्राप्त कर ले। इसके लिये जितना सम्भव हो सकता था उसका प्रबन्ध तो हम विधेयक में कर ही दिया गया है। इससे अधिक करना मेरी समझ में शिक्षा के स्तर को बहुत नीचे गिरा देना होगा और जब इस पर नीचे गिर जायगा कि एक समय आ सकता है जब आप स्वयं यह कहें कि ये डिग्री लेने वाले पूर्णतया अशिक्षित हैं। इस कारण मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री कमलापतिसिंह (जिला गाजीपुर)—अध्यक्ष महोदय, माननीय श्रीचन्द जी ने जो प्रस्ताव इस सदन के सामने रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अगर आप ४८-४९ की रिपोर्ट आफ दि यूनिवर्सिटी एजूकेशन कमीशन को देखें तो उसमें आपको मालूम होगा कि लड़कों के प्राइवेट रेगुलेशन हुये के लिये नोटिस दिया गया था और उसका खास कारण यह था कि हमारे देश में औरतों के लिये जो कालेजेज थे वे बहुत न्यून संख्या में थे। उनकी संख्या इतनी पर्याप्त नहीं थी कि औरतें वहां जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकें। इतना ही नहीं बल्कि उनके साथ जो परिस्थितियां होने के कारण या और किसी कारण कठिनाइयां थीं उसके कारण उनको प्राइवेट रेगुलेशन होने के लिये परमिशन दी गयी थी। लेकिन अगर हम यूनिवर्सिटी एजूकेशन कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ें तो उसके पृष्ठ १०५ पर एक मार्क दिया हुआ है जिसे मैं आपकी खातिर से पढ़ता हूं:

"Closely allied to the problem of compulsion is that of private candidates. Certain categories of students are allowed to appear at public

[श्री कमला सिंह]

examinations without attending lectures at recognised institutions. These categories gradually include teachers, others connected with education and some times women. It is painful on the ground that people connected with educational work [illegible] to go through the curriculum on their own will in many parts of the country. Social conditions prevent women from attending Government colleges, there being no womens' college within easily reachable limit. We have received representations urging the extension of [illegible] many young-men engaged in various professions who [illegible] their minds and their material prospects by studying [illegible] examinations offered by Universities. It is urged [illegible] the number of private candidates will bring down the standard of university degrees."

यह एक कारण हो सकता है जिसके लिये [illegible] सदस्य जी कह सकते हैं कि जो रेगुलर स्टूडेंट हैं वह कम होते हैं और [illegible] जो प्रिवेट होते हैं ज्यादा होते हैं इसलिये स्टैण्डर्ड को [illegible] वह आ सकता है क्योंकि इसमें यह लिखा है—

"The percentage of failures among the candidates is much higher than among regular students. [illegible] also be more numerous and equal to the [illegible] they are likely to be, if the privileges are [illegible] must lower their standard, according to [illegible] majority of the candidates."

यही एक वजह है कि जिसके लिये विरोध किया जा सकता है कि स्टैण्डर्ड लोअर हो जायगा। लेकिन हमें इस वक्त यह देखना है कि [illegible] जो फीस थी कम थी। [illegible] कोई [illegible] से नहीं पढ़ सकता था इसलिये [illegible] फीस [illegible] कर दी [illegible]।

लेकिन आज की परिस्थिति को [illegible] जबकि परेशानी लोगों को [illegible] वहां पर ऐसी स्थिति है [illegible] और अगर वह अपने स्तर को [illegible] हैं तो उनके लिये [illegible] स्थान देना चाहते हैं। जिससे वह [illegible]। इसके [illegible] यह लिखा हुआ है कि—

"and have proposed the [illegible] under conditions laid down in the Statutes, Ordinances and Regulations."

उन स्टैण्डर्ड को [illegible] कोई दिक्कत [illegible] ठीक है यह आप समझ सकते हैं। प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिये [illegible] होगा। अगर बीमेन के लिये या हरिजनों के लिये [illegible] होना चाहिये लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि [illegible] ऐसा वातावरण पैदा नहीं कर सकते कि [illegible]। ऐसे लोगों के लिये खास तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। [illegible] पैसा दे रहे हैं, प्राइवेट स्कालरशिप दे रहे हैं, [illegible] यह जरूरी है कि ऐसे गरीबों के लिये आप ऐसा वातावरण पैदा करें [illegible]। अगर कोई आदमी नाइट स्कूल अटैन्ड करके आगे बढ़ना चाहता है और [illegible] करना चाहता है तो उसके लिये रास्ता खुला रहना जरूरी है। आप कोई भी कानून [illegible] इस

बात का ख्याल जरूर रखें कि एक ऐसी क्लास जो कि उस वातावरण में रहने के लिये मजबूर है तो उन लोगों के लिये किसी प्रकार की रोक नहीं लगाना चाहिये। ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूं कि इतना कहने के बाद हमारे माननीय मंत्री जी इस बात पर अच्छी तरह से विचार करेंगे। अगर कोई आदमी प्राइवेट स्टडी करके ऊंची शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिये रास्ता खुला रहना चाहिये और किसी क़ानून का ध्येय भी यही होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं श्री श्रीचन्द्र के संशोधन का समर्थन करता हूं ।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अमेंडमेंट माननीय श्रीचन्द जी ने पेश किया है मैं समझता हूं कि वह इस सारे बहुत बड़े विधेयक में बहुत बड़ा स्थान रखता है। आजकल जो परिस्थिति अपने देश की है उसके अन्दर किसी आदमी के लिये अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी में पढ़ाना कोई आसान बात नहीं है। हम सभी जानते हैं कि यदि किसी बच्चे को यूनिवर्सिटी में भेजा जाता है तो १५०, २०० रुपये माहवार खर्च कम से कम पड़ता है। ऐसी दशा में कितने लोग हमारे देश के ऐसे हैं जो अपने बालकों को यूनिवर्सिटी की उच्च शिक्षा दे सकेंगे ? मैं तो यह समझता हूं कि उनकी तादाद बहुत थोड़ी है। हां, अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि कभी-कभी गरीब आदमी या तो मास्टर बन जाते हैं या लाइब्रेरियन बन जाते हैं। मगर देखना यह है कि उनकी तादाद कितनी है। उनकी संख्या बहुत सीमित है। इसके अन्दर एक सुविधा बतलायी गयी है और वह यह है कि वर्कमेन कालेज भी होंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपने प्रदेश में वर्कमेन कालेज इतने ज्यादा कर देंगे कि छोटे से छोटे गांव और कस्बों के आदमी भी वहां शिक्षा प्राप्त कर सकें । यदि आप ऐसे कालेज कायम करेंगे तो वह भी आप शहरों ही में करेंगे जहां वह सुविधा प्राप्त हो सकेगी, लेकिन अधिक तादाद जनता की छोटी जगहों में रहती है वह शिक्षा प्राप्त न कर सकेगी । अब रही यह बात कि जो लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनका स्टैन्डर्ड ऊंचा होता है और जो प्राइवेट परीक्षा देते हैं उनका स्टैन्डर्ड नीचा रहता है। मैं यह कह सकता हूं कि मौजूदा हालत में यह बात सही नहीं है। मैं यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों की दशा और अनुशासन आदि पर इस समय वादविवाद न करूंगा क्योंकि उस विषय पर अभी १८ तारीख को बातचीत चलने वाली है और उसी समय उनके कारनामे भवन के सामने आयेंगे लेकिन मैं यह बात नहीं मानता कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से प्राइवेट पढ़ने वाले विद्यार्थियों का स्टैन्डर्ड नीचा होता है। मैं यह भी जानता हूं कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में से भारी संख्या ऐसे विद्यार्थियों की होती है जो शहरों में अपने मकानों पर रहते हैं और जो केवल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और उन प्रेमिसेज़ में नहीं रहते हैं। तो वह बात भी नहीं है कि वह अपने गुरु के पास रहते हों और उनके जीवन से लाभ उठाते हों, जैसा कि पहले हमारा तरीका था वह भी बात वहां नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो मैं प्रसन्न होता और देश के लिये आवश्यकता है कि हम इस प्रकार के विद्यालय अपने यहां कायम करें जो हमारे पुराने गुरुकुलों के आधार पर चलें और जहां पर विद्यार्थी लोग अपने गुरुओं के डायरेक्ट सम्पर्क में रह सकें। बदकिस्मती से उस शिक्षा प्रणाली को भी इस बिल में नहीं अपनाया गया है। हमारे यहां तो मौजूदा तरीका यही है कि ६ घंटे, ५ घंटे या ४ घंटे जाकर विद्यार्थी लेक्चर सुन लेते हैं और फिर उनका गुरुओं से कोई सम्पर्क नहीं रहता और जो लाभ हमारे विद्यार्थियों को हो सकता था वह भी उनको नहीं हो पाता । यही कारण है कि हमारे विद्यार्थियों का करेक्टर वैसा नहीं बन पाता जैसा कि गुरुकुल जैसी संस्थाओं से विद्यार्थियों को होना चाहिये। जब तक हमारी शिक्षा का यह तरीका है चाहे वह प्राइवेट पढ़ने वाला विद्यार्थी हो या यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला विद्यार्थी हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि सबका ध्येय एक ही है और उनमें कोई अन्तर नहीं है सबका ध्येय है डिग्री प्राप्त करना और नौकरी हासिल करना। बहुत भारी संख्या ऐसे विद्यार्थियों की है जो प्राइवेट पढ़कर ही आगे बढ़े हैं और तरक्की की है। हमारे देश में ही श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर की मिसाल है, न वह कभी यूनिवर्सिटी में गये और

[श्री बलवन्त सिंह]

म कोई परीक्षा दी लेकिन आज उनके ऊपर हमारा देश फ़ख्र कर सकता है। तो इन्टरनल तरीके का और बाहर रहकर शिक्षा प्राप्त करने के तरीके में कोई अन्तर नहीं है। आज की आर्थिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर हमें इस बात के लिये प्रयत्न करना चाहिये। कि जितनी ज्यादा से ज्यादा शिक्षा हमारे देश के लोग ऊंची से ऊंची प्राप्त कर सकें जैसी कि इस समय है उसके लिये हमें पूरी-पूरी सुविधायें देनी चाहियें अपने देश के लोगों को और इस बात का पूरा पूरा प्रबन्ध करना चाहिये हमारे प्रांत को जैसे कि उसने वर्कमेंस कालेज रखकर किया है। इस तरह से उसको अपना दरवाजा खोल देना चाहिये। इन शब्दों के साथ में श्री श्रीचन्द जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री केशभान राय-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने पूछा कि इसका क्या उद्देश्य है। इसका उद्देश्य शिक्षा प्रसार के अलावा कुछ उच्चतर ही है। मैं यह विश्वास करता हूं कि यदि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाय तो हमारे जीवन में एक बड़ी भारी क्रांति आ सकती है। हम यह जानते हैं, हमारी जो मौजूदा शिक्षा प्रणाली है उसमें अन्य दोषों के अलावा एक दोष यह भी है कि हमारे गांव से, हमारे गांव की आबादी से प्रतिभाशाली लोग धीरे-धीरे शहरों की ओर नगरों की ओर खिसके आ रहे हैं। मेरा यह ख्याल है कि यदि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाय तो हम इस दिशा में कुछ उल्टा काम बढ़ा सकेंगे। हम यह जानते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं, जो शहरों में आकर नगरों शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते। वे ऐसे लोग हैं जो इंटरमीडियेट तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद आगे पढ़ना चाहते हैं परन्तु न तो वह वहीं रहकर पढ़ पाते हैं और न किसी विश्वविद्यालय का व्यय वहन कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में उनके लिये केवल एक मार्ग रह जाता है कि वे या तो नौकरी करें या घर आ कर बैठें। मगर घर बैठना उनके लिये ठीक नहीं हो पाता है। कारण यह है कि उनकी जैसी शिक्षा हुई है, और जैसी उनकी योग्यता की संभावना है कि ऊंची शिक्षा प्राप्त करके हम आगे किसी प्रकार ऊंचा [illegible] प्राप्त करेंगे, वह उद्देश्य सफल न होने से, तो ऐसी हालत में उनका घर बैठना किसी भी प्रकार उनके लिये ठीक नहीं होता। अधिकांश हमारे विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का भी यही उद्देश्य होता है किन्तु वह पूरा नहीं हो पाता है और जैसे जैसे शिक्षा की वृद्धि होती जा रही है त्यों त्यों इस शिक्षित बेकारों की संख्या बढ़ती हुई पा रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालयों में जो २००० स्नातक निकलते हैं तो ४५ से अधिक शिक्षा काल में नहीं रह पाते हैं और इस तरह से बेकारों की संख्या बढ़ती जाती है। एक ओर बेकारी बढ़ती है और दूसरी ओर विश्वविद्यालयों में आकर के विद्यार्थी डिग्रियां प्राप्त करने की अपनी अवस्था को यह समझ कर जीवन व्यतीत करते हैं। किन्तु उनकी दौड़ भी नहीं रुकती क्योंकि पहले समय कोई भी विद्यार्थी यह नहीं समझता कि वह आगे चलकर नौकरी नहीं पायेगा, बल्कि उसे एक यह [illegible] है कि उन [illegible] में से १ में भी हो सकता हूं और सभी इस प्रकार से कोशिश करते हैं। किन्तु यदि यह सुनिश्चित हो सके कि वे घर पर रहकर इंटरमीडियेट की परीक्षा पास करने के बाद अपने घर के पेशे को करते हुए भी, एक वर्ष को छोड़िये दो वर्ष, तीन वर्ष या चार वर्ष में भी किसी समय में उस शिक्षा स्तर को प्राप्त कर सकें जो विश्वविद्यालयों में जाकर लोग प्राप्त करते हैं और उसके आधार पर वे भी ऊंची नौकरी प्राप्त कर सकें तो उनको अपने देहात में रहने का भी मौका मिलेगा और उस होड़ में या उस जुए के खेल में जिसमें कि विश्वविद्यालय के छात्र आगे बढ़ रहे हैं उसमें भी उनको बढ़ने की आशा बंध सकती है। लाभ यह होगा कि विश्वविद्यालय में जाकर जब कि वह जुए में हार जाते हैं तो बिल्कुल बेकार हो जाते हैं किन्तु इस तरह यदि वे घर भी रह जाते हैं, पढ़ लेते हैं, यूनिवर्सिटी की ऊंची शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं और विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों के साथ उस प्रतियोगिता में बैठते हैं, यदि उसमें सफल नहीं भी होते हैं तब भी वह अपने

को देहात में रखते हुए उसके अनुकूल तो बना ही सकते हैं। इसके अलावा मेरा यह भी ख्याल है कि दूसरे दृष्टिकोण से भी हम देहातों की ओर बढ़ना शुरू करेंगे। आज हम शिक्षितों से यह कहा जाता है कि हमें पढ़ कर शहरों में ही नहीं जाना चाहिये। देहात में भी रहना चाहिये। लेकिन देहात में हम रहें कैसे ? जो देहातों में आजकल स्कूल बढ़ गये हैं, उससे उनकी इंटरमीडियेट तक शिक्षा हो पाती है। देहात में रह करके और अपना थोड़ा बहुत काम करके वे इंटरमीडियेट तक प्राइवेटली तैयारी कर लेते हैं। उससे आगे यदि वे पढ़ना चाहते हैं तो देहात में वे नहीं रह सकते हैं। मेरा यह ख्याल है कि यदि इस प्रकार की सुविधा मिल जाय तो हम एक एक देहात में एक एक यूनिवर्सिटी कायम कर सकते हैं। वहां एम० ए० की शिक्षा प्राप्त करके लोग थोड़े से वेतन पर देहात में रह सकते हैं बशर्ते कि वहां ऐसे लोग हों जिनके साथ वे सम्बन्ध स्थापित कर सकें। हम देहात से इसलिए ही नहीं भागना चाहते हैं कि हमें कम वेतन मिलता है बल्कि हम इसलिए भी भागना चाहते हैं कि थोड़ा सा वेतन पाने पर भी वहां समाज नहीं है। यदि हम वहां ऐसे विद्यार्थी पा सकें जो खेती का काम करने के साथ साथ बी० ए० और एम० ए० की तैयारी करते हों तो उनके बीच हम किसान रह सकते हैं और ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

रह गयी बात संस्कार की। विश्वविद्यालयों में जो संस्कार प्राप्त हो रहा है मैं उसकी अधिक आलोचना न करके, केवल इतना ही बतलाऊंगा कि बौद्धिक संस्कार उनका हो सकता है। इस संशोधन के स्वीकार हो जाने से जो साधारण लोग शिक्षा प्राप्त करेंगे उनका बौद्धिक विकास चाहे अधिक न हो परन्तु जहां तक नैतिकता का सम्बन्ध है जो देहात से समाजिक निकटता से नहीं अधिक आयेंगे होंगे। मेरा यह ख्याल है कि देहात में प्रकृति की गोद में पल करके जो शिक्षा प्राप्त करेंगे वे चाहे बौद्धिक विकास में कम रहें परन्तु नैतिकता का जहां तक सम्बन्ध है वे अधिक धनी होंगे। इस उद्देश्य को सामने रखते हुए मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और मेरी यह प्रार्थना है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी इस संशोधन को अवश्य स्वीकार करें।

श्री [illegible]—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन के विरोध में कहने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय श्रीवास्तव जी ने इससे पहले भी एक संशोधन पेश किया था, वह श्रीमन् एक एक्सट्रीम पर था और यह दूसरे एक्सट्रीम पर है। इस सम्बन्ध में जिन व्यक्तियों ने अपनी राय कहीं उन्होंने डिस्टिंक्शन, क्वालिफिकेशन तथा और भी बड़ी बड़ी बातें कहीं और यह बताया कि डिग्रीधारियों का असली आधार यह होता है कि उनमें किसी किस्म का डिस्टिंक्शन या डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिये और बहुत जोर दिया गया इस बात के ऊपर कि कम से कम पेपर्स का डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं होना चाहिये। इसी सम्बन्ध में क्वालिफिकेशन की बात भी कही, कंडीडेटस मेडिकल की बात भी कही गयी। श्रीमन्, जहां तक डिस्टिंक्शन और डिस्क्वालिफिकेशन की बात है, वाजिब उद्देश्य है, ठीक चीज है, नहीं होना चाहिये। लेकिन इसके बावजूद भी होता है, मैं तो जब इस भवन की ओर देखता हूं और अपनी बहिनों की संख्या को देखता हूं तो मैं समझता हूं कि इस भवन में थोड़ा सा डिस्क्वालिफिकेशन और डिस्टिंक्शन है और जब दूसरे चैंबर की तरफ देखता हूं तब तो और भी ताज्जुब होता है, ताज्जुब होता है कि बिलकुल ही डिस्क्वालिफिकेशन और डिस्टिंक्शन किया गया है। तो जहां तक व्यवहारिक बात है, ऐसा होता ही है। मैं यह समझता हूं कि यह जो एक प्रावीजन इसमें है, पहले भी स्त्रियों को ऐसी विशेष सुविधा पुराने ऐक्ट में भी दी गयी थी और वह कोई नई चीज नहीं है माननीय सदस्यों को बहिनों से ज्यादा जेलसी करना उचित नहीं है।

दूसरी बात मुझको यह कहनी है कि अगर इस संशोधन को मान लिया जाय तो इसके (B), (C), (D) जितने भी ऊपर के खंड हैं यह सब बेकार हो जाते हैं एक तरफ तो कुछ भद्रों का विचार यह था कि अध्यापकों को भी प्राइवेट इम्तहान देने का अधिकार नहीं होना चाहिये। तब दूसरा एक्स्ट्रीम यह है कि हरएक को इम्तहान देने का अधिकार होना चाहिये।

[श्री नवलकिशोर]

इस देश के जो एजूकेशनल एक्सपर्ट्स हैं उनका यह निश्चित मत है कि मौजूदा युग में जो हमारी शिक्षा है उसका स्टैन्डर्ड दिन प्रति दिन नीचे गिरता जा रहा है। जहां कि उसके बहुत से कारण हैं वहां एक मुख्य कारण उन्होंने यह भी बताया है कि इस तरह विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जाती है और उनका कन्ट्रोल करना असम्भव सा हो गया है। एक तरफ तो यह स्थिति है। इसी के साथ साथ शिक्षा के जो विशेषज्ञ हैं उनका यह भी मत है जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि यह जो अफीलियेटिंग यूनिवर्सिटीज हैं, आगरा यूनिवर्सिटी टाइप की, इस तरह की यूनिवर्सिटी हमारी आजकल की जो आवश्यकतायें हैं उनको कतई पूरा नहीं करती हैं और यह बिल्कुल आउट आफ प्लेस हैं। लेकिन चूंकि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसमें कि इतने ज्यादा कालेजेज हैं, इतने अधिक विद्यार्थियों से उसका सम्बन्ध है, उसके तोड़ने से भी प्रांत में काफी डिस्टर्बेंस पैदा हो जायगा। वर्ना तो मेरा यह निश्चित मत है कि इस तरह की यूनिवर्सिटीज को खत्म कर देना चाहिये और सिर्फ रेजिडेंशल यूनिवर्सिटीज होनी चाहियें और उन यूनिवर्सिटीज के भी मातहत जो शिक्षा हो उसे तथा विद्यार्थियों की संख्या भी निश्चित कर देना चाहिये। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या को लेकर अगर हम यूनिवर्सिटी एजूकेशन (शिक्षा) के स्तर को ऊंचा उठाना चाहें तो वह असम्भव है। एक तरफ तो यह विचारधारा है। दूसरी तरफ अगर हम इस तरह से हर आदमी को प्राइवेटली इम्तहान देने की आज्ञा दे दें तो मैं समझता हूं कि एग्जामिनेशन का होना भी बहुत कठिन हो जायगा क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग आयेंगे कि मैं नहीं समझता कि क्या स्टैन्डर्ड पेपर्स का होगा और क्या इग्जामिनर्स का।

इसी के साथ साथ जो दूसरी कठिनाई इसके सम्बन्ध में आयेगी वह यह है कि शिक्षा का प्रसार हो नहीं पायेगा क्योंकि शिक्षा का स्तर बहुत नीचे गिर जायेगा जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया। हां, यह सही है कि जहांतक डिग्रियों के बांटने का सवाल है, उसका काफी प्रसार हमारे प्रदेश में हो जायगा।

मेरे एक भाई ने राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट का एक कोटेशन पढ़कर सुनाया। अगर मैं ठीक समझा हूं तो शायद जो चीज वह कह रहे थे, बिलकुल उसके विरोध में उसमें कहा गया था। टीचर्स को ही सिर्फ अधिकार दिया गया था कि वह इम्तहान दे दें क्योंकि उनको शिक्षा संस्थाओं में रहकर स्वयं अध्ययन करने का काफी अवसर होता है। उसी के साथ साथ स्त्रियों को भी विशेष रूप से अधिकार दे दिया गया था क्योंकि स्त्री समाज अब भी शिक्षा के सम्बन्ध में काफी पिछड़ा हुआ है। इसलिए उनको अब भी यह अधिकार दे दिया गया है कि अगर वे चाहें तो प्राइवेटली पढ़कर इम्तहान दे सकती हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि उनके अधिकार के लिये हम होड़ करें और उनके स्थान को इस तरह से छीनना चाहें यह भी मुनासिब नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि भाई श्री श्रीचन्द जी इस संशोधन को भी पहले की तरह वापस ले लेंगे।

श्री शिवनाथ काटजू--अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। समस्या काफी गम्भीर है और इसके ऊपर काफी वादविवाद हो चुका है। प्रश्न यह है कि बी० ए० और एम० ए० डिग्रियों को भी प्राइवेट लोगों के लिये खोल दिया जाय। आजकल हमारे देश में ऐसी और डिग्रियां हैं जो कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन है या और सम्मेलन हैं, उनके द्वारा दी जाती हैं। ये इम्तहान (परीक्षायें) भारत के कोने कोने में होती हैं, उनमें लोग बैठते हैं और वह संस्थायें उनको डिग्रियां देती हैं। बाज़े २ देशों में तो करेस्पान्डेन्स कोर्स भी हुआ करता है और उससे भी डिग्रियां मिल जाती हैं। अब हमको यह देखना है कि क्या हम अपने देश में भी अपने यहां की डिग्रियों को उसी प्रकार से देना चाहते हैं। यह जो कहा गया कि शिक्षा की सुविधा देनी चाहिये, तो इस प्रश्न से शिक्षा का कोई अधिक सम्बन्ध नहीं है क्योंकि जो बी० ए० परीक्षा में बैठेगा वह शिक्षित तो है ही। प्रश्न तो यह है कि क्या आप डिग्रियों

की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, उनकी बाढ़ में ज्यादती करना चाहते हैं? डिग्रियों की हमारे यहां कमी नहीं है। प्राइवेट कैन्डीडेट्स साइंस की परीक्षा में नहीं बैठ सकते। उनको लेबोरेट्री की सुविधा गांव में नहीं मिल सकती। हां, सम्भव है कि वे बी०ए० और एम०ए० की परीक्षाओं में बैठ सकें। आज हमारे देश में बी०ए० और एम०ए० वालों की कमी नहीं है। आज हमारे सामने शिक्षा का प्रश्न केवल यह नहीं है कि उसका स्तर प्रांत में ऊंचा हो बल्कि प्रश्न यह है कि हमारे नवयुवक सांसारिक स्तर से टक्कर ले सकें। अगर आप उच्च शिक्षा को डिग्रियों के बहाव में बहावेंगे तो उसका सांसारिक स्तर लगभग खो जायगा। बल्कि अगर मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछा जाय तो स्त्रियों के लिये जो एक्सैप्शन किया गया है, मैं बहुत ज्यादा उसके पक्ष में नहीं हूं। लेकिन स्त्रियों, टीचर्स और लाइब्रेरियन्स के लिये जो विशेष वातावरण में रहते हैं विशेष सुविधा हो तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ऐसा कौन सा कारण है कि आप एक दरवाजा खोल रहे हैं कि जिसके द्वारा डिग्रियों की छाप सारे देश में हो जाय? अगर कोई गांव में बैठकर पढ़ सकता है तो उसके लिये कुछ रुकावट नहीं है, वह पढ़े। लेकिन आप उस पर डिग्री की मुहर क्यों लगाना चाहते हैं? यह हमारी उच्च शिक्षा के लिये बहुत ही विषमय होगा। इसलिए इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री राधामोहन सिंह (जिला बलिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि मुझे भी इस संशोधन का विरोध करना पड़ रहा है। जिस तरह से इस पर बहस चल रही है उससे मुझे तो यह मालूम पड़ता है कि इस संशोधन को ठीक तरह से समझा नहीं गया है और सदस्यगण इसका समर्थन करने लगे। मैं यह समझता हूं कि श्रीचन्द जी का पहला प्रस्ताव और यह दोनों एक ही हैं। जिन माननीय सदस्यों ने पहले का तो विरोध किया और अब इसका समर्थन करते हैं उनकी बात ठीक समझ में नहीं आयी। मुझे तो आश्चर्य होता है श्रीचन्द जी का वह मतलब है कि सबको यह सुविधा होनी चाहिये कि वह घर पर बैठकर पढ़ें और डिग्रियाँ प्राप्त करें। वह यह चाहते हैं कि इस उपखंड से शब्द 'वीमेन' को निकाल कर सबके लिये रास्ता खोल दिया जाय। जो लोग शिक्षा से सबन्धित हैं वे तो पहले ही से मौजूद हैं लेकिन अब हम सब को लाना चाहते हैं। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इस संशोधन द्वारा पुरुषों को भी इस क्लास में महिलाओं के साथ रखाना चाहते हैं। यह उपखंड केवल स्त्रियों का है। वास्तव में देखा जाय तो यहां हाई स्कूल या आई० ए० की परीक्षा तो है नहीं। हम तो यहां केवल उच्चशिक्षा की बात कर रहे हैं आज तो दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। अगर यहां हाई स्कूल या आई० ए० की पढ़ाई में कोई रुकावट डाली जाती हो तो उसका विरोध करता। लेकिन यहां विश्वविद्यालय की उच्चशिक्षा का प्रश्न है। यहां जरूरत है गम्भीरता तथा गौर से देखने की। हमने देखा है कि आज लोग इस तरफ को जा रहे हैं कि पढ़ना ही मुख्य चीज है इम्तहान कोई चीज नहीं है हम तो आज यह भी सोच रहे हैं कि इम्तहान ही बन्दकर दिये जांय और यह अनिवार्य हो जाय कि जो विश्वविद्यालय में रह कर अध्ययन करे और वहां के सम्पर्क में आवे वहां के वातावरण से प्रभावित हो वही इसके अधिकारी हो सकते हैं। जहां पर यह बात सोची जा रही वहां पर सोचिये कि गांवों में घर पर बैठ कर एक पाठ्य पुस्तक पढ़ लेने के बाद वह विश्वविद्यालय की डिग्री हासिल कर ले, यह कहां तक ठीक है। मैं समझता हूं कि इस पर हमें गम्भीरता पूर्वक विचार करना है।

जहां शिक्षा मंत्री जी का यह कहना है कि हम मजदूरों को भी ऊंची शिक्षा के लिये वर्कमैन कालेजेज खोल रहे हैं तो उसमें बहुत बड़ी गुंजाइश हो जाती है कि लोग दिन भर रोजी कमाने के लिये अपना काम करें और रात को मजे से पढ़ें। कुछ लोगों ने पूछा है कि ऐसे कितने कालेज दिहातों में खुलेंगे जिनमें ऊंची शिक्षा दी जा सकेगी। मैं जानना चाहूंगा कि आज ऐसे कितने आदमी वहां होंगे जो हाई स्कूल और इंटर पास करने के बाद काम करते हुए ऊंची शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। पहले वह हाई स्कूल और एफ० ए० तो पास कर लें। फिर आगे का इन्तजाम भी हो जायेगा देहातों में जहां पहले से कालेज हैं यह कालेज खुल सकते हैं तो आसानी

[श्री राधामोहन सिंह]

हो जायगी और जहां ज्यादा मजदूर या किसान पढ़ना चाहेंगे और हाई स्कूल और एफ० ए० पास करके आगे बढ़ना चाहेंगे तो उसका भी इन्तजाम आसानी से उन्हीं कालेजों में रात की कक्षाएं खोल कर हो जायगा। लेकिन पहले पहल देखना तो यह है कि कितने आदमी पढ़ने आने वाले हैं। मैं समझता हूं कि इस संशोधन पर हमें काफी गम्भीरता-पूर्वक सोचना है।

यह निर्विवाद है कि हमें अपनी शिक्षा का स्तर ऊंचा रखना है और यह तभी सम्भव हो सकता है जब हम शिक्षा को ठीक तरह से चलायें। जहां तक हाई स्कूल और एफ० ए० का ताल्लुक है हमें हर तरह की सुविधा देना है लेकिन जहां विश्वविद्यालय की शिक्षा का सम्बन्ध है वहां यह बात नहीं कहनी चाहिये कि चन्द पुस्तकों को घर में पढ़ लेने से काम हो जाय। कुछ दोस्तों ने कहा कि प्रतिभाशाली लोगों के लिये आप क्यों दरवाजे बंद करना चाहते हैं और इस सम्बन्ध में डाक्टर टैगोर की बात कही इस सम्बन्ध में मैं केवल यही कहूंगा कि प्रतिभाशाली व्यक्तियों का आज तक दुनियां में कोई रास्ता नहीं रोक पाया है। प्रतिभाशाली व्यक्तियों के तो बिना डिग्री हासिल किये ही उनके पैरों पर दुनियां गिरती है। मैं आशा करता हूं कि अब व्यर्थ की बहस आगे न बढ़ाई जायगी। आशा है श्री श्रीचन्द अपने प्रस्ताव को वापिस ले लेंगे और सदन का समय व्यर्थ बरबाद नहीं होने देंगे।

श्री गेंदा सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय श्री श्रीचन्द जी के संशोधन का समर्थन करता हूं। मैं यह देख रहा हूं कि कुछ डिग्री वाले माननीय सदस्यों में और बिना डिग्री वाले सदस्यों में भेद हो रहा है। अभी तक जो मैंने देखा है, मैं यह तो जानता नहीं कि श्री श्रीचन्द डिग्री होल्डर हैं या नहीं लेकिन जिन लोगों ने विरोध किया है उनमें से अधिकांश लोगों में से एक आध लोग ऐसे हैं जो डिग्री होल्डर नहीं हैं।

एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने इसके विरोध में जो दलीलें दीं वह ऐसी दीं जो हमारे पक्ष में ही जाती हैं। दलील मुख्यतः दो तीन हैं वह यह कि गांव में बैठकर कोई पढ़ कर यूनिवर्सिटी की परीक्षा दे दे तो कौन सी उसमें अनुचित बात है। इसमें श्री राधामोहन सिंह ने अनौचित्य बतलाया है। मैं नहीं समझता कि इसमें अनुचित कहां है, बल्कि यह तो बड़े गौरव की बात है। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट इस बात से इन्कार नहीं कर सकती है कि सारे देश को शिक्षा दिलाने का उसका कर्तव्य है। सारे देश को शिक्षा दिलाने में आर्थिक कठिनाई सामने है जिसके कारण हमारी सरकार असमर्थ है। फिर तो यह सुन्दर रास्ता निकल आया और श्रीचन्द जी ने ऐसा रास्ता निकाल दिया जिससे सरकार का बोझा बहुत ही कम हो जाता है। वह यूनिवर्सिटीज के खोलने में रुपया खर्च न करे और हजारों और लाखों आदमियों की तादाद में घर में पढ़ कर ही परीक्षा दे दें और डिग्री होल्डर बन जायं।

हां, अब यह बात जरूर हो सकती है कि बहुत से डिग्री होल्डरर्स हो जायंगे तो बाजार बिगड़ जायगा। यह बात तो जरूर समझ में आने की है। लेकिन पहले से बाजार बहुत सस्ता हो गया है और अगर थोड़ा और सस्ता हो जायगा तो क्या बुराई होगी? और फिर मैं तो बड़े आश्चर्य में पड़ गया, मैं बड़ी देर से इन्तजार कर रहा था माननीया प्रकाशवती जी का कि आखिर उनको तो कोई शिकायत है नहीं? कहा यह गया कि साहब, यह तो एक प्रिविलेज है स्त्रियों को। तो उनकी तरफ से तो इस बात की शिकायत नहीं है कि हम पुरुषों को सुविधा न दें लेकिन हम जो इससे सारे देश को रास्ता दिखाना चाहते हैं कि घर में बैठकर ऊंची तालीम हासिल कर सकें वह आपस में झगड़ रहे हैं। फिर इस बात की चिन्ता तो माननीय शिक्षा मंत्री जी को होनी नहीं चाहिये कि लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद ऐसी जगहों में रह कर ही स्टैंडर्ड को ऊंचा किया जा सकता है। हां, एक बात की चिन्ता वाजिब है कि

नइती सफ़ाई से पेन्ट, और कोट में नहीं रह सकते। माननीय शिक्षा मंत्री जी का स्टैंडर्ड बताने का अगर यह अर्थ हो तो मैं मान जाता हूं, लकिन अगर उनका उद्देश्य, जैसा कि मैं समझता हूं यह नहीं था, शिक्षा से है तो गांवों में पढ़ने और पढ़ करके इम्तहान में शहर वालों के साथ पास करने में तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये क्योंकि उनके लिये कोई दूसरा परीक्षा लेने वाला तो होगा नहीं। ऐसी सूरत में अगर गांवों में भी वह ऐसी अवस्था पैदा कर सकें कि वह शहर में २४ घंटे पढ़ने वालों के साथ परीक्षा पास हो सके तो मैं समझता हूं कि उसमें कहीं पर शिक्षा के स्टैंडर्ड के नीचा होने का खतरा नहीं है। हां, यह बात मैंने पहले कह दी है कि शहर में रहने में कुछ संस्कार बदलते हैं और वे संस्कार शिक्षित होने में भी बदलते हैं। तो शिक्षित होने के बाद आवश्यकता उसको पड़ी कि वह शहर की तरफ आये और वहां आकर उस संस्कार को भी तब्दील कर सकते हैं। मेरी तो यह राय है कि माननीय श्रीचन्द जी का जो संशोधन है यह ऐसा है कि यह सारे विधेयक में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन करेगा क्योंकि जहां पर "स्त्रियां" लिखा हुआ है वहां पर यदि पुरुषों को भी स्थान दे दिया गया तो स्कोप बहुत बढ़ जायगा। यह भी कहा गया कि माननीय श्रीचन्द का जो ऊपर वाला संशोधन था वह स्कोप को संकुचित करता था और यह उसको बढ़ा देता है। तो इसलिये तो मैंने माननीय श्रीचन्द जी ऐसे आदमी के उस संशोधन का विरोध किया था, यह मेरे लिये बड़ी कठिन बात है लेकिन मैंने विरोध किया उनकी नाराजगी की परवाह कम करके और सदस्यों से कह रहा हूं कि उनके इस संशोधन को स्वीकार करना चाहिये। अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो हमारे प्रान्त में पुरुषों से शायद कुछ अधिक स्त्रियां हैं। तो अगर स्त्रियों को पढ़ने की सुविधा मिले क्योंकि उसको रोकने की तो कहीं चर्चा है नहीं, उनके अलावा दूसरे लोगों को भी दे देने की चर्चा है तो कोई हर्ज की बात नहीं है। मैं समझता हूं कि यह संशोधन बड़ा सुन्दर है। इससे गांवों की अवस्था बदलेगी, गांवों में पढ़ाई लिखाई की हालत बदलेगी और जो सरकार के ऊपर एक बड़ा भारी बोझ सबको शिक्षा दिलाने का है उस बोझ से कुछ मुक्ति होगी, इसलिये यह संशोधन स्वीकार किया जाना चाहिये।

श्री शिवनारायण--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसके पहले वाले अमेंडमेंट का विरोध किया था लेकिन आध घंटे के बाद वे सही रास्ते पर आ गये इसलिये इस दूसरे श्रीचन्द जी के अमेंडमेंट का मैं समर्थन करता हूं। क्यों करता हूं वह भी बताता हूं। मैं स्वयं अध्यापक हूं और वह भी हैं। माननीय उपाध्याय जी ने आज सुबह मेरे परीक्षा में बैठने के बारे में कहा। वे एक कैपिटलिस्ट के बेटे हैं और मैं एक निर्धन झोपड़ी के रहने वाले का बेटा हूं। पैसे की कमी और ग़रीबी के कारण मैं यूनिवर्सिटी न जा सका, अधिक पढ़ने का अवसर न मिल सका। अध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी का जो आदर्श है वह चाणक्य ने लिखा है:

मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्
आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः।

मैं अब पूछना चाहता हूं कि कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस प्रकार के पंडित यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद अपने को कह सकते हैं। यूनिवर्सिटी से निकलने वाले कितने ऐसे पंडित हैं जो पराई बहन बेटियों को अपनी मां बहनों के समान और पराये धन को पत्थर के समान समझते हैं। 'वर्क ह्वाइल यू वर्क, प्ले ह्वाइल यू प्ले' इसी प्रकार से हम काम करते हुये और पढ़ते हुये अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकते हैं। आज मुल्क में जो अपोजीशन पैदा हो रहा है वह इन यूनिवर्सिटीज के कारण से ही है। कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, सारी पार्टियां यूनिवर्सिटीज से ही क्रियेट होती हैं। उपाध्याय जी तो पैसे वाले हैं, वे पढ़ सकते हैं लेकिन ग़रीब लोग कैसे पढ़ सकते हैं? इस बार जब मैं आ रहा था तो हमारे यहां के मास्टरों ने कहा कि उनके साथ किस तरह से हेरेसमेंट होता है। मैनेजर लोग किस प्रकार से तंग करते हैं। आप से कहा क्या जाय? कहते हुये उस बात को आंसू गिरते हैं। इसलिये यह प्रतिबन्ध हटा लिया जाय तो

[श्री शिवनारायण]

बहुत ही अच्छा है। 'वी आर रनिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एण्ड इट इज दि गवर्नमेंट आफ़ दि पीपुल, बाई दी पिपुल, फार दी पिपुल।' इसलिये हमारे लिए यह आवश्यक है कि सारी जनता और सारा समाज हमारे साथ आये, हम जनता का सही मानों में रिप्रेजेन्टेशन करें। मैं बड़े अदब के साथ शिक्षा मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि "मैन मे कम एन्ड मे गो एण्ड लर्निंग मे कन्टीन्यू" हमें देखना है कि लोगों को यह अधिकार खुले तौर पर दे दिया जाना चाहिये। मदन मोहन जी ने मेरे फेल होने की बाबत कही। यह तो जीवन ही है, फेल हो कर ही आदमी आगे बढ़ता है। "बढ़े चलो बहादुरो, बढ़े चलो बहादुरो"। अतः यह जो संशोधन है अगर वह मान लिया गया तो ऊपर जो तीन प्वाइंट्स हैं वह निकल जायेंगे और अध्यक्ष महोदय यह गांवों और ग़रीबों की पुकार है। आप कहेंगे कि यह वन साइडेड है लेकिन जो बैकवर्ड क्लासेज के लोग हैं, जो पर्दानशीन औरतें हैं जैसा कि मुसलमानों में अधिकतर होता है, जितने भी हरिजन भाई हैं, या जो और जातियों के भी ग़रीब लोग हैं वे सब इस सहूलियत से लाभ उठा सकेंगे। अभी हमारे यहां का वाक़या है। एक लड़के ने फर्स्ट डिवीजन में मैट्रिक पास किया लेकिन पैसा न होने के कारण आगे स्टेडी न कर सका। मैंने खुद जा कर प्रिंसिपल से कहा कि इसको ले लो और इसकी फीस माफ कर दो लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा होना मुश्किल है। खैर, अगर प्रिविलेज प्राइवेटली बैठने का दे दिया गया तो किसी को कोई मुश्किल होने वाली नहीं है। विद्यार्थियों के लिये मसल कही गयी है कि विद्यार्थी थोड़ा खाय और निबह जाय। लेकिन जब यहां से यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं तब टाई चाहिये, कालर ठीक होना चाहिये, बटन अच्छा होना चाहिये नहीं तो वह कमरे के अन्दर नहीं जा सकता। इस तरह की गोल्ड स्मिथ की मिसाल मौजूद है जो यूनिवर्सिटी से भाग गया, वहां नहीं पढ़ सका। क्योंकि वह ग़रीब था, और लड़के उसका अपमान करते थे। फिर वहां से अमेरिका गया और कहां कहां गया और अपने बुद्धि तथा योग्यता से अपना नाम ऊंचा किया। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, सन् ३७ की गवर्नमेंट के वक्त इसी सदन में एक सम्मानित सदस्य श्री हरनाथ प्रसाद जी जो दर्जा चार की ही योग्यता रखते थे लेकिन बड़े बड़े लोगों का मुकाबिला इसी सदन में करते थे। इतना ही नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों को देखिये तो मालूम होगा कि अकबर महान के पास जब ईरान का एक पत्र आया तो उसे उन्होंने उल्टा पकड़ लिया, इस पर चिट्ठी लाने वाला हंस दिया। इसे देख कर अकबर के वजीर ने कहा कि क्यों हंसते हो, हमारे पेगम्बर भी नाख्वान्दा थे। तो हिन्दुस्तान की नाख्वान्दगी को हम उरुजे कामयाबी पर लाना चाहते हैं। ये लाल झंडी वाले, लाल टोपी वाले जो कम्युनिस्ट हैं जो आज अपने को अग्रगामी कहते हैं, मैं उनको बतला देना चाहता हूं कि हम जो आज यहां मौजूद हैं उनसे कम अग्रगामी नहीं हैं। हम भी चाहते हैं कि क्रान्ति हो और देश में नया समाज बने, हमारा देश उन्नति करे। लोगों के ऊपर किसी तरह की रोक न लगायी जाय, पब्लिक को फ्रीडम रहे कि वह जहां इच्छा हो वहां जाय, जो इम्तहान देना चाहे वह दे, ग़रीबी की वजह से कोई मारा मारा न फिरे। मैंने बहुत से ग़रीबों को देखा है कि जो पैसा न मिलने की वजह से पढ़ने के लिये मारे मारे फिरते हैं। मैं चैलेंज करके कहता हूं कि बहुत से लोग ऐसे मौजूद हैं जिनका दिमाग़ आज कल के आई० सी० एस० लोगों से कम नहीं है लेकिन उनकी कोई पूछ इसलिये नहीं है कि वे एम० ए० या पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो क्लर्की करते हैं। मैं अपनी आंखों देखी बात कहता हूं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको हैरस किया जाता है। यह बात मैं बिलकुल ठंडे दिल से कहता हूं और इत्मीनान के साथ कहता हूं। स्त्रियों के सम्बन्ध में मेरे भाई गेंदा सिंह जी ने कहा कि उन बेचारियों की बात क्यों करते हो, आर्यों के जमाने में वे यज्ञों में बैठती थीं, अपनी योग्यता में पुरुषों से किसी कदर कम नहीं थीं। आज भी मिसाल हमारे सामने मौजूद है अगर विजया लक्ष्मी पंडित इतनी पढ़ी लिखी न होतीं तो आज यू० एन० ओ० की प्रेसीडेंट न होतीं?

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य संक्षेप में बोलें।

श्री शिवनारायण--मैं यह कहना चाहता हूं कि आप रास्ते से रोड़े हटा दीजिये। और यह अमेंडमेंट जो श्री श्रीचन्द जी का है उसे मान लिया जाय। बहुतों ने कहा है कि यह अमेंडमेंट इस बिल की जान है। वाकई इससे युनिवर्सिटी के अन्दर डिसिप्लीन बहुत ठीक हो जायगी और सरकार इन तमाम बातों से छुट्टी पा जायगी। मैं इन शब्दों के साथ इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
१४ दिसम्बर, १९५३।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४ पर)

क्रम संख्या	केन्द्र का नाम	पद का नाम	तनख्वाह			मंहगाई			सफर का भत्ता			कन्टिनजेन्सी			साल भर का खर्च		
१	२	३	४			५			६			७			८		
			रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
१	राजा सुल्तानपुर	सहायक जूट विकास निरीक्षक १, कामदार ४	२,६२०	६	०	१,१४३	१०	०	५६५	०	०	१४४	०	०	४,४७३	०	०
२	गोलाबाजार	सहायक जूट विकास निरीक्षक १, कामदार ३	२,३१३	९	०	१,०२९	१	०	५५२	८	०	९६	०	०	३,९९१	२	०
३	सूरजूपुर	सहायक जूट विकास निरीक्षक १, कामदार ३	१,९८०	०	०	१,०२०	०	०	५७२	३	०	१४४	०	०	३,७१६	३	०
४	दुवारी	सहायक जूट विकास निरीक्षक १, कामदार ३	२,२५५	०	०	१,०४०	०	०	५२८	१०	०	११४	०	०	३,९३७	०	१०
		कुल जोड़	९,१६८	१५	०	४,२३२	११	०	२,२१८	५	०	४९८	०	०	१६,११७	०	१०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३६)

उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कण्टीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५३ ई०

यू० पी० (टेम्पोरेरी) स्टोरेज रिक्वीजीशन ऐक्ट, १९४७ को और आगे जारी रखने की व्यवस्था करने के लिये।

यू० पी ऐक्ट सं० १२, सन् १९४७ ई०।

विधेयक

यू० पी० (टेम्पोरेरी स्टोरेज रिक्वीजीशन ऐक्ट, १९४७ को ३१ दिसम्बर, १९५३ तक उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कन्टीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) अधिनियम, १९५२ द्वारा जारी रक्खा गया था और उक्त ऐक्ट को अब ३१ दिसम्बर, १९५४ तक जारी रखने की व्यवस्था करनी है।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २, १९५३।

इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कन्टीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) अधिनियम, १९५३ होगा।

संक्षिप्त शीर्ष नाम और प्रारम्भ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

२—यू० पी० (टेम्पोरेरी) स्टोरेज रिक्वीजीशन ऐक्ट, १९४७ जो सन् १९४९ ई० का यू० पी० स्टोरेज रिक्वीजीशन (कन्टीन्यूएंस आफ पावर्स) ऐक्ट द्वारा संशोधित तथा जारी रहा ३१ दिसम्बर, १९५४ ई० तक प्रचलित रहेगा और प्रचलित समझा जायगा तथा उसकी समाप्ति पर यू० पी० जेनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६क के आदेश उसी प्रकार लागू होंगे मानों उस समय यह अधिनियम उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम (ऐक्ट) से रद्द किया किया गया हो।

यू० पी० ऐक्ट सं० १२, सन् १९४७ का जारी रखा जाना।

यू० पी० ऐक्ट सं० ४, १९४९ ई०।

स्पष्टीकरण—सन् १९४८ ई० का यू० पी० स्टोरेज रिक्वीजीशन (कन्टीन्यूएंस आफ पावर्स) ऐक्ट निर्देश (refernce) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कन्टीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) अधिनियम, १९५१ ई० और उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कन्टीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) अधिनियम, १९५२ का निर्देश भी है।

उ० प्र० अधिनियम सं० ३१, १९५१ ई०।

उद्देश्य और कारण

यू० पी० (टेम्पोरेरी) स्टोरज रिक्वीजीशन ऐक्ट, १९४७ ई० की अवधि उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कन्टीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) अधिनियम, १९५२ द्वारा ३१ दिसम्बर, १९५३ तक बढ़ा दी गई थी। उक्त अधिनियम से खाद्यानों के भरने के स्थानों की और उनके अधिग्रहण करने पर प्रतिकर अवधारित करने की व्यवस्था की गई थी। इस अधिनियम की अवधि उक्त दिनांक पर समाप्त हो जायगी। इस समय प्रदेश की राज्य सरकार अपने स्वयं के तथा केन्द्रीय सरकार की ओर से खाद्यान्नों के भारी स्टाक रखे हुये हैं। इस स्टाक का एक अंश उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अधिकृत स्थानों में संगृहीत है। खाद्यान्न भरने और स्थानों का अधिग्रहण करने तथा अधिकृत स्थानों पर अधिकार बनाये रखने की आवश्यकता अभी बनी है। इसी उद्देश्य से उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कन्टीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५३ प्रस्तुत किया जाता है।

चन्द्रभानु गुप्त,
मंत्री, रसद विभाग।

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३६ पर)

रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश विधेयक, १९५३

रामपुर में भूमि सुधारों के प्रचलन को सुकर बनाने के हेतु (with a view to faciliting the introduction of land reforms) वहां ठेकेदारी तथा पट्टेदारी प्रणालियों के विनाश की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

रामपुर में भूमि सुधारों के प्रचलन को सुकर बनाने के हेतु वहां ठेकेदारी तथा पट्टेदारी की प्रणालियों के विनाश की तथा तत्सम्बन्धी अन्य विषयों की व्यवस्था करना आवश्यक है,

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त शीर्ष नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश अधिनियम, १९५३ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार सारे रामपुर में होगा।

(३) यह ऐसे दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे तथा रामपुर के विभिन्न क्षेत्रों के लिये विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।

परिभाषाएं।

२—जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम में:

(१) 'अबवाब' का तात्पर्य अबवाब, मालिकाना या चौकीदारी से है,

(२) 'कलेक्टर' के अन्तर्गत परगने का इन्चार्ज प्रथम श्रेणी का असिस्टेंट कलेक्टर (Assistant Collector of the 1st class incharge of a Sub-division) तथा अन्य कोई प्रथम श्रेणी का असिस्टेंट कलेक्टर भी है जिसे राज्य सरकार ने सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर के सब या किसी कार्य के सम्पादन का अधिकार दिया हो,

(३) 'डिग्री' का वही अर्थ है जो 'decree' को कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में दिया गया है,

(४) 'मौरूसी दर' का तात्पर्य कानून कब्जा आराजी रियासत रामपुर, १९३७ की धारा ५४ के अन्तर्गत स्वीकृत दर से है,

(५) 'भूमि' का तात्पर्य उस भूमि से है जो कृषि, उद्यानकरण या पशु-पालन से सम्बन्ध रखने वाले किसी प्रयोजन के लिये किसी के अधिकार या अध्यासन में (held or occupied) हो,

(६) 'पट्टा' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा रामपुर स्टेट गजट, दिनांक १९ अक्तूबर, १९३५ में प्रकाशित विज्ञप्ति के अथवा रामपुर स्टेट, गजट दिनांक २८ मई, १९३८ तथा १२ मार्च, १९४९ की

प्रकाशित विज्ञप्तियों के साथ पठित क़ानून कब्जा आराजी रियासत रामपुर, १९३७ के अध्याय १३ के अधीन तथा अनुसार स्वीकृत ठेका, पट्टा अथवा अनुदान से है,

(७) 'पट्टेदार' के अन्तर्गत ठेकेदार, पट्टेदार, मुस्ताजिर और अनुदान गृहीता (grantee) भी हैं, इन्हें चाहे जिस नाम से पुकारा जाता हो,

(८) 'विधिक प्रतिनिधि' का वही अर्थ है जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में "legal representative" को दिया गया है,

(९) 'नियत (prescribed)' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है,

(१०) 'पिछला कृषि वर्ष (previous agricultural year)' का तात्पर्य उस कृषि वर्ष से है, जो उस कृषि से ठीक पहले हो जिसमें अवसान (determination) होने का दिनांक पड़ता हो,

(११) 'रामपुर' का वही अर्थ है जो उसे रामपुर ऐडमिनिस्ट्रेशन आर्डर, १९४९ में, दिया गया है,

(१२) 'लगान' के अन्तर्गत रामपुर स्टेट गजट, दिनांक १९ अक्तूबर, १९३५ में प्रकाशित बन्दोबस्त सिसाला योजना के तथा क़ानून कब्जा आराजी रियासत रामपुर, १९३७ के अध्याय १३ के अधीन रामपुर स्टेट गजट में प्रकाशित दिनांक २८ मई, १९३८ और १२ मार्च, १९४९ की विज्ञप्तियों के उपबन्धों के अधीन पट्टेदार द्वारा देय जमा, मालगुजारी और जरे ठेका भी हैं,

(१३) 'राज्य सरकार' का तात्पर्य--

(क) जहां तक दिनांक १ दिसम्बर, १९४९ के पूर्व की गयी किसी बात का सम्बन्ध है, रामपुर (ऐडमिनिस्ट्रेशन) आर्डर, १९४९ के पैरा ३ के अधीन नियुक्त रामपुर के चीफ कमिश्नर से है अथवा यथास्थिति हिज हाइनेस नवाब रामपुर, सरकार रामपुर, रामपुर दरबार अथवा अन्य किसी प्राधिकारी या व्यक्ति से है जिसे सम्बद्ध दिनांक पर रामपुर के कार्यपालिका शासन (Executive Government) के सम्पादन अथवा प्रशासन का अधिकार प्राप्त रहा हो और

(ख) जहां तक उक्त दिनांक के बाद की गयी किसी बात का सम्बन्ध है, उत्तर प्रदेश की सरकार से है,

(१४) शब्द और पद--

(क) 'ठेकेदार', 'पट्टेदार', 'लगान', 'सायर', 'आसामी', 'ग़ैर दखीलकार', का वही अर्थ होगा जो इन्हें क़ानून कब्जा आराजी रियासत रामपुर, १९३७ में दिया गया है, और

(ख) 'बन्दोबस्त सिसाला योजना' का वही अर्थ होगा जो उसे रामपुर स्टेट गजट में बाद को प्रकाशित दिनांक ६ अगस्त,

१९३८ तथा ५ नवम्बर, १९३८ की विज्ञप्तियों से संशोधित रामपुर स्टेट गजट की १९ अक्तूबर, १९३५ की विज्ञप्ति में दिया गया है ।

पट्टों का अवसान (Determination)।

३--किसी विधि, संविदा अथवा अन्य लेख (law, contract or other document) में किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार के लिये यह वैध होगा कि वह गजट में आज्ञा प्रकाशित करके ऐसे दिनांक जिसे निर्दिष्ट किया जायेगा (जो आगे चलकर अवसान का दिनांक कहा गया है) किसी पट्टे का अवसान कर दे।

पट्टों के अवसान के परिणाम ।

४--जब कभी धारा ३ के अधीन और अनुसार किसी पट्टे का अवसान किया जाय तो निम्नलिखित परिणाम होंगे, यथा--

(क) उस स्थिति को छोड़कर जिसकी व्यवस्था यहां आगे चलकर की गयी है, पट्टे के अन्तर्गत पट्टेदार के सभी अधिकार, आगम और स्वत्व समाप्त हो जायेंगे मानों कि पट्टे की अवधि उसी समय समाप्त हो गयी हो;

(ख) जब पट्टे की शर्तों के अधीन या अनुसार किसी पट्टेदार ने पट्टे के अन्तर्गत भूमि को खुदकाश्त में ले लिया हो तो पट्टेदार--

(१) कानून कब्जा अराजी रियासत रामपुर, १९३७ की धारा १४ के खंड (ई) से (काफ) तक में वर्णित भूमि से भिन्न भूमि का आजीवन गैर-हस्तान्तरकार हो जायगा और उसे अवसान के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर प्रवृत्त (applicable) दर से आकलित लगान के बराबर लगान देना पड़ेगा,

किन्तु शर्त यह है कि जहां भूमि का क्षेत्रफल २० एकड़ से अधिक है तो वह अधिक क्षेत्र जिस भूमि की न होगी और उसे जिस भूमि समझा जायगा तथा पट्टेदार को ऐसे अधिक क्षेत्र से बेदखल किया जा सकेगा ।

(२) खंड (१) में वर्णित भूमि से भिन्न भूमि के सम्बन्ध में काश्तकारी (occupancy rights) काश्तकारी अधिकार समझा जायगा और उस ऐसे अधिकारों के लिये अलग विशेष एवं प्रचलित विधि के अनुसार उस भूमि से बेदखल किया जा सकेगा ।

(ग) पट्टेदार अवसान के दिनांक से पूर्व की अवधि को लिये पट्टे के अन्तर्गत किसी भूमि के बारे में लगान, अभाव तथा अन्य देय धनराशियों के वसूल करने का अधिकारी बना रहेगा;

(घ) ऐसी किसी भी भूमि के सम्बन्ध में अवसान के दिनांक के बाद किस भी अवधि के लिये देय सभी लगान, अभाव तथा अन्य देय धनराशियां जो उक्त अवसान के न होने पर पट्टेदार को देय होतीं, राज्य सरकार को देय होंगी और उक्त अवसान के पूर्व अथवा पश्चात् उक्त धनराशि की कोई भी अदायगी उस व्यक्ति द्वारा जिस पर उसे देने का दायित्व हो वैध भुगतान न होगी यद्यपि ऐसे व्यक्ति के पट्टेदार से उसे वसूल करने के अधिकार पर इससे कोई प्रभाव न पड़ेगा;

(ङ) यदि उक्त अवसान हुये (determined) पट्टे से भिन्न अवसान के दिनांक से पूर्व निष्पन्न हुये किसी अनुबन्ध अथवा संविदा (agreement or contract) के अधीन उक्त दिनांक के बाद किसी भी अवधि के लिये कोई लगान, अबवाब या अन्य धनराशियां पट्टेदार को दी गई हों अथवा उसने संघित (compounded) या वसूल की हों, तो वह अनुबन्ध अथवा संविदा के होते हुए भी राज्य सरकार द्वारा पट्टेदार से वसूल की जा सकती है और वसूली के अन्य किसी ढंग को बाधित न करते हुए इस अधिनियम के अधीन पट्टेदार को देय प्रतिकर की धनराशि से काट कर वसूली की जा सकती है;

(च) अवसान के दिनांक से पूर्व की अवधि के लिये पट्टेदार द्वारा देय लगान, अबवाब, तकावी या अन्य देय धनराशियों की सभी बकाया पट्टेदार से वसूल की जाती रहेगी और वसूली के अन्य किसी ढंग को बाधित न करते हुए इस अधिनियम के अधीन पट्टेदार को देय प्रतिकर की धनराशि से काट कर वसूल की जा सकती है;

(छ) अवसान के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर प्रभावशाली प्रत्येक बन्धक, किसी पट्टा अथवा पट्टेदारी के अधिकार के अन्य हस्तान्तरण (transfer) का प्रवर्तन हो जायगा और ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ की धारा ७३ की उपधारा (२) के उपबन्ध इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त प्रतिकर के सम्बन्ध में उतने प्रभावी होंगे मानो कि पट्टे के अन्तर्गत भूमि किसी ऐसे अधिनियम के अधीन अर्जित की गयी थी जिसमें अनिवार्य हस्तगतीकरण (compulsory acquisition) की व्यवस्था की गयी हो;

(ज) पट्टे के अन्तर्गत भूमि में बसने अथवा भूमि से उपज एकत्रित करने का, पट्टेदार तथा अन्य किसी व्यक्ति के बीच ३० नवम्बर, १९४९ के पश्चात् हुआ कोई भी अनुबन्ध अथवा अन्य संविदा अवसान के दिनांक से प्रभावहीन (void) हो जायगा;

(झ) पट्टे के अन्तर्गत किसी भी भूमि पर स्थित सभी इमारतें जिन पर पट्टेदार का अधिकार हो पट्टे की अवशिष्ट अवधि के लिये लिखा की जाने वाली शर्तों और अनुबन्धों के अधीन उसी के अधिकार में रहेंगी और इसके अतिरिक्त उक्त अवधि समाप्त होने पर यदि कि पट्टे में भिन्न अभिप्राय व्यक्त न हो (और ऐसी दशा में अभिप्राय ही प्रभावशाली रहेगा) राज्य में निहित हो जायगी ।

५—१ दिसम्बर, १९४९ को या इसके बाद पट्टेदार द्वारा अथवा उसकी ओर से पट्टे के अन्तर्गत किसी भूमि के सम्बन्ध में किये गये किसी भी अनुबन्ध अथवा संविदा के, या की गयी किसी भी बात के, अथवा किसी ऐसी बात के जिसके किये जाने की अनुज्ञा दी गयी हो, होते हुये भी, उक्त भूमि के लिए देय लगान — देय लगान

(क) अवसान के दिनांक पर वह धनराशि समझी जायगी जो १ दिसम्बर, १९४९ को देय लगान के बराबर हो और किसी न्यायालय की डिग्री अथवा आज्ञा से दीगयी किसी छूट अथवा कमी से भिन्न किसी छूट अथवा कमी पर तब तक विचार न किया जायगा जब तक कि राज्य सरकार उसे पुष्ट न कर दे, और

(ख) अवसान के दिनांक के बाद भविष्य में वह धनराशि होगी जो खंड (क) के अधीन तदर्थ देय मानी गयी हो, किन्तु इससे उस पर प्रवृत्त किसी भी विधि के अनुसार भविष्य में उसमें बढ़ती अथवा कमी करने में बाधा न होगी।

कलेक्टर पट्टे की भूमि को अधिकार में लेगा।

६---धारा ३ के अधीन पट्टे के अवसान होने पर कलेक्टर या उसके द्वारा इस सम्बन्ध में नियुक्त किसी अधिकारी के लिये यह वैध होगा कि---

(क) वह पट्टे के अन्तर्गत भूमि पर कब्जा कर ले और उसे अपने अवधान (charge) में ले ले और ऐसी कार्यवाही करे या करवाये और ऐसा बल प्रयोग करे या करवाये जो कलेक्टर अथवा उक्त प्रकार से नियुक्त अधिकारी की राय में इस प्रयोजन के लिए आवश्यक हो,

(ख) वह उस पट्टे के अन्तर्गत जिसका धारा ३ के अधीन अवसान हो गया हो, किसी भूमि, इमारत अथवा अन्य स्थान में दाखिल हो और उनका भूमापन (survey) करे अथवा ऐसी माप करे जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हो,

(ग) किसी व्यक्ति से उस प्राधिकारी (authority) के समक्ष जिसे निर्दिष्ट किया जाये पट्टे के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में पुस्तकें, लेखे अथवा अन्य लेख्य प्रस्तुत कराये और उक्त प्राधिकारी के समक्ष ऐसी अन्य सूचना दिलवाये जो निर्दिष्ट की गयी हो या मांगी गयी हो, और

(घ) यदि आदेशानुसार पुस्तकें, लेखे तथा अन्य लेख्य न प्रस्तुत किये जायं तो वह किसी भूमि, इमारत अथवा अन्य स्थान में जाये और उन्हें अपने अधिकार में ले (seize) और उक्त पुस्तकों, लेखों और अन्य लेख्यों को कब्जे में ले ले।

पट्टेदार को पट्टे के उपलक्ष्य अवसान में प्रतिकर पाने का अधिकार होगा।

७---(१) उस स्थिति को छोड़कर जिसकी व्यवस्था उपधारा (२) में की गयी है, किसी पट्टेदार को, जिसके पट्टे का अवसान धारा ३ के अधीन कर दिया गया हो, ऐसे अवसान द्वारा उत्पन्न क्षति या हानि के लिये किसी भी प्रतिकर के लिये दावा करने अथवा उसे पाने का अधिकार न होगा।

(२) उपधारा (१) में अभिदिष्ट पट्टेदार को ऐसा प्रतिकर पाने का अधिकार होगा और उसे ऐसा प्रतिकर दिया जायगा जिसकी व्यवस्था यहां पर आगे चल कर की गयी है।

प्रतिकर का विवरण।

८---इस अधिनियम के अधीन पट्टे के अवसान के कारण हानि या क्षति के लिये प्रतिकर के निर्धारण और भुगतान के प्रयोजन के लिये कलेक्टर प्रतिकर का विवरण तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित प्रदर्शित होंगे---

(क) पट्टेदार अथवा पट्टेदारों के नाम और धारा ९ और १० के उपबन्धों के अनुसार आकलित कच्ची और पक्की निकासी (gross income and net income),

(ख) पट्टे के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में पिछले कृषि वर्ष में पट्टेदार द्वारा देय लगान,

(ग) धारा ४ के खंड (च) में अभिदिष्ट लगान, अबवाब तथा अन्य देय धनराशियों के बकाया जो पट्टे के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में उसके द्वारा राज्य सरकार को देय हों, और

(घ) अन्य ऐसे ब्यौरे जो नियत किये जायं।

९—धारा ८ के प्रयोजनों के लिये पट्टे के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में पट्टेदार की कच्ची निकासी में निम्नलिखित होंगे— कच्ची निकासी।

(क) भूमि के उपयोग और अध्यासन (use and occupation) के सम्बन्ध में काश्तकार अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा अथवा उसकी ओर से अवधान के दिनांक के ठीक पहले के दिनांक पर देय लगान, जिसके अन्तर्गत अबवाब तथा अन्य देय धन राशियां भी हैं—

(१) नगदी में, और

(२) यदि लगान जिन्सी में देय हो अथवा अंशतः नकदी में और अंशतः जिन्सी में देय हो तो उनमें प्रचलित होने वाली विधि के उपबन्धों के अनुसार आकलित लगान,

(३) यदि लगान देय हो किन्तु अवधारित न किया गया हो मौरूसी तो दर से अवधारित लगान,

(ख) पट्टेदार की खुदकाश्त के अन्तर्गत भूमि के लिये मौरूसी दर से आकलित लगान की धनराशि, और

(ग) सयर जिसकी धनराशि—

(१) यदि पट्टा दस वर्ष तक या उससे अधिक समय तक रहा हो तो अवधान के दिनांक के ठीक पहले के दस वर्ष की अवधि की समस्त आय के जोड़ के दशमांश के बराबर होगी, और

(२) यदि पट्टा दस वर्ष से कम रहा हो तो ऐसी अवधि के वार्षिक औसत के बराबर होगी।

स्पष्टीकरण—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सयर के अन्तर्गत तोलाई, तहबाजारी, नजराना, महसूल व जबाब और हासिलों से होने वाली आय नहीं है।

१०—धारा ८ के प्रयोजनों के लिये उस पट्टे के अन्तर्गत भूमि के संबंध में जिसका धारा ३ के अधीन अवधान हो चुका है, दर की पक्की निकासी कच्ची निकासी से निम्नलिखित की कटौती करके आकलित की जायगी— पक्की निकासी।

(१) पट्टे के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में लगान, अबवाब अथवा अन्य देय के रूप में पट्टेदार द्वारा पिछले कृषि वर्ष में देय धनराशि,

(२) पट्टे के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में पिछले कृषि वर्ष के लिये पट्टेदार द्वारा प्रदत्त अथवा दिये जाने वाले कृषि आयकर की, यदि कोई हो, धनराशि,

(३) प्रबन्ध का खर्च तथा लगान का न वसूल होने वाला बकाया जो धारा ९ के उपबन्धों के अनुसार आकलित कच्ची निकासी और पट्टेदार द्वारा देय लगान के अन्तर का २५ प्रतिशत समझा जायगा ।

देय प्रतिकर की धनराशि ।

११—पट्टेदार को प्रतिकर के रूप में देय धनराशि निम्नलिखित सूत्रों (formulae) के अनुसार अवधारित की जायगी—

प० नि० × अ० अ० = प्रतिकर

"प० नि०" का तात्पर्य धारा १० के अधीन अवधारित पक्की निकासी से है, और

"अ० अ०" का तात्पर्य पट्टे की अवशिष्ट अवधि से है जो उस कृषि वर्ष के आरम्भ से पूरे-पूरे वर्षों में आकलित की जायगी जिसमें अवसान कार्यान्वित हुआ हो, और वर्ष के अंश यों ही छोड़ दिये जायेंगे ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अ० अ० किसी भी दशा में पांच वर्ष से अधिक न होगी,

और यह भी प्रतिबन्ध है कि जब पट्टे में प्रदत्त मूल अवधि (term originally granted) अधिनियम के आरम्भ होने पर या उससे पूर्व समाप्त हो गयी हो और पट्टेदार वर्ष प्रतिवर्ष भूमि को अपने पास रखे रहे तो अ० अ० एक वर्ष के बराबर रहेगी ।

विवरण का प्रारम्भिक प्रकाशन ।

१२—धारा ८ के अधीन तैयार किया गया प्रतिकर का विवरण नियत रीति से प्रकाशित किया जायगा और उसकी एक प्रति सम्बद्ध पट्टेदार के पास भेजी जायगी ।

डिस्ट्रिक्ट जज को अभिदेश ।

१३—(१) कोई भी स्वत्व रखने वाला व्यक्ति अथवा राज्य सरकार ऐसे विवरण के सम्बन्ध में प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर नियत रीति से आपत्ति कर सकता है और कलेक्टर ऐसी आपत्ति को निर्धारण के लिये डिस्ट्रिक्ट जज के पास अभिदिष्ट करेगा ।

(२) ऐसे अभिदेश के सम्बन्ध में कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट जज को निम्नलिखित सूचना भेजेगा ।—

(क) उन व्यक्तियों के नाम जिनके बारे में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह उस पट्टे में स्वत्व रखते हैं,

(ख) धारा ११ के अधीन निर्धारित प्रतिकर की धनराशि, और

(ग) अन्य ऐसे ब्योरे जो नियत किये जायं ।

(३) कलेक्टर ऐसे अभिदेश के साथ विचाराधीन पट्टे की प्रति भी भेजेगा (forward) ।

१४--(१) डिस्ट्रिक्ट जज नियत रीति मे ऐसी आपत्ति का निस्तारण करेगा और वह धारा ११ के अधीन निर्धारित प्रतिकर की धनराशि को पुष्ट कर सकता है (confirm) बदल सकता है अथवा बढ़ा घटा सकता है । डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा अभिदेश का निस्तारण ।

(२) उपधारा (१) के अधीन डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा जांच का क्षेत्र (scope) आपत्ति द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के स्वत्व पर विचार करने तक ही सीमित रहेगा ।

(३) उपधारा (१) के अधीन डिस्ट्रिक्ट जज का निर्णय एक डिक्री होगा ।

१५--(१) यदि धारा १२ के अधीन प्रकाशित प्रतिकर विवरण के संबंध में कोई आपत्ति न प्रस्तुत की गई हों अथवा यदि ऐसी आपत्ति प्रस्तुत होकर अंतिम रूप से निस्तारित हो चुकी हों, तो विवरण तदनुसार संशोधित, परिवर्तित अथवा परिष्कृत (amended, altered or modified) कर दिया जायगा और कलेक्टर उस विवरण पर हस्ताक्षर करेगा और अपनी मोहर लगायेगा । विवरण का अंतिम प्रकाशन ।

(२) इस प्रकार हस्ताक्षर किया और मोहर लगाया हुआ विवरण अंतिम होगा ।

(३) अंतिम विवरण की एक प्रति सम्बद्ध पट्टेदार को बिना मूल्य दी जायगी ।

१६--(१) धारा १५ में अभिदिष्ट अन्तिम प्रतिकर विवरण में उल्लिखित प्रतिकर नकदी में दिया जायगा । प्रतिकार का भुगतान

(२) प्रतिकर उस पट्टेदार को दिया जायगा जिसका नाम अंतिम प्रतिकर विवरण में दर्ज हो और यदि प्रतिकर दिये जाने से पहले पट्टेदार की मृत्यु हो जाय तो प्रतिकर उसके विधिक प्रतिनिधियों (legal representatives) को दिया जायगा ।

(३) धारा १५ में अभिदिष्ट अंतिम प्रतिकर विवरण में उल्लिखित प्रतिकर पर राज्य सरकार ढाई प्रतिशत प्रतिवर्ष हिसाब से अवसान के दिनांक से भुगतान के दिनांक तक ब्याज देगी ।

१७--इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रतिकर की अदायगी से, उस व्यक्ति के प्रति जिसका इस संबंध में साधिकार दावा (rightful claim) हो, राज्य सरकार की सभी दायित्व से पूर्ण मुक्ति होगी, किन्तु यह अदायगी उक्त प्रतिकर के संबंध में किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के उस अधिकार पर जिसका वह उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसे उक्त प्रकार अदायगी की गयी हो, विधि की उचित प्रसर (due process of law) के आधार पर अधिकारी हो, विपरीत प्रभाव न डालेगी । राज्य सरकार की दायित्व से मुक्ति ।

१८--(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है । नियम के बनाने का अधिकार ।

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्याप्ति को न बाधित करते हुये ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था हो सकेगी--

(क) धारा ४ के खंड (ग), (ङ) और (च) में वर्णित लगान, अबवाब तथा अन्य देय धन राशियों को आकलित करने की रीति,

(ख) धारा ४ के खंड (अ) में अनिर्दिष्ट तथा राज्यपाल द्वारा अपनी खुदकाश्त में लाई हुई भूमि का निर्धारण,

(ग) धारा ६ के अधीन भूमिधरों को अधिकार में लिये जाने से सम्बद्ध विषय,

(घ) आधार और रीति जिसके अनुसार धारा ८ के अधीन प्रतिभार वितरण नियत किया जायगा,

(ङ) रीति जिसके अनुसार धारा १२ के अधीन डिस्ट्रिक्ट जज के पास आवेदनपत्र अभिदत्त करना,

(च) उन क्षेत्रों में जहां ऐसी दरें पहले से अवधारित नहीं हों नीलामी दरों के निर्धारण में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धांत,

(छ) अवधि जिसके भीतर इस अधिनियम के अधीन से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने चाहिये जिनके विषय में यहां पर कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है,

(ज) हरिजन सेवक संघ, [illegible] को उपबन्धों का इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना पत्रों और कार्यवाहियों में लागू होना,

(झ) इस अधिनियम के अधीन उन प्रार्थनापत्रों के संबंध में दिये जाने वाले शुल्क जिनके विषय में यहां पर विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है,

(ञ) इस अधिनियम के अधीन अधिकार क्षेत्र रखने वाले किसी भी अधिकारी अथवा प्राधिकारी के कर्तव्य तथा ऐसे अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया,

(ट) किसी प्राधिकारी अथवा अधिकारी के गुणों से किसी दूसरे प्राधिकारी अथवा अधिकारी को सौंपी कार्यवाहियों का संक्रमण,

(ठ) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये तथा अन्य कार्यवाहियों में उन दशाओं में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया जिनके लिये यहां पर कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है, और

(ड) वे विषय जो नियत किये जाने वाले हैं अथवा नियत किये जा सकते हैं।

उद्देश्य और कारण

भूतपूर्व रामपुर रियासत के कुछ क्षेत्रों में ठेकेदारों और प्रमुख मुहीलाओं (gantaos) के उन्मूलन से १९५० ई० में जमींदारी विनाश तथा भूमिव्यवस्था अधिनियम में बतायी गई भूमि व्यवस्था तथा नीलामी को उक्त क्षेत्रों में प्रचलित करना कठिन हो गया है। यहां के व्यक्तियों के भूमि संबंधी अधिकारों से राज्य के शेष भागों की तरह सम्पन्न बनाने तथा उनको उनकी कृषि की भूमि में लगाई गई पूंजी और अपनी मेहनत का पूरा-पूरा लाभ उठा सकने का अवसर देने के लिये इस प्रकार की ठेकेदारी तथा बटेदारी की प्रथा का उन्मूलन करना आवश्यक है। अतएव उक्त क्षेत्र में जमींदारी का उन्मूलन करने और भूमि व्यवस्था प्रचलित करने के विचार से प्रथम प्रयास के रूप में यह अधिनियम प्रस्तुत किया जाता है।

चरन सिंह,
राजस्व मंत्री।

तालिका 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३६ पर)

उत्तर प्रदेश खादी बिक्री विधेयक, १९५३

खादी की बिक्री को विनियमित करने का विधेयक

यह आवश्यक है कि खादी की बिक्री को विनियमित किया जाय, अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश खादी बिक्री अधिनियम, १९५३ कहलायेगा। संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह ऐसे दिनांक को प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे।

२—प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में— परिभाषायें।

(क) 'व्यापारी' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो थोक या फुटकर खादी की बिक्री का व्यवसाय करता हो।

(ख) 'खादी' के अन्तर्गत खद्दर भी है और इसका तात्पर्य भारत में करघे पर बुने हुये किसी ऐसे कपड़े से है जो भारत में हाथ से कते हुये रूई, रेशम या ऊन के धागे से अथवा उक्त प्रकार के किन्हीं दो धागों के अथवा सभी के सम्मिश्रण से बनाया गया हो।

(ग) 'नियत' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है।

३—कोई भी व्यापारी इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्रदान करने वाले प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त लाइसेंस के अनुसार अथवा अधीन ही किसी पदार्थ को खादी के नाम से बेच सकेगा, अन्यथा नहीं। खादी की बिक्री के लिये लाइसेंस

४—राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह उपयुक्त समझे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त लाइसेंस देने वाला प्राधिकारी नियुक्त कर सकती है और उनके अधिक्षेत्र की स्थानीय सीमाओं को निश्चित कर सकती है। लाइसेंस प्रदान करने वाले प्राधिकारियों की नियुक्ति।

५—इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों को बाधित न करते हुये लाइसेंस प्रदान करने वाला प्राधिकारी व्यापारी द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर और ऐसी जाँच करने के बाद जो नियत की जाय उसे खादी बेचने का लाइसेंस प्रदान करेगा। लाइसेंस प्रदान करने का अधिकार।

६—राज्य सरकार एक न्यायाधिकरण, जिसका एक सभापति होगा और जिसके दो सदस्य होंगे, नियुक्त करेगी। न्यायाधिकरण की नियुक्ति।

उसका सभापति वह व्यक्ति होगा जो डिस्ट्रिक्ट जज हो या रह चुका हो अथवा जिसने कम से कम ५ वर्ष की अवधि तक ऐसे न्यायिक पद पर कार्य किया हो जो सिविल जज के पद से न्यून न हो।

लाइसेंस न प्रदान करने की आज्ञा के विरुद्ध अपील शास्ति।

७--लाइसेंस प्रदान करने वाले प्राधिकारी की लाइसेंस न प्रदान करने की आज्ञा से विक्षुब्ध कोई भी व्यक्ति ऐसी अवधि के भीतर जो नियत की जाय पूर्व-गामी धारा के अधीन नियुक्त न्यायाधिकरण के समक्ष अपील कर सकता है।

८--कोई भी व्यापारी जो धारा ३ के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा अथवा इस अधिनियम के अधीन दिये गये लाइसेंस की शर्तों को तोड़ेगा तो वह लाइसेंस निरस्त होने के अतिरिक्त कारावास के दंड का भी भागी होगा जो ६ महीने तक का हो सकता है अथवा अर्थदंड का भागी होगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है अथवा दोनों का भागी होगा।

अपराधों की अवेक्षा Cognizence।

९--कोई न्यायालय तब तक इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध की अवेक्षा (Cognizence) न करेगा जब तक कि सम्बद्ध लाइसेंस प्रदान करने वाला प्राधिकारी परिवाद न प्रस्तुत करे।

निगमों (Corporations) द्वारा अपराध।

१०--यदि अपराध करने वाला व्यक्ति कोई समवाय (Company) अथवा अन्य निगमित संस्था हो तो उसका प्रत्येक संचालक, प्रबन्धक, मंत्री अथवा अन्य अधिकारी अथवा अभिकर्त्ता ऐसे अपराध का दोषी समझा जायगा किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अपराध उसकी जानकारी में हुआ हो और उसने उस अपराध को रोकने में यथोचित परिश्रम न किया हो।

नियम बनाने का अधिकार।

११--(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा नियम बना सकती है।

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्याप्ति को बाधित न करते हुये ऐसे नियम निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकते हैं:

(क) आकार पत्र जिसमें इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस के लिये प्रार्थना पत्र दिये जांय और विषय जिन पर लाइसेंस देने में विचार किया जाय,

(ख) लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया और इस अधिनियम के अधीन जांच करने की रीति,

(ग) आकार पत्र जिसमें और शर्तें जिनके अधीन इस अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस प्रदान अथवा प्रत्यावर्तित किया जाय,

(घ) लाइसेंस प्रदान पर आदेय शुल्क,

(ङ) आकार पत्र जिसमें और अवधि जिसके भीतर धारा ६ के अधीन अपीलें प्रस्तुत की जांय,

(च) न्यायाधिकरण का संगठन और उसका कार्य तथा वह रीति जिसके अनुसार जांच की जायगी।

उद्देश्य और कारण

सच्ची और प्रामाणिक खादी का रूप देकर नकली खादी की बिक्री को रोकने के लिये भारत सरकार ने "खद्दर (प्रोटेक्शन आफ नेम) ऐक्ट, १९५०" पास किया है। इस अधिनियम के अधीन खद्दर या खादी की परिभाषा यह है 'वह कपड़ा जो भारत में हाथ से कते हुये रूई, रेशम अथवा ऊनी धागे से अथवा इनमें किसी दो के सम्मिश्रण से अथवा सभी के सम्मिश्रण से हाथ के करघे पर बुना गया हो।' यह आवश्यक है कि इस अधिनियम का लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों द्वारा खादी की बिक्री को विधान द्वारा विनियमित करके पालन किया जाय। यह विधेयक लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों को छोड़कर अन्य व्यापारियों द्वारा खादी की बिक्री को रोकने के लक्ष्य से तथा उक्त व्यापारियों को लाइसेंस प्रदान करने की व्यवस्था करने के निमित्त प्रस्तुत किया जा रहा है।

हुकुम सिंह विसेन,
उद्योग मंत्री।

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३६ पर)

उत्तर प्रदेश एन्कमबर्ड इस्टेट्स (संशोधन) विधेयक, १९५३

कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० एन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ को संशोधित करने का

१९३४ की यू० पी० ऐक्ट संख्या २५।

विधेयक

यह आवश्यक है कि यहां पर आगे चलकर प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० एन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ का संशोधन किया जाय,

१९३४ की यू०पी० ऐक्ट संख्या २५।

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश एन्कमबर्ड इस्टेट्स (संशोधन) अधिनियम, १९५३ कहलायेगा।

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

२--यू० पी० एन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ की (जिसे यहां पर आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) धारा २ में :--

(१) खंड (ई) निकाल दिया जाय,

(२) खंड (एव) से (एम) तक निकाल दिये जांय, और

(३) खंड (एम) के बाद निम्नलिखित नये खंड (एन) और (ओ) के रूप में जोड़ दिये जांय :

(*n*) a reference to "proprietary rights in land" shall include a reference to compensation and rehabilitation grant payable under and in accordance with the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950;

यू० पी० ऐक्ट १, १९५१।

(*o*) the expressions "compensation" and "rehabilitation grant" shall mean the compensation or, as the case may be, the rehabilitation grant payable under the U. P., Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 and includes in the case of compensation, interim compensation payable under section 29 of the said Act.

यू० पी० ऐक्ट १, १९५१।

३--मूल अधिनियम की धारा ७ की उपधारा (२) में शब्द "in full under section 23 or section 24 or granted a mortgage under section 25 or passed orders under section 27 or 28" के स्थान पर शब्द "under Chapter V" रख दिये जांय।

यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धारा ७ का संशोधन।

४--मूल अधिनियम की धारा ९-ए की--

यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धारा ९-ए का संशोधन।

(१) उपधारा (४) के शब्द 'fail' और 'cancel', के बीच शब्द 'or that it is no longer necessary in consequence of the acquisition of estates under the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 to continue the appointment of a receiver' रख दिये जांय, और

(२) उपधारा (५) निकाल दी जाय।

यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धारा ९-सी का निकाला जाना।

५—मूल अधिनियम की धारा ९-सी निकाल दी जाय।

यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धारा ९-डी का संशोधन।

६—मूल अधिनियम की धारा ९-डी में शब्द, अंक और कोष्टक "(2), (4) and (5)" के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्टक "(2) and (4)" रख दिये जांय।

यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धारा ११ का संशोधन।

७—मूल अधिनियम की धारा ११ की उपधारा (२) के प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द:

"such property is transferred to any person under the provisions of sections 24, 25, 28 or 31 or a bond is issued by the Collector to a creditor under section 30 or 31" के स्थान पर शब्द "the debt has been liquidated under Chapter V" रख दिये जांय।

यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धारा १४ का संशोधन।

८—मूल अधिनियम की धारा १४ की उपधारा (७) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"(7) If the Special Judge finds that—

(a) no amount is due, he may pass a decree for costs in favour of the landlord;

(b) an amount is due to the claimant, he shall—

(i) pass a simple money decree, having regard also to the provisions of section 3 of the U. P. Zamindar's Debt Reduction Act, 1952 for such amount together with any costs which he may allow in respect of the proceedings in his court and of proceedings in any court stayed under the provisions of this Act together with *pendente lite* and future interest at a rate not higher than 4½ per cent. per annum; and

(ii) also certify the amount, if any, of such decree which, in accordance with the provisions of section 8 of U. P. Zamindar's Debt Reduction Act, 1952, is not legally recoverable otherwise than out of the compensation and rehabilitation grant payable to the landlord:

Provided that no *pendente lite* interest shall be allowed in the case of any debt where the creditor was in possession of any portion of the debtor's property in lieu of interest payable on such debt for the period he was so in possession.

(8) Every decree passed under sub-section (7) shall be deemed to be a decree of a court of competent jurisdiction but shall not be executable within U. P. except under the provisions of this Act."

९—मूल अधिनियम की धारा १५ में शब्द और अंक "Section 14" के बाद शब्द 'or section 4 of the U. P. Zamindar's Debt Reduction Act, 1952' जोड़ दिये जांय।

यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धारा १५ का संशोधन।

१०—मूल अधिनियम की धारा १६ में प्रकार (३) के बाद निम्नलिखित नया प्रकार (३-ए) के रूप में रख दिया जाय :

यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धारा १६ का संशोधन।

"Class (3-A). Secured debts which are not legally recoverable otherwise than out of the compensation and rehabilitation grant payable to the landlord."

११—मूल अधिनियम की धारा १८ में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में जोड़ दिया जाय:

यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धारा १८ का संशोधन।

"Provided that secured debts which, in accordance with the provisions of section 8 of the U. P. Zamindar's Debt Reduction Act, 1952, are not legally recoverable otherwise than out of the compensation and rehabilitation grant payable to the landlord shall continue to be so recoverable as if the security had not been extinguished."

१२—मूल अधिनियम की धारा १९ की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धारा १९ का संशोधन।

"(2) The Special Judge shall inform the Collecor—

(*a*) of the amount of the secured debt which is not legally recoverable otherwise than out of the compensation and rehabilitation grant payable to the land lord in respect of the mortgaged estate; and

(*b*) of the nature and extent of the property mentioned in the notice under section 11 which he has found to be liable to attachment or sale in satisfaction of the debts of the applicant."

१३—मूल अधिनियम की धारा १९ के बाद निम्नलिखित नई धारा १९-ए के रूप में जोड़ दी जाय:

यू० पी० ऐक्ट, २५, १९३४ में नई धारा १९-ए का जोड़ा जाना।

"Amendment of the decrees transmited to the Collector.

19-A. Where a decree been passed by the Special Judge before the commencement of the U. P. Encumbered Estates (Amendment) Act, 1953 and the decree is in respect of a secured debt to which the U. P. Zamindars' Debt Reduction Act, 1952 applies, the Special Judge shall, upon reductions o fthe amount of debt in accordance with the provisions of the said Act,

(*a*) inform the Collector of the reduction so made; and

(*b*) certify the amount, if any, of the decree aforesaid which is not legally recoverable otherwise than out of the compensation and rehabilitation grant payable to the landlord in respect of the mortgaged estate; and the decree transmitted to the Collector under section 19 shall be deemed to have been amended accordingly."

यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ में नई धारायें २३-ए और २३-बी का जोड़ा जाना।

१४—मूल अधिनियम की धारा २३ के बाद निम्नलिखित नई धारायें २३-ए और २३-बी के रूप में जोड़ दी जांय:

Compensation and rehabilitation grant to be placed at the disposal of the Collector.

"23-A. The Collector shall require the Compensation Officer and Rehabilitation Grants Officer, as may be necessary to place at his disposal in pursuance of section 70 of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, the amount of compensation money and rehabilitation grant payable to the landlord in respect of his proprietary rights in land reported to be liable to attachment or sale under the provisions of sub-section (2) of section 19.

U. P. Act I of 1951.

Liquidation of secured debt recoverable form compensation and rehabilitation grant.

23-B. (1) Without prejudice to the provisions of section 8 of the U. P. Zamindar's Debt Reduction Act, 1952 the amount or the bonds on account of compensation or rehabilitation grant received by the Collector in pursuance of the requisition under section 23-A shall be expanded or utilised by the Collector in liquidation of the amount of the secured debt which having regard to the provisions of the U. P. Zamindar's Debt Reduction Act, 1952 was secured on the proprietary rights in land in respect of which such money has been received.

(2) If any balance out of the compensation or rehabilitation grant received by the Collector in pursuance of the requisition under section 23-A remains in the hands of the Collector after utilising the same in accordance with the provisions of sub-section (1), such balance shall be utilised by the Collector in discharging the debts, other than the debts, referred to in the said sub-section in order of priority."

यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धारा २४, का संशोधन।

१५—मूल अधिनियम की धारा २४ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

Realisation of value of debtors Property and application of proceeds for liquidation of debts.

"(1) The Collector shall then realise the value of such of the debtor's property, other than proprietary right in land, but including proprietary rights in land in areas which on the 7th day of July, 1949, were included in a Municipality or a Notified Area under the provisions of the U. P. Municipalities Act, 1916 or a cantonment under the provisions of the Cantonment Act, 1924 or a Town Area under the provisions of U. P. Town Areas Act, 1914, as shall have been reported by the Special Judge under the provisions of sub-section (2) of section 19 to be liable to attachement or sale:

Provided that the Collector before passing orders under this section of the sale of any property shall hear any objection which the debtor may have to make to the sale of that property:

Provided also that, notwithstanding anything in any other section, of this Act, the Collector may, if he considers fit, sell, along with any building disposed of under this section the proprietary rights of the applicant of any land occupied by such building or appurtenant thereto."

१६—मूल अधिनियम की धारायें २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१ और ४२ निकाल दी जांय।

यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धारा २५ से ३४ तक और धारा ३६ से ४२ तक का निकाला जाना।

१७—मूल अधिनियम की धारा ४४ की उपधारा (१) में :

यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धारा ४४ का संशोधन।

(१) खंड (ए) में शब्द और अंक "Section 23 or 24" के स्थान पर शब्द और अंक "section 23, 23-B or section 24" रख दिये जांय, और

(२) खंड (बी) और (सी) निकाल दिये जांय।

१८—मूल अधिनियम की धारा ४८ में:

यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धारा ४८ का संशोधन।

(१) उपधारा (१) में शब्द "or has granted the mortgage under section 25 or has ordered the payment of instalments under section 27 or 28 or has transferred the whole of the landlord's proprietary rights in unprotected land under section 28" के स्थान पर शब्द और अंक 'section 23-B or 24' रख दिये जायं, और

(२) उप-धारा (२) निकाल दी जाय।

१९—मूल अधिनियम की धारायें ५५ और ५६ निकाल दी जाय।

यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की धारायें ५५ और ५६ का निकाला जाना।

२०—मूल अधिनियम की अनुसूची निकाल दी जांय।

यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ की अनुसूची (Schedule) का निकाला जाना।

२१—मूल अधिनियम की धारा ५९ के बाद निम्नलिखित नई धारा ६० के रूप में जोड़ दी जाय:

यू० पी० ऐक्ट २५, १९३४ में एक नई धारा ६० का जोड़ा जाना।

Exercise of powers of the Collector by the Special Judge.

60. The powers exerciseable by the Collector under Chapter V may, if the State Government so directs, be exercised by the Special Judge either generally or in any area, as may be specified."

विधान सभा सचिवालय

अपवाद (Savings)।

२२—जब मूल अधिनियम का कोई भी उपबन्ध इस अधिनियम द्वारा निरस्त, परिवर्तित अथवा संशोधित हो चुका हो तो जब तक भिन्न प्रयोजन न प्रतीत हो ऐसा निरसन, परिवर्तन अथवा संशोधन:

(क) किसी ऐसी बात को पुनः प्रचलित न करेगा जो ऐसे निरसन, परिवर्तन अथवा संशोधन के कार्यान्वित होने के समय प्रचलित या विद्यमान न हो,

(ख) इस प्रकार निरस्त, परिवर्तित अथवा संशोधित उपबन्ध के पूर्व प्रवर्तन (previous operation) पर अथवा तद्सम्बन्धी प्रथाविधि किये अथवा पूर्व काम पर प्रभाव न डालेगा,

(ग) इस प्रकार निरस्त, परिवर्तित, अथवा संशोधित उपबन्ध के अधीन उपार्जित, उत्पन्न या भारित किसी अधिकार, आगम, विशेषाधिकार, अधिभार या दायित्व को प्रभावित न करेगा, अथवा

(घ) उपर्युक्त ऐसे किसी अधिकार, आगम, विशेषाधिकार, अधिभार, दायित्व के संबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व किसी उपचार (remedy) अथवा आरम्भ की गई जांच अथवा विधिक कार्यवाहियों पर प्रभाव न डालेगा, और ऐसे किसी उपचार का अनुपालन हो सकेगा और ऐसी किसी जांच अथवा विधिक कार्यवाहियों का संचालन और समापन इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार हो सकेगा।

शंकाओं का निवारण।

२३—सन्देहों के निवारणार्थ एतद्द्वारा यह प्रख्यापित किया जाता है कि मूल अधिनियम के किसी उपबन्ध का निरसन अथवा संशोधन निम्नलिखित पर प्रभाव न डालेगा:

(क) १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा ६ के उपबन्धों के अधीन, मूल अधिनियम की धारा २५, जो आगे चलकर निकाल दी गई है, के अन्तर्गत अनुदत्त किसी व्यक्ति का अविरत प्रवर्तन (continued operations);

(ख) मूल अधिनियम की धारा २७ अथवा २८, जो आगे चलकर निकाल दी गई है, के अनुसार आसन्न ऐसी किस्त के भुगतान का दायित्व जो बहुधा द्वारा देय हो अथवा राज्य सरकार द्वारा ऐसी किस्तों अथवा उनके अंश को, उक्त अधिनियम की धारा २९, जो आगे चलकर निकाल दी गई है, के अधीन मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल करने के अधिकार,

(ग) मूल अधिनियम की धारा ३० अथवा ३१, जो आगे चलकर निकाल दी गई है, के अधीन दी गयी बन्धों (Bonds) को जारी करने के लिये आज्ञप्ति का प्रवर्तन अथवा तदन्तर्गत जारी किये गये किसी भी बन्धों की अविरत वैधता (continued validity);

(घ) मूल अधिनियम की धारायें ३१, ३३ और ३४, जो आगे चलकर निकाल दी गई हैं, के अधीन भूमि में स्वामित्व के अधिकारों के संक्रमण अथवा विक्रय, और

(ङ) अवध सेटिल्ड इस्टेट ऐक्ट, १९१७ अथवा यू० पी० इस्टेट्स ऐक्ट, १९२० में किसी भी बात के होते हुये भी मूल अधिनियम की धारा ४ के अधीन प्रार्थना-पत्र के दिनांक के बाद ऋणी की मृत्यु होने पर मूल अधिनियम की धारा ४० के अधीन उत्पन्न प्रभार (charge)।

२४—१९५० ई० का उत्तर प्रदेश कानूनकार (विशेषाधिकार उपार्जन) (संशोधन) और अधीन निदेश संबंधी अधिनियम की अनुसूची का पैरा २ (यूनाइटेड प्रॉविन्सेज एग्जेम्प्टेड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ से सम्बद्ध) निकाल दिया जाय और उक्त अधिनियम की धारा १० के अधीन यू० पी० एग्जेम्प्टेड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ के चैप्टर ५ के अधीन होने वाली कार्यवाहियों (proceedings) को स्थगित करने के लिये जारी की गई आज्ञायें निरस्त हो जायेंगी।

यू० पी० ऐक्ट ७, १९५० की अनुसूची का संशोधन।

२५—विद्यमान किसी कार्यवाही या आदेश के प्रति या इस अधिनियम द्वारा संशोधित होने के पूर्व मूल अधिनियम के अधीन अर्जित, उत्पन्न या भोगित किसी अधिकार विशेषाधिकार, दायित्व या दायित्व के प्रभाव के प्रति, इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम की व्याप्ति को सुकर बनाने के लिये कोई न्यायालय अथवा अन्य प्राधिकारी इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों का, ऐसे परिवर्तनों अथवा परिष्कारों सहित, ऐसा अर्थ लगा सकता है जिससे तात्पर्य पर प्रभाव न हो और जो न्यायालय अथवा प्राधिकारी के, मामले की दशा हो, अथवा विषय की अनुकूलता में लगने में आवश्यक समझा उपयुक्त हो।

स्थगन के हेतु न्यायालय और अन्य किसी प्राधिकारी के अधिकार।

२६—राज्य सरकार, कठिनाइयों और विशेषकर उन किसी कठिनाई को दूर करने के, जो मूल अधिनियम के उपबन्धों को इस अधिनियम द्वारा संशोधित अधिनियम के उपबन्धों में संक्रमित होने के संबंध में हों, प्रयोजन से आज्ञा द्वारा—

कठिनाइयों को दूर करने का अधिकार।

(क) आदेश दे सकती है कि उस प्रकार से संशोधित मूल अधिनियम इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से दो वर्ष की अवधि पर्यन्त उन अनुकूलनों के अधीन, जो परिष्कार, संशोधन अथवा विलोपन (addition and omission) के रूप में किये जायें जिन्हें वह उचित और आवश्यक समझे, प्रवर्तनीय होगा और

(ख) उपर्युक्त प्रकार की किसी भी कठिनाई को, जो विनिर्दिष्ट की जाय, दूर करने के प्रयोजन से अन्य ऐसे ही उपबन्ध बना सकती है।

उद्देश्य और कारण

राज्य के देहाती क्षेत्रों में जमींदारी के विनाश ने और उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने के अधिनियम, १९५२ के पारित ने उन ऋणों की स्थिति को, जो यू० पी० एग्जेम्प्टेड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ के अन्तर्गत मामलों के विषय में थे, बिलकुल ही बदल दिया है। यू० पी० एग्जेम्प्टेड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ के उन उपबन्धों को हटाने के लिये जो निष्फल और अव्यावहारिक हो गये हैं, तथा अन्य उपबन्धों को परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार परिष्कृत करने के हेतु, यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

चरण सिंह,
माल मंत्री।

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३६ पर)

उत्तर प्रदेश सिविल लाज़ (सुधार तथा संशोधन) विधेयक, १९५३

सिविल लाज़ (दीवानी कानूनों) में सुधारों की व्यवस्था करने का

विधेयक

यह आवश्यक है कि सिविल लाज़ (दीवानी क़ानूनों) में सुधार किया जाय और इसी उद्देश्य से कुछ अधिनियमों का, जहां तक उत्तर प्रदेश में उनकी प्रवृत्ति का सम्बन्ध है, संशोधन किया जाय।

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सिविल लाज़ (सुधार तथा संशोधन) अधिनियम, १९५३ कहलाएगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

अनुसूची में निर्दिष्ट विधायनों का संशोधन।

२—अनुसूची के स्तम्भ २ में निर्दिष्ट विधायन जहां तक उत्तर प्रदेश में उनकी प्रवृत्ति का सम्बन्ध है अनुसूची के स्तम्भ ३ और ४ में वर्णित आयति पर्यन्त (to the extent) संशोधित होंगे और एतद्द्वारा संशोधित किए जाते हैं।

अपवाद (Savings)

३—(१) इस अधिनियम द्वारा किया हुआ कोई संशोधन, पहले से की गयी अथवा हुयी किसी बात (of anything already done or suffered) की, अथवा पहले से उपार्जित, उत्पन्न अथवा भारित किसी अधिकार, आगम, अधिभार अथवा दायित्व (any right, title, obligation or liability already acquired, accrued, or incurred) की, अथवा किसी ऋण की डिक्री से मुक्ति या उसके उत्सर्जन या किसी दायित्व से मुक्ति या उसके उत्सर्जन अथवा अधिक्षेत्र की जो प्रयोग में लाया गया हो, (any release or discharge of or from any debt, decree, liability, or any jurisdiction already exercised), वैधता, अवैधता, फल अथवा परिणाम पर प्रभाव न डालेगा (shall not affect the validity, invalidity, effect or consequence of), और इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व किसी न्यायालय में निविष्ट या आरब्ध (instituted or commenced) व्यवहार, जहां पर किये गये किसी संशोधन के होते हुए भी, उक्त न्यायालय द्वारा सुने और निर्णीत किये जा सकेंगे।

(२) यदि इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ में अथवा अनुसूची के स्तम्भ २ में वर्णित किसी अन्य विधायन में किसी संशोधन के हो जाने के कारण किसी वाद अथवा अपील के लिये नियत अवधि परिष्कृत हो गयी हो अथवा ऐसे वाद अथवा अपील पर कोई भिन्न अवधि अब से प्रवृत्त होने वाली हो, तो ऐसे संशोधन के अथवा इस बात के होते हुए भी कि अब वाद अथवा अपील किसी अन्य न्यायालय में हो सकेगी, उपर्युक्त वाद अथवा अपील में, इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व कालावधि (limitation) आरम्भ हो जाने पर, वही अवधि प्रवृत्त होगी जो इस संशोधन के न होने पर होती।

अनुसूची

क्रम-संख्या	अधिनियम का संक्षिप्त नाम	अधिनियम की धारा	संशोधन
१	२	३	४
१	इंडियन एविडेंस ऐक्ट, १८७२ (ऐक्ट सं० १, १८७२)	९०	वर्तमान धारा, धारा ९० (१) के रूप में पुनः परिगणित किया जाय, और (क) शब्द "Thirty years" के स्थान पर शब्द "Twenty years" रख दिये जाय, और (ख) उसके बाद निम्नलिखित नयी उपधारा (२) के रूप में रख दिया जाय :– "(2) Where any such document as is referred to in sub-section (1) was registered in accordance with the law relating to registration of documents and a certified copy thereof duly certified by an officer duly authorised in that behalf is produced, the Court may presume that the signature and every other part of such document which purports to be in the handwriting of any particular person, is in that person's handwriting, and, in the case of a document executed or attested, that it was duly executed and attested by the person by whom it purports to have been executed or attested".
२	ट्रांसफ़र आफ़ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ (१८८२ का ऐक्ट सं० ४)	१०६	(१) शब्द "expiring with the end of a year of the tenancy" और शब्द "expiring with the end of a month of the tenancy." निकाल दिये जाय। (२) शब्द "fifteen days' notice" के स्थान पर शब्द "thirty days' notice" रख दिये जायं।
३	प्राविंशियल स्माल काज कोर्ट ऐक्ट, १८८७ (१८८७ का ऐक्ट सं० ९)	सेकेंड शिडयूल	(१) आर्टिकिल (८), (२६), (३४) और आर्टिकिल (३५) का उपखंड (२) और आर्टिकिल (४३-ए) निकाल दिए जायं। (२) वर्तमान आर्टिकिल (३८) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :– "(38) a suit relating to maintenance but not being a suit for recovery of arrears of maintenance based upon a decree or a written agreement."

अग्रसर प्रदेश

क्रम-संख्या	अधिनियम का संक्षिप्त नाम	अधिनियम की धारा	संशोधन
१	२	३	४
४	बंगाल, आगरा ऐंड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७ (१८८७ का ऐक्ट सं० १२)	२१	उपधारा (१) के खंड (ए) में शब्द "five thousand rupees" के स्थान पर शब्द 'ten thousand rupees' रख दिये जायें।
५	कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ (१९०८ का ऐक्ट सं० ५)	३५-ए	(१) वर्तमान उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाए :—

"(1) If any suit or other proceeding, including proceedings in execution, but not being an appeal or revision, the court finds that the claim or defence or any part thereof is false or vexatious to the knowledge of the party by whom it has been put forward and if such claim or defence or such part is disallowed, abandoned or withdrawn in whole or in part, the court may, after recording its reasons for holding such claim or defence to be false or vexatious, make an order for the payment of costs by way of compensation to the party by whom to the party against whom such claim or defence was put forward."

" " ४२ (२) वर्तमान धारा के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये :—

"42. The court executing a decree sent to it shall except as provided for in section 39 have the same power in executing such decree as the court which passed it. All persons disobeying or obstructing the execution of decree shall be punishable by such court in the same manner as if it had passed the decree, and its order in executing such decree shall be subject to the same rules in respect of appeal as if the decree had been passed by itself."

" " ४७ (३) धारा ४७ के वर्तमान स्पष्टीकरण को "Explanation I" के रूप में पुनः परिगणित किया जाय, और

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	अधिनियम का संक्षिप्त नाम	अधिनियम की धारा	संशोधन
१	२	३	४
			उसके बाद निम्नलिखित "Explanation II" के रूप में जोड़ दिया जाय : "*Explanation II*— For the purposes of this section a purchaser at an auction sale in execution of the decree is representative of the judgment-debtor".
कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ (१९०८ का ऐक्ट सं० ५)		५१	(४) खंड (बी) के बाद निम्नलिखित नया खंड (बीबी) के रूप में जोड़ दिया जाय : "(*bb*) by attachment and transfer other than sale or by such transfer without attachment of any property."
,,	,,	९२	(५) उपधारा (१) में खंड (सी) के बाद निम्नलिखित नया खंड (सीसी) के रूप में जोड़ दिया जाय : "(*cc*) for delivery of possession of any trust property against a person who has ceased to be trustee or has been removed."
,,	,,	१०२	(६) धारा के अन्त में आने वाले शब्द "five hundred rupees" के स्थान पर शब्द "two thousand rupees" रख दिये जांय ।
,,	,,	१४४	(७) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :— "(1) Where and in so far as a decree or an order is varied or reversed in appeal, revision or otherwise, the court of first instance shall on the application of any party entitled to any benefit by way of restitution or otherwise, cause such restitution to be made, as will, so far as may be, place the party in the position which they would have occupied but for such decree or order or such part thereof as has been varied or reversed; and, for this purpose, the Court may make any orders, including orders for the refund of costs and for the payment of interest, damages, compensation and mesne profits, which are properly consequential on such variation or reversal."

उत्तर प्रदेश सरकार

क्रम-संख्या	अधिनियम का संक्षिप्त नाम	अधिनियम की धारा	संशोधन
१	२	३	४
	कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ (१९०८ का ऐक्ट सं० ५)	१४५	(८) वर्तमान धारा १४५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय : "145. Where any person has become liable as surety or given any property as security— (*a*) for the purpose of any decree or any part thereof, or (*b*) for the restitution of any property taken in execution of a decree, or (*c*) for the payment of any money, or for the fulfilment of any condition imposed on any person, under an order of the Court in any suit or in any proceeding consequent thereon— (i) if he has rendered himself personally liable, against him to the extent he has so rendered liable, and (ii) if he has given any property as security, by sale of such property to the extent of the security; and such person shall, for the purposes of appeal, be deemed a party within the meaning of section 17 : Provided that such action as the court in each case thinks sufficient has been given to the surety. *Explanation*—For the purposes of this section a person who has been entrusted by a Court custody of any property attached in execution of any decree or order shall be deemed to have become liable as surety for the restitution of such property within the meaning of clause (*b*)".
६	दि इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ (१९०८ का ऐक्ट सं० ९)	दि फर्स्ट शिड्यूल	(१) आर्टिकिल १२ में शीर्षक "Period of Limitation" के नीचे वाले इन्दराज "one year" के स्थान पर शब्द "six months" रख दिये जांय, (२) आर्टिकिल १८२ में शीर्षक "Period of Limitation" के नीचे वाले इन्दराज "three years" के स्थान पर शब्द "six years" रख दिये जांय।

क्रम-संख्या	अधिनियम का संक्षिप्त नाम	अधिनियम की धारा	संशोधन
१	२	३	४
७	दि इंडियन लयुनेन्सी ऐक्ट, १९१२ (१९१२ का ऐक्ट सं० ४)	३	इस धारा की उपधारा (३) के अन्त में आने वाले कोलन के स्थान पर फुल स्टाप रख दिया जाय और उसके बाद निम्नलिखित रख दिया जाय : "and includes any other civil court of a Munsif declared in that behalf and for such areas as may be specified by the State Government by notification in the Gazette, or"
८	दि प्रोविंशियल इन्सालवेन्सी ऐक्ट, १९२० (१९२० का ऐक्ट सं० ५)	२०	(१) वर्तमान धारा के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :— "20. The Court when making an order admitting the petition may, and where the debtor is a petitioner, shall, appoint an interim receiver of the property of the debtor and may direct such receiver to take immediate possession thereof, and the interim receiver shall thereupon have such of the powers conferable on a receiver appointed under the Code of Civil Procedure, 1908, as the court may direct. Where in any case an interim receiver is not appointed at the time of admitting the petition, the court may make such appointment at any subsequent time before adjudication, and the provisions of this section shall apply accordingly. *Explanation*—The order appointing an interim receiver may in cases where the debtor is not the petitioner be in respect of either the whole or a part only of the debtor's property." (२) उपधारा (३) के बाद निम्नलिखित नयी उपधाराएं (४) से (७) तक जोड़ दी जाय : "(4) If on his examination any such person admits that he is indebted to the insolvent, the court on such officer may, on the application of the receiver, order him to pay to the receiver at such time and in such manner as to the court or such, officer seems expedient, the amount in
५९-ए			

उत्तर प्रदेश सभा

क्रम-संख्या	अधिनियम का संक्षिप्त नाम	अधिनियम की धारा	संशोधन
१	२	३	४
	दि प्रोविंशियल इन्सालवेंसी एक्ट, १९२० (१९२० का एक्ट नं० ५)		which he is indebted, or any part thereof either in full discharge of the whole amount or not, as the court, or as the case may be, the officer thinks fit, with or without costs of the examination. (5) If on his examination any such person admits that he has in his possession any property belonging to the insolvent, the court or such officer may, on the application of the receiver, order him to deliver to the receiver that property or any part thereof, at such time, in such manner and on such terms as to the court or, as the case may be, the the officer may seem just. (6) Orders made under sub-sections (4) and (5) shall be executed in the same manner as decrees for the payment of money or for the delivery of property, under the Code of Civil Procedure, 1908, respectively. (7) Any person making any payment or delivery in pursuance of an order made under sub-section (4) or sub-section (5) shall by such payment or delivery be discharged from all liability whatsoever in respect of such debt or property." ७८ (३) शब्द "five hundred rupees" के स्थान पर शब्द "one thousand rupees" रख दिये जायें।

उद्देश्य और कारण

[illegible]

अपर प्रदेश सभा

(२) इंडियन एविडेंस ऐक्ट, १८७२ की धारा ९० के अधीन उन लेखों (documents) के निष्पादन को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है जो ३० साल पुराने हों क्योंकि उनकी सिद्धि के लिए उपयुक्त साक्ष्य ढूंढना कठिन है। इस धारा में नियत ३० वर्ष की अवधि बहुत बड़ी है और उसे २० वर्ष कर देने का प्रस्ताव है। यह भी प्रस्ताव है कि धारा ९० के अधीन परिकल्पना (प्रिसम्पशन) का लाभ यदि लेख की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर दी जाय तो भी मिलना चाहिए। न्यायालयों का बहुत सा समय इन लेखों की प्रमाणिकता के बारे में मौलिक साक्ष्य अभिलिखित करने में नष्ट हो जाता है, यह समय इस संशोधन द्वारा बच जायगा।

इसके अलावा प्रापर्टी ऐक्ट की धारा १०६ में संशोधन का लक्ष्य है कि लगुवारी किरायेदारी की दशा में ६ दिन की अवधि १५ दिन से ३० दिन कर दी जाय और साथ ही साथ यह कठिनाई दूर कर दी जाय कि लीज किरायेदारी की अवधि के आखिरी दिन पर समाप्त हो।

प्रक्रियात्मक स्थान कारण कोड ऐक्ट के शिड्यूल २ को संशोधित किया जा रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे मामले जो उस न्यायालयों की प्रवेशता (cognizances) में नहीं आते, उनके द्वारा सुने जा सकेंगे। यह मामले इन न्यायालयों द्वारा सुने जाने वाले दूसरे मामलों से साधारणतया भिन्न नहीं हैं। आशा की जाती है कि इस प्रकार न्याय की प्राप्ति सरलता से होगी।

अंततः, अपराध एवं आलोच सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७ को संशोधित करने का प्रस्ताव है, जिससे ५,००० से १०,००० रुपये तक के मूल्य वाले मामले जिला जजों द्वारा सुने जा सकें और छोटे कोर्ट में काम घट जाय और अपीलों का निपटारा तेजी से हो सके।

सूठी मुकदमेबाजी और कार्यवाहियों की लम्बाई को रोकने के लिए कोड आफ सिविल प्रोसीजर में कई संशोधन किये जा रहे हैं। कोड आफ सिविल प्रोसीजर की वर्तमान धारा ३५-ए के अधीन न्यायालय को उसे विशेष वाद-व्यय दिलाने का अधिकार है यदि वह यह प्रतीत करे कि विरोधी पक्ष की अनावश्यक मुकदमे दायर करने का परेशान करने वाला है। न्यायालय, यदि यह प्रतीत न उठायी गयी हो, तो यह प्रस्ताव है कि दावा का दावा झूठा था विशेष वाद-व्यय नहीं दिला सकता। अनावश्यक मुकदमेबाजी को समाप्त करने के लिए धारा ३५-ए को संशोधित करके न्यायालय को अन्ततः ही विशेष वाद-व्यय दिलाने का अधिकार देने का प्रस्ताव है, यदि न्यायालय को यह विश्वास हो कि दावा का दावा झूठा था।

जब एक न्यायालय ठीक से दूसरी किसी दूसरे न्यायालय को संबोधित की जाती है, तो उस न्यायालय को, जिसे डिक्री भेजी जाती है, डिक्री के निष्पादन, नियंत्रण अथवा भारों से सम्बन्ध कई प्रकार की शक्तियां प्रदान करने का अधिकार नहीं प्राप्त है। ऐसे न्यायालयों को यह अधिकार देने का प्रस्ताव है जिससे पक्षों को उस न्यायालय को पास अपील को आवश्यकता नहीं रह जायगी, जिसने डिक्री की है। सिविल प्रोसीजर कोड में अन्य कोई संशोधन करने का भी प्रस्ताव है।

डिक्री को कायम रखने के लिये बहुत से बेकार के प्रार्थना-पत्र उसे जारी करने के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं। इससे न तो डिक्रीदार को ही फायदा होता है न ऋणी को ही फायदा होता है, क्योंकि उस पर अनावश्यक खर्चा लदता ही जाता है। न्यायालयों का भी बहुत सा समय इन प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण में लगा जाता है। अतः लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ के आर्टिकिल १८२ में प्रदत्त ३ वर्ष की अवधि के स्थान पर ६ वर्ष कर देने का विचार है।

डिस्ट्रिक्ट जजों के पास काम को घटाने के विचार से इंडियन लुनेन्सी ऐक्ट को संशोधित किया जा रहा है जिससे इस ऐक्ट के अधीन मामलों की सुनवाई सिविल जज ही कर सकें।

कई बार ऐसा देखा गया है कि रिसीवर में निहित सम्पत्ति उसके कब्जे में नहीं आ पाती और दिवालिये का अधिकार उस पर बना रहता है। इसलिए यह उचित है कि जब ऋणी द्वारा दिवालिया निर्णित करने के लिए प्रार्थना-पत्र दिया जाय तो सभी दशाओं में न्यायालय रिसीवर को यह आदेश दे कि वह प्रार्थी की सम्पत्ति पर तत्काल कब्जा कर ले। तदनुसार प्रांतीय स्मॉल कॉज़ ऐक्ट की धारा २० को संशोधित किया जा रहा है। इस ऐक्ट को इस अभिप्राय से भी संशोधित किया जा रहा है कि क्षिप्र प्रशासन (summary administration) की सीमा ५०० रु० से १,००० रु० कर दी जाय।

अतएव उत्तर प्रदेश सिविल लाज़ (सुधार और संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

सैयद अली ज़हीर,
न्याय मंत्री।

विधान सभा प्रदेश सचिवालय

नत्थी 'छ'

(देखिये नीचे पृष्ठ ३६ पर)

उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण विधेयक, १९५३

उत्तर प्रदेश के भूमि सम्बन्धी साधनों के संरक्षण तथा सुधार की व्यवस्था करने का

विधेयक

यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश के भूमि सम्बन्धी साधनों के संरक्षण तथा सुधार की व्यवस्था की जाय,

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

अध्याय १

प्रारम्भिक

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम, १९५३ कहलाएगा। संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट करे और राज्य के विभिन्न भागों अथवा जिलों के लिए विभिन्न दिनांक निश्चित किए जा सकते हैं।

२—इस अधिनियम में विषय या प्रसंग के प्रतिकूल न होने पर :— परिभाषाएं।

(१) 'लाभार्थी' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी भूमि को योजना के निष्पन्न होने के परिणामस्वरूप लाभ होगा,

(२) 'मंडल' का तात्पर्य धारा ३ के अधीन स्थापित भूमि संरक्षण मंडल से है,

(३) 'कलेक्टर' के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति है जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर के अधिकारों और कर्तव्यों का प्रयोग करने के लिये नियुक्त अथवा पदयुक्त करे,

(४) 'जिला समिति' का तात्पर्य धारा ५ के अधीन स्थापित जिला भूमि संरक्षण समिति से है,

(५) 'नियत' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है,

(६) 'जिला भूमि संरक्षण अधिकारी' का तात्पर्य इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में नियुक्त अथवा पदयुक्त अधिकारी से है,

(७) 'राज्य सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(घ) 'निर्माण (work)' का तात्पर्य योजना के अधीन बनाये या खड़े किये गये, निष्पादित या किये गये (constructed, created, performed or carried out) किसी सार्वजनिक उपयोगिता के निर्माण से है और इसके अन्तर्गत योजना के अधीन व्यवस्थित वनीकृत क्षेत्र (afforested area) तथा चरागाह (pasture) भी है।

अध्याय २

प्रशासकीय संगठन

उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण मंडल

३.—(१) इस अधिनियम के प्रचलित होने के बाद यथाशीघ्र राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के लिये भूमि संरक्षण मंडल की स्थापना करेगी।

(२) मंडल में निम्नलिखित होंगे :—

(क) कृषि मंत्री, जो पदेन सभापति होंगे,

(ख) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त दो उपमंत्री,

(ग) विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित तीन सदस्य

(घ) विधान परिषद् के सदस्यों द्वारा निर्वाचित दो सदस्य,

(ङ) राज्य सरकार द्वारा नामांकित तीन सदस्य।

(३) राज्य सरकार के कृषि विभाग का सचिव अथवा अन्य ऐसा अधिकारी जिसे राज्य सरकार नामांकित करे, मंडल का पदेन सचिव (Secretary) होगा।

(४) उपधारा (२) के खंड (ग) से (ङ) तक में अभिलिष्ट सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा :

किन्तु परन्तुक यह है कि यदि कोई सदस्य यथास्थिति उपमंत्री विधान सभा का सदस्य अथवा विधान परिषद् का सदस्य न रहे तो वह इस बात के होते हुए भी कि उसका कार्यकाल समाप्त न हुआ हो, सदस्य न रह सकेगा :

और प्रतिपन्थ यह भी है कि उस सदस्य का कार्यकाल जो आकस्मिक रिक्ति (casual vacancy) की पूर्ति के लिये निर्वाचित अथवा नामांकित हुआ हो उसके पूर्वगामी व्यक्ति के कार्यकाल का अवशिष्ट भाग होगा।

मंडल के कार्य

४.—मंडल के कार्य निम्नलिखित होंगे :—

(क) राज्य अथवा उसके किसी भाग के निमित्त भूमि संरक्षण की योजना अथवा कार्यक्रम पर विचार करना और स्वीकृति देना,

(ख) अधिनियम के अधीन भूमि संरक्षण के लिये स्वीकृत योजना के निष्पादनार्थ उपाय और साधन निकालना,

(ग) अन्य ऐसे कार्यों का पालन जो इस अधिनियम अथवा इसके अन्तर्गत नियमों में निर्दिष्ट किये जायं।

५—(१) प्रत्येक जिले में एक जिला भूमि संरक्षण समिति जिला समिति स्थापित की जायगी।

इसमें निम्नलिखित होंगे :—

(क) कलेक्टर,

(ख) लोकसभा के एतद्दीकृत प्रतिनिधि,

(ग) सिंचाई विभाग कार्य के अफसर इन्जीनियर,

(घ) डिवीजनल फारेस्ट अफसर,

(ङ) डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन अफसर,

(च) जिला भूमि संरक्षण अधिकारी।

(२) कलेक्टर अथवा उसकी अनुपस्थिति में उसके द्वारा नामांकित उसका प्रतिनिधि समिति की बैठकों का सभापतित्व करेगा।

(३) जिला भूमि संरक्षण अधिकारी पदेन समिति का सचिव होगा।

(४) जिला भूमि संरक्षण समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे :—

(क) जिला अथवा उसके किसी भाग के लिये भूमि संरक्षण योजना तैयार करना,

(ख) जिला अथवा उसके किसी भाग के निमित्त भूमि संरक्षण योजना के निष्पादनार्थ उपाय और साधन निकालना,

(ग) योजना के निष्पादनार्थ का पर्यवेक्षण (supervision) करना,

(घ) जिले में भूमि संरक्षण के अन्य ऐसे कार्य करना जो इस अधिनियम अथवा उसके अन्तर्गत नियमों में निर्दिष्ट किए जावें।

अध्याय ३

भूमि संरक्षण योजना की तैयारी

६—किसी भी क्षेत्र में भूमि संरक्षण का कार्य निम्नलिखित दृष्टिकोणों से किया जायगा :— भूमि संरक्षण के उद्देश्य।

(क) भूमि का क्षरण रोकने के लिये,

(ख) प्रधानतः जलक्षेत्रित क्षेत्रों में भूमि की जलधारण शक्ति बढ़ाने के लिये,

(ग) भूमि को ऊसर होने से बचाने के लिए, और

(घ) बाढ़ रोकने के लिये।

७—जब कभी जिला समिति आवश्यक समझे तो वह मंडल से सिफारिश कर सकती है कि जिला अथवा उसके किसी निर्दिष्ट भाग में भूमि संरक्षण कार्य किया जाय। जिला में भूमि संरक्षण कार्य करने के निमित्त जिला समिति की सिफारिशें।

मंडल का परामर्श।

८---जब मंडल को यह संतोष हो कि जिला या उसके किसी भाग में भूमि संरक्षण करना आवश्यक है तो वह राज्य सरकार को निम्नलिखित के विषय में परामर्श और आख्या (report) दे सकता है :---

(क) जिला अथवा उसके भाग में किया जाने वाला भूमि संरक्षण, और

(ख) मंडल द्वारा राज्य सरकार को भेजी गई आख्या में वर्णित प्रयोजनों के दृष्टिकोण से जिला समिति द्वारा योजना तैयार करवाना।

तथ्यों के संकलन और योजना के निर्माण के सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश।

९---(१) राज्य सरकार, यदि वह आख्या स्वीकार कर ले तो :---

(क) जिला भूमि संरक्षण अधिकारी को आदेश दे सकती है कि वह जिला समिति द्वारा जिला अथवा उसके किसी निर्दिष्ट भाग के लिये भूमि संरक्षण योजना की तैयारी के लिए भूमापन (survey) करे, तथ्य (data) एकत्रित करे और प्रस्ताव (proposals) तैयार करे,

(ख) जिला समिति को आदेश दे सकती है कि खंड (क) के अधीन प्रस्ताव प्राप्त होने पर मंडल द्वारा राज्य सरकार को धारा ८ के अधीन भेजी गई आख्या में वर्णित प्रयोजनों के निमित्त, वह योजना तैयार करे।

(२) भूमि संरक्षण योजना (जिसे आगे चल कर योजना कहा गया है) नियत आकार में तैयार की जायगी जिसमें निम्नलिखित प्रदर्शित होंगे :---

(क) योजना के अन्तर्गत क्षेत्र की आयति और ब्योरे,

(ख) अनुसूची में निर्दिष्ट विषयों के सम्बन्ध में की जाने वाली व्यवस्था के ब्योरे,

(ग) योजना के निष्पादन का कार्यक्रम,

(घ) योजना के निष्पादन के उपाय और साधन,

(ङ) योजना के सम्बन्ध में लाभार्थी को दिये जाने वाले अधिकार, तथा उसके सम्पादन, पूर्ति और रखरखाव में, जिसके अन्तर्गत लाभार्थी द्वारा देय प्रभार भी, यदि कोई हो, होगा, सम्बद्ध दायित्व।

जिला योजना का निर्माण।

१०---धारा ९ के अधीन मांग (requisition) की प्राप्ति पर जिला समिति अथवा उसके किसी भाग के निमित्त, जैसी भी दशा हो, मंडल की आख्या में वर्णित आदेशों के अनुसार एक योजना बनायेगी।

योजना मंडल के पास प्रस्तुत की जायगी।

११---(१) धारा १० के अधीन निर्मित योजना कलेक्टर द्वारा राज्य सरकार के पास भेजी जायगी जो उसे विचार के लिए मंडल के समक्ष रखेगी।

(२) मंडल के समक्ष योजना प्रस्तुत किये जाने के बाद वह उस पर यथाशीघ्र विचार करेगा और उसे या तो सपरिष्कार अथवा बिना परिष्कार किए, स्वीकार कर लेगा अथवा अस्वीकार कर देगा।

(३) मंडल द्वारा योजना अस्वीकार हो जाने पर राज्य सरकार जिला समिति को तदनुसार सूचित करेगी और जिला समिति उस पर आगे कार्यवाही न करेगी।

१२—(१) यदि योजना मंडल द्वारा धारा ११ के अधीन स्वीकृत हो जाय तो वह राज्य सरकार के पास भेज दी जायगी और जो उसे कलेक्टर के पास जिले में नियत रीति से प्रकाशनार्थ भेज देगी। आख्या का आपत्तियों के लिए प्रकाशन।

(२) कोई भी व्यक्ति, जिस पर योजना का प्रभाव पड़ने की संभावना हो, प्रकाशन से ३० दिन के भीतर जिला भूमि संरक्षण अधिकारी के पास नियत रीति से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

१३—(१) जिला भूमि संरक्षण अधिकारी, धारा १२ के अधीन प्रस्तुत आपत्तियों पर यदि आवश्यक हो तो, पक्षों की सुनवाई करके उन आपत्तियों पर अपनी आख्या कलेक्टर के पास प्रस्तुत करेगा जो उन्हें नियत रीति से निस्तारित करेगा। आपत्तियों का निस्तारण।

(२) यदि धारा १२ में नियत अवधि के भीतर कोई आपत्ति प्रस्तुत न की गई हो अथवा यदि कोई आपत्ति प्रस्तुत की गयी हो और वह अन्ततः निस्तारित हो गई हो तो कलेक्टर ऐसे परिष्कारों अथवा परिवर्तनों सहित जो उपधारा (१) के अधीन आज्ञाओं के, यदि कोई हों, अनुसार आवश्यक हों, योजना को, प्रस्तुत तथा निस्तारित आपत्तियों पर आख्या सहित, राज्य सरकार को भेज देगा।

१४—धारा १३ के अधीन योजना और आख्या के प्राप्त होने पर राज्य सरकार मंडल के परामर्श से सपरिष्कार अथवा बिना परिष्कार किये योजना को पुष्ट (confirm) कर सकती है और उसे सरकारी गजट में और सम्बद्ध जिले में प्रकाशित करा सकती है। योजना की पुष्टि

ऐसे प्रकाशन के पश्चात् योजना अन्तिम हो जायगी।

अध्याय ४

योजना का निष्पादन

१५—योजना ऐसे दिनांक को प्रचलित होगी जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे। योजना प्रचलित होने का दिनांक।

१६—धारा १४ के अधीन सरकारी गजट में योजना के प्रकाशन से ३० दिन के पश्चात् जिला भूमि संरक्षण अधिकारी और उसके अधीनस्थ कर्मचारियों तथा उसके द्वारा इस सम्बन्ध में अधिकृत श्रमिकों के लिए यह वैध होगा कि वह :— योजना के अन्तर्गत व्यापारों को कार्यान्वित करने का अधिकार।

(क) ऐसे क्षेत्र की किसी भूमि में जिस पर योजना प्रवृत्त हो, प्रवेश करें, उसकी माप करें और उसका समतल लें (टेक लेवल),

(ख) ऐसी भूमि को खोदें या उसके अन्तस्तल (सब-स्वायल) वेधन (बोर) करें,

(घ) निर्माण खड़ा करें, नष्ट निर्मित करें और ऐसे अन्य कार्य करें जो योजना के निष्पादन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हों।

कार्यपालकों के आदेश।

१७—(१) जिला भूमि संरक्षण अधिकारी नोटिस देकर किसी लाभार्थी को आदेश दे सकता है कि वह नोटिस में निर्दिष्ट किसी निर्माण-कार्य को उसमें बताई गई रीति से और अवधि के भीतर अपनी लागत से बनवाये।

(२) यदि ऐसा लाभार्थी उपधारा (१) के अधीन नोटिस के अनुसार आदिष्ट कार्य नहीं करता है अथवा उसे करने में अपनी असमर्थता प्रकट करता है अथवा जिला भूमि संरक्षण अधिकारी ऐसा समझता है कि लाभार्थी ऐसा कर सकता था या है तो जिला भूमि संरक्षण अधिकारी वह कार्य स्वयं कर या उसके लिए किसी व्यक्ति को लाभार्थी के नियत दरों से वसूल कर सकेगा।

योजना को कार्यान्वित करने में बल प्रयोग करने की जिला भूमि संरक्षण अधिकारी को अधिकार।

१८—जिला भूमि संरक्षण अधिकारी ऐसी कार्यवाही कर सकता है अथवा कार्य करा सकता है, जिसे वह अपेक्षित कर सकता है अथवा करा सकता है तो उनके विचार से इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार योजना के निष्पादन के लिये आवश्यक हो।

स्वामी तथा अन्य व्यक्ति ऐसे व्यापार में विघ्न न डालेंगे।

१९—कोई व्यक्ति योजना क्षेत्र की भूमि पर या उसमें अथवा उसके साथ कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जो उस क्षेत्र में योजना के निष्पादन में विघ्न या बाधा डाले।

उद्धार किया व्यय।

२०—(१) किसी क्षेत्र में योजना के निष्पादन में राज्य सरकार द्वारा किया हुआ व्यय सम्बद्ध लाभार्थियों से वसूल किया जायगा।

(२) प्रत्येक लाभार्थी द्वारा दी जाने वाली धनराशि नियत रीति से अवधारित की जायगी तथा वह सम्बद्ध भूमि पर प्रभार (charge) होगी।

(३) इस प्रकार अवधारित धनराशि पर किसी वाद अथवा विधिक कार्यवाही में कोई विवाद न हो सकेगा।

(४) जिला भूमि संरक्षण अधिकारी यह भी अवधारित करेगा कि उपधारा (२) के पश्चात् सम्बद्ध व्यक्तियों द्वारा देय धनराशि एकमुश्त अथवा किस्तों में दी जायगी और यदि वह किस्तों का आदेश करे तो वह ऐसी किस्तों की धनराशि और संख्या तथा अदेय किस्त देय होने की तिथि निश्चित करेगा।

(५) यदि कोई व्यक्ति धनराशि नहीं देता है अथवा देने से इन्कार करता है, तो वह उसी प्रकार वसूल की जायगी मानो कि मालगुजारी का बकाया हो।

योजना की प्रगति की आख्या।

२१—(१) जिला भूमि संरक्षण अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह समय-समय पर ऐसे आकार में और ऐसे अन्तरालों (intervals) पर, जो नियत किये जायं, योजना के निष्पादन की प्रगति की आख्या जिला समिति को प्रस्तुत करे।

(२) प्रगति की आख्या की एक प्रति राज्य सरकार के पास भी भेजी जायगी।

योजना की पूर्ति तथा निष्पादन के विषय में राज्य सरकार को आख्या।

२२—(१) कलेक्टर योजना निष्पन्न होने के बाद यथाशीघ्र इस आशय की आख्या जिला समिति मंडल तथा राज्य सरकार के पास भेजेगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन आख्या नियत आकार में तैयार की जायगी और उसमें निम्नलिखित बातें होंगी :—

(क) उपधारा (३) में अभिविष्ट निर्माण-कार्यों का विवरण,

(ख) उपधारा (४) में अभिविष्ट अधिकारों और दायित्वों का विवरण, और

(ग) अन्य ऐसे विवरण जो नियत किये जायं।

(३) निर्माण-कार्यों का विवरण नियत आकार में होगा और इसमें निम्नलिखित बातें होंगी :—

(क) योजना के अधीन किये गये निर्माण-कार्यों का विवरण,

(ख) अनुसूची में निर्दिष्ट अन्य विभिन्न विषयों के लिये किये गये उपबन्धों का विवरण,

(ग) अन्य ऐसे ब्यौरे जो नियत किये जायं।

(४) अधिकारों और दायित्वों का विवरण नियत आकार में तैयार किया जायगा और उसमें निम्नलिखित बातें होंगी :—

(क) लाभार्थियों के अधिकार और दायित्व,

(ख) योजना के निष्पादन के सम्बन्ध में उनके द्वारा किये जाने वाले प्रभार, यदि कोई हों, और

(ग) अन्य ऐसे ब्यौरे जो नियत किये जायं।

अधिकार और दायित्व के विवरण में इन्दराज।

२३—(१) अधिकार और दायित्व के विवरण में इन्दराज यथावश्यक ग्राम अभिलेख (village record) में ऐसी रीति से किये जायेंगे जो नियत की जाय और तत्पश्चात् वे ग्राम अभिलेख का अंग होंगे।

(२) ग्राम अभिलेख में इस प्रकार किये गये इन्दराज किसी भी अभिलिखित मामलों के विषय में सारभूत रूप से सत्य किये जा सकेंगे और जब तक कि उनके विपरीत सिद्ध न कर दिया जाय, वह सारभूत परिकल्पित होंगे (shall be presumed to be true)।

आख्या तथा दायित्वों का विसर्जन (discharge)

२४—(१) ग्राम दल के अधीन आख्या में निर्दिष्ट मामलों के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :—

(क) इस योजना के अन्तर्गत निर्दिष्ट अथवा वयस्थित निर्माण-कार्यों की आवश्यक जांच, पड़ताल और सत्यापन करना, और

(ख) योजना के अधीन लगाये गये उक्त मामलों की आख्या का विसर्जन (discharge)।

(२) यदि मामलों उपधारा (१) के उपबन्धों के अनुसार निर्माण कार्यों की पर्याप्त अवधि या समय तक सम्पन्न करने के लिये उपयुक्त अभिलिखित आख्या प्रस्तुत करें तो कलेक्टर निर्माण की पर्याप्त अवधि सम्पन्न करना माना है और ऐसे दायित्वों को विसर्जित कर सकता है और ऐसे पश्चात् अवधि अथवा विसर्जन की पावती उक्त मामलों को प्रस्तुत कर देगा।

अध्याय ५

प्रकीर्ण

शास्ति

२५—यदि कोई व्यक्ति अधिनियम अथवा तदन्तर्गत निर्मित नियम अथवा दी गई आज्ञा का उल्लंघन करता है तो वह अर्थदंड का भागी होगा जो ५०० रुपये से अधिक न होगा।

अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों का रक्षण।

२६—सरकार या किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे कार्य के लिये, जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किया गया हो या लिये इस प्रकार करने का उद्देश्य हो, कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक व्यवहार (सूट प्रोसीडिंग आर अदर लीगल प्रोसीडिंग) निविष्ट (इंस्टीट्यूट) नहीं किये जा सकेंगे।

नियम बनाने का अधिकार।

२७—(१) राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।

(२) उक्त अधिकार की व्यापकता को सीमित न करते हुये उक्त नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था होगी :—

(क) मंडल तथा जिला समिति की व्यवस्था तथा संगठन से सम्बन्ध विषय,

(ख) मंडल तथा जिला समिति द्वारा कार्यवाहियों के संचालन, समितियों के विघटन तथा सदस्यों के हटाये जाने की प्रक्रिया और रीति,

(ग) धारा ८ के अधीन सारवान या आकार तथा उसमें निर्दिष्ट किये जाने वाले ब्योरे,

(घ) धारा १० के अधीन किसी के अधिग्रहण के प्रस्ताव की रीति,

(ङ) धारा १२ के अधीन प्रारंभिक सर्वेक्षण का प्रकार तथा उसमें निर्दिष्ट किये जाने वाले ब्योरे,

(च) इस अधिनियम द्वारा तथा उसके अधीन आवश्यक या लिये रहे आने वाले विज्ञप्तियों, सूचनाओं, अभिलेखों तथा अन्य आवश्यकताओं के आकार,

(छ) इस अधिनियम अथवा नियमों के अधीन विभिन्न प्रयोजनों के लिये किये जाने वाले आवेदनों का आकार और रीति,

(ज) इस अधिनियम अथवा नियमों के अधीन तामील किये जाने वाले नोटिसों के आकार और उनके तामील किये जाने की प्रक्रिया,

(झ) इस अधिनियम अथवा नियमों के अधीन की जाने वाली बातों के लिये कालावधि का निर्धारण जिसके भीतर वे बातें अवश्यमेव हो जानी चाहिये तथा उसके अन्तर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी के इन लगाई गई कालावधियों के बढ़ाने अथवा बढ़ा न सकने का उन दशाओं में अधिकार जिनकी यहां पर कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गई है,

(ञ) उन मामलों में जिनके लिये यहां पर स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गई है इस अधिनियम अथवा नियमों के अधीन प्रार्थना-पत्र और अपील प्रस्तुत करने का समय,

(ट) उन मामलों में जिनके लिये यहां पर स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गई है, इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में, जिनके अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र तथा आपत्तियों का प्रस्तुत करना और निस्तारण भी है, अनुसरण की जाने वाली विधि,

(ठ) इस अधिनियम के अधीन क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी भी अधिकारी अथवा प्राधिकारी के कर्तव्य तथा ऐसे अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया,

(ड) इस अधिनियम द्वारा राज्य सरकार को दिये अधिकारों का अन्य किसी प्राधिकारी, अधिकारी अथवा व्यक्ति को सौंपा जाना,

(ढ) किसी अधिकारी अथवा अधिकारी के यहां से अन्य किसी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी के पास कार्यवाहियों का स्थानान्तरण

(ण) ऐसे विषय जिन्हें नियत करना है या जो नियत किये जाने हैं।

अनुसूची

देखिए धारा ९ (२) (ग)

भूमि विकास योजनाओं और प्रस्तावित किये जाने वाले निम्न

[illegible] (अनुसंधान), चारा महाजाल (सोयल कंजर्वेशन) [illegible] और इसी का प्रयोग [illegible] [illegible] [illegible] और [illegible]

(क) किसी भूमि का, यदि उसमें खेती किये जाने से उस भूमि [illegible] भूमि सामान्य रूप से [illegible] है, खेती से निकालना,

(ख) पहाड़ से [illegible], यदि किसी भूमि को [illegible] से निकालने [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

(ग) किसी भी क्षेत्र में [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] होता हो, वृक्षारोपण द्वारा पट्टी खेती की [illegible],

(घ) भूमियों का [illegible],

(ङ) भूमि को समतल करना,

(च) कन्टूर फर्टीलाइजेशन (परिधि रेखा कृषि),

(छ) आंशिक कृषि (स्ट्रिप क्रापिंग),

(ज) जल्दी पकने वाली फलीदार फसलें तथा वर्षा की ऋतु में सघन उगने वाली फसलें लगाना,

(झ) हरी खाद देना और भारी आर्गेनिक खादों जैसे कम्पोस्ट, फार्मयार्ड, गोबर इत्यादि का प्रयोग,

(ञ) कच्ची फसलों (रा क्रॉप्स) की मनाही,

(ट) चरवाही पर नियंत्रण,

(ठ) उन क्षेत्रों में जहां भूमि के कटाव का सवाल नहीं हो, ओत को इकट्ठा क्षेत्र में फल के वृक्षों का लगाना,

(ड) अन्य किसी उपाय का प्रयोग जिससे भूमि का परत कटाव, वायु कटाव और जलमग्नी तथा दलदलों के बनने और बाढ़ों से बचाव।

२—जल वेस्टस और अवरुद्ध जल निष्कासन (Water logging and impeded drainage) :—

(क) जल वेस्टस प्रधान क्षेत्रों का सामूहिक तालाबों (community ponds) में परिवर्तन, पीने के पानी के स्थान तथा मवेशी संवर्धन के लिये प्रयुक्त किया जा सके,

(ख) जल निष्कासन नालियों (opening of drainage cuts) को खोदना,

(ग) अधस्तल से जल का निष्कासन (pumping out the subsoil water) और इसको पीने के स्थान में उपयोग,

(घ) पुलियों और नीचे से जाने वाले जल मार्गों (aqueducts) की संख्या बढ़ाना तथा रेलवे, नहर अथवा सड़क के पास के निकास पुलियों इत्यादि का बोझ कम करना,

(ङ) अन्य उपाय जिससे जल वेस्टस अथवा कठिनता से जल निकलने वाले क्षेत्रों की उत्पादन क्षमता बढ़ने की संभावना हो।

३—भूमि (मिट्टी) की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना :—

(क) ईंटों की भूमि जैसे क्षेत्रों का सुधार,

(ख) मिट्टी का निर्माण,

(ग) भूमि का सुधार किया जाना,

(घ) हरी खाद देना और आर्गेनिक, जैसे फार्मयार्ड, गोबर इत्यादि जैसी भारी आर्गेनिक खादों का प्रयोग,

(ङ) रासायनिक खादों (fertilizers) का प्रयोग,

(च) चरवाही का नियंत्रण,

(छ) उन क्षेत्रों में जहां भूमि के कटाव का सवाल नहीं हो, ओत को इकट्ठा क्षेत्र में फल के वृक्षों का लगाना,

(ज) अन्य किसी उपाय का प्रयोग जिससे भूमि का परत कटाव, वायु कटाव और जलमग्नी तथा दलदलों के बनने और बाढ़ों से बचाव।

४—[illegible] :—

(क) [illegible]

(ख) उन क्षेत्रों में जहां अधस्तल निकास की [illegible] वस्तुओं को निकालने के लिये [illegible] का निर्माण और उपयोगी तथा [illegible] पानी का [illegible],

(ग) जहां जलतल उच्च हो जल निष्कासन प्रणाली खोलने की व्यवस्था करना,

(घ) सिंचाई के जल द्वारा अवशिष्ट क्षारता (alkalinity) पर प्रतिक्रिया के हेतु तीन या चार वर्ष में एक बार जिप्सम का प्रयोग,

(ङ) अन्य कोई उपाय जिससे ऊसर बनना रुक सके।

५--अन्य विषय जो नियत किए जायं।

उद्देश्य और कारण

भूमि का असावधानतापूर्ण प्रयोग तथा उसके सुधार की उपेक्षा एवं उसके क्रमिक ह्रास को रोकने के उपायों में उपेक्षा से वे क्षेत्र जो कुछ दिन पहले उपजाऊ थे बंजर हो गये हैं। राज्य के सामने बढ़ती हुई जनसंख्या को खिलाने की समस्या है, अतः यह आवश्यक है कि उत्पादनशील भूमि का प्रत्येक एकड़ नियोजित रूप से प्रयुक्त किया जाय और उसे हीनत्व और पतन से रक्षित किया जाय। यद्यपि भूमि की उत्पादनशीलता को ह्रास से तथा भूमि को कटाव से बचाने के लिए कुछ उपाय सफलतापूर्वक व्यक्तियों द्वारा अपनाये जा सकते हैं तथापि अन्य ऐसे निरोधक उपाय हैं जिन्हें समन्वित रीति से बलपूर्वक अपनाना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक कृषक की, नियोजित अभिरक्षा तथा भूमि संरक्षण के प्रति उपेक्षा से न केवल उसकी जोत की उत्पादनशीलता कुप्रभावित होती है बल्कि पास-पड़ोस की जोतों का भी ह्रास होता है। इसे रोकना है। यह सब केवल विधायन द्वारा ही हो सकता है। अतएव उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण, विधेयक १९५३ प्रस्तुत किया जा रहा है।

चरण सिंह,
कृषि मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३ ई० पर संयुक्त प्रवर समिति (Joint Select Committee) की रिपोर्ट

(देखिये पीछे पृष्ठ ३७ पर)

आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३ ई० उत्तर प्रदेश सरकार के दिनांक ६ अगस्त, १९५३ ई० के असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

२—संयुक्त प्रवर समिति की बैठक १४ सितम्बर से १७ सितम्बर, १९५३ ई० तक और ११ अक्तूबर, १९५३ ई० को हुई। समिति के सामने उन संशोधनों की प्रतिलिपियां थीं, जिनके संबंध में सूचना विधान सभा के सदस्यों ने दे दी थी और अंतिम दिनांक को उसके सामने आगरा विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी) के सिनेट द्वारा किये गये सुझाव भी रखे गये थे। सिनेट ने २२ सितम्बर, १९५३ ई० को इस प्रयोजन के लिये हुई अपनी बैठक में विधेयक पर विचार किया था।

३—समिति ने विधेयक में जो मुख्य परिवर्तन किये हैं, वे नीचे दिये गये हैं—

(१) डिग्री कालेजों में नियुक्त लाइब्रेरियनों को, यदि वे स्टैट्यूट्स (Statutes) द्वारा नियत शर्तों को पूरा करते हों, तो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में और बाहर की डिग्रियों के लिये प्रवेश पाने का अधिकार दे दिया गया है;

(२) आगरा विश्वविद्यालय को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह इलाहाबाद और लखनऊ के अध्यापक कार्य करने वाले विश्वविद्यालयों की सीमा में स्थित डिग्री कालेजों को, इन विश्वविद्यालयों की सम्मति से, सम्बद्ध (affiliate) कर ले;

(३) सिनेट के संविधान में—

(क) विधान मंडल के प्रतिनिधियों के लिये स्थानों की संख्या ५ से बढ़ाकर ७ कर दी गयी है, जिनमें से पांच विधान सभा के और दो विधान परिषद् के होंगे,

(ख) गैर सरकारी सम्बद्ध (affiliated) कालेजों के प्रबन्धकों (managements) के प्रतिनिधियों के लिये स्थानों की अधिकतम संख्या ६ से बढ़ाकर १० कर दी गयी है, और

(ग) प्रतिनिधित्व के प्रयोजनों के लिये कालेजों का वर्गीकरण स्टैट्यूट्स द्वारा इस आधार पर किया जायेगा कि किस मात्रा में उच्च शिक्षा दी जाती है।

(४) एक्जीक्यूटिव कौंसिल कार्यकारिणी परिषद् के संविधान में—

(क) गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल कालेज, कानपुर और सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज-आगरा के प्रिंसिपलों को पदेन सदस्यता से हटा दिया गया है,

(ख) डीन्स आफ फैकल्टीज के लिये स्थानों की संख्या ४ से बढ़ाकर ६ कर दी गयी है और आर्ट्स (कला), साइंस (विज्ञान), एग्रीकल्चर (कृषि), तथा मेडीसिन (औषधि) के डीन्स आफ फैकल्टीज के लिये स्थायी रूप से स्थान रख दिये गये हैं,

(ग) एकेडेमिक कौंसिल द्वारा नामांकित व्यक्ति के लिये एक स्थान रख दिया गया है,

(घ) सिनेट के प्रतिनिधियों के लिये स्थानों की संख्या ४ से बढ़ाकर ५ कर दी गयी है, और

(ङ) कौंसिल की कुल संख्या इस प्रकार १९ से बढ़ाकर २१ कर दी गयी है।

(५) "एकेडेमिक बोर्ड" का नाम बदलकर "एकेडेमिक कौंसिल" कर दिया गया है;

(६) यह आवश्यकता हटा दी गयी है कि फाइनेंस कमेटी की बैठक के लिये कोरम (Quorum) में सरकार का भी एक नामांकित सदस्य हो, वाइस-चांसलर को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है;

(७) संशोधित धारा २३(२) (जो विधेयक के खंड १९ के अन्तर्गत है) द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि बोर्ड आफ़ स्टेडीज़ (Board of Studies) का संविधान (Constitutions) और उसके अधिकार (powers) स्टैट्यूट्स द्वारा (न कि आर्डिनेंसेज़ द्वारा जैसी कि मूल विधेयक में व्यवस्था है और न रेगुलेशन द्वारा जैसी कि वर्तमान अधिनियम में व्यवस्था है) नियत किये जायं ;

(८) नये विषयों में, ऐसी डिग्रियों के लिये जिनके लिये कोई कालिज सम्बद्ध किया गया है, कोर्स प्रारम्भ करने की अनुमति देने का एक्जीक्यूटिव कौंसिल का अधिकार, केवल बेचलर की डिग्रियों तक सीमित कर दिया गया है ;

(९) गवर्नमेंट कालेजों को उस उपबन्ध से मुक्त कर दिया गया है जिसके अनुसार उनके लिये टीचर की प्रत्येक नियुक्ति के लिये वाइस-चांसलर का अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है;

(१०) विधेयक में इस बात की व्यवस्था कर दी गयी है कि गैर सरकारी सम्बद्ध (नान-गवर्नमेंट एफ़िलियेटेड) कालेजों में वाइस-चांसलर के अनुमोदन करने पर ही टीचर बर्खास्त हो सकेंगे ;

(११) विधेयक में इस बात की व्यवस्था कर दी गयी है जिससे यह अपेक्षित हो जाय कि स्टैट्यूट्स (Statutes) प्रत्येक गैर सरकारी सम्बद्ध (नान-गवर्नमेंट एफ़िलियेटेड) कालेज के प्रबन्धक (management) के लिये यह अनिवार्य कर दे कि वह कालिज के प्रत्येक टीचर के साथ एक ऐसा संविदा (contract) जिसमें सेवा की आवश्यक शर्तें (conditions of service) दी हों, निष्पन्न करे ;

(१२) चांसलर को अधिकार दे दिया गया है जिससे वह आवश्यकता पड़ने पर, अंतरिम वाइस-चांसलर (Interim Vice-Chancellor) के कार्यकाल को बढ़ा सके, किन्तु एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये नहीं।

४—विचार विमर्श के दौरान में, निम्नलिखित बातों को स्पष्ट किया गया —

(१) कि ऐसे अवैतनिक (आनरेरी) वाइस-चांसलर, जो अब तक आगरा यूनिवर्सिटी में इस पद पर रह चुके हों, संशोधित अधिनियम के अधीन उनके वैतनिक वाइस-चांसलर के रूप में नियुक्त किये जाने के संबंध में कोई रोक नहीं है।

(२) एक्जीक्यूटिव कौंसिल, चांसलर द्वारा धारा ९ (२) के प्रतिबन्धात्मक खंड (Proviso) के अधीन अपने मूल सिफारिशों पर फिर से विचार करने के लिये कहे जाने पर, कोई नया नाम या नये नाम प्रस्तुत करने के लिये बाध्य नहीं है और यदि एक्जीक्यूटिव कौंसिल अपनी मूल सिफारिशों पर पुनः दोहराती है तो चांसलर को, उस व्यक्ति को जिसकी सिफारिश की गयी है या उन व्यक्तियों में से एक को जिनकी सिफारिश की गई है, नियुक्त करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। विधेयक की भाषा तदनुसार संशोधित कर दी गयी है।

५—यह सुझाव दिया गया कि एक ऐसे नये प्रकार का कालेज अर्थात् "ग्रामीण कालेज (Rural College)" की व्यवस्था की जाय जिसका उल्लेख राधाकृष्णन् कमीशन की रिपोर्ट में किया गया है। किन्तु समिति ने यह अनुभव किया कि "ग्रामीण कालेज (Rural College)" का विचार "स्वायत्त कालेज (Autonomous College)" में सम्मिलित है।

६—समिति ने विधेयक में कतिपय अन्य छोटे-मोटे परिवर्तन किये हैं।

७—विधेयक की एक प्रतिलिपि संलग्न है जिसमें वे संशोधन दिखाये गये हैं जो समिति के निर्णयों के अनुसार उसमें किये गये हैं।

८—प्रवर समिति विधेयक को पुनः प्रकाशित करना आवश्यक नहीं समझती।

(१) गोविन्द वल्लभ पंत, मुख्य मंत्री (चेयरमैन)
(२) हरगोविन्द सिंह, शिक्षा मंत्री,
(३) मंगला प्रसाद, उपमंत्री,
(४) जुगल किशोर,
(५) सी० महाजन,
(६) पद्मनाथ सिंह,
(७) नवल किशोर,
(८) कैलाश प्रकाश,
(९) इस्तफ़ा हुसैन,
(१०) इर्तज़ा हुसैन,
(११) देव राम,
(१२) नारायणदत्त तिवारी*,
(१३) राधाकृष्ण अग्रवाल,
(१४) मदनमोहन उपाध्याय*,
(१५) पुत्तू लाल,
(१६) मल्खान सिंह,*
(१७) ईश्वरीप्रसाद,
(१८) पी० एल० श्रीवास्तव,
(१९) मुकुटबिहारी लाल,*
(२०) आर० के० शर्मा,
(२१) निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी,
(२२) शांति स्वरूप अग्रवाल,
(२३) बंशीधर शुक्ल।

---

*एक टिप्पणी के अधीन, जो सदस्यों द्वारा अंग्रेजी में प्रस्तुत की गयी थी और जिसे तदनुसार आगे पृष्ठ ११७ से लेकर पृष्ठ १२४ तक में छापा गया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

Note on the Report of the Joint Select Committee on the Agra University (Amendment) Bill, 1953.

The Agra University (Amendment) Bill, 1953, intended as it is to eliminate evils which have come to the forefront in the field of that University and thereby to create conditions to improve the standard of education, deserves careful consideration. The Joint Select Committee has no doubt improved the Bill in certain respects. But the Bill continues to suffer from certain defects and deserves to be further amended before it is enacted by the legislature.

Inspection and Inquiry

The old Agra University Act empowers the State Government to cause an inspection or inquiry to be made in respect of any matter connected with the University and its affiliated colleges and hostels and ultimately to issue directions to the University for necessary action. But the Act entitles the University to be represented at such inspection or inquiry and requires the State Government to ascertain the opinions of the Senate and the Executive Council on its suggestions on the-report and to afford to the Executive Council opportunity and time to take necessary action upon the results of such inspection or inquiry. The proposed Amendment Bill completely ignores the University authorities in regard to inspection or inquiry connected with the affiliated colleges and allows the University's representative only the right to be present and be heard at an inspection or an enquiry held in respect of any matter connected directly with the University. The University is in no way less vitally interested in the proper management of its affiliated colleges than the State Government, and its participation in an inquiry about any of them is but proper. To ignore it in the matter is to weaken its authority, which is highly improper and unjust. As the Senate meets only once a year, its observations on the results of the inquiry and suggestions of the Government thereon may cause considerable delay in taking proper action. But the Executive Council meets regularly and it can without much difficulty and delay be associated in an inquiry and be allowed a share in determining steps to be taken against irregularities and maladministration of an affiliated college or hostel. The dignity of the University demands that its representative should have equal and full right of participation in an inquiry which may be instituted by the Government in any matter connected with the University or its affiliated college or hostel. The Bill should, therefore, be so amended as to entitle the Executive Council of the University to be represented at the inspection or inquiry which the Government may institute in any matter connected with the University or its affiliated college or hostel and its representative should have full freedom to participate at all stages of the inquiry and to take part in the formulation of its decisions. The Executive Council should have an opportunity to take necessary action on the results of the inquiry or inspection and must be invited to make its observations before any action is taken or decided by the Government.

The appointment of the Vice-Chancellor

The Vice-Chancellor is the chief academic and executive officer of the University and much of its efficiency depends on his capacity to conduct its affairs with strength, ability and integrity. For a person to discharge

Vice-Chancellor's duties properly a combination of certain qualities is needed. Besides probity, impartiality, keen sense of responsibility, wide human sympathies, initiative and drive, he must have the capacity to inspire students and teachers and command their confidence, to promote social harmony and fellow feeling, and to cultivate an atmosphere of creative thought in the University. He must also have a vision of social objective, some definite idea about the function of the University and the ability to translate ideas into practice, to grasp academic problems and administrative matters properly, to dispose of business speedily, to respect honest differences, and to work in harmony with other functionaries of the University. He must also have the strength to be firm and not to yield to pressure from any quarter. Such a person is not esily available. He will have to be sought and approached and this can best be done by a small committee. It will, therefore, be desirable to so modify the provisions of the Bill for selecting the Vice-Chancellor as to provide for the appointment of a committee of three persons, consisting of (*a*) a person nominated by the Chancellor, (*b*) an eminent educationist elected by the Executive Council, and (*c*) person chosen by the U. P. Public Service Commission with power to submit for the consideration of the Executive Council a penal of names for the election of the Vice-Chancellor. The Executive Council should be empowered to elect one of the penal as the Vice-Chancellor and its choice should as a rule be endorsed by the Chancellor. But for some specified special reasons the name may be referred back to the Executive Council for reconsideration. The final choice must be with the Executive Council with which the Vice-Chancellor will have to function. It is University's duty to choose its Vice-Chancellor and its autonomy in this matter deserves to be respected. The Executive Council, as it is proposed to be constituted in the Bill, is not likely to be dominated by any party. Its possibility may further be eliminated by the introduction of the system of proportional representation for selecting principals of affiliated colleges. The system proposed in the Bill no doubt allows the Executive Council a voice in the choice of the Vice-Chancellor. But it suffers from two defects. Firstly, it denies to the Executive Council the help of a small select committee in the search of a suitable person for the post. Secondly, it allows the Chancellor to appoint a person who may not have secured a majority of first preferences of the members of the Executive Council.

The Senate

The Joint Select Committee has rightly recommended that section 16, sub-section (1) of the University Act should stand unaltered and, thus, the Senate will continue to be recognised as "the Supreme Governing Body of the University". But this does not mean that the Senate should have power to change its composition the way it likes. It had no such power under the Agra University Act and there is no special reason to confer this power on it under the new legislation. Nor can the Government be justified to alter the provisions of the Legislation within a year of its enactment by the legislature. If it is thought proper to provide for the composition of the Senate in the Act, any alteration therein must be in the form of an amendment to the Act and must be enacted by the legislature. Legal provisions of an Act should not be allowed to be altered by the Senate or the Government without any reference to the Legislature. It is, therefore, necessary to *delete* the words "subject to the provisions of the Statutes" from the proposed section 14, sub-section (1), under section 11 of the Bill.

It is proposed in the Bill that the number of members in the Senate who may be in the service of the University or an affiliated college shall at no time exceed the number of other members. This permits the Government which shall frame Statutes under new legislation to reduce the staff's representation on the Senate to any extent it likes. Teaching staff's adequate representation is very necessary. It must, therefore, be laid down that the number of representatives of the academic staff shall not be less than the total number of other members excluding life members.

The Bill provides that for the Senate the representatives of the Registered Graduates shall be elected according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote. This system of election deserves whole hearted support as it ensures representation of different sections and view points and eliminates the possibility of the domination of any particular group. Under the Bill the manner of the selection of the representatives of donors and the academic staff and the management of the affiliated colleges will be determined by the Statutes. The word "selection" without any specific directive regarding election is very vague. It may mean 'choice by some sort of rotation.' It may also mean 'nomination by some executive or academic authority'. Obviously the nomination of more than one-half of the members of the Senate cannot in any way be justifiable. Perhaps it is not even contemplated by the sponsors of the Bill. The system of rotation is also not likely to produce satisfactory results. Donors may be too many to be represented by rotation. In a compact unitary and teaching university the system of rotation may secure proper representation of certain classes of teachers. But in case of an affiliating university with affiliated colleges spread all over the State no class of teachers can be represented properly under that system. It is, therefore, necessary to lay down that wherever practicable the system of proportional representation by means of the single transferable vote shall be prescribed for selection.

The Executive Council

At present the Executive Council consists of about 35 members. Its numerical strength is proposed to be reduced to 21. Much can be said in favour of the reduction of the numerical strength but with the number of affiliated colleges it will be desirable to fix its number at 25. In that case the number of principals be raised from three to four, the number of representatives of the Senate from five to seven, and the number of representatives of the Academic Council. from one to two. If the number is so increased, the balance between teachers and others, proposed by the Joint Select Committee, will be maintained. It is rightly proposed in the Bill that the representatives of the Senate are to be elected under the system of propo tional representation by means of the single transferable vote. This system of election deserves to be adopted for the election of the representatives of the Academic Council and the selection of principals of affiliated colleges. In a University which has more than fifty affiliated colleges the system of rotation cannot provide opportunities to all principals to serve on the Executive Council by turn. Nor can it guarantee that all the principals on the Executive Council will not belong to the same party. The system of proportional representation, on the other hand, allows all principals a share in the choice of their representatives on the Executive Council and makes the domination of a single group

almost impossible. To ensure some rotation it may, however, be provided that such principals as have served on the Executive Council for two terms shall not be entitled to seek re-election.

Under the Statutes framed under the Agra University Act the term of office of members of the Senate and the Executive Council is three years. The Bill proposes to raise it to five years. The old term of three years should be retained. The charge is hardly required and will in no way be justified if it is ultimately decided that a majority of the members of the Senate and the Executive Council other than *ex-officio* members be selected by some sort of rotation.

It is proposed in the Bill that the Executive Council shall take no action in regard to the courses of study except after considering the advice of the Academic Council. Under the provision it is possible for the Executive Council to prescribe a course of study which might not have been recommended by the Academic Council. This will not be proper. The Executive Council may refer back the recommendations of the Academic Council but must not act against its advice. It is therefore, necessary to lay down that the Executive Council shall take no action in regard to the courses of study except on the advice of the Academic Council.

The Finance Committee

An affiliating University, like the Agra University, which can manage its finances without the assistance of a treasurer hardly needs a Finance Committee. Its appointment may, however, become necessary if the Government choose to finance the University for organising research and post-graduate studies. But even then the powers of the Finance Committee should be limited and clearly defined in the Act. It should not encroach upon the legitimate jurisdiction of the Executive Council which is responsible for the administration of the finances of the University. Confusion and conflict are likely to arise in case its financial responsibilities are allowed to be shared by the Finance Committee. The Finance Committee should not, therefore, be empowered to perform such other functions as may be assigned to it by the Statutes. Its authority must remain confined to functions specified in the Bill.

Affiliated colleges

Almost all educational experts are of the opinion that the Intermediate and post-graduate classes should not simultaneously be maintained by an educational institution. So the Bill provides that one or the other of these classes shall cease to be maintained by affiliated colleges before the expiry of the academic year 1956-57. While some affiliated colleges, which have recently started post-graduate classes in a few subjects, may choose to drop them, important colleges of the State are not likey to drop post-graduate classes and may choose to drop Intermediate classes. This would involve the latter in such serious financial difficulties as cannot be met by them without necessary assistance by the Government. It is hoped that the Government which keenly feels the need of this educational reform will be prepared to lend necessary financial assistance to these institutions to enable them to organise post-graduate studies properly without maintaining Intermediate classes. This educational reform will aslo devolve on the Government the responsibility of making adequate arrangements for imparting education in the Intermediate courses in important educational centres, such as Agra and Kanpur. The Government, it is hoped, will be prepared to shoulder both the responsibilities.

It is provided in the Bill that in future no college shall be affiliated if it maintains classes for preparing students for the Intermediate examination. It is possible to justify such a provision theoretically on grounds of academic efficiency. But it is hardly a practicable proposition to organise a college for preparing students for graduation only. Even if such an institution is established, its authorities will be forced to require an expert in one subject to take classes in an allied subject also, not to speak of requiring him to teach all the papers on the subject concerned. It is, therefore, necessary to provide that while the teaching of degree classes may be combined with that of post-graduate classes or with that of Intermediate classes, no new institution will be affiliated for post-graduate teaching if it prepares students for the Intermediate Examination.

Autonomous College

Under the proposed legislation the University is empowered to grant to an affiliated college the status of an "autonomous college" with the privileges of varying for its own students the courses of study prescribed by the University and holding examinations in the courses so varied. This provision is justified by its supporters on the ground that it will provide important affiliated colleges an impetus and an opportunity to impart education of higher standard than is possible under the courses prescribed by the Agra University. The standard so far maintained by the Agra University no doubt deserves to be raised and its reputation is yet to be built up. But the provision of the autonomous college is not the way to do so. It will not only further lower the reputation and standards of examination conducted by the Agra University but also create absolute chaos and confusion in the field of higher education. The courses of study prescribed by the Agra University are not invariably low as compared to those prescribed by other Universities in this State. In most cases there is no appreciable difference; and such deficiencies as exist deserve to be removed for the entire University. No doubt, the standard of teaching varies in different colleges. But the low standard of teaching in certain colleges need not stand in the way of important colleges to provide the teaching of higher standard to their students. The standard of examination no doubt deserves to be pulled up. Students of important colleges are also affected by the reputation of low standards of University examinations. But it is difficult to maintain that the Agra University has suffered in reputation with regard to its examinations inspite of the best efforts of the teachers of important colleges and that the provision of separate examination for students of important colleges is the sure solution of the problem. Chaos and confusion are bound to be created if within the same University standards of examinations conducted by different colleges will vary considerably. So it will not be desirable to allow the status of an autonomous college to an affiliated college engaged in imparting usual higher education. But the University may in a very special case admit a college to the privileges of an autonomous college when it is satisfied that the college concerned proposes to carry on some new experiments in the field of education which may demand greater freedom in determining the courses of study. Much is talked of the rural college. Even a University is proposed to be established as a rural University. But nothing practical has so far been done in this connection. It will be worthwhile to organize a rural college as an autonomous college and work out the potentialities of the idea.

Selection Committee

Under the proposed legislation a Selection Committee for each subject of study is to be formed to advise University authorities in regard to the

appointment of teachers of the University and affiliated colleges. The Committee will consist of five members, two of whom shall be persons possessing expert knowledge of the subject, nominated by the Chancellor. They are to be nominated from amongst experts chosen for this purpose at the Chancellor's request by relevant faculties of at least two Universities of India. The provision as it is worded permits the Chancellor to ignore the relevant faculty of the Agra University. This will hardly be proper, as it will amount to a want of confidence in the Agra University. Along with relevant faculties of some other Universities, the relevant faculty of the Agra University should, therefore, be requested to suggest names of experts before some of them are nominated as members of the Selection Committee.

It is porposed that if the Vice-Chancellor is not satisfied about the fitness of the candidate proposed for an appointment in an affiliated college, he may refer the matter to the Selection Committee, which may advise the Vice-Chancellor to cancel the appointments. The Selection Committee is also required to be consulted by the Chancellor on the question whether teachers of a certain category already engaged in an affiliated college in imparting instructions to post-graduate classes or guiding research be allowed to do so. It is necessary to provide that on such occasions the person concerned shall be afforded an opportunity to represent his case before the Selection Committee in person and that the affiliated college concerned shall be represented on the Committee. The right of interview and representation must be granted to the persons concerned. It will not be proper to cancel the appointment of a person on the basis of paper qualifications alone without examining carefuly whether he has not subsequently acquired necessary knowledge and efficiency for the work.

Committees of Managment of Affiliated Colleges

The Joint Select Committee has tried to provide some protection to the teachers of affiliated colleges in the matter of their service conditions and against hasty and unjust dismissals. Attempt has also been made to cancel the appointment of inefficient teachers in affiliated collges. But otherwise the management of affiliated collges is left almost untouched. The affiliating University always depends for its efficiency and reputation on the quality of the management of its affiliated colleges. Legislation intended to eliminate evils and create healthy conditions for higher education in an affiliating University cannot afford to ignore the question of the management of affiliated colleges. To raise the standard of the Agra University it is necessary to improve the management of its affiliated colleges. It should, therefore, be enacted that every affiliated college, not maintained by the Government, shall be managed by a committee of management constituted in accordance with Statutes to be prescribed in this behalf". On the management of each affiliated college the Executive Council of the University must be represented by an educationist selected from that region. The teaching staff of the college should also be represented on it by a duly elected teacher.

The Appointment of Examiners

In the amendment Bill it is proposed that the examiners be appointed by the Vice-Chancellor in the manner prescribed by the Statutes and that at least one-half of the paper-setters for each subject and as nearly as possible one-half of the examiner in each subject shall be persons not in the service of the University or an affiliated college. It is also provided in the Bill that every person appointed as an examiner shall, as a condition of his appointment agree that he will not undertake examination work in

excess of the limits laid down in the Ordinances. Much can be said in favour of certain changes in the system of the appointment of examiners. It must, however, be pointed out that in many subjects in the B.A. examination there are three papers and so if the proposed provisions are enacted, two-thirds of the paper-setters in most of the subjects in B.A. examination will be external. This will not be fair and proper. In Universities which have three papers on a subject only one external examiner is usually appointed. So while in post-graduate examinations at least one-half of the paper-setters in each subject should be external, in other examination at least one paper-setter in each subject which has more than one paper should be external. The provision with regard to the load of examination work is necessary in the interest of prompt and efficient work but it rules out the appointment of many over-worked senior teachers of other Universities. It is, therefore, difficult to say if witihin the State it will be possible to find out a sufficient number of experienced teachers of other Universities to act as external examiners, if the Act requires one-half of the co-examiners to be external. It will, therefore, be proper if provisions with regard to paper-setters, head examiners and deputy head examiners are laid down in the Act and the question of ratio between external and internal co-examiners is determined by the Satutes from time to time.

Ordinances

In the Bill it is provided that no Ordinance shall take effect until it has been approved by the Chancellor after considering the views of the Senate. This will delay the operation of an Ordinance even when its immediate enforcement is deemed necessary by the Executive Council. It may often prove very unfortunate even disastrous to the vital interests of the University. It may be said that to meet the emergencies a temporary Ordinance may be passed and enforced by the Executive Council. The provision of a temporary Ordinance has some justification in regard to matters in respect of which Ordinances as a rule cannot be passed by the Executive Council except on the recommendation of the Academic Council which meets at longer intervals. But when the Executive Council has full powers to frame Ordinances, the distinction between temporary and ordinary Ordinances, may be meaningless. Who knows the problem which requires immediate enforcement of an Ordinance may not be of temporary character and may need an Ordinance of a permanent character? The provision of a temporary Ordinance will then fail to meet the requirements. The Executive Council will then have to frame on the same subject another similar Ordinance to be brought into operation as a permanent measure after the consideration of the Senate and the assent of the Chancellor. This duplication is hardly desirable and proper. It is, therefore, necessary to provide that an Ordinance will come into operation on the date determined by the Executive Council; but that its operation may be suspended by the Chancellor, if he thinks necessary; and that it may subsequently be vetoed by the senate by two-thirds majority and disallowed by the Chancellor after considering the views of the Senate. The suggestion is based on the provisions of the Banaras Hindu University Act.

Transitory Provisions

The Bill has proposed to invest the State Government with wide powers for a period of one year. These powers are much in excess of requirements. They place the University under the surveillance of the Government dignity and autonomy of the University are adversely affected. These transitory powers should be not only narrowly defined but also subjected to the strict control of the Legislature. Certain Statutes will no doubt have to be framed, adapted and modified to implement the new Act. But : hey

should be placed before the Legislature for its approval. Uncontrolled delegated legislative power is fraught with danger to democracy and deserves to be condemned. That is why delegated legislation and decree law are forbidden in France by the new Constitution, and are allowed for certain specific purposes under strict legislative control by the new Constitution of Italy. Section 36 of the Bill should, therefore, be substituted, by the following provisions :

A. Any officer or authority of the University exercising any functions under this Act, immediately before the commencement of the Agra University (Amendment) Act, 1953 (hereinafter referred) to as "the Amending Act" shall continue to exercise such functions until the corresponding new office or authority is appointed, elected or constituted in accordance with the provisions of this Act as amended by the Amending Act or the Statutes as adapted or modified under this Act.

B. The State Government may, by notification in the official gazette, frame such new Statutes and make such adaptations and modifications in the Statutes in force immediately before the commencement of the Amending Act as in its opinion may be necessary or expedient to bring the provisions of the Statues into accord with the provisions of this Act as amended by the Amending Act :

or modification of Statutes after the expiration of six months from the commencement of the amending Act, and

Provided that nothing in this Section shall be deemed to empower the State Government to frame any new Statutes or make any adaptation :

Provided further that Statues so framed, adapted or modified by the State Government under this Section shall be submitted to the State Legislature for its approval.

(Sd.) MUKUT BEHARI LAL,
(Sd.) NARAYAN DATT TIWARI,
(Sd.) MADAN MOHAN UPADHYAYA,
(Sd.) MALKHAN SINGH,

Members of the Joint Select Committee on the Agra University (Amendment) Bill, 1953.

उत्तर प्रदेश विधान सभा

आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३

[संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित/समिति द्वारा बढाया हुआ अंश रेखांकित कर दिया गया है और निकाला हुआ अंश ब्रैकटों "[ ]" के भीतर दिखाया गया है ।]

आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ को और अधिक संशोधन करने का विधेयक

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ ।

ऐसे प्रयोजनों के निमित्त जो यहां पर आगे चलकर प्रतीत होंगे, आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ में संशोधन करना आवश्यक है, ।

यू० पी० ऐक्ट, ८ १९२६ ।

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--

१--(१) यह अधिनियम आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५३, कहलायेगा ।

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ ।

(२) यह धारा और धारायें ३५ और ३६ उस दशा को छोड़ कर जिसके लिये इसमें व्यवस्था की गई है, तुरन्त प्रचलित होंगी और अन्य धारायें ऐसे दिनांक से प्रचलित होंगी जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस संबंध में निश्चित करे,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सरकारी गजट में इस अधिनियम के प्रथम प्रकाशन के बाद, किसी भी समय राज्य सरकार के लिये इस अधिनियम से संशोधित आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ के अनुसार, यूनिवर्सिटी अथारिटीज के सामान्यत: उपर्युक्त संगठन के लिये आवश्यक कोई भी कार्य करना जिसके अन्तर्गत स्टैट्यूट्स बनाना (framing of statutes) भी है, वैध होगा, किन्तु धारा ३६ के अन्तर्गत किसी भी आज्ञा को मानते हुए, इस प्रकार संगठित कोई भी यूनिवर्सिटी अथारिटी तब तक सत्तारूढ़ (come into being) न हो सकेगी अथवा कार्य आरम्भ नहीं कर सकेगी जब तक दूसरी धारायें प्रचलित न हों जायं,

और प्रतिबन्ध यह भी है कि पूर्वगामी प्रतिबन्धात्मक वाक्य द्वारा मिले अधिकारों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा बनाये गये कोई भी स्टैट्यूट्स तब तक प्रचलित रहेंगे जब तक इस अधिनियम द्वारा संशोधित आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ के अधीन की गयी कोई बात या किये गये किसी कार्य द्वारा वे अधिक्रांत (superseded) न हो जायं ।

२--आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ (जिसे यहां पर आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ में--

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा २ का संशोधन ।

(१) खंड (*a*) के बाद निम्नलिखित खंड (*aa*) के रूप में जोड़ दिया जाय--

"(*aa*) 'Autonomous College' means an affiliated college declared as such by the University in accordance with the provisions of subsection (1) of Section 24-A."

(२) खंड (*b*) के बाद निम्नलिखित खंड (*bb*) के रूप में जोड़ दिया जाय--

"(*bb*) 'Ordinances means ordinances of the University made under this Act and for the time being in force."

(३) खंड (*d*) के बाद निम्नलिखित खंड (*dd*) के रूप में जोड़ दिया जाय --

"(*dd*) 'State Government' means the Government of Uttar Pradesh."

(४) खंड (*f*) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(*f*) 'teacher' means a teacher of the University or a teacher of an affiliated college, and includes a Principal."

(५) खंड (*f*) के बाद निम्नलिखित नये खंड (*ff*) और (*fff*) के रूप में रख दिये जायं --

"(*ff*) 'teachers of affiliated colleges' means persons employed in affiliated colleges for giving instruction for University degrees ;

(*fff*) 'teachers of the University' means persons employed by the University for giving instruction or conducting research ;"

(६) खंड (*h*) के बाद निम्नलिखित नया खंड (*i*) के रूप में रख दिया जाय--

"(*i*) 'Working Men's College' means an affiliated College recognised by the University in accordance with sub-section (2) of Section 24-A."

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा ४ का संशोधन।

३--मूल अधिनियम की धारा ४ में--

(१) उपधारा (२) के स्थान पर निम्नांकित रखा जाय--

"(2) to confer degrees and other academic distinctions on persons who--

(*a*) have pursued an approved course of study in an affiliated college or in more than one affiliated colleges situate in the same town, in accordance with an arrangement arrived at among them and sanctioned by the Vice-Chancellor, or

(*b*) are Teachers in educational institutions under conditions laid down in the Statutes and Ordinances, or

(*c*) are inspecting officers in the Department of Education of the Government of any parts "A", "B" or "C" State, and fulfil the conditions laid down in the Statutes and Ordinances, or

(*cc*) being graduates, have served as whole-time librarians for a period of not less than three years in the

University, or an affiliated college and fulfil such other conditions as may be laid down in the Statutes, or

(*d*) have carried on [independent] research under conditions laid down in the Statutes and Ordinances, or

(*e*) are women who have carried on study privately under conditions laid down in the Statutes,

and have passed the examinations of the University under conditions laid down in the Statutes, Ordinances and Regulations.

Explanation.—the degrees conferred under clause (*a*) and those conferred under clauses (*b*) to (*e*) shall respectively be also termed and stated in the relative diplomas as 'internal' and 'external.'

(२) उपधारा (४) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(4) to institute certificates of proficiency to make provision for instruction for and to grant such certificates, under conditions laid down in the Ordinances ;"

(३) उपधारा (५) में शब्द "and Regulations" निकाल दिये जायं,

(४) उपधारा (५) के प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द 'Lucknow' के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:—

"or in the area that may, after the coming into force of the Agra University (Amendment) Act, 1953, be included within the limits of a University established by law, except with the consent of [such University] the University concerned."

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा ६ का संशोधन।

४—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"Visitation. 6. (1) The State Government shall have the right to cause an inspection to be made by such person or persons as it may direct, of the University and its buildings, and of any affiliated college or hostel, and also off the examinations, teaching and other work conducted or done by the University. The State Government shall also have the right to cause an inquiry to be made in like manner in respect of any matter connected with the University or an affiliated college. The State Government shall in every case of inspection or inquiry, give notice to the University or the affiliated college (as the case may be) of its intention to cause an inspection or inquiry to be made, and the University or the college concerned shall be entitled to appoint a representative who shall have the right to be present and be heard at such inspection or inquiry."

(2) The State Government shall communicate to the Executive Counil or the Management of the affiliated college (as the case may be) its views with

reference to the results of such inspection or inquiry and shall, after ascertaining the opinion of the Executive Council or the Management of the college thereon, require the University, or the college to take such action as it may direct.

(3) The Executive Council or the Management of the college shall then, within such time as the State Government may appoint, comply with the directions given and report to the State Government."

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा ८ का संशोधन।

५—मूल अधिनियम की धारा ८ की उपधारा (२) निकाल दी जाय।

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा ९ का संशोधन।

६—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ९ के स्थान पर निम्नलिखत रख दिया जाय :—

"Vice Chancellor

9. (1) The Vice-Chancellor shall be a whole-time salaried officer of the University and shall be appointed by the Chancellor from amongst persons [recommended] whose names are submitted by the Executive Council in accordance with sub-section (2) and (3).

(2) The Executive Council shall, as far as may be, at least thirty days before the date on which a vacancy is due to occur in the office of the Vice-Chancellor and also whenever so required by the Chancellor, [recommend] submit to the Chancellor the names [of persons] not exceeding three in number [who in its opinion are] of persons suitable to hold the office of Vice-Chancellor.

Provided that the Chancellor may before making the appointment return the names [recommended] submitted by the Executive Council to it for reconsideration and the Council may then [make fresh recommendations] either submit the same names or make any additions or alterations in them so, however, that the names so submitted do not exceed three in number.

(3) Where the [number of] name or names proposed in the Executive Council for being [recommended] submitted to the Chancellor under sub-section (2) does not exceed three, the Council shall [recommend] submit all such names, but if the number exceeds three the Council shall out of the names so proposed elect three names according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote.

(4) The Vice-Chancellor shall be paid a salary of Rs. 2,000 per month and be provided a furnished residence at Agra rent free or in lieu thereof be paid an allowance of Rs. 2,00 per month.

(5) The Vice-Chancellor shall hold office for a period of five years, but may at any time relinquish office by submitting his resignation to the Chancellor not less than sixty days in advance of the date on which he wishes to be relieved.

(6) No person, who has at any time previously held in a substantive capacity the office of Vice-Chancellor in the University, shall be eligible for re-appointment.

(7) Subject as aforesaid, other conditions of service of the Vice-Chancellor may be prescribed by the Statutes.

(8) Where a vacancy occurs or is likely to occur in the office of Vice-Chancellor by reason of leave, illness or any cause other than resignation in accordance with sub-section (5) or the expiry of the term, the Registrar shall report the fact forthwith to the chancellor who shall make such arrangement as he deems fit for carrying on the duties of the Vice-Chancellor and shall at the same time call upon the Executive Council to forward its recommendations in acordance with sub-sections (2) and (3).

(9) Until the Chancellor has made arrangements under sub-section (8) the Registrar shall carry on the current duties of the office of Vice-Chancellor."

७—मूल अधिनियम की धारा १० में—

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा १० का संशोधन।

(१) उपधारा (२) में शब्द "Statutes" और "and" के बीच में कामा लगा दिया जाय और उसके बाद शब्द "the ordinances" रख दिये जायं ;

(२) उपधारा (५) में शब्द "Statutes" और "and" के बीच में कामा लगा दिया जाय और उसके बाद शब्द "the Ordinances" रख दिये जायं।

(३) उपधारा (९) में शब्द "Statutes" और "and" के बीच में कामा लगा दिया जाय और उसके बाद शब्द "the Ordinances" रख दिये जायं।

८—मूल अधिनियम की धारा ११ में—

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा ११ का संशोधन।

(१) उपधारा (२) में शब्द "fixed by the Executive Council" के स्थान पर शब्द "prescribed by the Ordinances" रख दिये जायं।

(२) उपधारा (३) में शब्द "menial" के स्थान पर शब्द "inferior" रख दिया जाय और शब्द "Regulations" के पहिले शब्द "the Ordinances" जोड़ दिये जायं।

(३) उपधारा (४) में शब्द "the Statutes" और शब्द "and" के बीच में कामा लगा दिया जाय और उसके बाद शब्द "the Ordinances" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा १२ का संशोधन।

९—मूल अधिनियम की धारा १२ में शब्द "the Statutes" और शब्द "and" के बीच में कामा लगा दिया जाय और उसके बाद शब्द "the Ordinances" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा १३ का संशोधन।

१०—मूल अधिनियम की धारा १३ के मद (iv) में शब्द "the Board of Inspection" के स्थान पर शब्द "the Finance Committee" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा १४ का संशोधन।

११—मूल अधिनियम की धारा १४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"The Senate. 14. (1) Subject to the provisions of the Statutes, the Senate shall consist of the following members so, however, that—

(*a*) the total number of members excluding the *ex-officio* and life members shall not exceed 125; and

(*b*) the number of members who may be in the service of the University or an affiliated college shall at no time exceed [one-half of the total number of members mentioned in the preceding clause] the number of other members:

Class I. *Life Members*—

(i) Such persons as may be appointed by the Chancellor to be life members on the ground that they have rendered eminent service to the University or to the cause of learning:

Provided that their number in the Senate shall not at any time be more than four.

(ii) Persons who have made donations of Rs. 20,000 or more to and for the purposes of the University.

(iii) All persons who have held the office of Vice-Chancellor in the University for one complete term.

Class II. *Ex-officio Members*—

(i) the Chancellor;

(ii) the Minister of Education in the Government of Uttar Pradesh;

(iii) the Vice-Chancellor;

(iv) the Director of Education, the Director of Industries, the Director of Agriculture, and the Director of Medical and Health Services, Uttar Pradesh;

(v) the Vice-Chancellors of all the other Universities established by law within the territory of Uttar Pradesh;

(vi) the members of the Executive Council of the University.

Class III.

Representatives not exceeding ten, as may be determined in accordance with the Statutes, of persons who have made donations of sums of Rs. 2,500 or more but less than Rs. 20,000 (elected in the manner prescribed by the Statutes).

Class IV.

Representatives, not exceeding five, of industries, commerce, agriculture, learned bodies and the professions.

Class V.

[Five] Seven persons who are members of the Uttar Pradesh Legislature, out of whom [four] five shall be members of the Legislative Assembly and [one] two shall be [a member] members of the Legislative Council.

Class VI.

[Representatives of the Registered Graduates not exceeding twenty] Twenty representatives of the Registered Graduates to be elected according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote by the Registered Graduates from among such Registered Graduates as are not in the service of the University or an affiliated college and whose names have been on the Register of Graduates for at least three years.

Provided that no Registered Graduate shall be entitled to vote at an election unless his name has been on the Register for at least one year prior to the date appointed for the return of voting papers.

[*Class VII.*

Representatives of the Academic Staff and the Management of affiliated colleges :

Such number as may be prescribed in each case by the Statutes of—

(i) Teachers of the University ;

(ii) Principals of affiliated colleges teaching for post-graduate degrees;

(iii) Principals of affiliated colleges teaching for Bachelor's degrees only;

(iv) Teachers of affiliated colleges teaching for post-graduate degrees;

(v) Teachers of affiliated colleges teaching for Bachelor's degrees only;

(vii) Representatives not exceeding six of the managements of the affiliated colleges of whom not less than one-half shall be representatives of the managements of colleges teaching for post-graduate degrees;

Provided that an affiliated college shall not be deemed to be teaching for post-graduate degrees unless it has sent up candidates for examination for such degrees in at least three subjects not all of which are language.]

Class VII.—Such number as may be prescribed by the Statutes of representatives of the Academic Staff and of the Managements of the affiliated colleges consisting of the following categories:—

(i) Teachers of the University;
(ii) Principals of affiliated colleges of class A;
(iii) Principals of affiliated colleges of class B;
(iv) Teachers of affiliated colleges of class A;
(v) Teachers of affiliated colleges of class B;
(vi) Representatives not exceeding ten, of the Managements of affiliated colleges other than those maintained exclusively by Government, of whom not less than one-half shall be representative of colleges of class A.

For the purpose of this clause affiliated colleges shall be classified as Colleges of class A or class B according to the standard of advanced instruction imparted in them.

(3) [Nominations to the chairs referred to in clause (2) of Section 16 shall be made by the Chancellor not exceeding ten.

(2) Subject to the provisions of Section 16 the term of membership of non-member fellows belonging to classes I and II shall be five years.

(3) The manner of election of members of classes III, IV, V, VI and VII shall be determined by the Statutes.

(4) The Chancellor may declare vacant the seat of a member other than an *ex-officio* or life member who has absented himself from three consecutive annual meetings of the senate without sufficient cause."

यू० पी० ऐक्ट नं० १९२६ की धारा १६ का संशोधन।

९०.—मूल अधिनियम की धारा १६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

Powers and duties of the Senate.

16. [(1) Subject to the provisions of this Act, the Senate shall have the power to review the acts of the Executive Council and the Academic Board and shall, except as otherwise provided for by this Act and the Statutes, exercise all the powers of the University.]

(1) The Senate shall be the supreme Governing Body of the University, and shall have power to review the acts

of the Executive Council (save when the Council has acted in accordance with the powers conferred on it under this Act, the Statutes, Ordinances or the Regulations), and shall exercise all the powers of the University not provided for by this Act, the Statutes, the Ordinances and the Regulations.

(2) In particular and without prejudice to the foregoing provision the Senate may—

(*a*) make Statutes, amend and repeal them;

(*b*) consider and cancel Ordinances ;

(*c*) consider and pass resolutions on the annual report, the annual accounts and the financial estimates;

(*d*) consider and pass resolutions on any matter of general policy connected with the University;

(*e*) make Regulations.

१३—मूल अधिनियम की धारा १७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :— यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा १७ का संशोधन।

'The Executive Council

17. (1) The Executive Council shall be the Chief executive body of the University. The constitution of the Executive Council shall be as follows;

(i) The Vice-Chancellor ;

(ii) The Director of Education, Uttar Pradesh ;

[(iii) The Principal, Sarojini Naidu Medial College, Agra ;]

[(iv) The Principal, Government Agricultural College, Kanpur ;]

[(v) Four of the Deans of the Faculties to be selected in the manner prescribed by the Statutes ;]

(iii) The Deans of the Faculties of Arts, Science, Medicine and Agriculture and two other Deans ;

[(vi)] (IV) Three Principals of affiliated colleges to be selected in the manner prescribed by the Statutes;

[(vii)] (v) Four persons nominated by the Chancellor of whom one shall be an expert in Engineering ;

[(viii) Four] (vi) Five members of the Senate not being members mentioned in clauses (i) to [(vii)] (v) above who are not engaged in teaching in the University or an affiliated college, elected by the Senate according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote ;

(vii) One person, not belonging to any of the above categories, to be elected by the Academic Council.

(2) The Statutes shall prescribe the manner of selection and appointment and the qualification of the members belonging to clauses [(v) and (vi)] (iii), (iv) and (vii) of sub-section (1).

(3) The Statutes relating to the nomination, election and appointment of members of the Executive Council shall contain suitable provisions so as to secure that not more than one person connected with any one affiliated college as Principal or [Manager] member of the Managing Body or in any other capacity shall be member of the Executive Council.

(4) Subject to the provisions of Section 36 the term of office of members other than *ex-officio* members shall be five years."

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा १८ का संशोधन।

१४—मूल अधिनियम की धारा १८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

Powers and duties of the Executive Council.

18. (1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Executive Council shall have the following powers and duties, namely—

(*a*) to hold, control and administer the property and funds of the University;

(*b*) to accept the transfer of any movable or immovable property on behalf of the University;

(*c*) to administer any funds placed at the disposal of the University for specific purposes;

(*d*) to frame the Budget of the University;

(*e*) to award fellowships, scholarships, bursaries, medals and other rewards in accordance with the Statutes and Ordinances relating thereto;

(*f*) save as otherwise provided for by this Act and the Statutes, to appoint the officers, teachers of the University and other servants of the University, to define the irduties and the conditions of their service and to provide or filling of temporary vacancies in their posts;

(*g*) to prescribe the courses of study for the examinations, certificates nd degrees of the University;

(*h*) to arrang for the holding of examinations and publication of the results;

(*i*) subject o the previous sanction of the Chancellor, to gra affilation to a college for teaching for specified egrees and to withdraw such affiliation;

(*j*) to arrange for and direct the inspection of all affiliated colleges and hostels;

(*k*) to control and manage and to frame rules for the University Library or Libraries and to appoint a Library Committee;

(*l*) to direct the form, custody and use of the Common seal of the University;

[(*l*)] (*m*) to regulate and determine all matters concerning the University in accordance with this Act the Statutes, and the Ordinances, and to exercise such other powers as may be conferred or imposed on it by this Act and the Statutes.

(2) The Executive Council shall not exceed the limits of recurring and non-recurring expenditure to be incurred in each financial year as determined by the Finance Committee ;

(3) The Executive Council shall take no action in regard to the courses of study except after considering the advice of the Academic [Board] Council ;

(4) No teacher shall be employed by the University until provision has been made for his salary in the Budget of the University;

(5) It shall be the duty of the Executive Council to carry out the resolutions passed by the Senate. But where in any case it is not able to do so it shall inform the senate of its inability with the reasons therefor."

१५—मूल अधिनियम की धारा १९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :— यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा १९ का संशोधन।

Academic [Board] Council

"19. (1) The Academic [Board] Council shall be the academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances, have the control and general regulation, and be responsible for the maintenance of standards of instruction, education and examination and for research in the University, and shall exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed upon it by the Statutes. It shall further have the right to advise the Executive Council on all academic matters.

(2) The constitution of the Academic [Board] Council and the term of office of its members shall be prescribed by the Statutes."

१६—मूल अधिनियम की धारा २० के स्थान पर निम्नलिखित धारायें २० और २०-ए के रूप में रख दी जायं :— यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा २० का संशोधन।

Finance Committee.

"20. (1) The Finance Committee shall consist of—

(i) The Vice-Chancellor, who shall be the Chariman;

(ii) Two persons nominated by the State Government;

(iii) Two persons who are not in the service of University or of any affiliated college, elected by the senate so, however, that not more than one is a member of the Executive Council.

(2) The Registrar shall be the Secretary of the Committee.

(3) Three members [of whom at least one shall be a member nominated by the State Government] shall form a quorum.

(4) Members of the Finance Committee other than *ex-officio* members shall hold office for five years.

20-A. (1) The Finance Committee shall have the following duties, namely—

(a) it shall examine the accounts and the Audit Report and make recommendations to the Executive Council in regard to them ;

(b) it shall fix limits for the total recurring and the total non-recurring expenditure for the ensuing year based on the income and resources of the University ;

(c) it shall scrutinize the financial estimates of the University for the ensuing year and make its comments on them, which shall be considered by the Executive Council ;

(d) it shall perform such other functions as may be assigned to it by the Statutes.

(2) The Finance Committee shall take due consideration the views of the Executive Council in performing its duties referred to in clauses (b) and (c) of sub-section (1)."

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा २१ का संशोधन।

१७—मूल अधिनियम की धारा २१ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

The Faculties.

21. (1) The University shall include such Faculties as may be prescribed by the Statutes. Each Faculty shall, subject to the control of the Academic [Board] Council, have charge of the courses of study and direction of research work in the subjects assigned to it by the Ordinances.

(2) The constitution and powers of the Faculties shall be prescribed by the Statutes.

(3) There shall be a Dean of each Faculty who shall be responsible for the due observance of the Statutes, Ordinances and Regulations relating to the Faculty.

(4) The manner of appointment and the term of Office of the Dean shall be prescribed by the Statutes."

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा २२ का निरसन।

१८—मूल अधिनियम की धारा २२ निकाल दी जाय।

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा २३ का संशोधन।

१९—मूल अधिनियम की धारा २३ की उपधारा (२) में शब्द "Regulations to be made by the Executive Council after consideration of the recommendations of the Academic Board" के स्थान पर शब्द [the Ordinances] "the Statutes" रख दिये जायें।

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा २४ का संशोधन।

२०—मूल अधिनियम की धारा २४ के स्थान पर निम्नलिखित धारायें २४ तथा २४-क के रूप में रख दी जायें—

"Affiliated Colleges.

24. (1) Every college which was an affiliated college on the first day of July, 1953, under and in

accordance with the provisions of this Act, shall continue to be such college until the affiliation is cancelled or otherwise withdrawn under this Act.

(2) Notwithstanding anything contained in this Act or in the conditions of affiliation of any affiliated college it shall not be lawful, so long as the affiliation continues, for an affiliated college having post-graduate classes to maintain Intermediate classes simultaneously with post-graduate classes.

Provided that any such college which on the 1st day of July, 1953, was maintaining simultaneously Intermediate and post-graduate classes may, at its option, continue both the Intermediate and post-graduate classes so, however, that one or the other of these classes shall cease to be maintained before the expiry of the academic year 1956-57.

(3) Without prejudice to the provisions of the foregoing sub-sections, no college shall after the commencement of the Agra University (Amendment) Act, 1953, be affiliated if it maintains classes for preparing students for the Intermediate examination.

(4) Every application for affiliation to the University by a college not already affiliated and every application of an affiliated college for starting courses of instructions for a new degree shall, subject to the provisions of clause (i) of sub-section (1) of Section 18, be dealt with in accordance with the Statutes. But nothing in this sub-section shall be deemed to require the previous sanction of the Chancellor under clause (i) aforesaid for the granting of an application of an affiliated college to start instruction in a subject (being a subject in which instruction is not already given) for a Bachelor's degree in respect of which the college is already affiliated and every such application may be dealt with by the Executive Council without reference to the Chancellor.

(5) Every affiliated college shall furnish such reports, returns and other particulars as the Executive Council may call for on its own motion or at the instance of the Academic (Board) Council.

(6) The Executive Council shall cause every affiliated college to be inspected from time to time at intervals not exceeding five years by one or more persons authorised by it in this behalf.

(7) The Executive Council may call upon any affiliated college so inspected to take within a specified period such action as may appear to it to be necessary.

(8) The affiliation of an affiliated college which fails to comply with the directions of the Executive Council or to fulfil the conditions of affiliation may be withdrawn in accordance with the provisions of the Statutes."

"24-A. (1) It shall be lawful for the University to grant to an affiliated College, which satisfies the conditions prescribed in this behalf by the Statutes, the privilege of varying for the students receiving instruction in such college, [in the manner and to the extent approved by the University] the courses of study prescribed by the University and holding examinations in the courses so varied. The extent to which the courses may be varied and the manner of holding examinations conducted by such College shall be determined in each case by the University. Such a College shall be declared to be an 'Autonomous College' in the manner prescribed by the Statutes.

(2) The University may, under conditions prescribed by the Statutes, recognise an affiliated College, as a "Working Men's College", for the purpose of providing courses for degrees to persons (otherwise eligible for admission to such courses) who may be unable to enrol as whole-time students by reason of being engaged full-time in business, trade or industry, or employed in other forms of service. The course for such students shall extend over a period which shall not be less than one and a half times the prescribed duration thereof. Such courses shall be organized separately."

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा २५ का संशोधन।

२१—मूल अधिनियम की धारा २५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

Appointment of teachers of the University and affiliated colleges.

25. (1) There shall be a Selection Committee for each subject of study which shall consist of :-

(i) The Vice-Chancellor, who shall be the Chairman;

(ii) The Dean of the Faculty concerned ;

(iii) [One Principal] The Head of Department teaching the subject concerned in the University, or a Principal, or Head of Department of an affiliated college teaching post-graduate degrees and possessing expert knowledge of the subject, to be nominated by the Academic [Board] Council ;

(iv) two persons possessing expert knowledge of the subject, to be nominated by the Chancellor.

(2) Before nominating the experts referred to in sub-section (1), the Chancellor shall obtain from the relevant Faculties of at least two Universities of India name of experts in each subject and shall nominate [three] two persons from amongst them.

(3) Teachers of the University shall be appointed by the Executive Council in accordance with the provisions of clause (*f*) of sub-section (1) of section 18 on the advice of the Selection Committee concerned. Where the Executive Council disagrees with the advice of the

Slection Committee, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision shall be final.

(4) Every decision to make a substantive appointment of a teacher [of] in an affiliated college, not being maintained exclusively by Government, shall be reported by the management of the college to the Vice-Chancellor within 15 days from the date thereof. The continuance of the appointment shall be subject to the approval of the Vice-Chancellor who may with the concurrence of the Selection Committee concerned disapprove of the same, in which case it shall be terminated as soon as may be but not later than the date of expiry of period of probation."

२२—मूल अधिनियम की धारा २५ के बाद निम्नलिखित नई धारायें २५-ए, २५-बी और २५-सी के रूप में जोड़ दी जायं:—

यू० पी० ऐक्ट ८ १९२६ में नई धारा २५-ए, २५-बी और २५-सी का रखा जाना।

"25-A. (1) No teacher recruited after the commencement of the Agra University (Amendment) Act, 1953, shall be entitled to impart instruction for a post-graduate degree or to guide research unless he is recognised for these purposes by the Chancellor on the advice of the Selection Committee referred to in sub-section (1) of section 25.

(2) No teacher recruited before the commencement of the Agra University (Amendment) Act, 1953, shall, with effect from such date not later than one year from the said commencement as the State Government may by notification fix, be entitled to impart instruction for post-graduate degrees or to guide research unless —

(*a*) he was recruited to a post carrying the emoluments assigned in accordance with the scales prescribed in the college concerned for teachers intended for post-graduate teaching ; or

(*b*) he was recruited expressly for imparting instruction for post-graduate degrees; or

(*c*) he had for a total period of seven years before the said commencement imparted instruction to post-graduat classes ; or

(*d*) he has been approved for the purpose by the Chancellor upon the recommendation of a Selection Committee constituted in accordance with sub-sections (1) and (2) of section 25.

Conditions of service of officers and teachers.

25-B. (1) Subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances [relating to the conditions of service], every salaried officer and teacher of the University shall be appointed under a written contract which shall be lodged with the University and a copy of which shall be furnished to the officer or teacher concerned.

(2) Any dispute arising out of a contract referred to sub-section (1) shall, on the request of the officer or teacher concerned, be referred to a tribunal of arbitration whose decision shall be final. Every such request shall be deemed to be submission to arbitration upon the terms of this section within the meaning of the Arbitration Act, 1940, (Act X of 1940) and all the provisions of that Act with the exception of section 2 thereof shall as far as possible apply.

(3) The tribunal of arbitration provided for in sub-section (2) shall consist of one member nominated by the Executive Council, one member nominated by the officer or teacher concerned and an umpire appointed by the Chancellor.

(4) The University shall constitute for the benefit of its officers, teachers, clerical staff and [servants] other employees in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by the Statutes, such pension, gratuity, insurance and provident funds as it may deem fit.

25-C. (1) Every teacher in an affiliated college, not being a college maintained exclusively by Government, who is recruited after the commencement of the Agra University (Amendment) Act, 1953, shall be appointed under a written contract, which will contain such terms and conditions as may be laid down by the Statutes.

(2) Every decision by the Management of an affiliated college, other than a college maintained by Government, to dismiss or remove from service a teacher shall be reported forthwith to the Vice-Chancellor and subject to provisions to be made by Statutes shall not take effect until it has been approved by the Vice-Chancellor."

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा २६ का संशोधन

२३—मूल अधिनियम की धारा २६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

Statutes.

26. Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for any matter relating to the University and shall in particular provide for the following:

(a) the constitution, powers and duties of the Authorities of the University;

(b) the election, appointment and continuance in office of the members of the said Authorities of the University and the filling of vacancies and all other matters relative to those Authorities for which it may be necessary or desirable to provide;

(*c*) the appointment, powers and duties of the officers of the University;

(*d*) the constitution of a pension or provident fund and the establishment of an insurance scheme for the benefit of officers, teachers and other employees of the University and of affiliated colleges;

(*e*) the conferment of honorary degrees;

(*f*) the withdrawal of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions;

(*g*) the establishment, combination, sub-division and abolition of Faculties;

(*h*) the conditions under which colleges and other institutions may be admitted to the privileges of the University and be liable to the withdrawal of such privileges;

(*i*) the inspection of affiliated colleges ;

(*j*) the maintenance of a Register of Registered Graduates

(*k*) the holding of Convocation ;

[(*i*)] (*l*) the institution of fellowships, scholarships, medals and prizes ; and

[(*j*)] (*m*) all othe matters which are required by this Act to be provided for by the Statutes."

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ में नई धाराओं २७-ए और २७-बी का रखा जाना।

२४--मूल अधिनियम की धारा २७ के बाद निम्नलिखित धारायें २७-ए और २७-बी के रूप में रख दी जायं

Ordinances 27-A. (1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances may provide for any matter permitted by this Act or the Statutes to be provided for by Ordinances and for any other matter, including the giving of religious instruction, which the Executive Council considers it advisable to provide for by Ordinances.

(2) Without prejudice to the generality of the power conferred by sub-section (1), the Ordinances shall provide for the following matters, namely—

(*a*) the admission of students of the University and their enrolment as such;

(*b*) the conditions under which students shall be admitted to the degree and other courses and to the examinations of the University and shall be eligible for degrees and certificates;

(*c*) the fees to be charged for courses of study and for admission to the examinations, degrees and certificates of the University;

(*d*) the remuneration and allowances, including travelling and daily allowances, to be paid to examiners, tabulators, inspectors and other persons employed on the business of the University ;

(*e*) the number, qualifications, emoluments and the terms and conditions of service of teachers of the University;

(*f*) the conditions of the award of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;

(*g*) the conduct of examinations, including the term of office, the manner of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators;

(*h*) the conditions of the residence of students;

(*i*) the maintenance of discipline among students;

(*j*) all other matters which by this Act or by the Statutes are required to be or may be provided for by the Ordinances.

(3) Ordinances shall be made by the Executive Council but no ordinance shall take effect until it has been approved by the Chancellor after considering the veiws of the Senate;

Provided that no Ordinance—

(*i*) affecting the admission or enrolment of students or prescribing examinations to be recognised as equivalent to the University examinations; or

(ii) affecting the conditions and mode of appointment or duties of examiners or the conduct or standard of an examination or any course of study;

shall be made, amended, repealed or added to unless a draft of such Ordinance has been proposed or previously approved by the Academic [Board] Council.

(4) The Executive Council shall not have power to amend any draft referred to in the proviso to sub-section (3) but may reject the proposals or return the draft to the Academic [Board] Council for reconsideration, either in whole or in part, together with any amendments which the Executive Council may suggest. Where the Executive Council rejects the draft, the Academic [Board] Council may appeal to the Senate, which shall consider the draft at its next meeting and its decision shall be final.

(5) An Ordinance made by the Executive Council under sub-section (3) shall be submitted, as soon as may be, to the Chancellor and the Senate. It shall be considered by the Senate at its next meeting. The Senate shall have the power, by a resolution passed by a majority of not less than two-thirds of the members voting, to reject any such Ordinance.

(6) After the Senate has approved an Ordinance, it shall forward its views to the Chancellor who may either allow or disallow it.

अविभाजित उत्तर प्रदेश

27-B. (1) Notwithstanding anything in section 27-A the Executive Council may, [if it is of the opinion that an emergency has arisen] frame and enforce [an] a temporary Ordinance on any of the matters referred to in sub-section (2) of the said section.

(2) An Ordinance framed under sub-section (1) shall have the same force and effect as an Ordinance framed and enforced under and in accordance with section 27-A, but every such Ordinance shall be submitted to the Senate and the Chancellor and shall cease to operate at the expiration of one year from the date of its enforcement or if the Senate or the Chancellor disapproves it before the expiration of one year, upon such disapproval."

२५—मूल अधिनियम की धारा २८ और २९ के स्थान पर निम्नलिखित धारा २८ के रूप में रख दिया जाय:—

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा २८ और २९ के स्थान पर एक नई धारा का रखा जाना।

Regulations [28. The Executive Council may make Regulations consistent with this Act, the Statutes and the Ordinances, on its own motion or upon the motion of an Authority of the University, on the following matters:

(*a*) the procedure to be observed at the meetings of Authorities of the University and the number of members required to form a quorum :

(*b*) the form and the manner of notice to be given of the meetings and the business to be transacted thereat ; the preparation of records of proceedings and similar matters ;

(*c*) the courses of study to be laid down for the examinations of the University ;

(*d*) the classification or inclusion of the subjects of study in the various Faculties : and

(*e*) the matters which by this Act or the Statutes are to be, and may be prescribed by the Regulations :

Provided that the Executive Council shall not consider the draft of any Regulation relating to items (*c*) and (*d*) except on the recommendation of the Academic Board ;]

"28. (1) The authorities and the Boards of the University may make Regulations consistent with this Act, the Statutes and the Ordinances :

(*a*) laying down the procedure to be observed at their meetings and the number of members required to form a quorum :

(*b*) providing for all matters which by this Act, the Statutes or the Ordinances are to be prescribed by Regulations : and

(c) providing for all other matters solely concerning such authorities and Boards as are not provided for by this Act, the Statutes or the Ordinances.

(2) Every authority of the University shall make Regulations providing for the giving of notice to the members of such authority of the dates of meetings and of the business to be considered at meetings and for the keeping of a record of the proceedings of meetings.

(3) The Executive Council may direct the amendment, in such manner as it may specify, of any Regulation made under this section or the annulment of any Regulation made under sub-section (1) by an authority other than the Senate :

Provided that any authority or Board of the University which is dissatisfied with any such direction may appeal to the Chancellor, whose decision in the matter shall be final.

(4) The Executive Council shall make Regulations laying down—

(i) the courses of study for various examinations of the University ;

(ii) the assignment of subject to the various Faculties : provided receiving drafts of the same from the Academic Council.

The Executive Council may not alter a draft received from the Academic Council but may reject the draft received or return it to the Academic Council for further consideration together with its own suggestions.

(5) No Regulation shall be made in respect of matters which are to be provided for by Statutes and Ordinances under this Act."

यू० पी० ऐक्ट सं० १९२९ की धारा २० का संशोधन।

९६—मूल अधिनियम की धारा २० में वर्तमान धारा की उपधारा (१) के रूप में परिवर्तित किया जाय और उसके बाद निम्नलिखित उपधारा (२) में रख दिया जाय:—

"(2) The University shall not, save with the previous sanction of the State Government, recognise (for the purpose of admission to a course of study for a degree) any degree conferred by any other University or as equivalent to the Intermediate Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh, any examination conducted by any other authority."

२७—मूल अधिनियम की धारा ३१ में [(१) उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—]

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा ३१ का संशोधन।

(१) उपधारा (१) के अंतिम शब्द "and all examiners shall be appointed by the Executive Council" निकाल दिये जायं :

(२) उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(3) [There shall be at least two] At least one-half of the number of paper-setters for each subject of study prescribed for a degree and as nearly as possible one-half of the number of examiners appointed in each subject shall be persons not in the service of the University or an affiliated college ;"

(३) उपधारा (३) के बाद निम्नलिखित नई उपधारायें (४) तथा (५) के रूप में जोड़ दी जायं:—

"(4) The examiners in each subject shall be appointed by the Vice-Chancellor [by rotation from the penal of names prepared] in the manner prescribed by the [Ordinances] Statutes.

(5) Every person appointed as examiner shall, as a condition of appointment, agree that he will not undertake examination work in excess of the limits laid down in the Ordinances."

२८—मूल अधिनियम की धारा ३३ की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा ३३ का संशोधन।

"(2) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared under the direction of the Executive Council and shall be submitted to the State Government for purposes of audit. The State Government shall appoint an Auditor possessing appropriate professional qualifications and engaged in the active practice of his profession and shall determine the scale of his remuneration. After audit the accounts and balance sheet together with the Audit Report shall be published by the Executive Council in the Government *Gazette* and copies thereof shall be submitted to the Senate and to the State Government."

२९—मूल अधिनियम की धारा ३३ की उपधारा (३) के रूप में निम्नांकित बढ़ा दिया जाय :—

"(3) It shall be lawful for the State Government to require any person, who is found to have spent or authorised the expenditure of funds in excess of the amount provided in the financial estimates or in violation of any provision of this Act, the Statute or the

Ordinance, to reimburse the amount so spent and the Government may take all such steps as may be deemed necessary."

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा ३५ का संशोधन।

३०—मूल अधिनियम की धारा ३५ में शब्द Body of the University और शब्द the matter के बीच निम्नांकित रख दिया जाय

"or whether any decision of the University or any Authority thereof is in conformity with this Act, the Statutes and the Ordinances",

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा ३६ का संशोधन।

३१—मूल अधिनियम की धारा ३६ में निम्नलिखित उपधारा (२) के रूप में बढ़ा दिया जाय और वर्तमान धारा की संख्या बदल कर उपधारा (१) कर दी जाय :—

"(2) A person who is a member of an Authority of the University as a representative of another body whether of the University or outside shall retain his seat on the University Authority so long as he continues to be a member of the body by which he was appointed or elected and thereafter till his successor is duly appointed."

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा ३७ का संशोधन।

३२—मूल अधिनियम की धारा ३७ में शब्द members के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"or by reason of some person having taken part in the proceedings who is subsequently found not to have been entitled to do so."

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा ३९ का निकाला जाना।

३३—मूल अधिनियम की धारा ३९ निकाल दी जाय।

'पद राजपूताना' का निकाल दिया जाना और "Academic Board" के स्थान पर "Academic Council" का रखा जाना।

३४—(ए) पद "Rajputana" जहां कहीं भी मूल अधिनियम में आया हो, निकाल दिया जाय।

(बी) मूल अधिनियम में जहां कहीं भी शब्द "Academic Board" आये हों उनके स्थान पर शब्द "Academic Council" रख दिये जायं।

संक्रमण कालीन उपबन्ध

३५—मूल अधिनियम, आगरा यूनिवर्सिटी (अनुपूरक) अधिनियम, १९५२ अथवा इस अधिनियम में किसी भी बात के होते हुये, इस अधिनियम के सरकारी गजट में प्रथम प्रकाशन के बाद किसी भी समय चांसलर किसी भी व्यक्ति को वाइस-चांसलर नियुक्त कर सकते हैं, और ऐसी नियुक्ति करने के लिये धारा ९

में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करना आवश्यक न होगा। इस प्रकार नियुक्त वाइस-चांसलर इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के वाइस-चांसलर के सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा तथा कर्त्तव्यों और कार्यों का सम्पादन करेगा और एक वर्ष तक [या ऐसी लम्बी अवधि तक जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नियुक्त किये जाने वाले वाइस-चांसलर के लिये अपेक्षित हो,] अपने पद पर रहेगा परन्तु यदि आवश्यकता प्रतीत हो तो चांसलर अवधि को एक वर्ष तक बढ़ा सकते हैं।

३६—मूल अधिनियम की धारा ४० के बाद धारा ४०-ए के रूप में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:—

"40-A. The State Government may, for the purpose of removing any difficulties, in relation to the transition from the provisions of this Act, as it existed prior to its amendment by the Agra University (Amendment) Act, 1935, (hereinafter referred to as 'the Amending Act'), to the provisions of this Act, as amended by the Amending Act, by order published in the Official *Gazette*—

(*a*) direct that this Act, amended as aforesaid, shall during such period as may be specified in the order, take effect subject to such adaptations, whether by way of modifications, addition or omission, as it may deem fit to be necessary or expedient ; or

(*b*) direct that till such time, not exceeding one year from the commencement of the Amending Act, as the University Authorities are consituted or appointed under and in accordance with this Act, amended as aforesaid, the powers, duties and functions, exercisable or dischargeable by such University Authorities shall be exercised and discharged by the corresponding authorities established on the date immediately before the commencement of the Amending Act ; or

(*c*) direct that any Statute or Regulation in force at the date immediately preceding the coming into force of the Amending Act shall continue in force subject to such alteration, modification, addition or omission, as it may deem fit to be necessary or expedient, until superseded by anything done or any action taken under this Act, as amended by the aforesaid Act ; or

(*d*) make such other temporary provision for the purpose of removing any such difficulty as it may deem fit to be necessary or expedient :

Provided that no such order shall be made after twelve months from the date of the commencement of the Amending Act."

उद्देश्य और कारण

आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट २७ वर्ष पहले पारित हुआ था। इसमें कुछ ऐसे उपबन्ध हैं जो यूनिवर्सिटी सेनेट और एक्जीक्यूटिव कौंसिल में राजस्थान के कालेजों के प्रतिनिधित्व से सम्बद्ध हैं। जयपुर में विश्वविद्यालय स्थापित हो जाने के फलस्वरूप इन उपबन्धों में असामन्जस्य आ गया है। उपर्युक्त अवधि में इस ऐक्ट के कार्यान्वित होने पर यह भी पता चला है कि इसमें कुछ कमियां रह गई हैं। इसके अतिरिक्त इस बात की भी आवश्यकता है कि उच्च शिक्षा के स्तर को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, यथोचित निश्चित किया जाय। हाल ही में उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों ने इस पर विचार किया है और राधाकृष्णन् कमीशन तथा अन्य निकायों ने भी इस प्रश्न पर ध्यान दिया है। आशा है कि विश्वविद्यालय के प्रशासन में जो खराबियां आ गई हैं वे इससे दूर हो जायंगी और ऐसी स्थिति आ जायगी जिससे शिक्षा उसी स्तर पर दी जा सकेगी जैसा कि इन सम्मेलनों में निश्चित किया गया है।

अतएव सदन के विचारार्थ यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

हरगोविन्द सिंह,
शिक्षा मंत्री।

विधान सभा प्रदेश राजस्थान

पी० एस० यू० पी० ए० पा० ९९ एल० ए०—१९५३—८५०।